उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी-मार्च, 2015

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अशोक कुमार पांडा **बनाम** भारत गणराज्य	21
कु. गितिका साहू **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	44
जम्मू-कश्मीर राज्य **बनाम** संजय कुमार	57
धनेश्वर साहू **बनाम** ओडिशा राज्य	15
फूल चंद **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	127
मेरेप्पागरी कुप्पया **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य	1
मोहम्मद अब्दुल कय्यूम **उर्फ** सेलिम **बनाम** त्रिपुरा राज्य	75
रामदेव साहनी **बनाम** बिहार राज्य	82
रूपचंद पटेल **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	28
सरिता तामरेकर (श्रीमती) **बनाम** सुधीर तामरेकर	40
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** विपिन कुमार	137
संसद् के अधिनियम	
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	(21) – (38)

जनवरी-मार्च, 2015 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
विनोद कुमार आर्य

महत्वपूर्ण निर्णय

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) – धारा 11(3) और धारा 7(i) [सपठित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का नियम 14] – यदि खाद्य निरीक्षक द्वारा दूध की संपूर्ण मात्रा का सम्मिश्रण करके नमूना नहीं लिया गया है और दूध का नमूना लेने में अधिनियम की धारा 11 का अनुसरण नहीं किया गया है तथा नियम, 1955 के अनुसार दूध का नमूना विश्लेषक के पास नहीं भेजा गया है तो विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी/आवेदक की दोषसिद्धि अनुचित है ।

रूपचंद पटेल बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 28

संसद् के अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (21) – (38)

पृष्ठ संख्या 1 – 188 **(2015) 1 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – जनवरी-मार्च, 2015 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 1 – 188)

संपादक-मंडल

डा. संजय सिंह,
सचिव, विधायी विभाग

श्री के. बिस्वाल, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

प्रो. डा. वैभव गोयल,
सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ
विधि विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक, वि.सा.प्र.

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

श्री विनोद कुमार आर्य,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री कमला कान्त, अविनाश शुक्ला, असलम खान और राकेश उपाध्याय

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2015 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56)

– धारा 7क (2009 में यथासंशोधित) [सपठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 का नियम 12] – किशोर अवस्था का निर्धारण – यदि अभियुक्त हाईस्कूल प्रमाणपत्र में दर्शित जन्मतिथि के अनुसार किशोर प्रकट नहीं होता है तब किशोर अवस्था का निर्धारण करने हेतु न्यायालय के लिए अन्य दस्तावेज की जांच करना अपेक्षित नहीं है ।

कु. गितिका साहू बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 44

– नियम 12 – कानूनी दस्तावेज अर्थात् हाईस्कूल प्रमाणपत्र की उपेक्षा करके कोतवारी पंजी में अभिलिखित जन्मतिथि का अवलंब लेना अनुचित है ।

कु. गितिका साहू बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 44

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37)

– धारा 11(3) और धारा 7(i) [सपठित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का नियम 14] – यदि खाद्य निरीक्षक द्वारा दूध की संपूर्ण मात्रा का सम्मिश्रण करके नमूना नहीं लिया गया है और दूध का नमूना लेने में अधिनियम की धारा 11 का अनुसरण नहीं किया गया है तथा नियम, 1955 के अनुसार दूध का नमूना विश्लेषक के पास नहीं भेजा गया है तो विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी/आवेदक की दोषसिद्धि अनुचित है ।

रूपचंद पटेल बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 28

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 23)

– धारा 12 – संरक्षण आदेश – अधिनियम के प्रभाव

पृष्ठ संख्या

में आने से पूर्व पक्षकारों के आचरण को इस अधिनियम के अधीन आवेदन पर सुनवाई के दौरान और आदेश पारित करते समय विचार में लिया जा सकता है ।

सरिता तामरेकर (श्रीमती) बनाम **सुधीर तामरेकर** 40

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 389(1) – दोषसिद्धि का निलंबन – अभियुक्त को रिश्वत मांगने और स्वीकार किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया जाना – जहां दोषसिद्धि का आदेश अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सभी युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि मामला दोषसिद्धि के निलंबन के लिए आपवादिक लक्षण का नहीं है वहां पर दोषसिद्धि का निलंबन नहीं किया जाएगा ।

अशोक कुमार पांडा बनाम **भारत गणराज्य** 21

– धारा 437(2) के अधीन ऐसे मामलों में जो दंड संहिता की धारा 498क के अधीन नहीं आते, मजिस्ट्रेट को, अभियुक्त को अनंतिम रूप से जमानत पर निर्मुक्त करने की शक्ति देता है तथा ऐसे मामलों में धारा 437(2) के अधीन मजिस्ट्रेट को व्यापक विवेक प्रयोग करने के लिए विधि आयोग को भी उक्त धारा में संशोधन करने के लिए सुझाव दिया जाता है ।

रामदेव साहनी बनाम **बिहार राज्य** 82

– धारा 441 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता का प्रपत्र 45] – धारा 437(3)(क), 441क, 437(1)(ii) और धारा 437(3)(ख) – प्रतिभू-न्यायालयों को नैत्यिक रूप से मौद्रिक प्रतिभुओं पर जोर नहीं देना चाहिए और दुर्भर शर्तें अधिरोपित नहीं करनी चाहिए – बंधपत्र पर्याप्तता होता है अतः न्यायालय उपनिधाताओं (जमानतदारों)

पृष्ठ संख्या

की पर्याप्तता के सुबूत में शपथपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम होते हैं ।

रामदेव साहनी बनाम **बिहार राज्य** 82

– धारा 446 (2) – जमानत बंधपत्रों को समपहृत किया जाना – प्रतिभुओं के विरुद्ध जमानत बंधपत्रों को समपहृत करने का आदेश – यदि प्रतिभू अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने में विफल हुए हैं और प्रतिभुओं को मामले में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाता तो यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, इसलिए जमानत बंधपत्रों के समपहृत किए जाने का आदेश उचित नहीं है और अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

धनेश्वर साहू बनाम **ओडिशा राज्य** 15

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– सहमति – जहां मामले में सहमतिजन्य मैथुन किए जाने के बारे में कोई साक्ष्य न हो और अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री या अन्य साक्षी को सहमति से हुए मैथुन के बारे में कोई सुझाव न दिया गया हो वहां पर सहमति-जन्य मैथुन के अभाव में अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायसंगत है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **विपिन कुमार** 137

– धारा 279 और 304क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 9] – अभियुक्त द्वारा असावधानी से गाड़ी चलाकर मृतका की मृत्यु कारित किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा घटनास्थल पर ही अभियुक्त को पकड़ लिया जाना और न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को पहचान लिया जाना उसे दंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त है ।

मोहम्मद अब्दुल कय्यूम उर्फ **सेलिम** बनाम **त्रिपुरा राज्य** 75

पृष्ठ संख्या

– धारा 300 – हत्या – अभियुक्त द्वारा मृतका महिला की हत्या किया जाना जब वह अपने घर में सो रही थी – अभिकथित घटना की सूचना देने वाले पड़ौसियों की साक्षियों के रूप में परीक्षा नहीं किया जाना – यदि साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि उनमें से कोई भी सत्य साक्षी नहीं है और न उन्होंने घटना के समय अभियुक्त और मृतका को एक साथ देखा था तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

मेरेप्पागरी कुप्पया बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** 1

– धारा 300 – हत्या – घटना के समय पर अभियुक्त द्वारा पहनी गई कमीज जिसे अभिगृहीत किया गया था, उसका फटा हुआ भाग अभिगृहीत कमीज से मेल नहीं खाता है – अतः अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

मेरेप्पागरी कुप्पया बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** 1

– धारा 376 – बलात्संग – अभियुक्त-पिता द्वारा अपनी पुत्री से बलात्संग किया जाना – अभियोक्त्री की माता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – यदि चिकित्सा साक्ष्य से यह दर्शित है कि अभियोक्त्री मैथुन की अभ्यस्त थी और एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियुक्त की पत्नी का चाल-चलन ठीक नहीं था तो उसके कथन का पूर्ण रूप से अवलंब नहीं लिया जा सकता, इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

फूल चन्द बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 127

– धारा 376(1), 452, 511 और 506 [सपठित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)

पृष्ठ संख्या

(xii)] – बलात्संग – यदि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से यह दर्शित है कि अभियोक्त्री के कमीज, यौनिक स्वाब पर मानव रक्त और वीर्य के धब्बे पाए गए तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **विपिन कुमार** 137

– धारा 498क [सपठित धारा 437(2)] – किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता किया जाना – न्यायालय की उत्सुकता सुलह की प्रक्रिया आरंभ करने और परिवार का हित संरक्षित करने की होनी चाहिए – ऐसे मामलों में अभियुक्तों को नैत्यिक रूप से कारागार में रखे जाने से विरत रहना चाहिए और कारागार तभी भेजा जाना चाहिए जब आरोप अत्यधिक गंभीर प्रकृति के हों ।

रामदेव साहनी बनाम **बिहार राज्य** 82

– धारा 506 – जहां मामले में यह साबित नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री का आपराधिक अभित्रास किया और उसे जान से मारने की धमकी दी वहां अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 506 के अधीन दोषमुक्ति उचित है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **विपिन कुमार** 137

रणबीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी)

– धारा 376 – बलात्संग – यदि पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया कि उसके योनिच्छद से रक्त नहीं निकला और डाक्टर के अनुसार उसके गुप्तांग भागों पर क्षतियां नहीं पहुंचीं तो अपीलार्थी-अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम **संजय कुमार** 57

पृष्ठ संख्या

– धारा 376 – बलात्संग – जहां विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए दोषमुक्ति के निर्णय में कोई गलती या अवैधता प्रकट नहीं हुई है तथा विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के अभिलिखित करने में पीड़िता और उसकी माता के वृत्तांत का अवलंब नहीं लिया गया हो वहां पर अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित है ।

जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम **संजय कुमार** 57

———————

मेरेप्पागरी कुप्पया

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

तारीख 25 अप्रैल, 2014

न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. एस. के. जयसवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 – हत्या – अभियुक्त द्वारा मृतका महिला की हत्या किया जाना जब वह अपने घर में सो रही थी – अभिकथित घटना की सूचना देने वाले पड़ौसियों की साक्षियों के रूप में परीक्षा नहीं किया जाना – यदि साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि उनमें से कोई भी सत्य साक्षी नहीं है और न उन्होंने घटना के समय अभियुक्त और मृतका को एक साथ देखा था तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 300 – हत्या – घटना के समय पर अभियुक्त द्वारा पहनी गई कमीज जिसे अभिगृहीत किया गया था, उसका फटा हुआ भाग अभिगृहीत कमीज से मेल नहीं खाता है – अतः अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

मृतका अपने पति की मृत्यु के पश्चात् काडाथालापल्ली ग्राम में रहने लगी थी । अभियुक्त के उसके साथ अवैध संबंध थे और ऐसे संबंध घटना से पूर्व लगभग पांच वर्ष से चल रहे थे । तारीख 21 दिसंबर, 2007 को मृतका अपनी मामी वेंकटम्मा (अभि. सा. 3) के साथ अपने मकान में सो रही थी । अभियुक्त जो मृतका के पास आया-जाया करता था, वहां पहुंचा और उसे देखकर अभि. सा. 3 कमरे से बाहर आ गई और बरामदे में सो गई । रात्रि में लगभग 11 बजे अपराह्न अभियुक्त ने मृतका की हत्या कर दी और कमरे से बाहर चला गया । टी. मुन्नीरत्नम, मृतका का चचेरा भाई है । वह उसी ग्राम का निवासी है । उसने तारीख 22 दिसंबर, 2007 को यह कथन करते हुए बिरयाडद्दीपल्ली पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसी दिन प्रातः लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न उसके गांववासी मनोहर

और बाबू (इन साक्षियों की परीक्षा नहीं कराई गई) उसके पास आए और उसे बताया कि मृतका अपने मकान में मृत पड़ी है । उसने यह भी कथन किया कि मृतका के अभियुक्त और कृष्णप्पा के साथ भी अवैध संबंध थे, उनके द्वारा उसकी बहन की हत्या किया जाना हो सकता है । 2008 का अपराध सं. 79 रजिस्ट्रीकृत किया गया और पुलिस निरीक्षक अभि. सा. 9 द्वारा मामले में अन्वेषण किया गया और अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया और मौके पर मृत्यु समीक्षा की गई, शव को शव परीक्षण के लिए भेजा गया तथा साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया गया । चिकित्सा अधिकारी, अभि. सा. 8 ने राय व्यक्त की कि मृतका की मृत्यु का कारण गला घोंटने से श्वासावरोध के परिणामस्वरूप हुई । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त ने दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रदर्श पी. 1 घटना के बारे में पूर्ववर्ती शिकायत है जिसे अभि. सा. 1 द्वारा दर्ज कराई गई थी जो कोई नहीं बल्कि मृतका का चचेरा भाई था और उसी ग्राम का निवासी भी था । उसको दी गई सूचना का स्रोत कि मृतका अपने मकान में मृत पाई गई है दो व्यक्ति मनोहर और बाबू द्वारा दिया जाना कहा गया है । इन दोनों व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को साक्षियों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है और न ही उनकी परीक्षा की गई थी जिन्हें लोक अभियोजक द्वारा त्याग दिया गया था । इसलिए इन तात्विक साक्षियों द्वारा अभि. सा. 1 को दी गई सूचना की प्रकृति न्यायालय में उपलब्ध नहीं हो पाई है । (पैरा 11)

प्रदर्श पी. 1 में यह भी उल्लेख किया गया है कि न तो अभियुक्त का कोई नातेदार और न पड़ौसी ने उसे इस बारे में बताया था कि उन्होंने अभियुक्त को तारीख 21 दिसंबर, 2007 की रात्रि में मृतका के घर में प्रवेश करते हुए देखा । यदि वास्तविक रूप से पड़ौसी और नातेदारों ने अभियुक्त और मृतका को एक साथ देखा तो तब मृतका का चचेरा भाई, जो अभि. सा. 1 है, तब वे उसे उस तथ्य के बारे में बताते और उस दशा में अभि. सा. 1 के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि अभियुक्त और कृष्णप्पा के नाम संदेहजनक के रूप में प्रकट करता । यह सुस्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति ने अभि. सा. 1 को यह सूचित नहीं किया कि अभियुक्त मृतका की तारीख को उसके साथ था, उसने इस बात का उल्लेख भी

नहीं किया है । घटना की सूचना प्रातः लगभग 9.30 बजे अभि. सा. 1 के पास पहुंची और सात घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई थी और 7 वर्ष की अवधि के दौरान भी जब वह मृतका के नजदीक था यह प्रतीत होता है कि मृतका और अभियुक्त के एक साथ देखे जाने के बारे में तथ्य की सूचना अभि. सा. 1 को नहीं दी गई थी । प्रदर्श पी. 1 की अन्तर्वस्तु अभियोजन और उसके साक्षियों के दावे को नासाबित किया है कि उन्होंने अभियुक्त और मृतका को एक साथ देखा था । (पैरा 13)

अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है वह न तो किसी बात से प्रेरित है और जिससे संभवतया उसका स्वाभाविक मानव आचरण प्रकट होता है । यह भी यहां विस्मरणीय हो सकता है कि प्रदर्श पी. 1 में भी जिसे तारीख 22 दिसंबर, 2007 को पांच बजे अपराह्न दर्ज किया गया था, उसमें अभि. सा. 3 के बारे में कोई निर्देश नहीं है । अभि. सा. 3 वृद्ध आयु की महिला है और घटना के पश्चात् प्रातः उसके सभी नातेदार जिसमें अभि. सा. 1 भी सम्मिलित है जो मृतका के नजदीक था तब इस बात पर विश्वास करना असंभव है कि यद्यपि वह अपने निकट के नातेदारों के संग में थी जो शव के नजदीक पर थे तो उसने किसी भी व्यक्ति को इस बारे में सूचना नहीं दी जिस घटना को देखे जाने के बारे में कहा गया है । उसे अभियुक्त द्वारा घटना के बारे में बताया गया । यह बात अत्यधिक असंभाव्य प्रतीत होती है कि अपराध के स्तर पर केवल पुलिस के पहुंचने के पश्चात् उसने इस बारे में उन्हें बताया कि तारीख 21 दिसंबर, 2007 की रात्रि में क्या घटना घटी थी । निःसंदेह, शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी से किसी व्यक्ति का आचरण पर प्रभाव पड़ता है परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता है तब ऐसी धमकी अपने आप में विलोपित हो जाती है खासतौर पर जब धमकाया गया व्यक्ति उसके निकट के नातेदारों के सम्पर्क में आ जाए । अभि. सा. 3 अत्यधिक निर्णायक सूचना को लगभग 24 घंटे तक अपने पास नहीं रखेगी । अभियुक्त इस अवधि के दौरान कहीं और भी देखा गया था । अभि. सा. 3 के साक्ष्य पर केवल यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई विकल्प नहीं है कि वह विश्वसनीय साक्षी नहीं है । (पैरा 16)

अभि. सा. 5 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि लगभग 10 बजे या 11 बजे अपराह्न घटना की रात्रि को उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त को मुतियालम्मा मन्दिर के नजदीक देखा गया था और उसे मन्दिर के

कारपुर स्थान पर देखा गया था । इस साक्षी के साक्ष्य से पूर्णतया एक नई कहानी प्रकट होती है । अभि. सा. 3 के अनुसार अभियुक्त तारीख 21 दिसंबर, 2007 को 10 और 11 बजे अपराह्न के बीच मृतका के घर में था जिस पर अभि. सा. 4 ने यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त लगभग 9 बजे अपराह्न मृतका के घर के नजदीक भ्रमण करते हुए देखा गया था । अभि. सा. 5 ने तीसरा यह वृत्तांत दिया है कि अभियुक्त 10 और 11 बजे अपराह्न के बीच मुतियालम्मा के मंदिर में देखा गया था और वह पूजा कर रहा था । इसलिए ऐसा प्रतिरोध्य निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभि. सा. 3 से 5 के परिसाक्ष्य से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि उनमें से कोई भी सत्य साक्षी नहीं है और न उन्होंने घटना की रात्रि में अभियुक्त और मृतका को एक साथ देखा । अभियुक्त ने यह दलील दी है कि उन्हें उनके परिसाक्ष्य की प्रकृति की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए साक्षी बनाया गया है । (पैरा 19)

अन्वेषण अभिकरण ने कोई वैज्ञानिक तौर पर कसौटी से खरे उतरे हुए साक्ष्य यह साबित करने के लिए पेश नहीं किए कि कमीज तात्विक वस्तु 7, जिसके बारे में अभियुक्त के कहने पर अभिगृहीत होना कहा गया है, यह वही कमीज थी जिसे घटना के समय पर अभियुक्त द्वारा पहना गया था और इसका फटा हुआ भाग जो अपराध के स्थल के नजदीक पाया गया था, तात्विक वस्तु 7 का भाग है । निःसंदेह इस पहलू से अभियुक्त के संबंध में संदेह का तत्व उत्पन्न होता है बल्कि यह निश्चायक सबूत नहीं है इसलिए अभियुक्त के पक्ष में संदेह का लाभ जाता है । इस पहलू पर कोई स्पष्ट साक्ष्य के अभाव होने के कारण और कोई अन्य पारिस्थितिक साक्ष्य के न होने से यह अभिनिर्धारित करने में कठिनाई पाते हैं कि अभियुक्त ने मृतका की हत्या की थी । (पैरा 23)

परिणामस्वरूप दांडिक अपील मंजूर की जाती है । अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध तारीख 25 जनवरी, 2010 को जिला और सेशन न्यायाधीश, चित्तूर की फाइल पर 2008 के सेशन मामला सं. 46 में आदेशित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी-अभियुक्त को तत्काल निर्मुक्त किया जाता है जब तक कि उसको निरोध किया जाना किसी अन्य मामले में वांछित न हो । अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा यदि किसी जुर्माने की रकम का संदाय किया गया है तो यह रकम उसको लौटा दी जाएगी । (पैरा 25)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 447.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री के. राम मोहन महादेवा

प्रत्यर्थी की ओर से लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. एस. के. जयसवाल ने दिया ।

न्या. जयसवाल – अपीलार्थी का दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए जिला और सेशन न्यायाधीश, चित्तूर की फाइल पर 2008 के सेशन मामला सं. 46 में विचारण किया गया था जिस मामले में तारीख 21/22 मार्च, 2007 की मध्य रात्रि में काडाथालापल्ली, एस. सी. कालोनी, बिरयाडद्दीपल्ली मंडल पर सी. मनगम्मा (जिसे संक्षेप में "मृतका" कहा गया है) उसके मकान पर उसकी गला घोंटकर मृत्यु कारित की गई थी । विचारण न्यायालय ने तारीख 25 जनवरी, 2010 को निर्णय पारित करके अभियुक्त को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास भोगने के लिए तथा पांच सौ रुपए के जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह मास का कारावास भोगने का दंडादेश दिया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं –

मृतका अपने पति की मृत्यु के पश्चात् काडाथालापल्ली ग्राम में रहने लगी थी । अभियुक्त के उसके साथ अवैध संबंध थे और ऐसे संबंध घटना से पूर्व लगभग पांच वर्ष से चल रहे थे । तारीख 21 दिसंबर, 2007 को मृतका अपनी मामी वेंकटम्मा (अभि. सा. 3) के साथ अपने मकान में सो रही थी । अभियुक्त जो मृतका के पास आया-जाया करता था, वहां पहुंचा और उसे देखकर अभि. सा. 3 कमरे से बाहर आ गई और बरामदे में सो गई । रात्रि में लगभग 11 बजे अपराह्न अभियुक्त ने मृतका की हत्या कर दी और कमरे से बाहर चला गया । टी. मुन्नीरत्नम, मृतका का चचेरा भाई है । वह उसी ग्राम का निवासी है । उसने तारीख 22 दिसंबर, 2007 को यह कथन करते हुए बिरयाडद्दीपल्ली पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसी दिन प्रातः लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न उसके गांववासी मनोहर और बाबू (इन साक्षियों की परीक्षा नहीं कराई गई) उसके पास आए और उसे बताया कि मृतका अपने मकान में मृत पड़ी है । उसने यह भी कथन किया कि मृतका के अभियुक्त और कृष्णप्पा के साथ भी अवैध संबंध थे, उनके द्वारा उसकी बहन की हत्या किया जाना हो सकता है ।

3. 2008 का अपराध सं. 79 रजिस्ट्रीकृत किया गया और पुलिस निरीक्षक अभि. सा. 9 द्वारा मामले में अन्वेषण किया गया और अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया और मौके पर मृत्यु समीक्षा की गई, शव को शव परीक्षण के लिए भेजा गया तथा साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया गया । चिकित्सा अधिकारी, अभि. सा. 8 ने राय व्यक्त की कि मृतका की मृत्यु का कारण गला घोंटने से श्वासावरोध के परिणामस्वरूप हुई । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया ।

4. मामले पर संज्ञान लिया गया था और जिला और सेशन न्यायाधीश, चित्तूर द्वारा मामले को 2008 के सेशन मामला सं. 46 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था । अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और उस पर विचारण चलाया गया । अभियोजन की ओर से अभि. सा. 1 से 9 की परीक्षा की गई थी, प्रदर्श पी. 1 से पी. 7 प्रस्तुत किए गए थे और तात्विक वस्तु 1 से 7 अभिलेख पर रखे गए थे । अभियुक्त ने अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य से इनकार किया और यह दलील दी कि उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है । उसने अपनी प्रतिरक्षा में प्रदर्श डी. 1 से डी. 7 प्रस्तुत की थी ।

5. अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल श्री के. राम मोहन महादेवा ने यह दलील दी थी कि यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई निश्चायक साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त का अन्तिम बार मृतका के साथ देखा गया था । उन्होंने यह भी दलील दी कि प्रदर्श डी. 1 शिकायत के अनुसार जिसे पर्याप्त विलंब से दर्ज किया गया था, उससे अभियुक्त तथा कृष्णप्पा, जिनके साथ मृतका के अवैध संबंध होना बताया गया है, के विरुद्ध संदेह प्रकट होता है । उन्होंने यह भी दलील दी कि अन्वेषण समुचित रूप से नहीं किया गया था और अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया गया है । उन्होंने यह भी दलील दी कि जब घटना के बारे में तारीख 21 दिसंबर, 2007 की रात्रि में लगभग 11 बजे अपराह्न होना कहा गया है, तब मनोहर और बाबू द्वारा लगभग 9 या 9.30 बजे पूर्वाह्न तारीख 22 दिसंबर, 2007 को मृतका की मृत्यु के बारे में सूचना दी गई, जिनकी परीक्षा नहीं की गई है । अभि. सा. 1 को सूचना दिए जाने के पश्चात् भी, उसने लगभग पांच बजे अपराह्न शिकायत दर्ज की थी । उन्होंने यह भी दलील दी है कि प्रदर्श पी. 1 में कहीं भी ऐसा कोई सन्दर्भ प्रकट नहीं होता है कि

गांववासी में से किसी व्यक्ति ने उसे यह सूचना दी हो कि उन्होंने तारीख 21 दिसंबर, 2007 की रात्रि में अभियुक्त और मृतका को अन्तिम बार एक साथ देखा हो । उन्होंने यह दलील दी कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा मिथ्या साक्ष्य उपदर्शित करने के लिए मृतका से संबंधों के बारे में इस प्रभाव का षड्यंत्र रचा कि उन्होंने घटना की रात्रि को अभियुक्त और मृतका को एक साथ देखा है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभियोजन का यह पक्षकथन कि अभियुक्त ने अपराध किए जाने के बारे में संस्वीकृति दी है और अपराध में फंसाने वाली सामग्री की बरामदगी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है तथा विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया है और अभियुक्त को दोषी ठहराकर गलती की है ।

6. दूसरी ओर, विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि मृतका ने पहले अभियुक्त के साथ अवैध संबंध बनाए और इसके पश्चात् कृष्णप्पा के साथ और इस बात से अभियुक्त और मृतका के बीच विवाद पैदा हुआ था । उसने यह भी निवेदन किया कि इस बारे में संगत साक्ष्य है कि अभियुक्त घटना की रात्रि को मृतका के मकान के अन्दर गया था जब वह अकेली थी और अगले दिन प्रातः वह मृत पाई गई थी और उसने यह भी दलील दी कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर प्रबल हेतु प्रकट हुआ है कि अभियुक्त और मृतका अन्तिम बार एक साथ देखे गए थे तथा अभियुक्त की फटी हुई कमीज की बरामदगी और जिसका एक टुकड़ा मृतका के हाथों में पाया गया था, से संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि वह अभियुक्त ही था जिसने अपराध किया था ।

7. इस प्रश्न पर भी विचार किया गया कि क्या अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित किया है जिस पर दोषसिद्धि और दंडादेश कायम किया जा सके या उसे उपान्तरित या उसे अपास्त किया जाना जरूरी है ।

8. **प्रश्न** – मृतका लगभग 40 वर्ष आयु की महिला थी । लगभग 15 वर्ष पूर्व उसके पति का देहान्त हो गया था । वह काडाथालापल्ली ग्राम में आ गई और अभि. सा. 2 के मकान में किराएदार के रूप में रहने लगी । वह श्रमिक के रूप में कार्य करके अपनी जीविका का निर्वहन करती थी । अभियुक्त जो उसी ग्राम का निवासी था और जिसकी आयु लगभग 53 वर्ष

थी, उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने मृतका के साथ अवैध संबंध बना लिए थे और जो मृतका के मकान पर बार-बार जाया करता था । मृतका के पड़ौसियों को उक्त संबंधों के बारे में पता था और मृतका के बारे में कृष्णप्पा के साथ अवैध संबंध होने का भी कथन किया गया है, वह भी मृतका के घर पर बार-बार आया जाया करता था ।

9. मृतका तारीख 22 दिसंबर, 2007 की प्रातः अपने घर में मृत पाई गई थी । उसकी गर्दन पर बंध का चिह्न था जिससे यह दर्शित होता है कि उसकी मृत्यु गला घोंटने के कारण श्वासावरोध से हुई थी । डाक्टर (अभि. सा. 8) के साक्ष्य से तथा शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 से यह तथ्य साबित हुआ है ।

10. जबकि उपरोक्त तथ्य या तो साबित हुए हैं या विवादित नहीं है इस बारे में जो भी पहलू प्रकट हुआ है कि क्या वह अभियुक्त ही था जिसने गला घोंटकर मृतका की हत्या की । अभियुक्त ने उक्त अभिकथन से इनकार किया है ।

11. प्रदर्श पी. 1 घटना के बारे में पूर्ववर्ती शिकायत है जिसे अभि. सा. 1 द्वारा दर्ज कराई गई थी जो कोई नहीं बल्कि मृतका का चचेरा भाई था और उसी ग्राम का निवासी भी था । उसको दी गई सूचना का स्रोत कि मृतका अपने मकान में मृत पाई गई है दो व्यक्ति मनोहर और बाबू द्वारा दिया जाना कहा गया है । इन दोनों व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को साक्षियों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है और न ही उनकी परीक्षा की गई थी जिन्हें लोक अभियोजक द्वारा त्याग दिया गया था । इसलिए इन तात्विक साक्षियों द्वारा अभि. सा. 1 को दी गई सूचना की प्रकृति न्यायालय में उपलब्ध नहीं हो पाई है ।

12. प्रदर्श पी. 1 में अभि. सा. 1 ने कृष्णप्पा और अभियुक्त के शामिल होने के बारे संदेह प्रकट किया है जिन दोनों के मृतका से अवैध संबंध रहे थे । अन्वेषण अभिकरण ने अन्य व्यक्तियों के नाम अर्थात् कृष्णप्पा जिन कारणों को वह भलीभांति जानता था उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

13. प्रदर्श पी. 1 में यह भी उल्लेख किया गया है कि न तो अभियुक्त का कोई नातेदार और न पड़ौसी ने उसे इस बारे में बताया था कि उन्होंने अभियुक्त को तारीख 21 दिसंबर, 2007 की रात्रि में मृतका के घर में प्रवेश करते हुए देखा । यदि वास्तविक रूप से पड़ौसी और नातेदारों

ने अभियुक्त और मृतका को एक साथ देखा तो तब मृतका का चचेरा भाई, जो अभि. सा. 1 है, तब वे उसे उस तथ्य के बारे में बताते और उस दशा में अभि. सा. 1 के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि अभियुक्त और कृष्णप्पा के नाम संदेहजनक के रूप में प्रकट करता । यह सुस्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति ने अभि. सा. 1 को यह सूचित नहीं किया कि अभियुक्त मृतका की तारीख को उसके साथ था, उसने इस बात का उल्लेख भी नहीं किया है । घटना की सूचना प्रातः लगभग 9.30 बजे अभि. सा. 1 के पास पहुंची और सात घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई थी और 7 वर्ष की अवधि के दौरान भी जब वह मृतका के नजदीक था यह प्रतीत होता है कि मृतका और अभियुक्त के एक साथ देखे जाने के बारे में तथ्य की सूचना अभि. सा. 1 को नहीं दी गई थी । प्रदर्श पी. 1 की अन्तर्वस्तु अभियोजन और उसके साक्षियों के दावे को नासाबित किया है कि उन्होंने अभियुक्त और मृतका को एक साथ देखा था ।

14. अभिलेख पर के मौखिक साक्ष्य पर विचार करते हुए यह उल्लेख किया जा सकता है कि तात्विक साक्षी अभि. सा. 3, 4 और 5 हैं । अभि. सा. 1 शिकायतकर्ता है और अभि. सा. 2 मकान का मालिक है जहां मृतका किराएदार के रूप में रहती थी और जिस स्थान पर वह मृत पाई गई है । उन्होंने उन तथ्य के बारे में बताया जिन पर कोई संविवाद नहीं है ।

15. इन तीनों के बीच में महत्वपूर्ण व्यक्ति अभि. सा. 3 है जो मृतका की मामी है जिसकी आयु लगभग 65 वर्ष है । उसने यह दावा किया है कि मृतका के मकान के नजदीक उसकी झोंपड़ी है और यह कहा कि वह रात्रि में सोने के लिए मृतका के मकान पर जाया करती थी । उसने अभियुक्त और कृष्णप्पा के साथ मृतका की जान-पहचान के बारे में अपनी जानकारी होने का दावा किया है और यह कथन किया कि वे दोनों स्वतंत्र रूप से मृतका के घर आया जाया करते थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि सामान्य रूप से वह घटना की रात्रि को मृतका के मकान पर गई थी और वे दोनों घर के अन्दर सो रहे थे तथा रात्रि में लगभग 10 बजे अपराह्न अभियुक्त ने दरवाजा खटखटाया और जब मृतका ने दरवाजा खोला तो अभियुक्त घर के अन्दर चला आया और वह कमरे से बाहर चली गई तथा बरामदे में सोई । उसने यह भी कथन किया कि उसने मकान के अन्दर कुछ गलाता (गाली गलौज) सुना और यद्यपि उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खोला गया । लगभग 11 बजे अपराह्न अभियुक्त उसके

पास आया और उसने उसे बताया कि उसने मृतका की हत्या कर दी और उसे भी यह धमकाया कि वह उसकी भी हत्या कर देगा यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को भी सूचित किया । अभि. सा. 3 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि इसके पश्चात् वह अपने मकान पर वापस चली गई और वहां जाकर सो गई और उसने भय के मारे घटना के बारे में किसी को नहीं बताया । गांव में जब पुलिस पहुंची तब अन्वेषक अधिकारी ने तारीख 22 दिसंबर, 2007 की रात्रि को अर्थात् घटना के एक दिन पश्चात् अभि. सा. 3 ने उक्त सूचना की जानकारी दी ।

16. अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है वह न तो किसी बात से प्रेरित है और जिससे संभवतया उसका स्वाभाविक मानव आचरण प्रकट होता है । यह भी यहां विस्मरणीय हो सकता है कि प्रदर्श पी. 1 में भी जिसे तारीख 22 दिसंबर, 2007 को पांच बजे अपराह्न दर्ज किया गया था, उसमें अभि. सा. 3 के बारे में कोई निर्देश नहीं है । अभि. सा. 3 वृद्ध आयु की महिला है और घटना के पश्चात् प्रातः उसके सभी नातेदार जिसमें अभि. सा. 1 भी सम्मिलित है जो मृतका के नजदीक था तब इस बात पर विश्वास करना असंभव है कि यद्यपि वह अपने निकट के नातेदारों के संग में थी जो शव के नजदीक पर थे तो उसने किसी भी व्यक्ति को इस बारे में सूचना नहीं दी जिस घटना को देखे जाने के बारे में कहा गया है । उसे अभियुक्त द्वारा घटना के बारे में बताया गया । यह बात अत्यधिक असंभाव्य प्रतीत होती है कि अपराध के स्तर पर केवल पुलिस के पहुंचने के पश्चात् उसने इस बारे में उन्हें बताया कि तारीख 21 दिसंबर, 2007 की रात्रि में क्या घटना घटी थी । निःसंदेह, शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी से किसी व्यक्ति का आचरण पर प्रभाव पड़ता है परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता है तब ऐसी धमकी अपने आप में विलोपित हो जाती है खासतौर पर जब धमकाया गया व्यक्ति उसके निकट के नातेदारों के सम्पर्क में आ जाए । अभि. सा. 3 अत्यधिक निर्णायक सूचना को लगभग 24 घंटे तक अपने पास नहीं रखेगी । अभियुक्त इस अवधि के दौरान कहीं और भी देखा गया था । अभि. सा. 3 के साक्ष्य पर केवल यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई विकल्प नहीं है कि वह विश्वसनीय साक्षी नहीं है ।

17. अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 का साक्ष्य यह है कि जिन्होंने अन्तिम बार जब मृतका जीवित थी, अभियुक्त और मृतका को भी एक साथ देखे जाने का दावा प्रस्तुत किया । अभि. सा. 4 काडाथालापल्ली ग्राम

के तल्लारी का है । वह भी मृतका का चचेरा भाई है । उसने यह कथन किया कि तारीख 21 दिसंबर, 2007 को लगभग 9 बजे अपराह्न उसने मृतका के घर के नजदीक अभियुक्त को देखा और अगले दिन प्रातः लगभग 9 बजे मनोहर नामक व्यक्ति के माध्यम से मृतका की मृत्यु के बारे में पता चला जिसके बारे में पहले यह कथन किया गया है कि उसकी परीक्षा नहीं की गई है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त के विरुद्ध यह संदेह प्रकट है कि वह मृतका से कृष्णप्पा के पास जाने के प्रश्न पर अक्सर लड़ाई-झगड़ा करता था । इस साक्षी के साक्ष्य को सबूत के आधार पर नहीं भी लिया जा सकता है कि मृतका अन्तिम बार अभियुक्त के साथ देखी गई थी ।

18. अभि. सा. 4 के अनुसार उसने रात्रि में लगभग 9 बजे अपराह्न मृतका के मकान के आस-पास अभियुक्त को देखा तथा अभि. सा. 3 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त रात्रि में लगभग 10 बजे अपराह्न मकान पर पहुंचा था और उसने दरवाजा खटखटाया था । चूंकि अभियुक्त और मृतका के बीच संबंध की प्रकृति एक ज्ञात तथ्य है और अभियुक्त लगभग 10 बजे अपराह्न दरवाजा खटखटाने के पूर्व लगभग एक घंटे से मृतका के मकान के चारों ओर नहीं घूम रहा होगा जैसा कि अभि. सा. 3 द्वारा कथन किया गया है । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 4 का साक्ष्य अभियोजन पक्षकथन को कमजोर बनाता है । अभि. सा. 4 के अनुसार कि गांव का एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा 9 बजे पूर्वाह्न मृतका के शव को देखने के पश्चात् तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी और सहायक उप निरीक्षक और अन्य पुलिस कांस्टेबल लगभग 10.30 बजे अपराह्न घटनास्थल पर पहुंचे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस निरीक्षक लगभग 4 बजे अपराह्न घटनास्थल पर पहुंचा । यह भी स्मरणीय होगा कि अभि. सा. 1 द्वारा लगभग 5 बजे अपराह्न शिकायत दर्ज की गई थी और उस समय तक अन्वेषक अधिकारी को घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । अभि. सा. 4 के अनुसार उसने तारीख 22 दिसंबर, 2007 को अर्थात् प्रदर्श पी. 1 को दर्ज करने के सात घंटे पूर्व लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न अपराधस्थल के नजदीक पुलिस को देखा था और मामले को रजिस्ट्रीकृत किया जा रहा था । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 4 ने यह प्राख्यान किया है कि वह ग्राम राजस्व अधिकारी है जिसने तारीख 22 दिसंबर, 2007 को लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न पुलिस को शिकायत की थी । इससे यह दर्शित होता है कि प्रदर्श पी. 1 को पुलिस को दी गई पूर्ववर्ती शिकायत नहीं है । यह घटना के बारे

में दी गई एक अन्य शिकायत है जो घटना घटने के सात घंटे पूर्व की है जिस घटना को दिन के प्रकाश में नहीं देखा गया ।

19. अभि. सा. 5 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि लगभग 10 बजे या 11 बजे अपराह्न घटना की रात्रि को उसकी जानकारी में यह आया कि अभियुक्त को मुतियालम्मा मन्दिर के नजदीक देखा गया था और उसे मन्दिर के कारपुर स्थान पर देखा गया था । इस साक्षी के साक्ष्य से पूर्णतया एक नई कहानी प्रकट होती है । अभि. सा. 3 के अनुसार अभियुक्त तारीख 21 दिसंबर, 2007 को 10 और 11 बजे अपराह्न के बीच मृतका के घर में था जिस पर अभि. सा. 4 ने यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त लगभग 9 बजे अपराह्न मृतका के घर के नजदीक भ्रमण करते हुए देखा गया था । अभि. सा. 5 ने तीसरा यह वृत्तांत दिया है कि अभियुक्त 10 और 11 बजे अपराह्न के बीच मुतियालम्मा के मंदिर में देखा गया था और वह पूजा कर रहा था । इसलिए ऐसा प्रतिरोध्य निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभि. सा. 3 से 5 के परिसाक्ष्य से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि उनमें से कोई भी सत्य साक्षी नहीं है और न उन्होंने घटना की रात्रि में अभियुक्त और मृतका को एक साथ देखा । अभियुक्त ने यह दलील दी है कि उन्हें उनके परिसाक्ष्य की प्रकृति की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए साक्षी बनाया गया है ।

20. मामले का दूसरा पहलू की गई संस्वीकृति की मौजूदगी के बारे में है । यह घटना तारीख 21 दिसंबर, 2007 को घटित हुई थी जबकि अभियुक्त के बारे में तारीख 2 जनवरी, 2008 को उसे गिरफ्तार किया जाना कहा गया है । अभियुक्त के बारे में ईश्वर (अभि. सा. 7) और एस. मुनिरत्नम (अभि. सा. 7) की मौजूदगी में संस्वीकृति किया जाना कहा गया है और उसके कहने पर उसकी फटी हुई कमीज अभिगृहीत की गई थी । दो स्वतंत्र साक्षियों में अभियोजन पक्ष ने केवल अभि. सा. 7 की परीक्षा कराई थी । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के 9 दिन पश्चात् पुलिस ने उसे बुलाया था और उससे जीप में चढ़ने के लिए कहा था तथा उसे वेंकटासरा स्वामी टेंपल बारीदापल्ली ले जाया गया था । पुलिस जीप को देख अभियुक्त ने भागने की कोशिश की । उसने यह अभिकथन किया कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और उसके कहने पर उसकी कमीज तात्विक वस्तु 7 अभिगृहीत की गई थी ।

21. विधि में यह अपेक्षित है कि स्वतः अपराध में फंसाने वाली

संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू किसी वस्तु की बरामदगी होनी चाहिए जिससे अपराध और अपराधी के बीच संबंध साबित होना चाहिए । अन्वेषक अधिकारी के लिए यह भी लाजिमी है कि वह उस समय ऐसे स्थानीय स्वतंत्र और सम्मानित व्यक्तियों को साक्षी बनाएं जब अभियुक्त के बारे में ऐसी संस्वीकृति किया जाना कहा गया है जब वह पुलिस अभिरक्षा में था । स्थानीय स्वतंत्र और सम्मानित व्यक्ति से संस्वीकृति की स्वैच्छिक प्रकृति को सिद्ध करने की अपेक्षा की जाती है ।

22. इस मामले में जो कुछ भी उल्लेख किया गया है यह है कि यद्यपि पुलिस अधिकारी को यह सूचना दी गई थी कि अभियुक्त मंदिर के चारों ओर घूम रहा था जिस स्थान पर कई दुकानें और आस-पास कई लोग रहते थे और उसने पांच किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले अभि. सा. 7 को समन भेजना उचित समझा । पुलिस अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई सूचना कि कोई गंभीर अपराध के संदेह के घेरे में जो व्यक्ति था वह विशिष्ट स्थान पर घूम रहा है । अन्वेषक अधिकारी के लिए ऐसी कोई प्रज्ञा की बात नहीं थी कि वह समय को ऐसे गवाएं बल्कि वह घटनास्थल की ओर अग्रसर हो जाए । कम से कम ऐसा संदेहास्पद व्यक्ति ऐसे स्थान से भाग न जाए । वर्तमान मामले में ऐसा करने के सिवाय तरीकों के संबंध में अन्वेषक अधिकारी ने अलग गांव के अभि. सा. 7 को समन किया था और उसके पहुंचने की इन्तजार की थी । जब अभि. सा. 7 पुलिस थाने पर पहुंचा तब उससे जीप पर चढ़ने के लिए कहा गया और उस व्यक्ति को मृतका की मृत्यु के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया । अभि. सा. 7 के अनुसार कि क्या अभियुक्त के कहने पर उसकी फटी कमीज अभिगृहीत की गई थी ।

23. अन्वेषण अभिकरण ने कोई वैज्ञानिक तौर पर कसौटी से खरे उतरे हुए साक्ष्य यह साबित करने के लिए पेश नहीं किए कि कमीज तात्विक वस्तु 7, जिसके बारे में अभियुक्त के कहने पर अभिगृहीत होना कहा गया है, यह वही कमीज थी जिसे घटना के समय पर अभियुक्त द्वारा पहना गया था और इसका फटा हुआ भाग जो अपराध के स्थल के नजदीक पाया गया था, तात्विक वस्तु 7 का भाग है । निःसंदेह इस पहलू से अभियुक्त के संबंध में संदेह का तत्व उत्पन्न होता है बल्कि यह निश्चायक सबूत नहीं है इसलिए अभियुक्त के पक्ष में संदेह का लाभ जाता

है । इस पहलू पर कोई स्पष्ट साक्ष्य के अभाव होने के कारण और कोई अन्य पारिस्थितिक साक्ष्य के न होने से यह अभिनिर्धारित करने में कठिनाई पाते हैं कि अभियुक्त ने मृतका की हत्या की थी ।

24. अभिलेख के संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित नहीं कर सकता है कि वह अभियुक्त ही था जो अपराध का कर्ता है । इसलिए अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है । तद्नुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है ।

25. परिणामस्वरूप दांडिक अपील मंजूर की जाती है । अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध तारीख 25 जनवरी, 2010 को जिला और सेशन न्यायाधीश, चित्तूर की फाइल पर 2008 के सेशन मामला सं. 46 में आदेशित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी-अभियुक्त को तत्काल निर्मुक्त किया जाता है जब तक कि उसको निरोध किया जाना किसी अन्य मामले में वांछित न हो । अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा यदि किसी जुर्माने की रकम का संदाय किया गया है तो यह रकम उसको लौटा दी जाएगी ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

धनेश्वर साहू

बनाम

ओडिशा राज्य

तारीख 20 जून, 2014

न्यायमूर्ति एस. के. मिश्र

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 446(2) – जमानत बंधपत्रों को समपहृत किया जाना – प्रतिभुओं के विरुद्ध जमानत बंधपत्रों को समपहृत करने का आदेश – यदि प्रतिभू अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने में विफल हुए हैं और प्रतिभुओं को मामले में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाता तो यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, इसलिए जमानत बंधपत्रों के समपहृत किए जाने का आदेश उचित नहीं है और अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

तथ्यों में कोई विवाद नहीं किया गया है । वर्तमान अपीलार्थी अभियुक्त सिद्धेश्वर मलिक के प्रतिभू हैं । जिस व्यक्ति को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), भुवनेश्वर के न्यायालय में फाइल 1995 का सेशन विचारण मामला सं. 17/स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन आरोपित किया गया था इस पर उन्होंने पूर्वोक्त अभियुक्त के लिए जमानत बंधपत्र निष्पादित किए थे जिसके विफल होने पर उन्होंने राज्य सरकार को पच्चीस हजार रुपए की रकम देने की बात कही थी । इस मामले को तारीख 2 अगस्त 2006 के लिए रखा गया था और उस तारीख को सिद्धेश्वर मलिक हाजिर नहीं हुआ था । आई. आई. सी. एयरफिल्ट पुलिस थाने के गैर जमानती वारंट का निष्पादन करने के लिए तथा अभियुक्त को पेश करने के लिए स्मरण पत्र जारी किया गया था । उस तारीख को जमानत बंधपत्र, समपहृत कर लिए गए थे । इसके पश्चात् एक पृथक् प्रकीर्ण मामला जिसमें एक दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 1/2006 लिखा गया था, उस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई और वर्तमान अपीलार्थियों को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि उनसे जमानत की रकम क्यों वसूल न कर ली जाए । कई स्थगनों के पश्चात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश,

सतर्कता ने यह अभिनिर्धारित किया कि याचियों ने कोई भी कारण दर्शित नहीं किया और इसलिए उन्हें अलग-अलग यह निदेश दिया गया कि वे संहिता की धारा 446(2) के अधीन शास्ति के रूप में 25,000/- रुपए का संदाय करें तथा तद्नुसार उस रकम को वसूलने के लिए उन्हें कुर्की वारंट जारी किया था । प्रतिभुओं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया इसलिए अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विधि में यह सुस्थापित है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अर्थात् प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने से पूर्व सुनवाई के लिए अवसर देने के विचार को संविधि के साथ पढ़ा जाना चाहिए यद्यपि उस विचार का अनुपालन करने के लिए उसमें कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है जब तक कि संविधि की अन्तर्वस्तु दूसरे पक्ष को भी सुनो के नियम को अपवर्जित न करता हो । न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति की सुनवाई करने का नियम सार्वभौम रूप से लागू है और इसे सभी संविधियों के उपबंधों के साथ पढ़ा जाना चाहिए सिवाय जहां विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं के कारण ऐसे अवसर देना असंभव या अव्यवहारिक हो जाता है । इस प्रकार इस बात को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि बंधपत्र को समपहृत करने के निदेश में ऐसे विनिश्चय की प्रक्रिया अन्तर्वलित है जो इस बारे में नोटिस को स्वतंत्र रूप देता है कि बंधपत्र के अन्तर्गत जो राशि प्रकट की गई है उसे उसके निष्पादक से वसूल नहीं की जाएगी । अतः आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे किसी विनिश्चय प्रभावी पक्षकार की सुनवाई की जाती है तो इसमें नैसर्गिक न्याय की मांग की जाएगी । अतः न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बिना नोटिस के बंधपत्र को समपहृत करने का आदेश अवैध है और विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है । (पैरा 8)

स्वीकृततः इस मामले में बंधपत्र को समपहृत करने के जो आदेश तारीख 2 अगस्त, 2006 को पारित किया गया था उसमें अपीलार्थियों को यह कारण दर्शित करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि जमानत बंधपत्रों को क्यों समपहृत कर लिया जाना चाहिए । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए पूर्वोक्त मामलों में विनिश्चित विनिश्चयाधार को लागू करना होगा, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि जमानत बंधपत्रों को समपहृत करने का आदेश अवैध है और कायम रखे जाने योग्य नहीं है तथा

परिणामस्वरूप अपीलार्थियों पर अलग-अलग 25,000/- रुपए की शास्ति अधिरोपित करने का आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है । (पैरा 9 और 10)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1994] 1994 क्रिमिनल ला जर्नल 491 :
नरोत्तम राम बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ; 5,7

[1992] 1992 ओ. सी. आर. 168 :
सूर्य नारायण महापात्रा बनाम **उड़ीसा राज्य** ; 8

[1943] ए. आई. आर. 1943 कलकत्ता 263 :
मनिन्द्र कुमार मजमूदार बनाम **एम्परर** । 5,6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 498.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री हिमान सुभासन दास

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अऊपान राठ

न्यायमूर्ति एस. के. मिश्र – अपीलार्थी-याची की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री हिमान सुभासन दास तथा राज्य की ओर से विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल श्री अऊपान राठ को सुना ।

2. यह अपील 2006 की दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 1 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), भुवनेश्वर के तारीख 27 अप्रैल, 2007 के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसमें अपीलार्थियों-याचियों को अलग-अलग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) की धारा 446 उपखंड (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करते हुए पच्चीस हजार रुपए का संदाय करने का निदेश दिया गया था ।

3. तथ्यों में कोई विवाद नहीं किया गया है । वर्तमान अपीलार्थी अभियुक्त सिद्धेश्वर मलिक के प्रतिभू हैं । जिस व्यक्ति को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (सतर्कता), भुवनेश्वर के न्यायालय में फाइल 1995 का सेशन विचारण मामला सं. 17/स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन आरोपित किया गया था

इस पर उन्होंने पूर्वोक्त अभियुक्त के लिए जमानत बंधपत्र निष्पादित किए थे जिसके विफल होने पर उन्होंने राज्य सरकार को पच्चीस हजार रुपए की रकम देने की बात कही थी । इस मामले को तारीख 2 अगस्त, 2006 के लिए रखा गया था और उस तारीख को सिद्धेश्वर मलिक हाजिर नहीं हुआ था । आई. आई. सी. एयरफिल्ट पुलिस थाने के गैर जमानती वारंट का निष्पादन करने के लिए तथा अभियुक्त को पेश करने के लिए स्मरण पत्र जारी किया गया था । उस तारीख को जमानत बंधपत्र, समपहृत कर लिए गए थे । इसके पश्चात् एक पृथक् प्रकीर्ण मामला जिसमें एक दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 1/2006 लिखा गया था, उस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई और वर्तमान अपीलार्थियों को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि उनसे जमानत की रकम क्यों वसूल न कर ली जाए । कई स्थगनों के पश्चात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश, सतर्कता ने यह अभिनिर्धारित किया कि याचियों ने कोई भी कारण दर्शित नहीं किया और इसलिए उन्हें अलग-अलग यह निदेश दिया गया कि वे संहिता की धारा 446(2) के अधीन शास्ति के रूप में 25,000/- रुपए का संदाय करें तथा तद्नुसार उस रकम को वसूलने के लिए उन्हें कुर्की वारंट जारी किया था ।

4. अभिलेख से यह प्रकट है कि तारीख 7 मार्च, 2007 को अभियुक्त ने 1995 के सेशन विचारण मामला सं. 17/150 में स्वयं आवेदन किया था और जमानत के लिए याचिका फाइल की थी । जमानत के लिए याचिका उसी दिन मंजूर कर ली गई थी और अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त किए जाने का आदेश किया गया था । अगले दिन अर्थात् 8 मार्च, 2007 को अभियुक्त ने जमानत बंधपत्र प्रस्तुत किए और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था तथा उसी जमानत पर उसे निर्मुक्त कर दिया गया था ।

5. **मनिन्द्र कुमार मजमूदार** बनाम **एम्परर**[1] तथा **नरोत्तम राम** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[2] वाले मामलों में संप्रकाशित निर्णयों का अवलंब लिया गया । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि जमानत बंधपत्र को समपहृत करने से पूर्व अपीलार्थियों को पेश करने या यह कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी किए जाने चाहिएं कि अभियुक्त मामले में नियत की गई तारीख को उपस्थित क्यों नहीं हुआ और ऐसे नोटिस को

[1] ए. आई. आर. 1943 कलकत्ता 263.

[2] 1994 क्रिमिनल ला जर्नल 491.

डाक से भेजा गया था ।

6. **मनिन्द्र कुमार मजमूदार** बनाम **एम्परर**[1] वाले मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त को पेश करने के लिए प्रतिभू को बुलाने हेतु किसी नोटिस के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिभू बंधपत्र की शर्तों का पालन करने में विफल रहे । परिणामस्वरूप, बंधपत्र को समपहृत करना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं था ।

7. **नरोत्तम राम** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि बंधपत्र को समपहृत करने और अभियुक्त को पेश करने के लिए नए सिरे से अवसर देने की मंजूरी का संयुक्त आदेश पारित करना उचित नहीं था क्योंकि ऐसे संयुक्त आदेश को पारित करके न्यायालय ने न तो अभियुक्त को पेश करने के लिए प्रतिभू को कोई अवसर दिया था और न प्रतिभू बंधपत्रों को समपहृत के निदेश के कोई आधार की विद्यमान होने के बारे में समाधान हुआ है ।

8. विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल श्री राठ ने सुनवाई के दौरान इस न्यायालय के संज्ञान में **सूर्य नारायण महापात्रा** बनाम **उड़ीसा राज्य**[3] के संप्रकाशित निर्णय को ध्यान में लाया गया था जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अब विधि में यह सुस्थापित है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अर्थात् प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने से पूर्व सुनवाई के लिए अवसर देने के विचार को संविधि के साथ पढ़ा जाना चाहिए यद्यपि उस विचार का अनुपालन करने के लिए उसमें कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है जब तक कि संविधि की अन्तर्वस्तु दूसरे पक्ष को भी सुनो के नियम को अपवर्जित न करता हो । न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति की सुनवाई करने का नियम सार्वभौम रूप से लागू है और इसे सभी संविधियों के उपबंधों के साथ पढ़ा जाना चाहिए सिवाय जहां विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं के कारण ऐसे अवसर देना असंभव या अव्यवहारिक हो जाता है । इस प्रकार इस बात को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि बंधपत्र को

---

[1] ए. आई. आर. 1943 कलकत्ता 263.

[2] 1994 क्रिमिनल ला जर्नल 491.

[3] 1992 ओ. सी. आर. 168.

समपहृत करने के निदेश में ऐसे विनिश्चय की प्रक्रिया अन्तर्वलित है जो इस बारे में नोटिस को स्वतंत्र रूप देता है कि बंधपत्र के अन्तर्गत जो राशि प्रकट की गई है उसे उसके निष्पादक से वसूल नहीं की जाएगी । अतः आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे किसी विनिश्चय प्रभावी पक्षकार की सुनवाई की जाती है तो इसमें नैसर्गिक न्याय की मांग की जाएगी । अतः न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बिना नोटिस के बंधपत्र को समपहृत करने का आदेश अवैध है और विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

9. स्वीकृततः इस मामले में बंधपत्र को समपहृत करने के जो आदेश तारीख 2 अगस्त, 2006 को पारित किया गया था उसमें अपीलार्थियों को यह कारण दर्शित करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि जमानत बंधपत्रों को क्यों समपहृत कर लिया जाना चाहिए ।

10. मामले को इस दृष्टि से देखते हुए पूर्वोक्त मामलों में विनिश्चित विनिश्चयाधार को लागू करना होगा, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि जमानत बंधपत्रों को समपहृत करने का आदेश अवैध है और कायम रखे जाने योग्य नहीं है तथा परिणामस्वरूप अपीलार्थियों पर अलग-अलग 25,000/- रुपए की शास्ति अधिरोपित करने का आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

11. तद्नुसार अपील मंजूर की जाती है । 2006 के दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 1 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश, सतर्कता द्वारा तारीख 27 अप्रैल, 2007 को जो आदेश पारित किया गया है उसे अपास्त किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

———————

अशोक कुमार पांडा

बनाम

भारत गणराज्य

तारीख 3 जुलाई, 2014

न्यायमूर्ति एस. के. मिश्र

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 389(1) – दोषसिद्धि का निलंबन – अभियुक्त को रिश्वत मांगने और स्वीकार किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया जाना – जहां दोषसिद्धि का आदेश अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने सभी युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि मामला दोषसिद्धि के निलंबन के लिए आपवादिक लक्षण का नहीं है वहां पर दोषसिद्धि का निलंबन नहीं किया जाएगा ।

यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है), की धारा 389 के अधीन फाइल किया गया है जिसमें संक्षेप में अपीलार्थी/आवेदक की दोषसिद्धि के आदेश पर स्थगन के लिए कहा गया है । विद्वान् विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) न्यायालय सं. 3, भुवनेश्वर द्वारा 2013/2012 के टी. आर. मामला सं. 5/7 में अभियुक्त व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 और 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(घ) के अधीन परिवादी के पक्ष में कृषि ऋण की मंजूरी लेने हेतु 5,000/- रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है । सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने बड़े परिश्रम से यह दलील दी है कि यह एक आपवादिक मामला है जहां अपीलार्थी की दोषसिद्धि आक्षेपित निर्णय पर प्रत्यक्षतः अवैध दर्शाई गई है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि ऋण आवेदन को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाल बिछाने के सात दिन पश्चात् अभिगृहीत किया गया । इसलिए, यह दलील दी गई कि परिवादी द्वारा अवैध परितोषण के संदाय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए । दूसरा, यह निवेदन किया गया कि जाल बिछाने के समय कई लोग घटनास्थल पर उपस्थित हुए थे और

अभियुक्त जाल बिछाए गए स्थान से फरार हो गया था । तथापि, किसी प्रकार इस घटना के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दंडनीय साक्ष्य को विलुप्त करके छुपाने के बारे में कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं । तीसरी, यह दलील दी गई कि अपीलार्थी/आवेदक से जाल बिछाने के पश्चात् कोई करेंसी नोट बरामद नहीं किए गए थे, तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह सिद्ध किया है कि अगले दिन अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था और रासायनिक परीक्षा करने तथा फेनोलफ्थोलीन पाउडर अपीलार्थी की पैंट की जेब से पाया गया था । इस विषय पर अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि मामले के अभिलेख को देखते हुए अपीलार्थी की दोषसिद्धि पर स्थगन करने की व्यापक गुंजाइश है और वह दोषमुक्त होने का हकदार है । तथापि, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दलील देने के दौरान एक मामले में संप्रकाशित विनिश्चय का अवलंब लिया और यह सहमति व्यक्त की कि अति आपवादिक मामलों में ही दोषसिद्धि पर स्थगन किया जाना चाहिए । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आवेदन फाइल किया गया । आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – आक्षेपित निर्णय की परीक्षा करने पर यह प्रकट हुआ है कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) ने अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित किया है । अतः उसने ऊपर वर्णित अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने की कार्रवाई की । (पैरा 5)

वर्तमान मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने कतिपय प्रश्नों के बारे में बताया है जो सफल होने के लिए अपील के अच्छे आधार हो सकते हैं और यह न्यायसंगत नहीं है कि यह मामला अपीलार्थी की दोषसिद्धि को निलंबन करने के लिए कोई आपवादिक विशेषता रखता हो । (पैरा 10)

मामले को इस दृष्टि से देखते हुए इस न्यायालय की यह राय है कि आवेदक का आवेदन जिसमें अपीलार्थी की दोषसिद्धि को निलंबित करने के लिए कहा गया है, गुणागुण रहित है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है । तद्नुसार, प्रकीर्ण मामले का निपटारा किया जाता है । (पैरा 11)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2012] 2012 की दांडिक अपील सं. 1648 :
महाराष्ट्र राज्य मार्फत **केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोध शाखा, मुंबई** बनाम **बालकृष्ण दत्तात्रेय कुम्भर** ; 4,9

[2004] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1188 =
(2003) 12 एस. सी. सी. 432 :
महाराष्ट्र राज्य बनाम **गजानन और एक अन्य** ; 3

[2001] (2001) 6 एस. सी. सी. 584 =
ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3320 :
के. सी. सरीन बनाम **सैंट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टिगेशन, चण्डीगढ़** ; 8

[1996] ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2449 :
तमिलनाडु राज्य बनाम **ए. जगन्नाथन** ; 7

[1995] (1995) 2 एस. सी. सी. 513 :
रामानारंग बनाम **रमेश नारंग और अन्य** । 6

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2014 का दांडिक आवेदन सं. 287.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अधीन आवेदन ।

अपीलार्थी/आवेदक की ओर से विद्वान् काउंसेल

भारत गणराज्य की ओर से विद्वान् स्थायी काउंसेल

न्यायमूर्ति एस. के. मिश्र – अपीलार्थी/आवेदक के विद्वान् काउंसेल तथा भारत गणराज्य की ओर से विद्वान् स्थायी काउंसेल को सुना ।

2. यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है), की धारा 389 के अधीन फाइल किया गया है जिसमें संक्षेप में अपीलार्थी/आवेदक की दोषसिद्धि के आदेश पर स्थगन के लिए कहा गया है । विद्वान् विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) न्यायालय सं. 3, भुवनेश्वर द्वारा 2013/2012 के टी. आर. मामला सं. 5/7 में अभियुक्त व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 और 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(घ) के अधीन

परिवादी के पक्ष में कृषि ऋण की मंजूरी लेने हेतु 5,000/- रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ।

3. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने बड़े परिश्रम से यह दलील दी है कि यह एक आपवादिक मामला है जहां अपीलार्थी की दोषसिद्धि आक्षेपित निर्णय पर प्रत्यक्षतः अवैध दर्शाई गई है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि ऋण आवेदन को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाल बिछाने के सात दिन पश्चात् अभिगृहीत किया गया । इसलिए, यह दलील दी गई कि परिवादी द्वारा अवैध परितोषण के संदाय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए । दूसरा, यह निवेदन किया गया कि जाल बिछाने के समय कई लोग घटनास्थल पर उपस्थित हुए थे और अभियुक्त जाल बिछाए गए स्थान से फरार हो गया था । तथापि, किसी प्रकार इस घटना के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दंडनीय साक्ष्य को विलुप्त करके छुपाने के बारे में कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं । तीसरी, यह दलील दी गई कि अपीलार्थी/आवेदक से जाल बिछाने के पश्चात् कोई करेंसी नोट बरामद नहीं किए गए थे, तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह सिद्ध किया है कि अगले दिन अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था और रासायनिक परीक्षा करने तथा फेनोलफ्थोलीन पाउडर अपीलार्थी की पेंट की जेब से पाया गया था । इस विषय पर अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि मामले के अभिलेख को देखते हुए अपीलार्थी की दोषसिद्धि पर स्थगन करने की व्यापक गुंजाइश है और वह दोषमुक्त होने का हकदार है । तथापि, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दलील देने के दौरान **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **गजानन और एक अन्य**[1] वाले मामले में संप्रकाशित विनिश्चय का अवलंब लिया और यह सहमति व्यक्त की कि अति आपवादिक मामलों में ही दोषसिद्धि पर स्थगन किया जाना चाहिए ।

4. दूसरी ओर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विद्वान् स्थायी काउंसेल ने यह दलील दी कि अपीलार्थी-आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने जिस आधार की दलील दी है उस आधार पर सफल होने के लिए अपील का अच्छा आधार बन सकता है परन्तु ये आपवादिक परिस्थितियां नहीं हैं जिसके लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को स्थगित किया जाए । केन्द्रीय जांच ब्यूरो के

---

[1] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1188 = (2003) 12 एस. सी. सी. 432.

विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई थी कि **महाराष्ट्र राज्य** मार्फत **केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोध शाखा, मुंबई** बनाम **बालकृष्ण दत्तात्रेय कुम्भर**[1] वाले मामले में माननीय न्यायमूर्ति डा. बी. एस. चौहान ने उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि के आदेश पर स्थगन का अनुतोष केवल इस आधार पर मंजूर नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा सकता है यदि उसे नहीं दिया जाए ।

5. आक्षेपित निर्णय की परीक्षा करने पर यह प्रकट हुआ है कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) ने अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित किया है । अतः उसने ऊपर वर्णित अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने की कार्रवाई की ।

6. **रामानारंग** बनाम **रमेश नारंग और अन्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत रूप से उक्त प्रश्न पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि यदि ऐसे उपर्युक्त मामले में उच्च न्यायालय का यह समाधान होता है कि दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित या स्थगित किया जाना जरूरी है ताकि दोषसिद्ध व्यक्ति को अपनी निश्चित अयोग्यता से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है जिसे किसी अन्य संविधि द्वारा उपबंधित किया गया है, ऐसा न्यायालय इस संबंध में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है अन्यथा जिस पर नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती । तथापि, दोषसिद्धि को स्थगित करने की मंजूरी पर न्यायालय को सभी पक्ष और विपक्ष की परीक्षा करनी चाहिए और तब उसका यह समाधान होना चाहिए कि ऐसे आदेश की मंजूरी का मामला बनता है, और उसे ऐसा करने के लिए अग्रसर होना चाहिए और ऐसा करते समय यदि ऐसी अधिरोपित समुचित शर्तों पर विचार करना चाहिए जिन्हें वह अन्य पक्षकारों के हितों के संरक्षण के लिए समुचित समझता हो । इसके अतिरिक्त, आवेदक का यह कर्तव्य भी है कि वह विशेष रूप से ऐसे परिणामों के बारे में अपील न्यायालय का ध्यान आकर्षित करे जिस पर ऐसे स्थगन की मंजूरी कार्रवाई करना संभव हो । इसके लिए इस प्रश्न पर पूरी तरह से अपने विवेक को लागू करने के लिए समर्थ होना चाहिए क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अधीन न्यायालय उसमें उपबंधित रीति में आदेश की पुष्टि

---

[1] 2012 की दांडिक अपील संख्या 1648.

[2] (1995) 2 एस. सी. सी. 513.

करने के लिए बाध्यताधीन है, "उन कारणों को लिखित में लेखबद्ध किया जाना चाहिए" ।

7. **तमिलनाडु राज्य** बनाम **ए. जगन्नाथन**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय का आदेश जिसके द्वारा दोषसिद्धि के आदेश को एकमात्र इस कारण से रोका गया था कि ऐसे स्थगन आदेश के अभाव में अभियुक्त संभवतः अपनी नौकरी गंवा बैठेगा । उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए आक्षेपित आदेश को उलट दिया था :–

> " ..... यद्यपि उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया परन्तु प्रत्यर्थी के नैतिक आचरण पर तनिक भी विचार नहीं किया ..... जो पुलिस निरीक्षक था ..... दंड संहिता की धारा 392, 218 और 466 के अधीन दोषसिद्ध किया गया जबकि अन्य प्रत्यर्थी जो लोक सेवक भी है उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन दोषसिद्ध किया गया । ऐसे मामले में या तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 या धारा 482 के अधीन दोषसिद्धि को निलंबित करने की विवेकशील शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । इस प्रकार आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता ।"

8. **के. सी. सरीन** बनाम **सैंट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टिगेशन, चण्डीगढ़**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया जो इस प्रकार है :–

> "अतः विधिक स्थिति यह है कि भले ही दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित करने की शक्ति दंडादेश के आदेश से अलग है और यह संहिता की धारा 389(1) के असंगत नहीं है । इसका प्रयोग अति आपवादिक मामलों में सीमित होना चाहिए । दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा मात्र इस कारण से दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए अपील फाइल करने पर न्यायालय को दोषसिद्धि के आदेश के प्रवर्तन को निलंबित नहीं करना चाहिए । न्ययालय का यह कर्तव्य है कि ऐसे आस्थगित किए जाने वाली दोषसिद्धि को ध्यान में रखते हुए उसके चारों ओर

---

[1] ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2449.

[2] (2001) 6 एस. सी. सी. 584 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3320.

के विस्तार सहित सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए । उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में हमने इस बारे में प्रश्नों की भी परीक्षा की कि क्या परिस्थिति होनी चाहिए जब किसी लोक सेवक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया गया है । निःसंदेह जब अपील न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती देने हेतु फाइल की गई अपील को स्वीकार करता तब वरिष्ठ न्यायालय तब तक कारावास के दंडादेश को सामान्यतः निलंबित करेगा जब तक कि अपील का निपटारा न कर लिया जाए जिस पर इनकार किए जाने के कारण वही अपील निरर्थक हो जाएगी जब तक कि ऐसी अपील की उसके फाइल किए जाने के तत्काल पश्चात् सुनवाई न कर ली जाए । परन्तु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध की दोषसिद्धि का निलंबन कारावास के दंडादेश को हटाता है, यह एक भिन्न मामला है ।'

9. **महाराष्ट्र राज्य** मार्फत **केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोध शाखा, मुंबई** बनाम **बालकृष्ण दत्तात्रेय कुम्भर** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि भ्रष्टाचार न केवल दंडनीय अपराध है बल्कि मानव अधिकारों को भी क्षति पहुंचाता है, अप्रत्यक्षतः उनके अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जानबूझकर किया हुआ भ्रष्टाचार स्वतः मानव अधिकारों का अतिक्रमण करता है और यह जानबूझकर किया गया आर्थिक अपराध को इंगित करता है । उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार से अन्तर्वलित मामले में दंडादेश के निलंबन का उक्त आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए । ऐसे मामले में निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जहां पर नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती क्योंकि कर्मचारी/प्रत्यर्थी यदि अंततोगत्वा सफल हो जाता है तो वह सभी पारिणामिक फायदों का दावा कर सकता है ।

10. वर्तमान मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने कतिपय प्रश्नों के बारे में बताया है जो सफल होने के लिए अपील के अच्छे आधार हो सकते हैं और यह न्यायसंगत नहीं है कि यह मामला अपीलार्थी की दोषसिद्धि को निलंबन करने के लिए कोई आपवादिक विशेषता रखता हो ।

11. मामले को इस दृष्टि से देखते हुए इस न्यायालय की यह राय है कि आवेदक का आवेदन जिसमें अपीलार्थी की दोषसिद्धि को निलंबित करने के लिए कहा गया है, गुणागुण रहित है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है ।तद्नुसार, प्रकीर्ण मामले का निपटारा किया जाता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

(2015) 1 दा. नि. प. 28 **छत्तीसगढ़**

रूपचंद पटेल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 26 जून, 2014

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) – धारा 11(3) और धारा 7(i) [सपठित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का नियम 14] – यदि खाद्य निरीक्षक द्वारा दूध की संपूर्ण मात्रा का सम्मिश्रण करके नमूना नहीं लिया गया है और दूध का नमूना लेने में अधिनियम की धारा 11 का अनुसरण नहीं किया गया है तथा नियम, 1955 के अनुसार दूध का नमूना विश्लेषक के पास नहीं भेजा गया है तो विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी/आवेदक की दोषसिद्धि अनुचित है ।

तारीख 28 मई, 1997 को प्रातःकाल 9.00 बजे खाद्य निरीक्षक ने आवेदक, जो एक दूध विक्रेता है, को लिखित सूचना देने के पश्चात् छः रुपए का संदाय करके 750 मिलीलीटर गाय का दूध खरीदा और तत्पश्चात् उस गाय के दूध को उसी समय तीन भागों में विभाजित किया और तीनों बोतलों में से प्रत्येक में फार्मेलिन की 20 बूंदें मिलाने और उनमें लेबल लगाने के पश्चात् उनको मुहरबंद कर दिया और उनके ऊपर दूध विक्रेता/आवेदक के हस्ताक्षर अभिप्राप्त कर लिए और पंचनामा भी तैयार

किया और तत्पश्चात् तारीख 29 मई, 1997 को भोपाल स्थित लोक सर्वेक्षक को रासायनिक परीक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत पार्सल द्वारा भेज दिया और दो अन्य नमूने रायगढ़ स्थित स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के कार्यालय में रख दिए । भोपाल स्थित स्थानीय सर्वेक्षक ने अपनी रिपोर्ट रायगढ़ स्थित स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को तारीख 17 जुलाई, 1997 के पत्र द्वारा भेज दी जो उनके द्वारा तारीख 22 जुलाई, 1997 को प्राप्त की गई । लोक सर्वेक्षक ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-13) में दूध को मिलावटी पाया चूंकि दूध में मात्र 3.5 प्रतिशत चर्बी और मात्र 8.04 प्रतिशत ठोस पदार्थ न कि चर्बी था, चूंकि यह 1954 के अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अंतर्गत अधिकथित स्तरमान के पुष्टिकरण वाला नहीं था । सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की मंजूरी तारीख 22 सितंबर, 1997 को 1954 के अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन अभिप्राप्त किया गया था और अधिकारिता प्राप्त दांडिक न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र तारीख 29 नवंबर, 1997 को फाइल किया गया था और आवेदक को लोक सर्वेक्षक की रिपोर्ट 1954 के अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार तारीख 2 दिसंबर, 1997 को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी गई आवेदक ने दोषिता का विरोध शपथपूर्वक किया और अभिवाक् किया कि अभियोजन का पक्षकथन असत्य है और उसको मामले में असत्य रूप से अंतर्वलित किया गया है । अपराधी को सजा दिलाए जाने के प्रयोजनार्थ अभियोजन ने विचारण के दौरान तीन साक्षियों का परीक्षण कराया और सत्रह दस्तावेज प्रदर्शित कराए । इसके विपरीत प्रतिरक्षा पक्ष ने न तो किसी साक्षी का परीक्षण कराया और न ही अभिलेख पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया । विचारण मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् लोक सर्वेक्षक की रिपोर्ट का अवलंब लिया जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा बेचा गया गाय का दूध मिलावटी पाया गया था और जो 1954 के अधिनियम की धारा 7(i) का अतिक्रमण है और धारा 16(1)(क) के अधीन दंडनीय है और आवेदक को पूर्वोक्त अपराध के बाबत दोषसिद्ध कर दिया और उसको 6 माह का कठोर कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के द्वारा दंडादिष्ट कर दिया । अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल किए जाने पर सेशन न्यायालय/अपील न्यायालय ने दोषसिद्धि और दंडादेश सही पाते हुए न केवल दोषसिद्धि बल्कि दंडादेश को भी बनाए रखा जिसके विरुद्ध यह पुनरीक्षण फाइल किया गया है आवेदक द्वारा फाइल किया गया वर्तमान पुनरीक्षण 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता

(जिसको इसमें इसके पश्चात् "दंड प्रक्रिया संहिता" कहा गया है) की धारा 397 सपठित धारा 401 के अधीन इस न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए फाइल किया गया है जिसके द्वारा 1954 के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (जिसको इसमें इसके पश्चात् "1954 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7(i) के अधीन अपराध, जो 1954 के अधिनियम की धारा 16(1)(क) के अधीन दंडनीय है, के लिए उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए पारित आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी गई है । पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – 1954 के अधिनियम की धारा 11 और पूर्वोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के प्रकाश में और पूर्वामत पुस्तक में विद्वान् लेखकों श्री ए. सी. अग्रवाल और बी. एम. शर्मा द्वारा दूध के सावधानीपूर्वक और सही नमूने के लिए अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए गाय के दूध को बिना क्रियाशील किए जाने के द्वारा या एक पात्र से दूसरे पात्र में डाले जाने के द्वारा या उसको आहिस्ता से मिश्रित किए जाने के द्वारा खाद्य निरीक्षक द्वारा लिए गए नमूने के बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रतिनिधिक नमूना है और यह संभव है कि दूध का नमूना उसमें चर्बी की गोलिकाएं या बुलबुलों की उपस्थिति के कारण पात्र में समाविष्ट दूध की संपूर्ण मात्रा का सत्य प्रतिनिधि न हो । लोक सर्वेक्षक ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-13) में दूध की चर्बी 3.5 प्रतिशत और ठोस पदार्थ 8.04 प्रतिशत पाया था और इस कारणवश लोक सर्वेक्षक द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि यह (दूध का नमूना) 1954 के अधिनियम और उसके अंतर्गत अधिनियमित नियम द्वारा अधिकथित स्तरमान की पुष्टि नहीं करता । इसलिए किसी मामले में वर्तमान मामले, जहां खाद्य निरीक्षक द्वारा सतर्कतापूर्वक नमूना नहीं लिया गया है, यह निश्चित रूप से अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकेगा कि लोक सर्वेक्षक को भेजा गया दूध का नमूना ही वास्तव में उस दूध का प्रतिनिधित्व करता है जिसका परीक्षण किया जाना है । परिणामस्वरूप, मेरी सुविचारित राय है कि नमूना 1954 के अधिनियम की धारा 11 के अनुसार नहीं लिया गया और इसलिए अभियोजन 1954 के अधिनियम की धारा 7(i) का अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर पाने में विफल रहा है । पूर्वोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप वर्तमान पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है । 1954 के अधिनियम की धारा (7)(i) के अधीन अपराध के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि और 6 माह की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने और एक

हजार रुपए के जुर्माने के संदाय के लिए प्रदान किए गए दंडादेश विधि की पुष्टि में अमान्य अभिनिर्धारित किए जाते हैं और तद्नुसार अपास्त किए जाते हैं । आवेदक रूपचंद पटेल को उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । उसके द्वारा निष्पादित जमानत बंधपत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क को ध्यान में रखते हुए आज से छः माह की अवधि तक क्रियांवित रहेंगे । (पैरा 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1995] (1995) 3 (सप्ली.) एस. सी. सी. 405 : **के. हरिकुमार पुत्र करुणाकरन नायर** बनाम **खाद्य निरीक्षक, पुनलूर नगरपालिका** । 11

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 13.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण याचिका ।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से सर्वश्री ए. एन. भक्ता और विवेक भक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री विवेक सिंघल और आर. आर. सिन्हा

आदेश

आवेदक रूपचंद पटेल द्वारा फाइल किया गया वर्तमान पुनरीक्षण 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता (जिसको इसमें इसके पश्चात् "दंड प्रक्रिया संहिता" कहा गया है) की धारा 397 सपठित धारा 401 के अधीन इस न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए फाइल किया गया है जिसके द्वारा 1954 के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (जिसको इसमें इसके पश्चात् "1954 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7(i) के अधीन अपराध, जो 1954 के अधिनियम की धारा 16(1)(क) के अधीन दंडनीय है, के लिए उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए पारित आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी गई है ।

2. आक्षेपित निर्णय की शुद्धता निर्णीत किए जाने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं :–

2.1 तारीख 28 मई, 1997 को प्रातःकाल 9.00 बजे खाद्य निरीक्षक पी. डी. पाण्डे (अभि. सा. 3) ने आवेदक, जो एक दूध

विक्रेता है, को लिखित सूचना देने के पश्चात् छः रुपए का संदाय करके 750 मिलीलीटर गाय का दूध खरीदा और तत्पश्चात् उस गाय के दूध को उसी समय तीन भागों में विभाजित किया और तीनों बोतलों में से प्रत्येक में फार्मेलिन की 20 बूंदें मिलाने और उनमें लेबल लगाने के पश्चात् उनको मुहरबंद कर दिया और उनके ऊपर दूध विक्रेता/आवेदक के हस्ताक्षर अभिप्राप्त कर लिए और पंचनामा भी तैयार किया और तत्पश्चात् तारीख 29 मई, 1997 को भोपाल स्थित लोक सर्वेक्षक को रासायनिक परीक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत पार्सल द्वारा भेज दिया और दो अन्य नमूने रायगढ़ स्थित स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के कार्यालय में रख दिए । भोपाल स्थित स्थानीय सर्वेक्षक ने अपनी रिपोर्ट रायगढ़ स्थित स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को तारीख 17 जुलाई, 1997 के पत्र द्वारा भेज दी जो उनके द्वारा तारीख 22 जुलाई, 1997 को प्राप्त की गई । लोक सर्वेक्षक ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-13) में दूध को मिलावटी पाया चूंकि दूध में मात्र 3.5 प्रतिशत चर्बी और मात्र 8.04 प्रतिशत ठोस पदार्थ न कि चर्बी था, चूंकि यह 1954 के अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अंतर्गत अधिकथित स्तरमान के पुष्टिकरण वाला नहीं था । सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की मंजूरी तारीख 22 सितंबर, 1997 को 1954 के अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन अभिप्राप्त किया गया था और अधिकारिता प्राप्त दांडिक न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र तारीख 29 नवंबर, 1997 को फाइल किया गया था और आवेदक को लोक सर्वेक्षक की रिपोर्ट 1954 के अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार तारीख 2 दिसंबर, 1997 को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी गई थी ।

2.2 आवेदक ने दोषिता का विरोध शपथपूर्वक किया और अभिवाक् किया कि अभियोजन का पक्षकथन असत्य है और उसको मामले में असत्य रूप से अंतर्वलित कर दिया गया है ।

2.3 अपराधी को सजा दिलाए जाने के प्रयोजनार्थ अभियोजन ने विचारण के दौरान तीन साक्षियों का परीक्षण कराया और सत्रह दस्तावेज प्रदर्शित कराए । इसके विपरीत प्रतिरक्षा पक्ष ने न तो किसी साक्षी का परीक्षण कराया और न ही अभिलेख पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया ।

3. विचारण मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी

साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् लोक सर्वेक्षक की रिपोर्ट का अवलंब लिया जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा बेचा गया गाय का दूध मिलावटी पाया गया था और जो 1954 के अधिनियम की धारा 7(i) का अतिक्रमण है और धारा 16(1)(क) के अधीन दंडनीय है और आवेदक को पूर्वोक्त अपराध के बाबत दोषसिद्ध कर दिया और उसको 6 माह का कठोर कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के द्वारा दंडादिष्ट कर दिया ।

4. अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल किए जाने पर सेशन न्यायालय/अपील न्यायालय ने दोषसिद्धि और दंडादेश सही पाते हुए न केवल दोषसिद्धि बल्कि दंडादेश को भी बनाए रखा जिसके विरुद्ध यह पुनरीक्षण फाइल किया गया जैसाकि आरंभिक पैराग्राफ में उल्लिखित किया गया है ।

5. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री ए. एन. भक्ता ने निवेदन किया कि पूर्वोक्त अपराध के बाबत अपीलार्थी की दोषसिद्धि यह अभिनिर्धारित करते हुए किए जाने में दोनों निचले न्यायालय आत्यंतिक रूप से न्यायानुमत नहीं थे कि आवेदक 1954 के अधिनियम की धारा 7(i) के अधीन अपराध कारित करने का दोषी है । उन्होंने 1954 के अधिनियम की धारा 11 का अवलंब लेते हुए निवेदन किया कि अभियोजन यह प्रदर्शित करने के लिए अपराध का पता लगाने में विफल रहा है कि संपूर्ण गाय के दूध से गाय के दूध का नमूना लिए जाने के पूर्व नमूने के दूध को उस दूध के साथ एक लंबे हत्थे का कलछी के साथ या उसको एक या अन्य बर्तन में डाले जाने के द्वारा या उसको हलके में मिलाए जाने के द्वारा क्रियाशील किए जाने के द्वारा पूर्णतया मिश्रित किया गया था और अभियोजन आगे यह दर्शित कर पाने में विफल रहा है कि जब नमूना लिया गया तो दूध में गोलिकाएं या बुलबुले नहीं थे । अतः संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन 1954 के अधिनियम की धारा 11 के अननुपालन के कारण दूषित हो गया है । इसलिए, अभिलिखित किया गया दोषसिद्धि का निर्णय और प्रदान किया गया दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

6. राज्य/गैर आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान् पैनल अधिवक्ता श्री विवेक सिंघल ने आवेदक की ओर से किए गए निवेदनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित समवर्ती निष्कर्ष के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन ने ऊपरवर्णित अपराध की कोटि में आने वाले अपराध को पर्याप्ततः साबित कर दिया है जो एक तथ्य आधारित निष्कर्ष है और समवर्ती निष्कर्ष इतना अधिक अनुचित या मनमाना नहीं है कि इसमें इस न्यायालय द्वारा अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मध्यक्षेप किया जाए ।

7. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों को सुना और किए गए परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया और अधिकतम सावधानी के साथ अभिलेख का परिशीलन भी किया ।

8. उठाए गए बिंदु का मूल्यांकन किए जाने के प्रयोजनार्थ 1954 के अधिनियम की धारा 11, जो नमूने लिए जाते समय खाद्य निरीक्षक द्वारा अनुसृत प्रक्रिया को उपबंधित करती है, का उल्लेख किया जाना उचित और लाभदायक होगा, जो इस प्रकार है :–

"11. **खाद्य निरीक्षक द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया** – (1) जब कोई खाद्य निरीक्षक खाद्य का नमूना विश्लेषण के लिए लेता है तब वह –

(क) उसका ऐसे विश्लेषण कराने के अपने आशय की लिखित सूचना उसी समय और वहीं उस व्यक्ति को जिससे उसने वह नमूना लिया है तथा उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा 14क के अधीन प्रकट की गई हैं, देगा ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा उपबंधित विशेष मामलों के सिवाय, नमूने के उसी समय और वही अलग-अलग तीन भाग कर लेगा और प्रत्येक भाग को ऐसी रीति से, जैसी उसकी प्रकृति के अनुकूल हो, चिह्नित और मुहरबंद करेगा या बांधेगा और उस व्यक्ति का जिससे वह नमूना लिया गया है हस्ताक्षर या उसके अंगूठे की छाप ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से लेगा जो विहित की जाए :

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति हस्ताक्षर करने या अंगूठे की छाप लगाने से इनकार करता है वहां खाद्य निरीक्षक एक या अधिक साक्षियों को बुलाएगा और ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप के बदले उसके या उनके, यथास्थिति, हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लेगा ;

(ग) (i) एक भाग को, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को सूचना देते हुए, विश्लेषण के लिए लोक विश्लेषक को भेजेगा ; और

(ii) शेष दो भागों को इस धारा की उपधारा (2) तथापि, धारा 13 की उपधारा (2क) और (2ङ) के प्रयोजनों के लिए स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को भेजेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन लोक विश्लेषक को भेजे गए नमूने का भाग खो जाता है या खराब हो जाता है वहां लोक विश्लेषक या खाद्य निरीक्षक द्वारा अध्यपेक्षा की जाने पर स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी उक्त खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन उसे भेजे गए नमूने के भागों में से एक भाग को विश्लेषण के लिए लोक विश्लेषक को भेजेगा ।

(3) जब धारा 10 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य का नमूना लिया जाए, तब खाद्य निरीक्षक ठीक बाद के कार्य दिवस तक, यथास्थिति, उस खाद्य पदार्थ या उपद्रव्य का, या दोनों का नमूना, नमूनाकरण के लिए विहित नियम के अनुसार संबंधित स्थानीय क्षेत्र के लोक विश्लेषक को भेजेगा ।

(4) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन अभिगृहीत कोई खाद्य पदार्थ, यदि वह उस धारा की उपधारा (4क) के अधीन नष्ट नहीं किया गया है तो उस धारा की उपधारा (6) के अधीन अभिगृहीत कोई अपद्रव्य यथाशीघ्रातिशीघ्र से और हर हालत में लोक विश्लेषक की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् सात दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा :

परंतु यह कि यदि उस व्यक्ति द्वारा, जिससे कोई खाद्य पदार्थ अभिगृहीत किया गया है मजिस्ट्रेट से इस निमित्त आवेदन किया गया है तो मजिस्ट्रेट खाद्य निरीक्षक को लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे पदार्थ को इतने समय के अंदर, जितना आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, उसके समक्ष पेश करे ।

(5) यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा साक्ष्य लेने पर, जैसा लेना वह आवश्यक समझे, यह प्रतीत होता है कि –

(क) उपधारा (1) के अधीन उसके समक्ष पेश किया गया खाद्य पदार्थ अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला है तो वह आदेश दे सकेगा कि –

(i) उसे यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में समपहृत कर दिया जाए ; या

(ii) उसे स्वामी के या उस व्यक्ति के जिससे वह अभिगृहीत किया गया था, खर्चे पर नष्ट कर दिया जाए जिससे मानव खाद्य के रूप में उसका उपयोग न हो सके ; या

(iii) उसका इस प्रकार व्ययन किया जाए जिससे प्रवर्चक नाम से उसको पुनः विक्रय के लिए अभिदर्शित न किया जा सके या उसका खाद्य के लिए उपयोग हो सके ; या

(iv) उसे उसके समुचित नाम से विक्रय किए जाने के लिए या जहां मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि वह खाद्य पदार्थ पुनः प्रसंस्करण के पश्चात् मानव उपभोग के लिए विहित मान के अनुरूप बनाए जा सकने के योग्य है वहां ऐसे अधिकारी के, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, पर्यवेक्षण के अधीन पुनः प्रसंस्करण के पश्चात् विक्रय किए जाने के लिए स्वामी को उसके द्वारा प्रतिभुओं सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित किए जाने पर वापस कर दिया जाए ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन अभिगृहीत और उसके समक्ष पेश किया गया अपद्रव्य प्रकटतः इस प्रकार का है कि उसका उपयोग अपमिश्रण के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है और उसके कब्जे की बाबत, यथास्थिति, विनिर्माता, वितरक या व्यवहारी समाधानप्रद लेखा-जोखा देने में असमर्थ है तो वह उसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में समपहृत करने का आदेश दे सकेगा ।

(6) यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई ऐसा –

(क) खाद्य पदार्थ अपमिश्रित नहीं है, या

(ख) अपद्रव्य जिसका अपद्रव्य होना तात्पर्यित है, अपद्रव्य नहीं है ;

तो वह व्यक्ति जिसके कब्जे से वह खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य लिया गया था उसका प्रत्यावर्तन कराने के लिए हकदार होगा और जो वास्तविक हानि उसने उठाई है, उससे अधिक न होने वाला इतना प्रतिकर, जितना मजिस्ट्रेट उचित समझता है, ऐसी निधि में जैसा राज्य सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे, ऐसे व्यक्ति को दिलाना मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन होगा ।"

9. 1955 के खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम के नियम 14 का उल्लेख किया जाना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार है :–

"**विश्लेषक के लिए नमूने भेजने की रीति** – विश्लेषण के प्रयोजन के लिए खाद्य के नमूने स्वच्छ सूखी बोतलों या अन्य संचित जार में लिए जाएंगे जिनको अच्छी तरह कसकर बंद किया जाएगा जिससे कि उनका रिसना या उद्वाष्पन या सूखे पदार्थ की दशा में उनमें नमी के प्रवेश को रोका जा सके तथा उन्हें सावधानीपूर्वक मुहरबंद किया जाएगा ।"

10. पूर्वोक्त विधिक उपबंधों का उल्लेख करने के पश्चात् उस रीति की पुनः चर्चा करते हैं जिसमें खाद्य निरीक्षक द्वारा नमूना लिया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस प्रदर्श पी-1 दिया गया था और आवेदक से गाय का दूध अर्थात् 750 मिलीलीटर दूध लेते समय प्रदर्श पी-2 द्वारा उसको छः रुपए का संदाय किया गया था और तत्पश्चात् पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था । पंचनामे के परिशीलन से दर्शित होता है कि आवेदक, जो गाय के दूध का विक्रेता था, एक पात्र में गाय का पंद्रह लीटर दूध ला रहा था, जिसमें से खाद्य निरीक्षक द्वारा नोटिस तामील किए जाने और छः रुपए का संदाय किए जाने के पश्चात् 750 मिलीलिटर दूध खरीद लिया गया था और तत्पश्चात् उस दूध को मुहरबंद किया गया था । उसके ऊपर लेबल लगाया गया था और उसमें फार्मेलिन मिलाई गई थी । पंचनामे में यह कहीं भी अभिकथित नहीं किया गया है कि खाद्य निरीक्षक ने गाय के दूध का नमूना लेने के पूर्व उसको पूर्ण रूप से या तो एक पात्र से दूसरे पात्र में या उसको धीरे से मिश्रित करने के द्वारा मिला दिया था या यह कहीं पर भी अभिलिखित नहीं किया गया है कि नमूना लिए जाने के पूर्व दूध में गोलिकाएं या बुलबुले नहीं थे । केवल यही नहीं, उक्त खाद्य निरीक्षक ने पी. डी. पांडे, जिसका परीक्षण अभि. सा. 3 के रूप में किया गया, में कहीं भी यह अभिकथित नहीं है कि खाद्य निरीक्षक ने दूध का नमूना लेने के पूर्व दूध को या तो कलछी द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा पूर्ण रूप से मिश्रित किया था जिससे उसको प्रतिनिधि नमूना कहा जा सके । खाद्य निरीक्षक का यह अनिवार्य कर्तव्य था कि वह नमूना लेता और अभिलेख पर यह दर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ साक्ष्य एकत्रित करता कि गाय के दूध को नमूना लिए जाने के पूर्व पूर्ण रूप से मिश्रित किया गया था और चूंकि उसने नमूने का दूध उस पात्र से अभिप्राप्त किया था जिसमें आवेदक का 15 लीटर दूध था, उसको समरूप बनाने के प्रयोजनार्थ परीक्षण के लिए लोक विश्लेषक को भेज दिया गया था । अतः खाद्य निरीक्षक ने दूध का नमूना दूध की उस थोक मात्रा से अभिप्राप्त किया था जो आवेदक ने 15 लीटर वाले पात्र में बिना क्रियाशील किए और बिना उसको समरूप बनाए

रखा था ताकि नमूना उस दूध का वास्तव में प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना बन जाए जिसका परीक्षण किया जाना है । इस संदर्भ में ए. सी. अग्रवाल और बी. एम. शर्मा द्वारा वर्ष 1961 में लिखित पुस्तक "ए लेबोरेटरी मैनुअल आफ मिल्क इन्सपेक्शन" नामक पुस्तक को निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें दूध के सतर्कतापूर्वक और शुद्धतापूर्वक नमूने लिए जाने के प्रयोजनार्थ मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए गए हैं । विद्वान् लेखकों ने पृष्ठ 115 पर जो मताभिव्यक्ति की, वह इस प्रकार है :–

> "**सामान्य नमूना** – दूध का सावधानीपूर्वक और सही नमूना उसके संपूर्ण विश्लेषण के प्रयोजनार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है । अधिसंभाव्य रूप से परीक्षणों के वास्तविक कार्य की अपेक्षा नमूनों की असावधानीपूर्वक तैयारी के कारण अधिक त्रुटियां कारित होती हैं । इस संबंध में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखी जानी होती है, यह है कि दूध की संपूर्ण मात्रा जिससे नमूना निकाला जाना है, को उसके पूर्णतया सम्मिश्रण में एक समान होना चाहिए, और दूध का कोई नमूना जिसको सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ उससे (दूध की संपूर्ण मात्रा से) निकाला गया है, दूध की संपूर्ण मात्रा का वास्तविक प्रतिनिधि (भाग) होना चाहिए । दूध के सम्मिश्रण की एकरूपता को गड़बड़ करने वाले कारक मुख्यतः चर्बी के पृथक्करण और भागिक मंथन होते हैं । यद्यपि दूध का मिश्रित किया जाना प्रथमतः या तो लंबे हत्थे वाले कलछी, यदि पात्र बड़ा है, या एक पात्र से दूसरे पात्र में डाले जाने के द्वारा या आहिस्ता से मिश्रित किए जाने के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।"

11. **के. हरिकुमार पुत्र करुणाकरन नायर** बनाम **खाद्य निरीक्षक, पुनलूर नगरपालिका**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने क्रियाशीलता, जिसको प्रतिनिधि नमूना लिए जाने के पूर्व पूरा किया जाना होता है, की विधिक अपेक्षा पर जोर देते हुए यह अभिनिर्धारित किया :–

> "दही में समांगता अभिप्राप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ क्रियाशीलता और मंथन जैसा भी मामला हो, दूध ठोस चर्बी के संघटकों के लिए आवश्यक हो जाता है और दूध की ठोस चर्बी को उसकी संपूर्णता में प्रतिशत के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ अद्वितीय गाढ़ापन प्राप्त हो जाता है ।"

---

[1] (1995) 3 (सप्ली.) एस. सी. सी. 405.

12. 1954 के अधिनियम की धारा 11 और पूर्वोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के प्रकाश में और पूर्वामत पुस्तक में विद्वान् लेखकों श्री ए. सी. अग्रवाल और बी. एम. शर्मा द्वारा दूध के सावधानीपूर्वक और सही नमूने के लिए अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए गाय के दूध को बिना क्रियाशील किए जाने के द्वारा या एक पात्र से दूसरे पात्र में डाले जाने के द्वारा या उसको आहिस्ता से मिश्रित किए जाने के द्वारा खाद्य निरीक्षक द्वारा लिए गए नमूने के बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रतिनिधिक नमूना है और यह संभव है कि दूध का नमूना उसमें चर्बी की गोलिकाएं या बुलबुलों की उपस्थिति के कारण पात्र में समाविष्ट दूध की संपूर्ण मात्रा का सत्य प्रतिनिधि न हो । लोक सर्वेक्षक ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-13) में दूध की चर्बी 3.5 प्रतिशत और ठोस पदार्थ 8.04 प्रतिशत पाया था और इस कारणवश लोक सर्वेक्षक द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि यह (दूध का नमूना) 1954 के अधिनियम और उसके अंतर्गत अधिनियमित नियम द्वारा अधिकथित स्तरमान की पुष्टि नहीं करता । इसलिए किसी मामले में वर्तमान मामले, जहां खाद्य निरीक्षक द्वारा सतर्कता पूर्वक नमूना नहीं लिया गया है, यह निश्चित रूप से अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकेगा कि लोक सर्वेक्षक को भेजा गया दूध का नमूना ही वास्तव में उस दूध का प्रतिनिधित्व करता है जिसका परीक्षण किया जाना है । परिणामस्वरूप, मेरी सुविचारित राय है कि नमूना 1954 के अधिनियम की धारा 11 के अनुसार नहीं लिया गया और इसलिए अभियोजन 1954 के अधिनियम की धारा 7(i) का अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर पाने में विफल रहा है ।

13. पूर्वोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप वर्तमान पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है । 1954 के अधिनियम की धारा (7)(i) के अधीन अपराध के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि और 6 माह की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने और एक हजार रुपए के जुर्माने के संदाय के लिए प्रदान किए गए दंडादेश विधि की दृष्टि में अमान्य अभिनिर्धारित किए जाते हैं और तद्नुसार अपास्त किए जाते हैं । आवेदक रूपचंद पटेल को उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । उसके द्वारा निष्पादित जमानत बंधपत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क को ध्यान में रखते हुए आज से छः माह की अवधि तक क्रियांवित रहेंगे ।

पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया ।

शु.

सरिता तामरेकर (श्रीमती)

बनाम

सुधीर तामरेकर

तारीख 26 अगस्त, 2014

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 23) – धारा 12 – संरक्षण आदेश – अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व पक्षकारों के आचरण को इस अधिनियम के अधीन आवेदन पर सुनवाई के दौरान और आदेश पारित करते समय विचार में लिया जा सकता है ।

आवेदक-पत्नी ने पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 की धारा 17, 18 और 19 के अधीन आवेदक ने अनावेदक सं. 1 से 3 अर्थात् पति, ससुर और सास के विरुद्ध अनुतोष चाहने के लिए आवेदन फाइल किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया गया है कि आवेदक का विवाह अनावेदक सं. 1 के साथ वर्ष 1988 में अनुष्ठापित हुआ था और उनके विवाह से दो पुत्र की प्राप्ति हुई थी । यह कथन किया गया है कि उसका पति अर्थात् अनावेदक सं. 1 ने उससे दुरुव्यवहार किया और उसे अलग रहने के लिए विवश किया तथा इस प्रकार वह आवेदन में दावाकृत अनुतोष पाने की हकदार है । वर्तमान अनावेदक द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन करते हुए उक्त आवेदन का विरोध किया गया था कि पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005, 26 अक्तूबर, 2006 से प्रभाव में आया है जबकि वर्तमान मामले में घटना की तारीख पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के प्रर्वतन में आने से पूर्व की है और इसलिए, ऐसे आचरण को पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन विचार में नहीं लिया जा सकता है । विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 1 अक्तूबर, 2009 के अपने आदेश से आपत्ति को ग्रहण किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदक वर्ष 1999 से पूर्व पांच वर्ष से अलग रह रही है और इस प्रकार वह पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन संरक्षण पाने की हकदार नहीं है । अपील पर उक्त निष्कर्ष को स्वीकार किया गया था और अपील खारिज कर दी गई थी । इस आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत से सहमत है कि पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन परिवाद पर विचार किया गया, और पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व भी पक्षकारों का आचरण को उक्त अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 के अधीन आदेश पारित करते समय विचार में लिया जा सकता है । न्यायालय का यह मत है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि एक पत्नी, जिसने पूर्व में घरेलू कार्यों में भागीदारी की है परन्तु जब अधिनियम प्रभाव में आया है तब भी वह पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के संरक्षण को पाने की हकदार होगी । माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों के उपरोक्त नजीरों को ध्यान में रखते हुए यह विषय अनिर्णीत नहीं रहा है कि पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व पक्षकारों का आचरण पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के अधीन सुनवाई और आदेश पारित करते समय विचार में लिया जा सकता है, और इसलिए निचले दोनों न्यायालयों द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है । (पैरा 7 और 9)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	2014 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 380 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 857 : **सरस्वती** बनाम **बाबू** ;	8
[2012]	ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 965 : **वी. डी. भनोट** बनाम **सविता भनोट** ।	7,8

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2011 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 739.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री एम. के. भादुरी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री प्रवीण धुरन्धर

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल – इस पुनरीक्षण आवेदन में विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह उद्‌भूत हुआ है कि क्या घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण

अधिनियम, 2005 (जिसे संक्षेप में "पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005" कहा गया है) के प्रभाव में आने से पूर्व भी पक्षकारों का आचरण को पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन आवेदन की सुनवाई करते समय विचार में लिया जाएगा ।

2. आवेदक-पत्नी ने पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 की धारा 17, 18 और 19 के अधीन आवेदक ने अनावेदक सं. 1 से 3 अर्थात् पति, ससुर और सास के विरुद्ध अनुतोष चाहने के लिए आवेदन फाइल किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया गया है कि आवेदक का विवाह अनावेदक सं. 1 के साथ वर्ष 1988 में अनुष्ठापित हुआ था और उनके विवाह से दो पुत्र की प्राप्ति हुई थी । यह कथन किया गया है कि उसका पति अर्थात् अनावेदक सं. 1 ने उससे दुरुव्यवहार किया और उसे अलग रहने के लिए विवश किया तथा इस प्रकार वह आवेदन में दावाकृत अनुतोष पाने की हकदार है ।

3. वर्तमान अनावेदक द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन करते हुए उक्त आवेदन का विरोध किया गया था कि पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005, 26 अक्तूबर, 2006 से प्रभाव में आया है जबकि वर्तमान मामले में घटना की तारीख पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के प्रवर्तन में आने से पूर्व की है और इसलिए, ऐसे आचरण को पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन विचार में नहीं लिया जा सकता है ।

4. विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 1 अक्तूबर, 2009 के अपने आदेश से आपत्ति को ग्रहण किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदक वर्ष 1999 से पूर्व पांच वर्ष से अलग रह रही है और इस प्रकार वह पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन संरक्षण पाने की हकदार नहीं है । अपील पर उक्त निष्कर्ष को स्वीकार किया गया था और अपील खारिज कर दी गई थी । इस आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है ।

5. आवेदक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री एम. के. भादुरी ने यह दलील दी है कि निचले दोनों न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व पक्षकारों के आचरण को पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के अधीन विचार में नहीं लिया जा सकता, अतः आक्षेपित आदेश खारिज किए जाने योग्य है ।

6. दूसरी ओर अनावेदकों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान्

काउंसेल श्री प्रवीण धुरन्धर ने यह दलील दी कि पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं है इसलिए पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के उपबंध पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व पक्षकारों के आचरण पर प्रयोज्य नहीं हो सकते हैं ।

7. स्वीकृततः यह बात निर्विवाद है कि पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 तारीख 26 अक्तूबर, 2006 से प्रभाव में आया है और पूर्वोक्त प्रश्न यहां पर उद्भूत हुआ है, जिस पर **वी. डी. भनोट** बनाम **सविता भनोट**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा उस पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया जो इस प्रकार है –

> "12. हम उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत से सहमत हैं कि पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन परिवाद पर विचार किया गया, और पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व भी पक्षकारों के आचरण को उक्त अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 के अधीन आदेश पारित करते समय विचार में लिया जा सकता है । हमारा यह मत है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि एक पत्नी, जिसने पूर्व में घरेलू कार्यों में भागीदारी की है परन्तु जब अधिनियम प्रभाव में आया है तब भी वह पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के संरक्षण को पाने की हकदार होगी ।"

8. हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामले पर विचार किया गया और **भनोट** (उपरोक्त) वाले मामले में और **सरस्वती** बनाम **बाबू**[2] वाले मामलों में अधिकथित सिद्धांत को दोहराया है और यह अभिकथित किया है कि पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व भी पक्षकारों का आचरण पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19 और 20 के अधीन आदेश पारित करते समय विचार में लिया जा सकता है ।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों के उपरोक्त नजीरों को ध्यान में रखते हुए यह विषय अनिर्णीत नहीं रहा है कि पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व पक्षकारों का आचरण पी. डब्ल्यू.

---

[1] ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 965.

[2] 2014 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 380 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 857.

डी. अधिनियम, 2005 के अधीन सुनवाई और आदेश पारित करते समय विचार में लिया जा सकता है, और इसलिए निचले दोनों न्यायालयों द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

10. आवेदक द्वारा तारीख 7 मई, 2009 को फाइल किया गया आवेदन को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के समक्ष मूल संख्या के रूप में बहाल किया जाता है और विधि के अनुसरण में मामले की सुनवाई और उसका निपटारा किए जाने का निदेश दिया जाता है । उक्त न्यायालय द्वारा यथा संभव आवेदन का इस आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर विनिश्चय किया जाएगा ।

11. पक्षकारों को तारीख 22 सितंबर, 2014 को निचले न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है ।

पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य

(2015) 1 दा. नि. प. 44 **छत्तीसगढ़**

कु. गितिका साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 28 अगस्त, 2014

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) – धारा 7क (2009 में यथासंशोधित) [सपठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 का नियम 12] – किशोर अवस्था का निर्धारण – यदि अभियुक्त हाईस्कूल प्रमाणपत्र में दर्शित जन्मतिथि के अनुसार किशोर प्रकट नहीं होता है तब किशोर अवस्था का निर्धारण करने हेतु न्यायालय के लिए अन्य दस्तावेज की जांच करना अपेक्षित नहीं है ।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 – नियम 12 – कानूनी दस्तावेज अर्थात् हाईस्कूल प्रमाणपत्र की उपेक्षा

करके कोतवारी पंजी में अभिलिखित जन्मतिथि का अवलंब लेना अनुचित है ।

न्यायालय में प्रत्यर्थी सं. 3/अभियुक्त ने इस आशय का आवेदन फाइल किया है कि अभिकथित अपराध की तारीख अर्थात् 26 जुलाई, 2003 को प्रत्यर्थी सं. 3/अभियुक्त जिसकी वास्तविक जन्मतिथि 30 दिसंबर, 1995 है, उसके आधार पर वह किशोर है इसलिए उसकी आयु 18 वर्ष से कम है और उसे किशोर गृह में भेजा गया था जहां पर अभियोजन का पक्षकथन यह है कि हाईस्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र परीक्षा 2011 के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 3/अभियुक्त की जन्मतिथि 25 मई, 1995 है इस प्रकार वह अपराध की घटना की तारीख को वयस्क था अर्थात् उसकी आयु लगभग 18 वर्ष 2 मास थी और वह किशोर नहीं था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी सं. 3/अभियुक्त की किशोरता का अवधारण करने के लिए जांच का आदेश दिया । जांच के दौरान प्रत्यर्थी सं. 3/अभियुक्त ने साक्षी सं. 1 मनीराम साहू (पिता) और साक्षी सं. 2 टुवासिनी बाई (माता) तथा कोतवार साक्षी सं. 3 उमाशंकर की भी परीक्षा कराई । उसने कोतवारी पंजी 1995 प्रदर्श 3(ग) फाइल की और प्रत्यर्थी सं. 3 के जन्मतिथि के बारे में 30 दिसंबर, 1995 होने का कथन किया है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने जांच का निष्कर्ष निकालने के पश्चात् यह पाया कि प्रदर्श क-3ग कोतवारी पंजी के अनुसार प्रत्यर्थी सं. 3 के जन्म की तारीख (प्रदर्श क-2) में 30 दिसंबर, 1995 दर्ज हुआ है और उस प्रमाणपत्र के अनुसार घटना की तारीख को अर्थात् तारीख 26 जुलाई, 2013 को प्रत्यर्थी सं. 3 की आयु 17 वर्ष 7 मास और 26 दिन है और इसलिए, प्रत्यर्थी सं. 3 अभिकथित अपराध के किए जाने की तारीख को किशोर रहा है और इसलिए मामले को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें "जे. जे. एक्ट" कहा गया है) के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड को मामला सुनवाई हेतु और विधि के अनुसरण में दांडिक मामले का निपटारा किए जाने के लिए प्रतिप्रेषित किया गया था । अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), बिलासपुर के उक्त आदेश को प्रश्नगत करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397, 401 के अधीन वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है । पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 3

अभिकथित अपराध की तारीख को किशोर है, जहां पर कोतवारी पंजी में अभिलिखित जन्मतिथि का कानूनी दस्तावेज की उपेक्षा करते हुए अवलंब लिया गया जबकि नियमों के अधीन परिकल्पित हाईस्कूल प्रमाणपत्र पूर्णतया विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है और जे. जे. अधिनियम, 2000 तथा नियम, 2007 के नियम 12 के उपनियम (3) और (क) के अभिव्यक्त उपबंधों के प्रतिकूल है और इसलिए आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है । (पैरा 20)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 9 एस. सी. सी. 750 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 553 : **अश्वनी कुमार सक्सेना** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	15,16
[2005]	(2005) 8 एस. सी. सी. 729 = 2005 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6455 : **केन्द्रीय संगठन टी. एन. विद्युत कर्मचारी** बनाम **टी. एन. विद्युत बोर्ड** ;	23
[2004]	2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4022 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2726 : **कुलाई इब्राहिम** उर्फ **इब्राहिम** बनाम **राज्य** मार्फत **पुलिस निरीक्षक, बी-1, कोयम्बटूर** ।	17

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2014 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 232.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री रवि महेश्वरी

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री नीरज मेहता, पैनल वकील, प्रमोद कुमार वर्मा, ज्येष्ठ अधिवक्ता और विरेन्द्र वर्मा

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल – छत्तीसगढ़ राज्य ने थाना भारसाधक अधिकारी, कोटा के माध्यम से प्रत्यर्थी सं. 3 के विरुद्ध दंड संहिता की

धारा 376 के साथ पठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 और 6 के अधीन अपराध किए जाने के लिए न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), बिलासपुर के समक्ष आरोप पत्र फाइल किए थे ।

2. उक्त न्यायालय में प्रत्यर्थी सं. 3/अभियुक्त ने इस आशय का आवेदन फाइल किया है कि अभिकथित अपराध की तारीख अर्थात् 26 जुलाई, 2003 को प्रत्यर्थी सं. 3/अभियुक्त जिसकी वास्तविक जन्मतिथि 30 दिसंबर, 1995 है, उसके आधार पर वह किशोर है इसलिए उसकी आयु 18 वर्ष से कम है और उसे किशोर गृह में भेजा गया था जहां पर अभियोजन का पक्षकथन यह है कि हाईस्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र परीक्षा 2011 के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 3/अभियुक्त की जन्मतिथि 25 मई, 1995 है इस प्रकार वह अपराध की घटना की तारीख को वयस्क था अर्थात् उसकी आयु लगभग 18 वर्ष 2 मास थी और वह किशोर नहीं था ।

3. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी सं. 3/अभियुक्त की किशोरता का अवधारण करने के लिए जांच का आदेश दिया ।

4. जांच के दौरान प्रत्यर्थी सं. 3/अभियुक्त ने साक्षी सं. 1 मनीराम साहू (पिता) और साक्षी सं. 2 टुवासिनी बाई (माता) तथा कोतवार साक्षी सं. 3 उमाशंकर की भी परीक्षा कराई । उसने कोतवार पंजी 1995 प्रदर्श 3(ग) फाइल की और प्रत्यर्थी सं. 3 के जन्मतिथि के बारे में 30 दिसंबर, 1995 होने का कथन किया है ।

5. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने जांच का निष्कर्ष निकालने के पश्चात् यह पाया कि प्रदर्श क-3ग कोतवारी पंजी के अनुसार प्रत्यर्थी सं. 3 के जन्म की तारीख (प्रदर्श क-2) में 30 दिसंबर, 1995 दर्ज हुआ है और उस प्रमाणपत्र के अनुसार घटना की तारीख को अर्थात् तारीख 26 जुलाई, 2013 को प्रत्यर्थी सं. 3 की आयु 17 वर्ष 7 मास और 26 दिन है और इसलिए, प्रत्यर्थी सं. 3 अभिकथित अपराध के किए जाने की तारीख को किशोर रहा है और इसलिए मामले को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें "जे. जे. एक्ट" कहा गया है) के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड को मामला सुनवाई हेतु और विधि के अनुसरण में दांडिक मामले का निपटारा किए जाने के लिए प्रतिप्रेषित किया गया था ।

6. अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), बिलासपुर के

उक्त आदेश को प्रश्नगत करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397, 401 के अधीन वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है ।

7. आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री रवि महेश्वरी ने यह दलील दी कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे संक्षेप में "जे. जे. एक्ट" कहा गया है) की धारा 7क और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 (जिसे "नियम, 2007" कहा गया है) का संज्ञान लेने में विफल हुआ और इसके अधीन बनाए गए नियम जिसमें जिस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है उसको पूर्ण रूप से विहित किया गया है जब किशोर अवस्था के दावे की बात किसी न्यायालय के समक्ष उठाई जाती है । श्री महेश्वरी ने अपने निवेदन को विस्तृत रूप देते हुए यह दलील दी कि नियम 12 में आयु की अवधारणा के लिए प्रक्रिया का पालन किए जाने के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं । नियम 12 का उपनियम (3) की प्रकृति आज्ञापक है और यदि उक्त उपनियम के अधीन उपबंधित विद्यालय में जन्मतिथि अभिलेख में उपलब्ध है तब विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश कोतवारी पंजी रजिस्टर प्रदर्श क-3(ग) और जांच करने पर प्रदर्श 2 के सार का अवलंब लेकर गंभीर विधिक गलती की है । और इस प्रकार विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

8. प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पी. वर्मा ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए यह दलील दी कि नियम 12 का उपनियम 3 भारत के संविधान के उपबंधों के अधिकारातीत है और इस प्रकार विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करके न्यायसंगत कार्य किया है कि प्रत्यर्थी सं. 3 कोतवारी रजिस्टर का सार प्रदर्श क-3 का अवलंब लेकर किशोर होना उसे बताया गया है ।

9. प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् राज्य काउंसेल श्री नीरज मेहता ने यह दलील दी कि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी सं. 3 की किशोर की आयु का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया है, और यह बात जे. जे. अधिनियम, 2000 इसके अधीन बनाए गए नियम, 2007 के विपरीत है अतः आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

10. मैंने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुना और उसमें किए गए परस्पर निवेदनों पर विचार किया गया और

आक्षेपित आदेश सहित निचले न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया गया ।

11. ऊपर उठाए गए प्रश्न का मूल्यांकन करने के क्रम में यह उचित होगा कि जे. जे. अधिनियम, 2000 की धारा 7क का संज्ञान ले :–

> "7क. जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोर अवस्था के दावे के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उस पर पालन किए जाने वाली प्रक्रिया यह होगी –
>
> 1. जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष किशोर अवस्था के दावे की बात की जाती है या न्यायालय की इस बारे में यह राय है कि अभियुक्त व्यक्ति अपराध किए जाने की तारीख को किशोर था, तब न्यायालय जांच कराएगी, और ऐसे साक्ष्य को लेना उसके लिए आवश्यक होगा (जिसमें कोई शपथपत्र नहीं लिया जाएगा) और ऐसे व्यक्ति की आयु का अवधारण किया जाएगा और ऐसे निष्कर्षों को अभिलिखित किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति किशोर है या बालक है या नहीं, यथास्थिति उसकी आयु के बारे में कथन किया जाएगा :
>
> परन्तु यह भी कि जहां किसी न्यायालय के समक्ष किशोर अवस्था के दावे की बात की जाती है तो इस बात को किसी भी प्रक्रम पर मान्यता दी जाएगी चाहे मामले का अन्तिम निपटान किए जाने के पश्चात् भी और ऐसे दावे का इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों में अवधारण किया जाएगा यद्यपि इस अधिनियम के प्रभाव में आने को या पूर्व किशोर अवस्था नहीं रह जाती हो ।
>
> 2. यदि कोई न्यायालय अपराध किए जाने की तारीख को किसी व्यक्ति को किशोर पाता है तब उपधारा (1) के अधीन ऐसे किशोर को समुचित आदेश पारित किए जाने के लिए बोर्ड में भेजेगा और ऐसे किसी न्यायालय द्वारा यदि कोई दंड पारित किया जाता है उसका कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा ।"

12. जे. जे. अधिनियम, 2000 की धारा 7क में यह अपेक्षित है कि न्यायालय अधिनियम, 2000 के अधीन जांच करेगा और जांच किए जाने की रीति जे. जे. नियम, 2007 के नियम 12 में उपबंधित हैं जिनका

परिशीलन करने पर इस प्रकार हैं :–

"12. **आयु के निर्धारण के लिए पालन किए जाने वाली प्रक्रिया** – (1) विधि के विरोध में किसी बालक या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, न्यायालय या बोर्ड या यथास्थित इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति ऐसे किशोर या बालक की आयु का निर्धारण करेगा या विधि के विरोध में किसी किशोर की आयु का निर्धारण इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर इसका निर्धारण करेगा ।

(2) न्यायालय या बोर्ड या यथास्थित समिति विधि के विरोध में किशोर अवस्था या किशोर या बालक के बारे में किशोर होने का निर्धारण करेगा और इस निर्धारण के लिए प्रथमदृष्ट्या उसकी शारीरिक बनावट या कोई एक उपलब्ध दस्तावेज है, के आधार पर उसकी आयु का निर्धारण करेगा और उसे निगरानी गृह और कारागार में भेजा जाएगा ।

(3) विधि के विरोध में किसी बालक या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु के निर्धारण की जांच न्यायालय या बोर्ड या यथास्थित समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित साक्ष्य की ईप्सा की जाएगी –

(क) (i) हाईस्कूल या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हों और जिनकी अनुपस्थिति में ;

(ii) विद्यालय से जन्मतिथि प्रमाणपत्र (प्ले स्कूल से भिन्न) और जिसके अभाव में ;

(iii) किसी निगम या किसी नगरपालिका, प्राधिकरण या किसी पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र ;

(ख) उपरोक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) के अभाव में चिकित्सीय राय, सम्यक् रूप से गठित चिकित्सीय बोर्ड से ईप्सा की जाएगी जो किशोर या बालक की आयु की घोषणा करेगा । आयु के सटीक निर्धारण की दशा में जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका है, बोर्ड का न्यायालय या यथास्थित समिति द्वारा अभिलिखित कारण जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है, उन्हें बालक या किशोर को एक वर्ष की औसत आयु विचार

करते हुए फायदा दिया जाएगा ;

और ऐसे मामलों में आदेश पारित करते हुए ऐसे साक्ष्य को, जो साक्ष्य उपलब्ध हो सकता हो, उस पर विचार करने के पश्चात् या चिकित्सीय राय यथास्थित, जो आयु के बारे में निष्कर्ष निकालकर अभिलिखित की गई हो और खंड (क)(i), (ii), (iii) में से किसी में निर्दिष्ट साक्ष्य या जिनके अभाव में खंड (ख) विधि के विरोध में ऐसे बालक या किशोर के संबंध में आयु का निश्चायक सबूत होगा ।"

13. इस प्रकार नियम, 2007 के नियम 12 में विहित की गई जांच करने के लिए जे. जे. अधिनियम, 2000 के अधीन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ।

14. इस प्रकार अधिनियम की धारा 7क के साथ पठित नियम, 2007 का नियम 12 के अधीन अनुध्यात किए गए आयु निर्धारण के न्यायालय को साक्ष्य लेने के लिए समर्थ बनाता है और इस प्रक्रम में न्यायालय नियम, 2007 के नियम 12(3)(क)(i) में यथाउपबंधित हाईस्कूल या समतुल्य प्रमाणपत्रों को प्राप्त कर सकता है और यदि हाईस्कूल या समतुल्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं हैं तब न्यायालय ऐसे विद्यालय से जहां किशोर प्रथम बार गया हो, जन्मतिथि प्रमाणपत्र की तारीख प्राप्त कर सकता है और ऐसा केवल तब किया जा सकता है जबकि निगम या नगरपालिका द्वारा दिया जाने वाला जन्म प्रमाणपत्र का अभाव हो ।

15. किशोर अवस्था के निर्धारण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 में विहित की गई प्रक्रिया पर **अश्वनी कुमार सक्सेना** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया जिसमें उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले न्यायालय किशोर बोर्ड का यह कर्तव्य है कि नियम 12(3)(क)(i) से (iii) में उल्लिखित प्रमाणपत्र प्राप्त करके साक्ष्य लेना चाहिए और यह अभिनिर्धारित किया गया :–

"30. परिणामस्वरूप, जांच का संचालन करने में जे. जे. अधिनियम के अधीन पालन की जाने वाली प्रक्रिया में संविधि अर्थात्

[1] (2012) 9 एस. सी. सी. 750 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 553.

नियम, 2007 का नियम 12 में प्रक्रिया अधिकथित की गई है । हम किसी व्यक्ति की किशोर अवस्था के बारे में जांच करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य अधिनियमन में अधिकथित अन्य प्रक्रिया की सहायता नहीं ले सकते हैं जब इस अधिनियम की धारा 7क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के समक्ष किसी किशोर होने की दावा की बात प्रकट होती है । कई मामलों में हमने प्रायः यह देखा है कि दांडिक न्यायालय संहिता के अधीन विचारण या जांच की प्रक्रिया को लटकाते हैं मानों वे तथ्य को प्राप्त करने के लिए दंड विधियों के अधीन अपराध का विचारण कर रहे हों जबकि धारा 7क के साथ पठित नियम 12 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिकथित की गई है ।

31. हम इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले सभी न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड और समितियों को यह स्मरण कराते हैं कि उन पर नियम 12(3)(क)(i) से (iii) में उल्लिखित प्रमाणपत्र आदि प्राप्त करके साक्ष्य लेने का उनका कर्तव्य भी है । ऐसी स्थिति में न्यायालय को इस कारण से अभिभावक कार्यों का निर्वहन करना चाहिए कि वे ऐसे अप्राप्तवय बालकों के संरक्षण के रूप में है जिनकी विधिक निर्योग्यता है और उनको संरक्षण देना जरूरी समझा जाता है ।"

16. **अश्वनी कुमार सक्सेना** (उपरोक्त) वाले मामले के निर्णय के बाद वाले भाग में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जे. जे. अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले न्यायालय या बोर्ड से उन दस्तावेजों की सत्यता की परीक्षा पर विचार करने के लिए या उन पर जांच करने की आशा नहीं की जाती जैसा कि अभिनिर्धारित किया गया है :–

"32. 'आयु के निर्धारण के लिए जांच' जिसे अधिनियम की धारा 7क के साथ पठित नियम, 2007 के नियम 12 के अधीन अनुध्यात किया गया है जो न्यायालय को साक्ष्य लेने के लिए समर्थ बनाता है और उस प्रक्रिया में न्यायालय हाईस्कूल या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध है, प्राप्त कर सकता है । किसी हाईस्कूल या समतुल्य प्रमाणपत्रों के अभाव में ही न्यायालय ऐसे विद्यालय से प्ले स्कूल से भिन्न जहां बालक प्रथम बार भर्ती हुआ हो, जन्म प्रमाणपत्र की तारीख को प्राप्त करना जरूरी है । हाईस्कूल या समतुल्य

प्रमाणपत्र के अभाव में या निगम या किसी नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत या जो (शपथपत्र में न हो परन्तु ऐसे प्रमाणपत्र या दस्तावेज) द्वारा दिए गए जन्म प्रमाणपत्र की तारीख के अभाव में यदि ऊपर उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध न हो, केवल तब सम्यक् रूप से गठित चिकित्सीय बोर्ड से चिकित्सीय राय प्राप्त करने का प्रश्न उद्भूत होता है । आयु के सही निर्धारण नहीं किए जा सकने पर न्यायालय ऐसे कारणों को अभिलिखित करेगा जहां पर वह इस बात पर आवश्यक विचार करेगा कि एक वर्ष की औसत आयु के भीतर उसकी आयु में विचार करते हुए बालक या किशोर को फायदा दिया जाए ।

33. जब एक बार न्यायालय ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके आदेश पारित करता है तब विधि के विरोध में ऐसे बालक या किशोर के संबंध में आयु का निश्चायक सबूत का आदेश पारित किया जाएगा । नियम 12 के उपनियम 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि नियम 12 के उपनियम 3 का उल्लेख करने के पश्चात् कोई प्रमाणपत्र प्राप्त करने या कोई अन्य दस्तावेजी सबूत की परीक्षा करने के पश्चात् न्यायालय या बोर्ड आगे कोई जांच नहीं करेगा । इसके अतिरिक्त जे. जे. अधिनियम की धारा 49 में किशोर की आयु और उसकी आयु के निर्धारण के लिए उपधारणा भी की गई है ।

34. जे. जे. अधिनियम और नियम, 2007 के अधीन अनुध्यात की गई आयु निर्धारण जांच अन्य विधायन के अन्तर्गत जैसे सेवा में प्रविष्टि, सेवानिवृत्ति, प्रोन्नति आदि के अधीन जांच नहीं करनी चाहिए । ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं जहां हाईस्कूल या समतुल्य प्रमाणपत्र में, ऐसे विद्यालय जहां प्रथम बार बालक भर्ती हुआ हो, जन्मतिथि प्रमाणपत्र में की गई प्रविष्टि और किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र भी सही नहीं हो सकता है । परन्तु न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, कोई समिति जो जे. जे. अधिनियम के अधीन कार्य कर रही है, उनसे ऐसी जांच करने की और सामान्य परिस्थितियों में रखे गए उन दस्तावेजों की सत्यता की परीक्षा करने के लिए ऐसे प्रमाणपत्रों पर विचार करने की आशा नहीं की जाती है । केवल ऐसे मामले जहां ऐसे दस्तावेज या प्रमाणपत्र जो मिथ्या या छल साधन द्वारा गढ़े पाए जाते हैं, न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति द्वारा आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा

रिपोर्ट को जरूरी नहीं समझना चाहिए ।

17. **अश्वनी कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित नवीनतम सिद्धांत में विस्तृत रूप से जो बातें दोहराई गई हैं और उन बातों का **कुलाई इब्राहिम** उर्फ **इब्राहिम** बनाम **राज्य** मार्फत **पुलिस निरीक्षक, बी-1, कोयम्बटूर**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों द्वारा अनुसरण किया गया है ।

18. कानून के उपरोक्त निरूपण को ध्यान में रखते हुए न्यायालय प्रत्यर्थी सं. 3 की किशोर अवस्था के बारे में आयु निर्धारण जांच करने के लिए नियम, 2007 के नियम 12(3) में विहित किए गए साक्ष्य पर विचार करना चाहिए और स्वीकृततः मामलों के तथ्यों पर लौटते हुए वर्तमान मामले में छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, रायपुर द्वारा जारी किए गए हाईस्कूल प्रमाणपत्र (मार्कशीट), प्रत्यर्थी सं. 3 की हाईस्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा 2011 के प्रमाणपत्र में यह प्रकट है जिसमें यह कहा गया है :–

> "यह अभिप्रमाणित किया गया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निर्मल साहू पिता/पति का नाम दुवासिन बाई साहू की जन्मतिथि 25.5.1995 (पच्चीस मई उन्नीस सौ पचानवे) है ।
>
> यह जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा में प्रकट है जो विद्यालय/केन्द्र आदर्श वैदिक विद्यापीठ एच. एस. एस. कोटा, बिलासपुर से ली गई है ।"

19. पूर्वोक्त प्रमाणपत्र से प्रत्यर्थी सं. 3 की जन्मतिथि 25 मई, 1995 स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है और हाईस्कूल प्रमाणपत्र, जो नियम, 2007 के नियम 12(3)(क)(i) के अर्थ में कानूनी दस्तावेज है, यह दस्तावेज उपलब्ध है, तब न्यायालय के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह किसी अन्य दस्तावेज पर विचार करे या किसी अन्य दस्तावेज की जांच कर उसका अवलंब ले और नियमों में उपबंधित कानूनी दस्तावेज की सत्यता की परीक्षा करने के लिए इन प्रमाणपत्रों के परे विचार करे और यदि कानूनी दस्तावेज को विचार में लिया जाए तो प्रत्यर्थी की जन्मतिथि उसके अपराध किए जाने की तारीख को अर्थात् तारीख 26 जुलाई, 2013 को हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार 25 मई, 1995 है, तब अभियुक्त की आयु 18 वर्ष दो मास है और वह अपराध किए जाने की तारीख को किशोर नहीं होगा ।

---

[1] 2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4022 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2726.

20. इस प्रकार, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 3 अभिकथित अपराध की तारीख को किशोर है, जहां पर कोतवारी पंजी में अभिलिखित जन्मतिथि का कानूनी दस्तावेज की उपेक्षा करते हुए अवलंब लिया गया जबकि नियमों के अधीन परिकल्पित हाईस्कूल प्रमाणपत्र पूर्णतया विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है और जे. जे. अधिनियम, 2000 तथा नियम, 2007 के नियम 12 के उपनियम (3) और (क) के अभिव्यक्त उपबंधों के प्रतिकूल है और इसलिए आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है ।

21. प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री वर्मा ने यह दलील दी है कि नियम, 2007 का नियम 12, जे. जे. अधिनियम, 2000 के उपबंध, भारत के संविधान के अधिकारातीत है और इसलिए नियम, 2007 का नियम 12 का अवलंब नहीं लिया जा सकता ।

22. विधि में यह सुस्थापित है कि संविधि को तब तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसकी संवैधानिकता को विशेष रूप से चुनौती न दी जाए और यदि किसी मामले का संवैधानिक आधारों से भिन्न किसी आधार पर कानूनी अर्थान्वयन करके विनिश्चय किया जा सकता है, क्या न्यायालय को ऐसा कार्य करना चाहिए कि नियम, 2007 की संवैधानिक मान्यता पर प्रश्न नहीं किया जा सके और हमेशा अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में उपधारणा करके समरूपता से विनिश्चय किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति पर उसे सिद्ध करने का भार डाला गया है जो उसकी विधिमान्यता को यह प्रकट करने के लिए चुनौती देता है कि यह संवैधानिक सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है ।

23. **केन्द्रीय संगठन टी. एन. विद्युत कर्मचारी** बनाम **टी. एन. विद्युत बोर्ड**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है जो इस प्रकार है :–

> "यह नियमनिष्ठ सिद्धांत है जिस पर हमारा उसे ग्रहण करने का आशय है । इस न्यायालय को इन आधारों पर कृपणता बरतनी चाहिए जिस पर किसी विशिष्ट मामले का विनिश्चय करना चुना जाता है ।

---

[1] (2005) 8 एस. सी. सी. 729 = 2005 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6455.

यदि किसी मामले का संवैधानिक आधारों से भिन्न किसी आधार पर कानूनी अर्थान्वयन करके विनिश्चय किया जाता है तब क्या न्यायालय को ऐसा भी करना चाहिए । मामले की विशेषताओं के बावजूद सुश्री जय सिंह ने संवैधानिक आधारों के बारे में दलील दी है, इस पर हमारी यह राय है कि वे न्यायनिर्णयन करने के लिए परिपक्व नहीं हैं क्योंकि हम अन्य संकीर्ण आधारों पर मामले का विनिश्चय करने में समर्थ हैं । जहां पर चाकू पर्याप्त है वहां कुल्हाड़ी को अपवर्जित किया जाता है ।"

24. निष्कर्षतः पुनरीक्षण मंजूर की जाती है । आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है । यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी सं. 3 अपराध किए जाने की तारीख को अर्थात् 26 जुलाई, 2013 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 2(क) के अर्थान्वयन के अन्तर्गत किशोर नहीं था और परिणामस्वरूप 2003 अधिनियम के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड, बिलासपुर को यह निदेश दिया जाता है कि विचारण के सम्पूर्ण अभिलेखों के साथ विधि के अनुसरण में सुनवाई करने और उसका निपटारा करने के लिए अधिकारिता रखने वाले सेशन न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया जाए । निचले न्यायालय के अभिलेख तत्काल वापस भेजे जाते हैं । इस आदेश की प्रति की सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु किशोर न्याय बोर्ड को भेजी जाती है ।

पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य

जम्मू-कश्मीर राज्य

बनाम

संजय कुमार

तारीख 4 अगस्त, 2014

न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर और न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल

रणबीर दंड संहिता, 1989 संवत् (1932 ईस्वी) – धारा 376 – बलात्संग – यदि पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया कि उसके योनिच्छद से रक्त नहीं निकला और डाक्टर के अनुसार उसके गुप्तांग भागों पर क्षतियां नहीं पहुंचीं तो अपीलार्थी-अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

रणबीर दंड संहिता, 1989 – धारा 376 – बलात्संग – जहां विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए दोषमुक्ति के निर्णय में कोई गलती या अवैधता प्रकट नहीं हुई है तथा विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के अभिलिखित करने में पीड़िता और उसकी माता के वृत्तांत का अवलंब नहीं लिया गया हो वहां पर अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित है ।

बन्तो देवी (अभि. सा. 1) जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की, पीड़िता (अभि. सा. 2) की माता है । महेन्द्र नाथ (अभि. सा. 5) पीड़िता और अभियुक्त का चाचा है तथा उस सुसंगत समय पर वह गांव की पंचायत का सदस्य था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार 9 मगहर, 2058 (तारीख 25 नवंबर, 2001) लगभग 7/7.30 बजे अपराह्न अभियुक्त पीड़िता को इस बहाने से अपने पशु गृह में ले गया कि जब वह पशुओं को चारा देगा तो वह उस समय छड़ी को पकड़ेगी । अभियुक्त ने पशु गृह में पीड़िता से बलपूर्वक मैथुन किया और इस घटना को अभि. सा. 1 द्वारा देखा गया था जो पीड़िता की सिसकियों को सुनकर घटनास्थल पर पहुंची थी । अगले दिन अभि. सा. 1 ने मामले की रिपोर्ट अभि. सा. 5 को की जिसने कोई कार्रवाई नहीं की जिस पर अभि. सा. 1 ने तारीख 28 नवंबर, 2001 को पुलिस थाना बसंतगढ़ पर रिपोर्ट दर्ज की । उसकी रिपोर्ट पर रणबीर दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपराध को दर्ज किया गया था और जिसकी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 22/2001 है और मामले में अन्वेषण किया गया । डा. एस. ए. दुलिया (अभि. सा. 9) ने तारीख 28

नवंबर, 2002 को पीड़िता की चिकित्सीय विधिक परीक्षा की थी । अभियुक्त को 30 नवंबर, 2002 को गिरफ्तार किया गया था और तारीख 1 दिसंबर, 2002 को डा. राजेश गुप्ता (अभि. सा. 10) ने अभियुक्त की चिकित्सीय विधिक परीक्षा की । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् पुलिस ने रणबीर दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध किए जाने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया और जिस मामले को सेशन न्यायाधीश के न्यायालय, उधमपुर के समक्ष विचारण के लिए सुपुर्द कर दिया गया । अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने पीड़िता अभि. सा. 2 की परीक्षा करने के बावजूद 10 साक्षी अर्थात् बन्तो देवी (अभि. सा. 1), इच्छो (अभि. सा. 3), रामदास (अभि. सा. 4), महेन्द्र नाथ (अभि. सा. 5), जोगिन्दर पाल (अभि. सा. 6), रघुनन्दन, नायब तहसीलदार, बसन्तगढ़ (अभि. सा. 7), डा. दिनेश खजारिया (अभि. सा. 8), डा. एस. एल. दुलिया (अभि. सा. 9), डा. राजेश गुप्ता (अभि. सा. 10) तथा सहदेव सिंह, हैड कांस्टेबल (अभि. सा. 11) को विचारण पर पेश किया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के कथन को लेखबद्ध किया । अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में योगराज नामक व्यक्ति को पेश किया । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और अभिलेख का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकालते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया कि यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध सभी संदेहों के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है इसलिए यह अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करने पर यह दर्शित होता है कि पीड़िता और उसकी माता द्वारा दिया गया साक्ष्य तथा चिकित्सक (अभि. सा. 9) द्वारा दिए गए साक्ष्य का विचारण न्यायालय द्वारा मिलान करने पर अभियोजन पक्षकथन संदेहपूर्ण पाया गया । इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने पीड़िता की माता और अभियुक्त की माता के बीच साबित शत्रुता का भी उल्लेख किया है । विचारण न्यायालय ने बचाव दलील का पक्ष लिया है कि अभि. सा. 1 ने नकदी और कुछ संपत्ति की हिस्सेदारी करने के लिए अभियुक्त पक्षकारों का उत्पीड़न किया था और जिसके लिए उसकी पुत्री का एक यन्त्र के रूप में उपयोग किया गया था और पुलिस को आश्वस्त करने के लिए रिपोर्ट दर्ज की गई थी । विचारण न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथन में

मिथ्यापन है । विचारण न्यायालय द्वारा किए गए टिप्पणी से यह सुस्पष्ट है कि पीड़िता की आयु 8 वर्ष से कम थी और उसके अनुसार अभियुक्त ने अपने पुरुष अंग को उसकी योनिच्छद में प्रवेश किया था और लगभग दो मिनट तक मैथुन किया था और यह मत व्यक्त किया कि ऐसे कार्य से उसके जननांगों पर गंभीर क्षतियां कारित होनी चाहिए थीं और उसे शारीरिक और मानसिक आघात भी पहुंचना चाहिए था तथा तत्काल चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए थी । आगे यह भी मत व्यक्त किया गया कि अभि. सा. 2 पीड़िता (नाम विलुप्त) के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उसके जननांगों से रक्त निकला हो । उसकी सलवार रक्तरंजित नहीं थी । विचारण न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य पर तथा पीड़िता की चिकित्सा विधि की रीति पर भी ध्यान देना चाहिए था क्योंकि मामले में डाक्टर का यह कथन है कि उन्होंने पीड़िता की परीक्षा करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि मामले में बलात्संग का प्रयास किया गया था और आगे उन्होंने यह कथन किया है कि योनिच्छद फटा हुआ था और उसमें रक्त जमा हुआ था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि "जब मामले की सभी परिस्थितियों, पीड़िता (अभि. सा. 2) के कथनों के बीच विचलन पर एक साथ विचार किया जाए जिसमें उसने यह कहा है कि उसके शरीर से रक्त नहीं निकला था परन्तु डाक्टर ने यह कहा है कि उसने पीड़िता का रक्त बहते हुए देखा । अस्पताल के अलावा पुलिस थाने में लड़की की परीक्षा किया जाना डाक्टर के निष्कर्ष के प्रकृति में विभेद प्रकट होता है और डाक्टर द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र में लड़की के पहचान का कोई चिह्न नहीं है और उसकी न्यायालय में भी पहचान नहीं की गई, इसलिए, अभियोजन पक्षकथन संदेह के घेरे के अन्तर्गत है" । (पैरा 14)

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी भतियाल यह कहना चाहती है कि विचारण न्यायालय ने विशिष्ट रूप से अभि. सा. 1 और पीड़िता की माता अभि. सा. 2 के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में गलती की है । वह यह भी कहना चाहती है कि विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के बीच शत्रुता की उपधारणा बिना उस बात को साबित किए या अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में लाए बिना की गई है । सुश्री मीनाक्षी ने यह कहा है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को अपनी बहन (सौतेली) के साथ बलात्संग के गंभीर आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया यद्यपि पीड़िता का परिसाक्ष्य आरोप को साबित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त है और फिर भी जिसे उसकी माता (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य द्वारा समर्थन मिला है

जिन्होंने घटना को देखा था और उसकी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा संपुष्टि की गई थी । (पैरा 15)

साक्ष्य का पुनर्विलोकन करते हुए हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारणों के विचारों से सहमत हैं जिसमें पीड़िता और उसकी माता द्वारा दिए गए साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया गया है । पीड़िता अभि. सा. 1 की माता और अभियुक्त की माता ताराचंद नामक व्यक्ति की सह-पत्नियां हैं । पति की मृत्यु के पश्चात् वे अपने मृतक पति के घर में अपने बच्चों सहित अलग-अलग रहने लगीं । अभियोजन साक्ष्य से सामान्य धारणा यह बनती है कि अभि. सा. महेन्द्र नाथ और इच्छो का परिसाक्ष्य जो पीड़िता के वास्तविक पैतृक चाचा हैं अर्थात् अभि. सा. 1 के पति के भाई हैं और उन दोनों महिलाओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की कमी है यद्यपि हमने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष का पृष्ठांकन नहीं किया है कि उन दोनों महिलाओं के बीच साबित शत्रुता थी । हमें यह उल्लेख करने में बाधा उत्पन्न होती है और इस बात को समझने में भी असमर्थ हैं कि अभियुक्त की माता को मामले में सामने क्यों नहीं लाया गया । यदि ऐसी कोई संवेदनशील घटना जिसमें उसका पुत्र और कुटुम्ब की अप्राप्तवय लड़की शामिल है । अभि. सा. 1 के अनुसार अभियुक्त की माता जो घटना के समय पर घर में मौजूद थी । तथापि, हम ऐसे किसी संकेत का पता नहीं लगा सकते जिससे कि इस बारे में उसके परिसाक्ष्य को न्यायसंगत रूप दे सकें कि उसने अभि. सा. महेन्द्र के पास जाने के बजाय अभियुक्त की माता को शिकायत क्यों नहीं की । (पैरा 18 और 19)

पीड़िता की माता और अभियुक्त की माता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की कमी होना और पहले शिकायत को करने में विफल होना या बाद में घटना की जानकारी को प्रकट नहीं करना, पर हमने सम्पूर्ण साक्ष्य की परीक्षा की है और हम विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध कारणों को रखने में अपने को सुरक्षित नहीं पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने पीड़िता और उसकी माता द्वारा दिए गए साक्ष्य का अवलंब क्यों नहीं लिया । वस्तुतः हमारा ध्यान इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर दिलाया गया जो विचारण न्यायालय की फाइल पर प्रकट है जो अभियोजन पक्षकथन के आधार को हिलाता-डुलाता है और घटना में अभियुक्त के शामिल होने के बारे में साक्ष्य की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है । (पैरा 20)

न्यायालय बलात्संग के मामले में पीड़िता के साक्ष्य के प्रामाणिक मूल्य और महत्व के बारे में सचेत है परन्तु उसका साक्ष्य चारों ओर की

परिस्थितियों को देखते हुए एकमात्र रूप से उस पर विचार नहीं किया जा सकता और न चारों ओर की परिस्थितियों की उपेक्षा की जा सकती है । पीड़िता के साक्ष्य से विश्वास प्रेरित होना चाहिए और उसे विश्वसनीय होना चाहिए । विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अभियुक्त की विचारण न्यायालय से दोषमुक्ति हुई है क्योंकि दोषमुक्ति निर्दोषिता की उपधारणा को बल देती है । यह सुस्थापित है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हुई है और उच्च न्यायालय को साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की पूरी शक्ति है जिस पर दोषमुक्ति आधारित की गई है, परन्तु सामान्यतः यह सुस्थापित है कि अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा विचारण न्यायालय द्वारा की गई उसकी दोषमुक्ति से भी बल मिलता है । मुरलीधर और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णयों की लम्बी शृंखला का सर्वेक्षण करने के पश्चात् संप्रकाशित निर्णय के पैरा 12 में अपने विचारों को प्रकट किया है जब दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार किया जाता है । (i) अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है और ऐसी उपधारणा को विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के पक्ष में दोषमुक्ति का आदेश पारित करने पर बल मिलता है, (ii) जब दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के गुणागुण पर विचार किया जाता है तब अभियुक्त व्यक्ति युक्तियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है, (iii) यद्यपि, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए अपील न्यायालय की शक्ति अत्यधिक है क्योंकि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में इसको शक्ति प्रदान की गई है परन्तु अपील न्यायालय सामान्यतः विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध तथ्य के निष्कर्ष पर बाधा डालने में अनिच्छुक होता है । ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विचारण न्यायालय को साक्षियों के आचरण पर विचार करने का फायदा दिया गया है । यदि विचारण न्यायालय मामले के तथ्यों पर युक्तियुक्त मत अपनाता है तब अपील न्यायालय का दोषमुक्ति के निर्णय पर हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है । जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष गलत न हों या विधि की दृष्टि में गलतियों पर आधारित हों या यदि ऐसे निष्कर्ष ऐसे आधार को अनुज्ञात करते हों जो संभवतः गंभीर अन्याय के परिणामस्वरूप हैं अपील न्यायालय की ओर से ऐसे निष्कर्षों पर हस्तक्षेप करने में अनिच्छा बरतना पूर्णतया न्यायसंगत है, और (iv) अपील न्यायालय का साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन करके भिन्न मत अपनाने और दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना मात्र इस कारण से न्यायसंगत नहीं है यदि

विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत संभव मत है । साक्ष्य का संतुलित मत पर विचारण न्यायालय के निर्णय में अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । (पैरा 22)

न्यायालय उपरोक्त कारणों तथा ऊपर जो भी चर्चा न्यायालय द्वारा की गई है, उस पर हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए दोषमुक्ति के निर्णय में कोई गलती या अवैधता प्रकट नहीं होती है जिस पर हम उनके मत से असहमत नहीं होते हैं । वस्तुतः हम यह भी कहना चाहते हैं कि विचारण न्यायालय के लिए यह सुरक्षित नहीं होगा कि अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि को अभिलिखित करने में पीड़िता और उसकी माता के वृत्तांत का अवलंब लें क्योंकि हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अभिकथित अपराध में अभियुक्त का अन्तर्वलन संदेह के परे साबित नहीं किया गया है । (पैरा 23)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] 2014 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2278 :
मुरलीधर और एक अन्य बनाम **कर्नाटक राज्य** । 22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2003 की दांडिक अपील सं. 47.

विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उधमपुर द्वारा तारीख 27 अगस्त, 2003 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री मीनाक्षी भतियाल, सरकारी अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जसबीर सिंह जसरोतिया, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल ने दिया ।

न्या. कोतवाल – राज्य सरकार ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उधमपुर द्वारा तारीख 27 अगस्त, 2003 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल की है जिसमें प्रत्यर्थी संजय कुमार ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) अपनी सौतेली बहन जिसकी आयु 7 वर्ष है, 9 मगहर, 2058 (तारीख 25 नवंबर, 2001) को उसके साथ बलपूर्वक मैथुन किए जाने के लिए रणबीर दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए उसका विचारण किए जाने के पश्चात् उसे दोषमुक्त कर दिया गया था ।

2. हमने मामले को सुना और उसका परिशीलन किया ।

3. बन्तो देवी (अभि. सा. 1) जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की, पीड़िता (अभि. सा. 2) की माता है । महेन्द्र नाथ (अभि. सा. 5) पीड़िता और अभियुक्त का चाचा है तथा उस सुसंगत समय पर वह गांव की पंचायत का सदस्य था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार 9 मगहर, 2058 (तारीख 25 नवंबर, 2001) लगभग 7/7.30 बजे अपराह्न अभियुक्त पीड़िता को इस बहाने से अपने पशु गृह में ले गया कि जब वह पशुओं को चारा देगा तो वह उस समय छड़ी को पकड़ेगी । अभियुक्त ने पशु गृह में पीड़िता से बलपूर्वक मैथुन किया और इस घटना को अभि. सा. 1 द्वारा देखा गया था जो पीड़िता की सिसकियों को सुनकर घटनास्थल पर पहुंची थी । अगले दिन अभि. सा. 1 ने मामले की रिपोर्ट अभि. सा. 5 को की जिसने कोई कार्रवाई नहीं की जिस पर अभि. सा. 1 ने तारीख 28 नवंबर, 2001 को पुलिस थाना बसंतगढ़ पर रिपोर्ट दर्ज की । उसकी रिपोर्ट पर रणबीर दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपराध को दर्ज किया गया था और जिसकी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 22/2001 है और मामले में अन्वेषण किया गया । डा. एस. ए. दुलिया (अभि. सा. 9) ने तारीख 28 नवंबर, 2002 को पीड़िता की चिकित्सीय विधिक परीक्षा की थी । अभियुक्त को 30 नवंबर, 2002 को गिरफ्तार किया गया था और तारीख 1 दिसंबर, 2002 को डा. राजेश गुप्ता (अभि. सा. 10) ने अभियुक्त की चिकित्सीय विधिक परीक्षा की । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् पुलिस ने रणबीर दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध किए जाने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया और जिस मामले को सेशन न्यायाधीश के न्यायालय, उधमपुर के समक्ष विचारण के लिए सुपुर्द कर दिया गया ।

4. अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने पीड़िता अभि. सा. 2 की परीक्षा करने के बावजूद 10 साक्षी अर्थात् बन्तो देवी (अभि. सा. 1), इच्छो (अभि. सा. 3), रामदास (अभि. सा. 4), महेन्द्र नाथ (अभि. सा. 5), जोगिन्दर पाल (अभि. सा. 6), रघुनन्दन, नायब तहसीलदार, बसन्तगढ़ (अभि. सा. 7), डा. दिनेश खजारिया (अभि. सा. 8), डा. एस. एल. दुलिया (अभि. सा. 9), डा. राजेश गुप्ता (अभि. सा. 10) तथा सहदेव सिंह, हैड कांस्टेबल (अभि. सा. 11) को विचारण पर पेश किया गया । विचारण

न्यायालय ने अभियुक्त के कथन को लेखबद्ध किया । अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में योगराज नामक व्यक्ति को पेश किया । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और अभिलेख का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकालते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया कि यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध सभी संदेहों के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है इसलिए यह अपील फाइल की गई ।

5. हम आक्षेपित मामले की सत्यता का निर्धारण करने के लिए संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने से पूर्व घटना के संबंध में अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे ।

6. पीड़िता (अभि. सा. 2) की आयु 7 वर्ष थी जब विचारण न्यायालय ने तारीख 29 जनवरी, 2002 को उसके कथन लेखबद्ध किए । विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री की प्रारंभिक परीक्षा करने के पश्चात् अपने समाधान को लेखबद्ध किया कि पीड़िता प्रश्नों को समझने में समर्थ है और सही-सही उत्तर देने में सक्षम है । उसने यह कथन किया कि अभियुक्त उसका सौतेला भाई है और वे एक ही मकान में अलग-अलग रहते हैं । घटना के दिन वह शाम को अपने कमरे में पढ़ रही थी और उसकी माता खाना बना रही थी । अभियुक्त उसके पास आया और उससे पशुओं को चारा देने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा । वह अभियुक्त के साथ पशुशाला गई जहां बिजली का प्रकाश था । अभियुक्त ने उसे नीचे गिरा दिया और उसका चेहरा ऊपर की ओर घुमा दिया । अभियुक्त ने उसकी सलवार उतार दी तथा अपनी पतलून भी उतारी और वह उसके ऊपर लेट गया और अपने अंग को उसके प्राइवेट भाग में प्रविष्ट किया और 8 या 10 बार प्रविष्ट किया । उसने काफी दर्द महसूस किया । उसने शोरगुल किया । उसके शोरगुल को सुनकर उसकी माता वहां पर पहुंची और उसने उसे देखा । अभियुक्त वहां से भाग गया । उसकी योनीच्छद रक्त नहीं निकला । उसकी माता उसे अन्दर ले गई । अगले दिन उसकी माता उसे महेन्द्र नाथ के पास ले गई जो उसका चाचा लगता है तथा उसे घटना की पूरी जानकारी दी । उसने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया । रात्रि में महेन्द्र नाथ ने उसकी माता को छड़ से पीटा भी था और उसने घटना के बारे में किसी व्यक्ति को भी बताने से मना किया । वे अगले दिन पुलिस थाने गए । पुलिस ने उसकी चिकित्सा परीक्षा की और उसकी सलवार को अभिगृहीत

किया । उसके सलवार पर कोई चिकनापन नहीं दिखाई दिया । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने अपने जीवन में अपने पिता को अपनी माता से अधिक सौतेली माता से प्यार करते देखा और उन्होंने उसकी सौतेली माता को अधिक सम्पत्ति दी थी । उसकी माता और सौतेली माता का आपस में अच्छा व्यवहार नहीं था । उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् उसकी सौतेली माता उनसे अलग रहने के लिए कहती थी । उन्होंने पिता की दुकान में कोई हिस्सेदारी नहीं ली थी । उनकी अभियुक्त से बोलचाल नहीं थी । अभियुक्त ने उसे उस कमरे से पकड़ा था जहां वह पढ़ रही थी । वह उसके कहने पर पशुशाला उसके साथ गई थी । अभियुक्त ने उसे पीटा नहीं था । वह तब रोई थी जब अभियुक्त ने उसे जमीन पर गिरा दिया और तब उसने अपनी माता को पुकारा जिस पर उसकी माता तत्काल उस स्थान पर पहुंच गई । उसने कोई शोरगुल नहीं किया और अभियुक्त भाग गया था तथा उसके पश्चात् उसकी माता ने शोरगुल किया । उसकी माता ने अभियुक्त का पीछा नहीं किया । उनका मकान एकान्त में था । अभियुक्त की माता न तो वहां पर आई और न उसे उक्त घटना के बारे में बताया गया । उसने स्वयं अपना कथन दिया है और उसे इस संबंध में उसकी माता द्वारा सिखाया पढ़ाया नहीं गया । उसकी माता ने उससे यह कहा था कि उसे न्यायालय में कथन देना चाहिए । उसकी माता ने उससे यह नहीं कहा कि उसे वैसा ही कथन देना चाहिए जो उसने पुलिस के समक्ष दिया था । पांच बजे अपराह्न उसकी माता के समक्ष पुलिस थाने में उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई थी । पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखी गई थी ।

7. बन्तो देवी (अभि. सा.1) ने यह कथन किया है कि शाम के 7 बजे वह खाना बना रही थी और उसकी पुत्री दूसरे कमरे में पढ़ रही थी । उसकी पुत्री ने पशुशाला में चीख-पुकार की इसलिए वह वहां गई । उसने यह देखा कि अभियुक्त उसकी पुत्री के ऊपर लेटा हुआ है और उसके साथ मैथुन कर रहा है । उसके देखने पर अभियुक्त भाग गया । पशुशाला में बिजली की रोशनी थी और उसकी पुत्री की सलवार का नाड़ा खुला हुआ था । उसने अपनी पुत्री की सलवार को खींचा और उसका नाड़ा बांधा और उसे घर के अन्दर ले गई । उसने रात्रि में किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में नहीं बताया तथा अगले दिन प्रातः वह महेन्द्र के पास गई जो पंचायत का सदस्य है और उसे घटना के बारे में बताया । महेन्द्र नाथ उस

पर हंसा और कहा कि वह मामले को दर्ज नहीं करेगा और यह भी कहा कि वह स्वयं मामले को दर्ज कर सकती है । वह उस दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकी । अगले दिन वह पीड़िता के साथ पुलिस थाना बसंतगढ़ पहुंची तथा रिपोर्ट दर्ज की और उस पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसकी पुत्री की चिकित्सीय जांच की गई तथा उसका सलवार अभिगृहीत किया गया । इस साक्षी ने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. बी. डी. तथा रिपोर्ट पी. डब्ल्यू. 1 की अन्तर्वस्तु को साबित किया । उसने मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त उसी मकान में अलग रहता है जिसमें वह रहती थी । अभियुक्त उसकी दूसरी पत्नी का पुत्र है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त उसके पति के प्रथम पत्नी का पुत्र है और उसके पति की भूमि संयुक्त रूप में है परन्तु वे भूमि को अलग-अलग जोतते हैं । वह और उसके पति की दूसरी पत्नी के पास उनके पति से मिली हुई समान भूमि है । अभियुक्त का बड़ा भाई दुकान चलाता है और वह दुकान में उसकी हिस्सेदारी के बदले 30,000/- रुपए उसको देता है । अभियुक्त के भाई ने पूरी दुकान अपने पास रखी है और वह दुकान की आधी कीमत 30,000/- रुपए का ऋणी है तथापि, उसने पिछले दो वर्ष से ऐसी कोई रकम नहीं दी है । उसके मकान के नजदीक 8/10 मकान हैं और उन मकान के मालिकों के नाम महेन्द्र और जोगिन्दर आदि हैं । जब घटनास्थल पर शोरगुल हुआ तब वहां पर काफी अन्धेरा था परन्तु उसने अभियुक्त की बिजली की रोशनी में पहचान की । पशुशाला उनके रहने के मकान के समीप थी, अभियुक्त की माता घटना के समय घर में मौजूद थी परन्तु उसका भाई वहां पर नहीं था केवल अभियुक्त और उसकी माता मकान में उस समय मौजूद थे । उसने अभियुक्त को देखकर शोरगुल किया परन्तु कोई भी बाहर नहीं आया और उसने अभियुक्त की माता से भी शिकायत की थी । उसने या उसकी पुत्री ने घटना के दिन घटना के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया । घटना के तीसरे दिन रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उसी दिन पुलिस ने उसकी पुत्री की चिकित्सीय परीक्षा की थी । पुलिस द्वारा पुलिस थाने पर डाक्टर को बुलाया गया था तथा चिकित्सा परीक्षा करने के पश्चात् वे पुलिस थाने से सीधे अपने घर वापस लौटे । अभि. सा. इच्छो वहां पर मौजूद थी जब उसने घटना के अगले दिन महेन्द्र नाथ को शिकायत की थी । महेन्द्र नाथ, उसका देवर (पति का छोटा भाई) और इच्छो उसके जेठ

(पति का बड़ा भाई) की पत्नी है । उसने अपनी पुत्री को देखा और रक्तरंजित कपड़े इच्छो को भी दिखाए । वह प्रातः 9 बजे महेन्द्र नाथ के पास गई थी और वहां पर दो घंटे रुकी । उसके पश्चात् वह अपने मकान पर वापस लौट आई और उसने उस दिन किसी भी व्यक्ति को घटना के बारे में नहीं बताया । 2-3 व्यक्ति अगले दिन रात्रि में उसकी हत्या करने के लिए आए थे जब उसने महेन्द्र नाथ को घटना के बारे में बताया था और जिस कारण वह पुलिस थाने पर गई थी । पंचायत के सदस्य ने अभियुक्त को यह सलाह दी कि वह रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी । पुलिस थाना उसके मकान से एक घन्टे की यात्रा की दूरी पर है । जब अपनी पुत्री को वह पुलिस थाने ले गई उसने वही कपड़े पहने थे जो उसने घटना के दिन भी पहने थे । वह वही कपड़े पहनकर घर लौटी थी । पुलिस ने अगले दिन उसके कपड़ों को अभिगृहीत किया । रामदास और कृष्णा कपड़ों को अभिगृहीत करते समय मौजूद थे और किसी भी गांव वाले को नहीं बुलाया गया था । किसी व्यक्ति ने जो पुलिस थाने के नजदीक निवास करता था, रिपोर्ट का प्रारूप बनाया गया था । जब रिपोर्ट लिखी गई थी तब कोई पुलिस कार्मिक मौजूद नहीं था । जेठूराम जो उसका जेठ (पति का बड़ा भाई) है, पुलिस में नौकरी करता है । उसने उसे घटना का वृत्तांत नहीं सुनाया । जब रिपोर्ट दर्ज की गई थी वह घर में मौजूद नहीं था ।

8. इच्छो (अभि. सा. 3) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है । तथापि, उसने पीड़िता और अभियुक्त के पैतृक चाचा के समक्ष इस बात को स्वीकार किया है । उसने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अभि. सा. बन्तो उसके पास नहीं आई परन्तु उसने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके पाजामा को अभिगृहीत किया था जो उसे रास्ते में दिखाई दी थी । उसने बचाव में प्रतिरक्षा करते हुए यह कथन किया है कि अभि. सा. बन्तो और अभियुक्त की माता के बीच आपसी संबंध ठीक नहीं हैं । अभियुक्त और उसके भाई के साथ पैसा संबंधी विवाद है । बन्तो के मकान में बिजली नहीं लगी हुई है ।

9. महेन्द्र नाथ (अभि. सा. 5) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है । उसने यह कथन किया है कि तारीख 9 मगहर को रात्रि में 8/9 बजे बन्तो उसके पास आई थी और उसने यह शिकायत की कि अभियुक्त के भाई केवल ने

उसके साथ दुर्व्यवहार किया है । वह अभियुक्त के मकान पर गया । अभियुक्त और उसकी माता वहां मौजूद थे । अभियुक्त कुछ पढ़ रहा था । उसने उसकी माता से केवल के बारे में पूछताछ की जिसने यह कहा कि केवल अपनी दुकान पर है और पिछले 4-5 दिन से वह वहां पर रुका हुआ है । तब उसने बन्तो से इस बारे में पूछा जब केवल घर में मौजूद नहीं है तो वह ऐसा अभिकथन क्यों कर रही है । इस पर बन्तो ने यह कहा कि अगर वह केवल नहीं है तो अभियुक्त संजय हो सकता है । उसने बन्तो की पुत्री को देखा है और उससे पूछताछ करने पर उसने यह कहा है कि उसकी माता द्वारा ऐसा कहने के लिए उसे सलाह दी गई थी । लड़की ने किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार का कोई कथन नहीं किया है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह स्वीकार किया है कि वह पंचायत का सदस्य था और उसने पुलिस के समक्ष जिस रीति में उसे सुझाव दिया गया था, उस बारे में अभिसाक्ष्य देने से इनकार किया है । उसने यह भी कथन किया है कि दोनों पक्षकारों से उसके संबंध सामान रूप से अच्छे हैं । उसने प्रतिरक्षा में अपने बचाव में यह कथन किया है कि बन्तो और अभियुक्त की माता के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और वे एक दूसरे के प्रति सदभावनापूर्ण व्यवहार नहीं रखते थे । उनके बीच धन संबंधी विवाद था । वह लड़के को देवस्थान (देवताओं के बैठने की जगह) ले गया था और घटना के बारे में उससे पूछताछ की जिसमें उसने यह कहा था कि उसकी माता ने उससे ऐसे कथन करने के लिए कहा था ।

10. हम चिकित्सकों द्वारा दिए गए साक्ष्य का भी उल्लेख कर सकते हैं जिन्होंने पीड़िता और अभियुक्त की परीक्षा की ।

11. चिकित्सक एस. एल. दुलिया (अभि. सा. 9) ने यह अभिकथन किया है कि तारीख 28 नवंबर, 2001 को वह बी. एम. ओ. बसंतगढ़ पर तैनात था और उसने पीड़िता की परीक्षा की थी । परीक्षा करने पर उसने यह पाया कि बलात्संग का प्रयास किया गया था, लड़की का योनिच्छद फटा हुआ था और उसकी योनि से रक्त निकल रहा था । उसके जांघों के चारों ओर खरोंच लगी हुई थी । इस साक्षी ने अपने द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. एस. आई. को भी साबित किया है जिसमें घटना के अन्तराल के बारे में 50-60 घंटे वर्णित किया गया है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना बसंतगढ़ से 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है । उसने अस्पताल में लड़की की परीक्षा की थी और उसकी जानकारी में वीर्य के धब्बे आए थे । लड़की

की परीक्षा चार बजे अपराह्न उसके द्वारा की गई थी । योनिच्छद का भंग हुआ था जिसमें अंगुली आदि घुस सकती थी ।

12. डा. राजेश गुप्ता (अभि. सा. 10) ने यह अभिकथन किया है कि उसने संजय कुमार पुत्र ताराचंद की परीक्षा की थी जो अपने कथन देने के समय पर मौजूद था और यह राय व्यक्त की है कि वह मैथुन करने में समर्थ है । उसने अपने द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. आर. जी. को साबित किया है जिसमें उसने यह राय व्यक्त की है कि ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि ऐसा व्यक्ति मैथुन कार्य नहीं कर सकता है ।

13. हम यहां पर एकमात्र प्रतिरक्षा साक्षी योगराज के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं । उसने यह कथन किया है कि ताराचंद की पहली पत्नी का नाम विमला है जो अभि. सा. 1 उसकी दूसरी पत्नी है । अभि. सा. 1 के अपने पति से अच्छे संबंध नहीं थे । अभि. सा. 1 ने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या मामला दर्ज किया है । घटना के बारे में उस समय बैठक में बुलाई गई थी और उसमें 12-15 व्यक्ति उपस्थित हुए थे । उस बैठक में अभि. सा. 1 भी उपस्थित हुई थी । उससे पूछताछ करने पर उसने यह कहा कि मामला मिथ्या है दुकान पर इसे बनाया गया । पीड़िता उस बैठक में भी पहुंची थी और उससे पूछताछ करने पर उसने यह कहा कि उसे उसकी माता द्वारा सिखाया-पढ़ाया गया है । अभियुक्त ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था । गांव के भाई-चारा द्वारा अभि. सा. 1 का बहिष्कार किया गया था । यह मामला दुकान के बारे में विवाद होने के कारण दर्ज किया गया था जो अभियुक्त के भाई द्वारा चलाई जानी थी । प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि महेन्द्र द्वारा बैठक बुलाई गई थी जो अभि. सा. 1 का जेठ है । बैठक में कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था । पुलिस मामले के बारे में जानकारी होने के बाद उसके द्वारा पुलिस के समक्ष कोई कथन नहीं किया गया था और न पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की गई थी ।

14. आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करने पर यह दर्शित होता है कि पीड़िता और उसकी माता द्वारा दिया गया साक्ष्य तथा चिकित्सक (अभि. सा. 9) द्वारा दिए गए साक्ष्य का विचारण न्यायालय द्वारा मिलान करने पर अभियोजन पक्षकथन संदेहपूर्ण पाया गया । इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने पीड़िता की माता और अभियुक्त की माता के बीच साबित शत्रुता का भी उल्लेख किया है । विचारण न्यायालय ने बचाव दलील का पक्ष लिया है कि अभि. सा. 1 ने नकदी और कुछ संपत्ति की हिस्सेदारी

करने के लिए अभियुक्त पक्षकारों का उत्पीड़न किया था और जिसके लिए उसकी पुत्री का एक यन्त्र के रूप में उपयोग किया गया था और पुलिस को आश्वस्त करने के लिए रिपोर्ट दर्ज की गई थी । विचारण न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथन में मिथ्यापन है । विचारण न्यायालय द्वारा किए गए टिप्पणी से यह सुस्पष्ट है कि पीड़िता की आयु 8 वर्ष से कम थी और उसके अनुसार कि अभियुक्त ने अपने पुरुष अंग को उसकी योनिच्छद में प्रवेश किया था और लगभग दो मिनट तक मैथुन किया था और यह मत व्यक्त किया कि ऐसे कार्य से उसके जननांगों पर गंभीर क्षतियां कारित होनी चाहिए थीं और उसे शारीरिक और मानसिक आघात भी पहुंचना चाहिए था तथा तत्काल चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए थी । आगे यह भी मत व्यक्त किया गया कि अभि. सा. 2 पीड़िता (नाम विलुप्त) के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उसके जननांगों से रक्त निकला हो । उसकी सलवार रक्तरंजित नहीं थी । विचारण न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य पर तथा पीड़िता की चिकित्सा विधि की रीति पर भी ध्यान देना चाहिए था क्योंकि मामले में डाक्टर का यह कथन है कि उन्होंने पीड़िता की परीक्षा करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि मामले में बलात्संग का प्रयास किया गया था और आगे उन्होंने यह कथन किया है कि योनिच्छद फटा हुआ था और उसमें रक्त जमा हुआ था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि :–

> "जब मामले की सभी परिस्थितियों, पीड़िता (अभि. सा. 2) के कथनों के बीच विचलन पर एक साथ विचार किया जाए जिसमें उसने यह कहा है कि उसके शरीर से रक्त नहीं निकला था परन्तु डाक्टर ने यह कहा है कि उसने पीड़िता का रक्त बहते हुए देखा । अस्पताल के अलावा पुलिस थाने में लड़की की परीक्षा किया जाना डाक्टर के निष्कर्ष के प्रकृति में विभेद प्रकट होता है और डाक्टर द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र में लड़की के पहचान का कोई चिह्न नहीं है और उसकी न्यायालय में भी पहचान नहीं की गई, इसलिए, अभियोजन पक्षकथन संदेह के घेरे के अन्तर्गत है ।"

15. विद्वान् सरकारी अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी भतियाल यह कहना चाहती है कि विचारण न्यायालय ने विशिष्ट रूप से अभि. सा. 1 और पीड़िता की माता अभि. सा. 2 के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में गलती की है । वह यह भी कहना चाहती है कि विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षकारों

के बीच शत्रुता की उपधारणा बिना उस बात को साबित किए या अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में लाए बिना की गई है । सुश्री मीनाक्षी ने यह कहा है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को अपनी बहन (सौतेली) के साथ बलात्संग के गंभीर आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया यद्यपि पीड़िता का परिसाक्ष्य आरोप को साबित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त है और फिर भी जिसे उसकी माता (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य द्वारा समर्थन मिला है जिन्होंने घटना को देखा था और उसकी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा संपुष्टि की गई थी ।

16. अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल श्री जसबीर सिंह जसरोतिया ने निर्णय का समर्थन किया है । उन्होंने उस रीति का पुरजोर समर्थन किया है जिसमें विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन किया 2008 (3) सी. सी. सी. 676 (एस. सी.), 2009 (3) सी. सी. सी. 630 (एस. सी.), 2005 (1) और उच्चतम न्यायालय निर्णय 308 (एस. सी.) और 2008 (2) सी. सी. सी. 495 (एस. सी.) में प्रकाशित निर्णयों का अवलंब लिया है ।

17. पीड़िता (अभि. सा. 2) और उसकी माता (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य घटना के प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में हैं । प्रथमतः इस प्रश्न का अवधारण किया जाना चाहिए कि क्या पीड़िता और उसकी माता के साक्ष्य का विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया होगा और यदि इनका अवलंब लिया जाता तो क्या सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त है ।

18. साक्ष्य का पुनर्विलोकन करते हुए हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारणों के विचारों से सहमत हैं जिसमें पीड़िता और उसकी माता द्वारा दिए गए साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया गया है ।

19. पीड़िता अभि. सा. 1 की माता और अभियुक्त की माता ताराचंद नामक व्यक्ति की सह-पत्नियां हैं । पति की मृत्यु के पश्चात् वे अपने मृतक पति के घर में अपने बच्चों सहित अलग-अलग रहने लगीं । अभियोजन साक्ष्य से सामान्य धारणा यह बनती है कि अभि. सा. महेन्द्र नाथ और इच्छो का परिसाक्ष्य जो पीड़िता के वास्तविक पैतृक चाचा हैं अर्थात् अभि. सा. 1 के पति के भाई हैं और उन दोनों महिलाओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की कमी है यद्यपि हमने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष का पृष्ठांकन नहीं किया है कि उन दोनों महिलाओं के बीच साबित शत्रुता थी । हमें यह उल्लेख

करने में बाधा उत्पन्न होती है और इस बात को समझने में भी असमर्थ हैं कि अभियुक्त की माता को मामले में सामने क्यों नहीं लाया गया । यदि ऐसी कोई संवेदनशील घटना जिसमें उसका पुत्र और कुटुम्ब की अप्राप्तवय लड़की शामिल हैं । अभि. सा. 1 के अनुसार अभियुक्त की माता जो घटना के समय पर घर में मौजूद थी । तथापि, हम ऐसे किसी संकेत का पता नहीं लगा सकते जिससे कि इस बारे में उसके परिसाक्ष्य को न्यायसंगत रूप दे सकें कि उसने अभि. सा. महेन्द्र के पास जाने के बजाय अभियुक्त की माता को शिकायत क्यों नहीं की ।

20. पीड़िता की माता और अभियुक्त की माता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की कमी होना और पहले शिकायत को करने में विफल होना या बाद में घटना की जानकारी को प्रकट नहीं करना, पर हमने सम्पूर्ण साक्ष्य की परीक्षा की है और हम विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध कारणों को रखने में अपने को सुरक्षित नहीं पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने पीड़िता और उसकी माता द्वारा दिए गए साक्ष्य का अवलंब क्यों नहीं लिया । वस्तुतः हमारा ध्यान इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर दिलाया गया जो विचारण न्यायालय की फाइल पर प्रकट है जो अभियोजन पक्षकथन के आधार को हिलाता-डुलाता है और घटना में अभियुक्त के शामिल होने के बारे में साक्ष्य की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है ।

21. पुलिस थाना बसंतगढ़ में रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू बी. डी. को दर्ज करते समय अभि. सा. 1 जो पीड़िता के साथ गई हुई थी, ने यह कथन किया है कि अभियुक्त इस बहाने से पीड़िता को अपने साथ ले गया था कि जब पशुओं को चारा देगा तब वह उस समय उसकी छड़ को पकड़ेगी । यह भी दर्शित होता है कि पशुशाला में किसी तरह का कोई प्रकाश नहीं था । इस बात के विरुद्ध पीड़िता ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने परिसाक्ष्य में यह कहा कि अभियुक्त ने उससे यह कहा था कि पशुओं को चारा देने के लिए वह उसके साथ चले । वह पशुशाला में उसके साथ चली गई जहां बिजली जली हुई थी । इसी भांति पीड़िता की माता अभि. सा. 1 ने यह कहा है कि पशुशाला में बिजली जली हुई थी और प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि उस समय काफी अंधेरा था, परन्तु उसने बिजली के प्रकाश में अभियुक्त की पहचान की थी । अभियोजन पक्षकथन का यह आधार है कि अभियुक्त पीड़िता को कामुकता के कारण इस बहाने से पशुशाला ले गया कि वह पशुओं को चारा देते समय उसकी छड़ को पकड़े

रखेगी और इस बात से पीड़िता और उसकी माता द्वारा कही गई बात पर संदेह प्रकट होता है कि पशुशाला में बिजली थी और पीड़िता की माता ने बिजली के प्रकाश में अभियुक्त की पहचान की थी ।

22. हम बलात्संग के मामले में पीड़िता के साक्ष्य के प्रामाणिक मूल्य और महत्व के बारे में सचेत हैं परन्तु उसका साक्ष्य चारों ओर की परिस्थितियों को देखते हुए एकमात्र रूप से उस पर विचार नहीं किया जा सकता और न चारों ओर की परिस्थितियों की उपेक्षा की जा सकती है । पीड़िता के साक्ष्य से विश्वास प्रेरित होना चाहिए और उसे विश्वसनीय होना चाहिए । विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अभियुक्त की विचारण न्यायालय से दोषमुक्ति हुई है क्योंकि दोषमुक्ति निर्दोषिता की उपधारणा को बल देती है । यह सुस्थापित है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हुई है और उच्च न्यायालय को साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की पूरी शक्ति है जिस पर दोषमुक्ति आधारित की गई है, परन्तु सामान्यतः यह सुस्थापित है कि अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा विचारण न्यायालय द्वारा की गई उसकी दोषमुक्ति से भी बल मिलता है । **मुरलीधर और एक अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णयों की लम्बी शृंखला का सर्वेक्षण करने के पश्चात् संप्रकाशित निर्णय के पैरा 12 में अपने विचारों को प्रकट किया है जब दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार किया जाता है :–

> 12. (i) अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है और ऐसी उपधारणा को विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के पक्ष में दोषमुक्ति का आदेश पारित करने पर बल मिलता है, (ii) जब दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के गुणागुण पर विचार किया जाता है तब अभियुक्त व्यक्ति युक्तियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है, (iii) यद्यपि, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए अपील न्यायालय की शक्ति अत्यधिक हैं क्योंकि दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में इसको शक्ति प्रदान की गई है परन्तु अपील न्यायालय सामान्यतः विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध तथ्य के निष्कर्ष पर बाधा डालने में अनिच्छुक होता है । ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विचारण न्यायालय को साक्षियों के आचरण पर विचार करने

[1] 2014 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2278.

का फायदा दिया गया है । यदि विचारण न्यायालय मामले के तथ्यों पर युक्तियुक्त मत अपनाता है तब अपील न्यायालय का दोषमुक्ति के निर्णय पर हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है । जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष गलत न हों या विधि की दृष्टि में गलतियों पर आधारित हों या यदि ऐसे निष्कर्ष ऐसे आधार को अनुज्ञात करते हों जो संभवतः गंभीर अन्याय के परिणामस्वरूप हैं अपील न्यायालय की ओर से ऐसे निष्कर्षों पर हस्तक्षेप करने में अनिच्छा बरतना पूर्णतया न्यायसंगत है, और (iv) अपील न्यायालय का साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन करके भिन्न मत अपनाने और दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना मात्र इस कारण से न्यायसंगत नहीं है यदि विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत संभव मत है । साक्ष्य का संतुलित मत पर विचारण न्यायालय के निर्णय में अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

23. हम उपरोक्त कारणों तथा ऊपर जो भी चर्चा हमारे द्वारा की गई है, उस पर हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए दोषमुक्ति के निर्णय में कोई गलती या अवैधता प्रकट नहीं होती है जिस पर हम उनके मत से असहमत नहीं होते हैं । वस्तुतः हम यह भी कहना चाहते हैं कि विचारण न्यायालय के लिए यह सुरक्षित नहीं होगा कि अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि को अभिलिखित करने में पीड़िता और उसकी माता के वृत्तांत का अवलंब लें क्योंकि हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अभिकथित अपराध में अभियुक्त का अन्तर्वलन संदेह के परे साबित नहीं किया गया है ।

24. ऊपर उल्लिखित बातों के आधार पर हम इस अपील को खारिज करते हैं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय को कायम रखते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

मोहम्मद अब्दुल कय्यूम उर्फ **सेलिम**

बनाम

त्रिपुरा राज्य

तारीख 1 सितंबर, 2014

न्यायमूर्ति एस. सी. दास

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279 और 304क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 9] – अभियुक्त द्वारा असावधानी से गाड़ी चलाकर मृतका की मृत्यु कारित किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा घटनास्थल पर ही अभियुक्त को पकड़ लिया जाना और न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को पहचान लिया जाना उसे दंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त है ।

इत्तिलाकर्ता तारीख 30 जुलाई, 2003 को प्रातःकाल लगभग 7.45 बजे अपने पिता और बहन के साथ ट्यूईचिन्द्राई बाजार में एक चाय की दुकान के सामने अगरतला जाने के लिए किसी वाहन के प्रबंध के प्रयोजनार्थ खड़ा था । उसी समय एक मारुती कार असामान्य रूप से तीव्र गति के साथ अगरतला की ओर से आई और रेखा भौमिक को सड़क के किनारे की तरफ से टक्कर मार दी और तत्पश्चात् वाहन ने बिजली के एक खम्भे को टक्कर मारी और वहीं पर खड़ा हो गया । दुर्घटना के कारण रेखा भौमिक ने गंभीर रूप से रक्तस्राव के साथ होने वाली क्षति बर्दाश्त की थी और वह सड़क पर गिर पड़ी । उसको तेलियामुरा अस्पताल ले जाया गया था जहां से उसको जी. बी. अस्पताल को निर्दिष्ट कर दिया गया था किंतु जी. बी. अस्पताल के मार्ग में ही क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । मृतका रेखा भौमिक के भाई विकास भौमिक ने तेलियामुरा के भारसाधक अधिकारी के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और तद्नुसार तेलियामुरा पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279/304क के अधीन 2003 का मामला संख्या 93 रजिस्ट्रीकृत हुआ और पुलिस ने अन्वेषण के पश्चात् याची-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल कर दिया । अभियुक्त का परीक्षण भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279 और 304क के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के अधीन किया गया जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का सामना करने का दावा किया ।

विद्वान् सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याची-अभियुक्त को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों के बाबत दोषी पाया और भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अधीन छः माह का कठोर कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर साधारण कारावास भोगने और एक हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर तीन माह का साधारण कारावास भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया । उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 304क के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने के द्वारा भी दंडादिष्ट किया गया था । विद्वान् सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त-याची के चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) के रद्दकरण के लिए भी निदेशित किया था । याची-अभियुक्त ने इससे व्यथित महसूस करते हुए 2005 की दांडिक अपील संख्या 3(3) फाइल की और पश्चिमी त्रिपुरा के खोवाई के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने तारीख 6 अक्तूबर, 2005 के आक्षेपित निर्णय द्वारा दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को मान्य ठहराया किंतु याची-अभियुक्त के चालन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के संबंध में विद्वान् सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त कर दिया । इसलिए यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है । पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – सामान्यतया इस न्यायालय से किसी पुनरीक्षण आवेदन में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाए कि किसी विशिष्ट तथ्य के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष तर्कविरुद्ध है । चूंकि श्री पाल द्वारा निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय और साथ ही अपील न्यायालय अभियुक्त की पहचान के संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विफल रहे, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया । जैसाकि मैंने निष्कर्ष निकाला है, अभि. सा. 1, 2 और 3 दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे । उन सभी ने अभिकथित किया है कि वाहन की गति तीव्र थी और उसने सड़क के किनारे की तरफ मृतका रेखा भौमिक को टक्कर मारी थी और वहीं पर रुक गया था । अभियुक्त को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ लिया गया था और उन्होंने कठघरे में अभियुक्त को पहचान लिया था । वे नैसर्गिक रूप से विचारण के समय अभियुक्त का नाम नहीं ले सकते थे चूंकि वे अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे । यान के स्वामी अभि. सा. 4 ने अभिकथित किया है कि अभियुक्त सुसंगत समयबिंदु

पर यान का स्वामी था और यान की चाबी उसी के पास थी । उसने केवल यह अभिकथित किया है कि वह नहीं जानती कि दुर्घटना के समय यान कौन चला रहा था । वह दुर्घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं थी । नैसर्गिक रूप से वह नहीं कह सकती कि दुर्घटना के समय यान कौन चला रहा था किंतु उसने सुस्पष्टतया कथन किया है कि अभियुक्त ही नियुक्त चालक था और यान की चाबी उसी के पास थी । अभियुक्त ने कहीं पर भी यह अभिकथित नहीं किया है कि दुर्घटना के समय यान के चालन चक्के (स्टेयरिंग) पर कोई अन्य व्यक्ति था । अतः इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त ही दुर्घटना के समय यान चला रहा था । मैं इन परिस्थितियों में विद्वान् कांउसेल श्री पाल के इस निवेदन के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कुछ भी नहीं पाता कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उसकी पहचान साबित नहीं हुई है । किसी अन्य बिंदु पर कोई अन्य दलील नहीं दी गई है । मैं विद्वान् काउंसेल श्री पाल द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर निर्णय में मध्यक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता । विचारण न्यायालय द्वारा पारित और अपील न्यायालय द्वारा पुष्ट निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध तर्कपूर्ण साक्ष्य और सामग्री पर आधारित पाया जाता है । (पैरा 11)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 163.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन याचिका ।

याची की ओर से श्री ए. के. पाल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री ए. घोष (लोक अभियोजक)

आदेश

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 सपठित धारा 401 के अधीन फाइल किया गया यह पुनरीक्षण आवेदन 2005 की दांडिक अपील संख्या 3(3) में पश्चिमी त्रिपुरा के खोवाई के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 6 अक्तूबर, 2005 के दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश, जिसके अधीन विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने 2003 के मामला संख्या जी. आर. 241 में खोवाई के विद्वान् सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 1 अगस्त, 2005 के दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को मान्य ठहराया, के विरुद्ध निदेशित है ।

2. दोषसिद्ध याची की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री ए. के. पाल और राज्य प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् लोक अभियोजक को

सुना ।

3. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 30 जुलाई, 2003 को प्रातःकाल लगभग 7.45 बजे इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 1 विकास भौमिक अपने पिता और बहन रेखा भौमिक आयु 21 वर्ष के साथ ट्यूईचिन्द्राई बाजार में एक चाय की दुकान के सामने अगरतला जाने के लिए किसी वाहन के प्रबंध के प्रयोजनार्थ खड़ा था । उसी समय एक मारुती कार जिसका वाहन सं. टी. आर. 01-एफ-0393 था और जो असामान्य रूप से तीव्र गति के साथ अगरतला की ओर से आ रही थी ने रेखा भौमिक को सड़क के किनारे की तरफ से टक्कर मार दी और तत्पश्चात् वाहन ने बिजली के एक खम्भे को टक्कर मारी और वहीं पर खड़ा हो गया । दुर्घटना के कारण रेखा भौमिक ने गंभीर रूप से रक्तस्राव के साथ होने वाली क्षति बर्दाश्त की थी और वह सड़क पर गिर पड़ी । उसको तेलियामुरा अस्पताल ले जाया गया था जहां से उसको जी. बी. अस्पताल को निर्दिष्ट कर दिया गया था किंतु जी. बी. अस्पताल के मार्ग में ही क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । मृतका रेखा भौमिक के भाई विकास भौमिक ने तेलियामुरा के भारसाधक अधिकारी के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और तद्नुसार तेलियामुरा पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279/304क के अधीन 2003 का मामला संख्या 93 रजिस्ट्रीकृत हुआ और पुलिस ने अन्वेषण के पश्चात् याची अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल कर दिया ।

4. अभियुक्त का परीक्षण भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279 और 304क के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के अधीन किया गया जिसके लिए उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का सामना करने का दावा किया ।

5. अभियोजन ने विचारण के दौरान सात साक्षियों का परीक्षण कराया ।

6. तत्पश्चात्, अभियुक्त का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किया गया और जब उसको अवसर प्रदान किया गया तो उसने किसी भी प्रतिरक्षा साक्षी का परीक्षण कराने से इनकार कर दिया । प्रतिरक्षा पक्ष का पक्षकथन और कुछ नहीं बल्कि अभियोजन के पक्षकथन से इनकार का है ।

7. विद्वान् सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याची-अभियुक्त को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों के बाबत दोषी पाया और भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अधीन छः माह का कठोर कारावास भोगने और 1,000/-

रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर साधारण कारावास भोगने और एक हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर तीन माह का साधारण कारावास भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया । उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 304क के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने के द्वारा भी दंडादिष्ट किया गया था । विद्वान् सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त-याची के चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) के रद्दकरण के लिए भी निदेशित किया था ।

8. याची-अभियुक्त ने इससे व्यथित महसूस करते हुए 2005 की दांडिक अपील संख्या 3(3) फाइल की और पश्चिमी त्रिपुरा के खोवाई के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने तारीख 6 अक्तूबर, 2005 के आक्षेपित निर्णय द्वारा दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को मान्य ठहराया किंतु याची-अभियुक्त के चालन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के संबंध में विद्वान् सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त कर दिया । इसलिए यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है ।

9. याची-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री. के. पाल ने निवेदन किया कि अभियोजन विचारण के समय अभियुक्त की पहचान साबित कर पाने में विफल रहा है और विचारण न्यायालय और साथ ही अपील न्यायालय, दोनों अभियुक्त की पहचान के संबंध में तथ्यों का मूल्यांकन करने में विफल रहे हैं और इस तर्कविरुद्ध निर्णय पर पहुंच गए । मात्र इस आधार पर ही दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश मान्य नहीं ठहराया जा सकता और इसलिए विद्वान् काउंसेल ने याची-अभियुक्त के दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की ।

10. इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि उन साक्षियों, जिनका परीक्षण अभियोजन द्वारा किया गया, में से अभि. सा. 1, 2 और 3 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे । वे चालक को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे जो नैसर्गिक भी था, किंतु विचारण के समय उन तीन साक्षियों ने अभियुक्त को कठघरे में पहचान लिया था । अभि. सा. 4 वाहन का स्वामी है और उसने स्पष्टतया अभिकथित किया है कि अभियुक्त दुर्घटना के समय वाहन का नियुक्त चालक था । अभि. सा. 5, अभि. सा. 4 का पति है और उसने अभिकथित किया है कि उसने पुलिस थाना के समक्ष वाहन के समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और उनको अन्वेषण के

अनुक्रम के दौरान अभिगृहीत कर लिया गया था । इसलिए विद्वान् लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्टतया साबित हो जाता है कि अभियुक्त ही अभिकथित घटना के समय वाहन का चालक था और इसलिए विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश जिसकी पुष्टि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा की गई, की पुष्टि की जाए ।

11. मैंने खोवाई के विद्वान् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश, जिसकी पुष्टि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा दांडिक अपील में की जा चुकी है, का श्रमसाध्यतापूर्वक परिशीलन किया । सामान्यतया इस न्यायालय से किसी पुनरीक्षण आवेदन में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाए कि किसी विशिष्ट तथ्य के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष तर्कविरुद्ध है । चूंकि श्री पाल द्वारा निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय और साथ ही अपील न्यायालय अभियुक्त की पहचान के संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विफल रहे, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया । जैसाकि मैंने निष्कर्ष निकाला है, अभि. सा. 1, 2 और 3 दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे । उन सभी ने अभिकथित किया है कि वाहन की गति तीव्र थी और उसने सड़क के किनारे की तरफ मृतका रेखा भौमिक को टक्कर मारी थी और वहीं पर रुक गया था । अभियुक्त को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ लिया गया था और उन्होंने कठघरे में अभियुक्त को पहचान लिया था । वे नैसर्गिक रूप से विचारण के समय अभियुक्त का नाम नहीं ले सकते थे चूंकि वे अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे । यान के स्वामी अभि. सा. 4 ने अभिकथित किया है कि अभियुक्त सुसंगत समयबिंदु पर यान का स्वामी था और यान की चाबी उसी के पास थी । उसने केवल यह अभिकथित किया है कि वह नहीं जानती कि दुर्घटना के समय यान कौन चला रहा था । वह दुर्घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं थी । नैसर्गिक रूप से वह नहीं कह सकती कि दुर्घटना के समय यान कौन चला रहा था किंतु उसने सुस्पष्टतया कथन किया है कि अभियुक्त ही नियुक्त चालक था और यान की चाबी उसी के पास थी । अभियुक्त ने कहीं पर भी यह अभिकथित नहीं किया है कि दुर्घटना के समय यान के चालन चक्के (स्टेयरिंग) पर कोई अन्य व्यक्ति था । अतः इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त ही दुर्घटना के समय यान चला रहा था ।

मैं इन परिस्थितियों में विद्वान् काउंसेल श्री पाल के इस निवेदन के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कुछ भी नहीं पाता कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उसकी पहचान साबित नहीं हुई है । किसी अन्य बिंदु पर कोई अन्य दलील नहीं दी गई है । मैं विद्वान् काउंसेल श्री पाल द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर निर्णय में मध्यक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता । विचारण न्यायालय द्वारा पारित और अपील न्यायालय द्वारा पुष्ट निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध तर्कपूर्ण साक्ष्य और सामग्री पर आधारित पाया जाता है ।

12. विद्वान् काउंसेल श्री पाल ने आगे निवेदन किया कि अभियुक्त-याची ने अपील खारिज किए जाने के पश्चात् खोवाई के विद्वान् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष तारीख 27 जनवरी, 2006 को अभ्यर्पण कर दिया है और उसको दंडादेश भोगने के लिए जेल भेज दिया गया है । उसको पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए जाने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् तारीख 9 मार्च, 2006 को जमानत पर निर्मुक्त कर दिया गया था । इसलिए चूंकि उसने अभिरक्षा में लगभग 41 दिन पहले ही व्यतीत कर लिए हैं उसको उसी अवधि का कारावास भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया जा सकता है जो उसने जेल अभिरक्षा में पहले ही भोग लिया है ।

13. अभियुक्त के अंधाधुंध और लापरवाहीपूर्ण कार्य के कारण एक निर्दोष युवती का जीवन चला गया जिसकी आयु लगभग 21 वर्ष थी । इसलिए मैं ऐसी कोई उदारता दर्शित करने का कोई न्यायोचित्य कतई नहीं पाता जिसकी याचना विद्वान् काउंसेल श्री पाल द्वारा की गई ।

14. अभियुक्त को जुर्माने के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अधीन छः माह का कठोर कारावास और पुनः भारतीय दंड संहिता की धारा 304क के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । विचारण न्यायालय ने पहले ही निर्देशित किया है कि दोनों दंड साथ-साथ चलेंगे । इन परिस्थितियों में इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियुक्त पहले ही विगत दस वर्षों से मानसिक पीड़ा और घोर व्यथा से पीड़ित है, मैं समझता हूं कि दोनों धाराओं अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279 और 304क के अधीन अपराध के कारण के लिए एक वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना और जुर्माना के संदाय में चूक होने पर तीन माह के साधारण करावास का दंड न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति कर देगा ।

15. तद्नुसार एतद्द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि दोषसिद्ध याची अब्दुल कय्यूम **उर्फ** सेलिम भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304क के अधीन एक वर्ष के कठोर कारावास का समेकित दंडादेश भोगेगा और पांच हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करेगा और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर तीन माह का साधारण कारावास भोगेगा ।

16. जुर्माना की राशि वसूल हो जाने पर आहत के नातेदारों को दी जाएगी ।

17. कारावास की अवधि जिसको याची पहले ही भोग चुका है, घटा दी जाएगी ।

18. निचले न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की एक प्रति के साथ वापस भेज दिया जाए ।

पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया गया ।

शु.

(2015) 1 दा. नि. प. 82 **पटना**

रामदेव साहनी

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 12 फरवरी, 2014

न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना प्रकाश

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 441 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता का प्रपत्र 45] – धारा 437(3)(क), 441क, 437(1)(ii) और धारा 437(3)(ख) – प्रतिभू-न्यायालयों को नैत्यिक रूप से मौद्रिक प्रतिभुओं पर जोर नहीं देना चाहिए और दुर्भर शर्तें अधिरोपित नहीं करनी चाहिए – बंधपत्र पर्याप्तता होता है अतः न्यायालय उपनिधाताओं (जमानतदारों) की पर्याप्तता के सुबूत में शपथपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम होते हैं ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 437(2) के अधीन ऐसे मामलों में जो दंड संहिता की धारा 498क के अधीन नहीं आते, मजिस्ट्रेट को,

अभियुक्त को अनंतिम रूप से जमानत पर निर्मुक्त करने की शक्ति देता है तथा ऐसे मामलों में धारा 437(2) के अधीन मजिस्ट्रेट को व्यापक विवेक प्रयोग करने के लिए विधि आयोग को भी उक्त धारा में संशोधन करने के लिए सुझाव दिया जाता है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क [सपठित धारा 437(2)] – किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता किया जाना – न्यायालय की उत्सुकता सुलह की प्रक्रिया आरंभ करने और परिवार का हित संरक्षित करने की होनी चाहिए – ऐसे मामलों में अभियुक्तों को नैत्यिक रूप से कारागार में रखे जाने से विरत रहना चाहिए और कारागार तभी भेजा जाना चाहिए जब आरोप अत्यधिक गंभीर प्रकृति के हों ।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा याचियों को मामले के गुणागुण पर विचारोपरांत और उल्लिखित शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान की गई थी । शर्तें यह थीं कि (क) उपनिधाताओं (जमानतदारों) में से एक याचियों का निकट रूप से नातेदार होगा जो वंशक्रम का विवरण देते हुए इस बाबत शपथपत्र फाइल करेगा कि वह याचियों से किस प्रकार से संबंधित है । साथ ही उपनिधाता (जमानतदार) याची के पते में किसी परिवर्तन के बारे में न्यायालय को सूचित करेगा; (ख) शपथपत्र में स्पष्ट रूप से अभिकथित किया जाएगा कि याची किसी अन्य मामले में अभियुक्त नहीं है और यदि वह अभियुक्त है तो उसको जमानत पर निर्मुक्त नहीं किया जाएगा ; (ग) उपनिधाता (जमानतदार) शपथपत्र में यह भी अभिकथित करेगा कि यदि वह वर्तमान मामले में निर्मुक्ति के पश्चात् इसी प्रकृति के किसी अन्य मामले में अंतर्वलित हो जाता है तो वह न्यायालय को सूचित करेगा और तत्पश्चात् निचला न्यायालय दुरुपयोग के आधार पर जमानत के रद्दकरण के प्रयोजनार्थ कार्यवाही आरंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा; (घ) याची इस बाबत एक वचनबंध फाइल करेगा कि वह निश्चित तारीख पर पुलिस के कागजात प्राप्त करेगा और आरोप के निर्धारण के लिए निश्चित तारीख पर उपस्थित रहेगा और यदि वह इस बाबत निश्चित की गई दो तारीखों पर ऐसा करने में विफल रहता है और किसी भी प्रकार से विचारण को विलंबित करता है तो उसकी जमानत दुरुपयोग के कारण रद्द किए जाने योग्य होगी ; (ङ) याची का प्रतिनिधित्व प्रत्येक तारीख पर भलीभांति किया जाएगा और यदि वह लगातार दो तारीखों पर ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी जमानत रद्द किए जाने योग्य होगी ; (च) याची के विद्वान्

काउंसेल ने निवेदन किया कि उसको स्थानीय पुलिस, जो उसके विरुद्ध है, की पहल पर बारंबार अंतर्वलित किया गया है और उसने एक ऐसे व्यक्ति के संरक्षण की ईप्सा की जो क्षेत्र में सामाजिक सेवा करने के लिए सुविख्यात हो । इन परिस्थितियों में याची पटना के बिहार कार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष श्री किशोर कुमार को अंतरिम जमानत पर निर्मुक्ति के पंद्रह दिनों के भीतर सूचित करेगा और छः माह की अवधि तक ऐसा करता रहेगा और इसके बाबत अनुध्यात अवधि के भीतर न्यायालय में प्रमाणपत्र फाइल करेगा । यदि याची प्रमाणपत्र फाइल कर पाने में विफल रहता है तो, उसको उसकी जमानत के रद्दकरण के बाबत सूचित किया जाएगा, (ii) याची द्वारा सूचित किए जाने के पश्चात् श्री किशोर कुमार से एक ऐसी पद्धति विकसित किए जाने का अनुरोध किया जाता है जिसके द्वारा याची को उसके वर्तमान पेशे को प्रभावित किए बिना सामाजिक रूप से उपयोगी बनाया जा सके जिससे कि उसको समाज की मुख्यधारा में वापस लाने का प्रयास किया जा सके और (iii) छः माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, याची से अपेक्षा की जाएगी कि वह श्री किशोर कुमार द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र को निचले न्यायालय के समक्ष फाइल करे । यदि याची को प्रदान किए गए प्रमाणपत्र संतोषजनक पाया जाता है तो निचला न्यायालय याची को प्रदान की गई अंतरिम जमानत की पुष्टि कर देगा अन्यथा जमानत के रद्दकरण के लिए नोटिस जारी करेगा । (छ) याची कारागार की अभिरक्षा से निर्मुक्त किए जाने से 15 दिनों के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक माह की 15वीं तारीख तक निचले न्यायालय में प्रतिमास 500/- रुपए जमा करते रहने की इच्छा व्यक्त करता है जिसको याची की पत्नी पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आहरित करने के लिए स्वतंत्र होगी । निचला न्यायालय वर्तमान आदेश के बारे में याची की पत्नी को सूचित करेगा । तथापि, यदि शिकायतकर्ता/इत्तिलाकर्ता का कोई बैंक खाता है या वह बाद में कोई बैंक खाता खोल लेता है, तो धन उसके बैंक खाते में जमा किया जाएगा और इस बाबत जारी की गई रसीद निचले न्यायालय में प्रत्येक माह की 15वीं तारीख तक जमा की जाएगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी जमानत अपने आप निरस्त हो जाएगी । याची को उसके पूर्ववृत्त को दृष्टि में रखते हुए उसकी निर्मुक्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर और तत्पश्चात् अगले नौ माह तक प्रत्येक दो सप्ताह में एक बार इस आदेश के साथ सहरसा के पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किया जाता है । इस अवधि के दौरान याची के आचरण पर संबद्ध पुलिस अधीक्षक द्वारा नजर रखी जाएगी और यदि पाया

जाता है कि वह मामले में किसी भी प्रकार से वांछित है तो उसके द्वारा संबद्ध न्यायालय में जमानत के दुरुपयोग के कारणवश जमानत के रद्दकरण के लिए कार्यवाही आरंभ किए जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी । पुलिस अधीक्षक को सूचित किए जाने के पश्चात् याची द्वारा संबद्ध न्यायालय के समक्ष एक प्रमाणपत्र फाइल किया जाएगा । जब यह न्यायालय मामला सुन रहा था तब न केवल इसको इस बात पर आश्चर्य हुआ था कि वादकारी को ऊपरवर्णित जैसे मामलों में जमानत के लिए उच्च न्यायालय की यात्रा करनी पड़ी किंतु यह न्यायालय यह अवेक्षित करके भी क्रोधित हुआ था कि निचले न्यायालयों ने नित्यकर्म के तौर पर जमानत प्रदान करने से इनकार करने की आदत बना ली है और इस बात को महसूस किया कि इस समस्या, जिसने न्यायिक प्रणाली के अंतरालों (तंत्र के भीतरी भागों) को ही नष्ट कर दिया है, पर विचार किया जाना चाहिए । इस न्यायालय ने इस बात को भी आवश्यक महसूस किया कि विभिन्न शर्तें अधिरोपित किए जाने के लिए कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए और इसलिए इस मामले पर विचार किया जा रहा है । मामले पर आदेश पारित करते हुए,

अभिनिर्धारित – सभी मजिस्ट्रेटों को निदेशित किया जाता है कि वे नैत्यिक रूप से मौद्रिक प्रतिभुओं पर जोर न दें और न ही दुर्भर शर्तें निर्धारित करें । दस्तावेज जैसेकि मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/बी. पी. एल./राशन कार्ड और ऐसे अन्य कागजात अभियुक्त/उपनिधाता (जमानतदार) की विश्वसनीयता के बाबत उनको संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए । आगे, दांडिक न्यायालयों को सलाह दी जाती है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि कतिपय अपराध जैसाकि 498क से भिन्न पद्धति में विचार किया जाए । प्रथमतः सभी न्यायालयों की उत्सुकता सुलह की प्रक्रिया आरंभ करने और परिवार के हित को संरक्षित करने की होनी चाहिए जिस कारणवश उनको ऐसे मामलों के अभियुक्तों को नैत्यिक रूप से कारागार में रखे जाने से विरत रहना चाहिए । यदि परिवार का कोई भी सदस्य कारागार भेज दिया जाता है, तो सुलह के अवसर कम हो जाएंगे । अतः 498क के मामलों में, जब तक कि आरोप इतने अधिक गंभीर न हों कि उनमें आत्यंतिक निश्चितता के साथ सुलह का कोई मार्ग शेष न हो, जब कभी भी कोई अभियुक्त अग्रिम जमानत के लिए उपस्थित हो और विवाद के निपटारे के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करे, तो उसको जमानत/अनंतिम जमानत प्रदान कर दी जानी चाहिए । तत्समय संबद्ध पक्ष को नोटिस जारी किया जाए और उनके उपस्थित होने के पश्चात् मामले को स्थानीय सुलह केंद्र या किसी जिम्मेदार नागरिक/

अधिवक्ता को निर्दिष्ट किया जाए । जमानत पर निर्मुक्त अभियुक्त को इस शर्त के साथ निर्मुक्त किया जाए कि वह सुलह केंद्र/व्यक्ति के समक्ष उपस्थित हो और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसके जमानत बंधपत्र उस शर्त, जिसके साथ उन्होंने स्वयं को बाध्य किया था, के अतिक्रमण के कारण निरस्त कर दिए जाएं । ऐसी कार्यवाहियों के लिए कोई अधिकतम समय-सीमा, जैसे कि चार माह, निर्धारित कर दी जाए । इसके अंत में, यदि रिपोर्ट अनुकूल हो, तो मामले को अंतिम आज्ञाप्ति के लिए लोक अदालत को भेज दिया जाए और यदि रिपोर्ट अनुकूल न हो, तो मामले को त्वरित निस्तारण के लिए अधिमानतः दिन-प्रतिदिन आधार पर, चिह्नांकित किया जाए । साक्षियों की संख्या पर निर्भर रहते हुए पुनः एक अधिकतम समय-सीमा निर्धारित कर दी जाए । इस दौरान प्रथमदृष्ट्या शर्त 'ज' अधिरोपित कर दी जाए । यहां पर, मैं यह बताना चाहूंगा कि यद्यपि धारा 437(2) मजिस्ट्रेट को कतिपय स्थितियों में अभियुक्त को अनंतिम रूप से निर्मुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है फिर भी यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन संस्थित मामलों को आच्छादित नहीं करती । इसलिए, जब कभी भी कोई मजिस्ट्रेट ऐसी प्रकृति के किसी मामले को निपटारा करने का प्रयास करता है, तो उसको अभियुक्त को एक पक्षपातपूर्ण लाभ प्रदान करते हुए जमानत अनिवार्यतः प्रदान करनी चाहिए । मैं इस अवसर का लाभ विधि आयोग को अनुरोध करने के प्रयोजनार्थ उठाता हूं कि वे इस समस्या पर विचार करें और धारा 437(2) में उचित संशोधन का सुझाव (सरकार को) दें जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों में व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किए जाएं । अंततः निन्दकों को स्पष्ट करने के लिए यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि यह न्यायालय इस भ्रांत-धारणा के अंतर्गत नहीं है कि पूर्वोक्त शर्तें अधिरोपित किए जाने के द्वारा आदर्श राज्य की स्थिति उत्पन्न होने की संभाव्यता है । इस न्यायालय को यह विश्वास है कि वह ऐसा संहिता और विधि आयोग द्वारा उठाए गए पहलुओं, जिन पर ऊपर चर्चा की गई है, के चिरकालिक महत्व पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ कर रहा है । इस न्यायालय का मात्र यह प्रयास रहा है कि विधान-मंडल की बुद्धिमत्ता को परावर्तित करने वाली बाध्यताओं का निर्वहन किया जाए और दांडिक न्यायशास्त्र के विकास के साथ गति बनाए रखी जाए और इससे अधिक कुछ नहीं । इस आदेश की एक प्रति बिहार के समस्त जिला और सेशन न्यायाधीशों को शेष न्यायिक अधिकारियों के मध्य आगे परिचालनार्थ भेजी जाए । इस आदेश की एक प्रति भारतीय विधि आयोग, स्थित आई. एल. आई. भवन, (द्वितीय तल), भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली के अध्यक्ष को

भी भेजी जाए । (पैरा 50, 51, 52, और 53)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1979] ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1360 :
हुसैन आरा खातून बनाम **गृह सचिव, बिहार राज्य** ; 28,32

[1978] (1978) 4 एस. सी. सी. 47 = ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1594 :
मोती राम और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 10

[1976] (1976) 2 एस. सी. सी. 521 = ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1207 :
अपर जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम **एस. एस. शुक्ला** ; 3

[1951] ए. आई. आर. (38) 1951 मद्रास 1042 :
पब्लिक प्रोसीक्यूटर बनाम **जार्ज विलियम्स** उर्फ **विक्टर** ; 4

[1933] ए. आई. आर. 1933 सिंध 367 :
अल्लारखियों बनाम **एम्परर** ; 26

[1931] ए. आई. आर. 1931 इलाहाबाद 356 :
एम्परर बनाम **एच. एल. हचिन्सन** ; 25

[1927] ए. आई. आर. 1927 पटना 302 :
कृष्ण चंद्र जगती बनाम **एम्परर** । 24

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 48853, 48779, 48965 और 48795.

याचियों द्वारा अपनी-अपनी जमानत चाहने के लिए अलग-अलग दांडिक प्रकीर्ण याचिकाएं फाइल की गईं ।

याची की ओर से सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शाह, घनश्याम तिवारी, राकेश सिंह और अनसुल

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री रेनुका रत्नाकर (सहायक अभियोजन अधिकारी), यू. एन. मिश्रा

(सहायक अभियोजन अधिकारी), योगेन्द्र कुमार सिंह (सहायक अभियोजन अधिकारी) और संजय कुमार (सहायक अभियोजन अधिकारी)

आदेश

निम्नलिखित याचियों को इस न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर विचारोपरांत और उल्लिखित शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान की गई थी और युक्तिसंगत आदेश बाद में पारित किया जाना था । 2012 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका संख्या 48853 के याची रामदेव साहनी को 2012 के कोरहा पुलिस थाना मामला संख्या 306 के संबंध में कटिहार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार तारीख 17 दिसंबर, 2012 के आदेश द्वारा क, ख, ग, घ और ङ को शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान कर दी गई थी जबकि 2012 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका संख्या 48779 के याची रमेश कुमार **उर्फ** छुटका माखन को दानापुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर 2012 के दानापुर पुलिस थाना मामला संख्या 254 के संबंध में की शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान कर दी गई थी, 2012 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका संख्या 48965 के याची राहुल कुमार यादव को सहरसा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर 2012 के सोनबरसा राज पुलिस थाना मामला संख्या 128 में क, ख, ग, घ, ङ, च और झ को शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान कर दी गई थी और 2012 के दांडिक प्रकीर्ण मामला संख्या 48795 के याची संजय कुमार को 2011 के मख्दमपुर पुलिस थाना मामला संख्या 219 में जहानाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर क और ज को शर्तों के आधार पर जमानत प्रदान कर दी गई थी ।

शर्तों का उल्लेख नीचे किया गया है :–

(क) उपनिधाताओं (जमानतदारों) में से एक याची का निकट रूप से संबंधित नातेदार होगा जो याची के वंशक्रम का विवरण देते हुए इस बाबत शपथपत्र फाइल करेगा कि वह याची से किसी प्रकार से संबंधित है । उपनिधाता (जमानतदार) याची के पते में किसी परिवर्तन के बारे में न्यायालय को सूचना उपलब्ध कराने का जिम्मेदार भी होगा ।

(ख) शपथपत्र में स्पष्टतः अभिकथित किया जाएगा कि याची किसी अन्य मामले में अभियुक्त नहीं है और यदि वह अभियुक्त है तो उसको जमानत पर निर्मुक्त नहीं किया जाएगा ।

(ग) उपनिधाता (जमानतदार) शपथपत्र में यह भी अभिकथित करेगा कि यदि वह वर्तमान मामले में निर्मुक्ति के पश्चात् इसी प्रकृति के किसी अन्य मामले में अंतर्वलित हो जाता है तो वह न्यायालय को सूचित करेगा और तत्पश्चात् निचला न्यायालय दुरुपयोग के आधार पर जमानत के रद्दकरण के प्रयोजनार्थ कार्यवाही आरंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(घ) याची इस बाबत एक वचनबंध फाइल करेगा कि वह निश्चित तारीख पर पुलिस के कागजात प्राप्त करेगा और आरोप के निर्धारण के लिए निश्चित तारीख पर उपस्थित रहेगा यदि वह इस बाबत निश्चित की गई दो तारीखों पर ऐसा करने में विफल रहता है और किसी भी प्रकार से विचारण को विलंबित करता है तो उसकी जमानत दुरुपयोग के कारणवश रद्द किए जाने योग्य होगी ।

(ङ) याची का प्रतिनिधित्व प्रत्येक तारीख पर भलीभांति किया जाएगा और यदि वह लगातार दो तारीखों पर ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी जमानत रद्द किए जाने योग्य होगी ।

(छ) याची के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि उसको स्थानीय पुलिस, जो उसके विरुद्ध है, की पहल पर बारंबार अंतर्वलित किया गया है और उसने एक ऐसे व्यक्ति के संरक्षण की ईप्सा की जो क्षेत्र में सामाजिक सेवा करने के लिए सुविख्यात है । इन परिस्थितियों में याची पटना के बिहार कार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष श्री किशोर कुमार को अंतरिम जमानत पर उसकी निर्मुक्ति के पंद्रह दिनों के भीतर सूचित करेगा और छः माह की अवधि तक ऐसा करता रहेगा और इसके बाबत अनुध्यात अवधि के भीतर न्यायालय में प्रमाणपत्र फाइल करेगा । यदि याची प्रमाणपत्र फाइल कर पाने में विफल रहता है तो उसको उसकी जमानत के रद्दकरण के बाबत सूचित किया जाएगा, (ii) याची द्वारा सूचित किए जाने के पश्चात् श्री किशोर कुमार से एक ऐसी पद्धति विकसित किए जाने का अनुरोध किया जाता है जिसके द्वारा याची के उसके वर्तमान पेशे को प्रभावित किए बिना सामाजिक रूप से उपयोगी बनाया जा सके जिससे कि उसको समाज की मुख्यधारा में वापस लाने का प्रयास

किया जा सके, और (iii) छः माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, याची से अपेक्षा की जाएगी कि वह श्री किशोर कुमार द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र निचले न्यायालय के समक्ष फाइल करे । यदि याची को प्रदान किया गया प्रमाणपत्र संतोषजनक पाया जाता है तो निचला न्यायालय याची को प्रदान की गई अंतरिम जमानत की पुष्टि कर देगा अन्यथा जमानत के रद्दकरण के लिए नोटिस जारी करेगा ।

(ज) याची कारागार की अभिरक्षा से निर्मुक्त किए जाने से 15 दिनों के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक माह की 15वीं तारीख तक निचले न्यायालय में प्रतिमास 500/- रुपए जमा करते रहने की इच्छा व्यक्त करता है जिसको याची की पत्नी पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आहरित करने के लिए स्वतंत्र होगी । निचला न्यायालय वर्तमान आदेश के बारे में याची की पत्नी को सूचित करेगा । तथापि, यदि शिकायतकर्ता/इत्तिलाकर्ता का कोई बैंक खाता है या वह बाद में कोई बैंक खाता खोल लेता है, तो धन उसके बैंक खाते में जमा किया जाएगा और इस बाबत जारी की गई रसीद निचले न्यायालय में प्रत्येक माह की 15वीं तारीख तक जमा की जाएगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी जमानत अपने आप निरस्त हो जाएगी ।

(झ) याची को उसके पूर्ववृत्त को दृष्टि में रखते हुए उसकी निर्मुक्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर और तत्पश्चात् अगले नौ माह तक प्रत्येक दो सप्ताह में एक बार इस आदेश के साथ सहरसा के पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किया जाता है । इस अवधि के दौरान याची के आचरण पर संबद्ध पुलिस अधीक्षक द्वारा नजर रखी जाएगी और यदि पाया जाता है कि वह मामले में किसी भी प्रकार से वांछित है तो उसके द्वारा संबद्ध न्यायालय में जमानत के दुरुपयोग के कारणवश जमानत के रद्दकरण के लिए कार्यवाही आरंभ किए जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी । पुलिस अधीक्षक को सूचित किए जाने के पश्चात् याची द्वारा संबद्ध न्यायालय के समक्ष एक प्रमाणपत्र फाइल किया जाएगा ।

2. जब यह न्यायालय मामला सुन रहा था तब न केवल इसको इस बात पर आश्चर्य हुआ था कि वादकारी को ऊपरवर्णित जैसे मामलों में जमानत के लिए उच्च न्यायालय की यात्रा करनी पड़ी किंतु यह न्यायालय यह अवेक्षित करके भी क्रोधित हुआ था कि निचले न्यायालयों ने नित्यकर्म

के तौर पर जमानत प्रदान करने से इनकार करने की आदत बना ली है और इस बात को महसूस किया कि इस समस्या, जिसने न्यायिक प्रणाली के अंतरालों (तंत्र के भीतरी भागों) को ही नष्ट कर दिया है, पर विचार किया जाना चाहिए । इस न्यायालय ने इस बात को भी आवश्यक महसूस किया कि विभिन्न शर्तें अधिरोपित किए जाने के लिए कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए और इसलिए इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

3. आरंभिकतः, यह एक तथ्य है कि दांडिक न्यायालयों को निरंतर रूप से इस दुविधा का सामना करना पड़ता है कि गैर जमानती प्रकृति के अपराधों में जमानत प्रदान की जाए या नहीं । एक तरफ तो किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न अंतर्वलित होता है और दूसरी तरफ लोक कल्याण का प्रश्न अंतर्वलित होता है । दिलचस्प रूप से, व्यापक भाव में किसी राजनैतिक राज्य में स्वतंत्रता की संकल्पना को जबलपुर के **अपर जिला मजिस्ट्रेट** बनाम **एस. एस. शुक्ला**[1] वाले मामले में न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना द्वारा स्पष्ट किया गया था जो इस आदेश के प्रयोजनार्थ भी सुसंगत है । इसको नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "यह स्पष्ट किया जाता है कि विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता आत्यंतिक स्वतंत्रता नहीं होती । इसके अपने हित में अपनी सीमाएं होती हैं और इसको विनियमित स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया जा सकता है । **अरनेस्त बारकर** के शब्दों में (i) यह सत्य कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए के अन्य पक्ष भी हैं जो पूरक और आनुषंगिक सत्य हैं कि कोई भी व्यक्ति आत्यंतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता ; (ii) प्रत्येक के लिए स्वतंत्रता आवश्यक रूप से सभी के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता द्वारा सापेक्ष और सर्शत होती है ; (iii) राज्य में स्वतंत्रता या विधिक स्वतंत्रता सभी के लिए आत्यंतिक नहीं होती ; (iv) अतः राज्य के भीतर स्वतंत्रता सापेक्ष और विनियमित स्वतंत्रता होती है ; और (v) सापेक्ष और विनियमित स्वतंत्रता, जो वास्तव में क्रियांवित होती है और जिसका उपभोग किया जाता है, ऐसी स्वतंत्रता है जो मात्रा में अधिक होती है, किंतु आत्यंतिक स्वतंत्रता कभी भी नहीं होती यदि उसकी आवश्यकता हो और ऐसी स्वतंत्रता शायद ही कभी विद्यमान हो सकती है या ऐसी स्वतंत्रता के समान हो सकती है जिसका वास्तव में अर्थ कुछ भी न हो ।"

---

[1] (1976) 2 एस. सी. सी. 521= ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1207.

4. अपना ध्यान विशेष रूप से जमानत के अर्थ पर केंद्रित रखने के प्रयोजनार्थ मैं **पब्लिक प्रोसीक्यूटर** बनाम **जार्ज विलियम्स** उर्फ **विक्टर**[1] वाले मामले में दिए गए अत्यंत प्रसिद्ध निर्णय के पैराग्राफ 3 को भागतः उद्धृत करूंगा जिसमें इसकी (जमानत का) संकल्पना पर टिप्पणी की गई है और जो और कुछ नहीं बल्कि आत्यंतिक स्वतंत्रता है :–

> "..... जमानत या मैत्रीपूर्ण अभिरक्षा का मूलतः अर्थ है, जैसाकि ब्लेकस्टोन और अन्य प्रख्यात न्यायविदों ने स्पष्ट किया है, उपनिधान (जमानत का प्रबंध) या किसी व्यक्ति की उसके प्रतिभुओं को सुपुर्दगी जो (सामान्य कारागार में भेजे जाने के बजाय) उनकी (प्रतिभुओं की) अभिरक्षा में रहेगा, वे (प्रतिभू) उसके स्वयं के द्वारा चुने जाने के कारण उसके जेलर होंगे जो उसके ऊपर आधिपत्य और नियंत्रण रखेंगे । इसी कारणवश प्रतिभुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे उसके जेलर की भांति उसको न्यायालय में पेश करें और यदि वे वैसा करने में विफल रहते हैं तो उनको दंडित भी किया जाएगा । यदि प्रतिभू उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते और जमानत की अवधि के दौरान उसको अच्छा आचरण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते तो उसके द्वारा अवचार किए जाने की स्थिति में नैसर्गिक रूप से न्यायालय मध्यक्षेप करेगा और उसको पुनः गिरफ्तार किया जाएगा और कारागार के सुपुर्द किया जाएगा .....।"

5. फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले अनेक वर्षों से हम जमानत का सही अर्थ भूल चुके हैं । ऐसा क्यों हुआ, यह मात्र चर्चा और सेमिनारों (विचार-गोष्ठियों) का विषय नहीं है किंतु यदि हम न्यायिक संस्था के विद्यमान रहने और उसमें लोक विश्वास बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो यह न्यायिक विचार-विमर्श का भी विषय है । इस विषय पर दांडिक न्याय वितरण प्रणाली के लगभग ढह जाने की पृष्ठभूमि में लाभप्रद चर्चा की अत्यंत आवश्यकता है ।

6. यह महत्व का विषय विशेष रूप से इसलिए भी है क्योंकि एक विश्वसनीय आंकलन द्वारा 85 प्रतिशत दांडिक मामलों में कम से कम एक पक्ष से निर्धन लोग अंतर्वलित होते हैं और 78 प्रतिशत भारतीय 20/- रुपए प्रतिदिन से भी कम में जीवनयापन कर रहे हैं । यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि समस्त संसार में गरीबों से आशय हाशिए में पड़े हुए

---

[1] ए. आई. आर. (38) 1951 मद्रास 1042.

(वंचित) वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो समाज के हाशिए पर जीवित है और आर्थिक रूप से भाग्याधीन है, से है जिसकी पहुंच अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, बसेरा अर्थात् स्वास्थ्यकर पालन-पोषण तक नहीं है । साथ ही उनके मानव अधिकारों का दिन-प्रतिदिन के आधार पर हनन किया जाता है जिसका भी उनके सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

7. ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास वैकल्पिक उपसाधन नहीं होते, उनके पास विकल्प का अधिकार नहीं होता, बिल्कुल उसी प्रकार जैसाकि सलमान रुश्दी को अप्रवासी लंदन को उसकी हानि और प्रतिकूल प्रभाव के बाबत वर्णित किया है और उसको दृश्य किंतु अदृश्य नगर कहा है । इन स्वाभाविक और सामाजिक अपंग लोगों की ऐसी स्थिति में पहुंच जाने की संभाव्यता होती है, जो सदैव ही उनकी पसंद या लाभ की नहीं होती या तो एक अपराध दूसरे अपराध का कारण बनता है या आपराधिक अभिलेखों में की गई एक प्रविष्टि अनेक अन्य प्रविष्टियों के सृजन का कारण बनती है ।

8. न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि न्याय के किसी महत्वपूर्ण मामले पर विचार करते समय यह सुनिश्चित करे कि न्याय के लिए की गई कोई पुकार अनसुनी रहे, निर्धन जाल में फंसी तितलियों की भांति सलाखों के पीछे (कारागार में) नहीं छोड़े जाएं, और हम सर्वोत्कृष्ट पूर्वाग्रहों और आत्मसंतोष के दानवों को मार भगाएं ।

9. इस दलील को आगे विस्तृत करते हुए कि दांडिक मुकदमेबाजी सारवान् रूप से गरीबों को प्रभावित करती है, मैं गृह मामलों के मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के वर्ष 2012 के द्योतक आंकड़ों को निर्दिष्ट करता हूं :–

> "1,27,789 दोषसिद्ध कैदियों में से 37,255 कैदी अशिक्षित हैं, 58,014 कक्षा 10 से नीचे तक शिक्षित हैं, ये दोषसिद्ध कैदियों की जनसंख्या का 74.6% हैं ..... 2,54,857 विचाराधीन कैदियों में से 76,626 शिक्षित हैं, 10,385 कक्षा 10 से नीचे तक शिक्षित हैं, ये प्रवासी कैदियों की जनसंख्या का 73.4% है ।
>
> इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त आंकड़े कैदियों की आर्थिक स्थिति का वर्णन नहीं करते किंतु हमारा विवेक मार्गदर्शन करेगा कि साक्षरता का स्तर यहां पर उपदर्शित होता है ।"

10. जैसाकि राष्ट्रपति लिण्डन बी. जानसन की मताभिव्यक्ति से प्रतीत होता है, जब उन्होंने अत्यधिक शोध के पश्चात् अधिनियमित 1966

के अमेरिकन जमानत सुधारों पर हस्ताक्षर किए, हमारी चिंता सर्वव्यापी है । **मोती राम और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने उद्धृत किया :–

> "आज हम दांडिक न्याय प्रणाली में बड़े विकास जमानत प्रणाली में सुधार को मान्यता प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ एकत्र हुए हैं ।
>
> यह प्रणाली 1789 के न्यायपालिका अधिनियम से आज तक टिकी हुई है - पुरातनकालीन भेदभावपूर्ण और परोक्षतः अपरिचित ।
>
> जमानत का मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि यदि अभियुक्त को गिरफ्तारी के पश्चात् जमानत पर निर्मुक्त कर दिया जाता है, तो वह विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा ।
>
> वर्तमान प्रणाली में इस प्रयोजन को कैसे पूरा किया जाए । यदि प्रतिवादी के पास साधन होते हैं तो वह जमानत के बाबत होने वाले खर्चों को वहन कर सकता है । वह अपनी स्वतंत्रता को खरीद सकता है । किंतु गरीब प्रतिवादी इसके मूल्य का संदाय नहीं कर सकता । वह हफ्तों, महीनों तक जेल में पड़ा रहता है और कभी-कभी तो विचारण के पूर्व वर्षों तक ।
>
> वह इस कारणवश जेल में नहीं रहता क्योंकि वह दोषी है । वह इस कारणवश जेल में नहीं रहता क्योंकि उसके विरुद्ध कोई दंडादेश पारित किया जा चुका है ।
>
> वह इस कारणवश जेल में नहीं रहता क्योंकि उसके विचारण के पूर्व भाग जाने की कोई संभाव्यता है ।
>
> **वह मात्र एक कारणवश जेल में रहता है क्योंकि वह गरीब है.....।**"
>
> (अधोरेखांकन पर बल दिया गया है)

11. चूंकि यह न्यायालय इस समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार कर रहा है इसलिए यह न्यायालय राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई तारीख 2 जनवरी, 2011 से तारीख 29 नवंबर, 2013 तक की अवधि के लिए जमानत याचिका फाइल किए जाने के आंकड़े, जिनको नीचे उद्धृत किया गया है, पर विचार करना है :–

---

[1] (1978) 4 एस. सी. सी. 47 = ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1594.

फाइल किए गए कुल मामले	प्रदान की गई जमानतें	अस्वीकृत की गई जमानतें	निस्तारित मामले	लंबित मामले
1,25,951	79,626	7,833	1,11,096	14,855

पूर्वोक्त आंकड़ों पर प्रकटीकरण करते हैं कि प्रति कार्यदिवस लगभग 205 जमानत आवेदन फाइल किए गए थे । 2011-13 के मध्य फाइल किए गए 1,25,951 मामलों में से मात्र 7,833 मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत अस्वीकृत की गई थी । शेष मामलों में जमानत आवेदन अभिकथित रूप से मताभिव्यक्तियों के साथ निस्तारित कर दिए गए थे या लंबित थे । 79,626 (उन्यासी हजार छः सौ छब्बीस) मामलों, जिनमें जमानत प्रदान कर दी गई थी, उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणार्थ क्यों प्रस्तुत हुए जब सेशन न्यायालय वही आदेश समवर्ती शक्तियों के साथ पारित कर सकता था । न्याय प्रदाय मात्र औपचारिकतावश किया जाने वाला कार्य नहीं है । इसको पूर्ण वचनबद्धता के साथ किया जाना चाहिए । इस बाबत की जाने वाली कोरी बातें न केवल घृणित होती हैं बल्कि असहनीय भी हैं । कुछ भी हो, यह हमारे अपने सह-देशवासियों को ही प्रभावित करता है । न्याय का आवश्यक तत्व जो सहानुभूति है, ऐसे आदेशों जो कर्तव्यबोध के बिना मात्र अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किए जाते हैं, में सकल रूप से अल्प मात्रा में होता है । इस बाबत किसी को कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति, जिसे कतिपय अधिकारिता प्रदान कर दी गई है, को किसी कर्तव्यपालन के प्रयोजनार्थ अपनी शक्तियों का प्रयोग उसी प्रकार करना चाहिए जैसेकि उस पर उस कर्तव्यपालन का कर्तव्य अधिरोपित किया गया हो और ऐसी रीति में नहीं करना चाहिए जैसे अधिदेश जारी करने वाला कोई सम्राट करता है या कोई पहलवान अपने बाहुबल का प्रदर्शन करता है ।

12. पूर्वोक्त आंकड़े इस कारणवश भी दुखःद हैं क्योंकि मेरे अनुसार में आंकड़े उपदर्शित करते हैं कि उच्च न्यायालय वही कार्य कर रहा है जो सेशन न्यायाधीश को करना चाहिए था और अधिसंभाव्यतः उपदर्शित करता है कि सेशन न्यायाधीश वही कार्य करता है जो मजिस्ट्रेट को करना चाहिए ।

13. कुछ अधिकारियों द्वारा उद्धृत कारण जिसका समर्थन शेष अधिकारियों द्वारा किया गया, यह है कि वे सकारात्मक आदेश पारित करने पर प्रशासनिक कार्रवाई के भ्रम से ग्रसित रहते हैं । जब प्रत्येक मुकदमेबाजी

में दो पक्ष होते हैं तो केवल किसी सकारात्मक आदेश जिसका निर्वचन ऐसे कारणोंवश किया गया है जो सबके सब सामान्य नहीं हैं और जो नकारात्मक भी नहीं हैं, तर्कणा और साथ ही सहज बुद्धि दोनों की अवज्ञा करते हैं । किसी महत्वपूर्ण पहलू, जो प्रत्येक आदेश का केंद्रीय बिंदु है, पर जोर देना किसी अधिकारी की सत्यनिष्ठा का विषय होता है । यदि उसमें कोई कमी है, तो आदेश की प्रकृति किसी भी दिशा में झुक सकती है । अतः, मेरे विचार में न्यायिक अधिकारी विभागीय कार्यवाही के अधीन होता है जब वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग विवेकपूर्वक करने में विफल रहता है और तब भी जब वह उसका प्रयोग कर पाने में पूर्णतया विफल रहता है । कोई ऐसा आदेश जो गुणात्मक मूल्यांकन के बिना पारित किया गया है, उसी प्रकार से न्यायिक बेईमानी है जैसेकि कोई ऐसा आदेश जो अधिकारिता के प्रयोग में कर्तव्यपालन की विफलता प्रदर्शित करता है । सुविधानुसार किए गए बहाने, जो संस्था का अस्तित्व मिटाने और लोक विश्वास को डिगाने का सामर्थ्य रखते हैं, अधिक समय तक कारगर साबित नहीं होते ।

अब कुछ क्षेत्रों में न्यायपालिका को भी सेवा प्रदाता के रूप में परिभाषित किया जाने लगा है और परिणामतः जनता की सेवा के लिए गठित प्रशासन की किसी अन्य इकाई की भांति इसका भी कार्य अकुशलता संवीक्षा के अध्यधीन कर दी गई है ।

14. न्यायालय, जो प्रशासनिक नियंत्रण धारित करते हैं, के लिए यह भी आवश्यक है कि वे शांत बने रहें और इस बाबत गंभीरतापूर्वक आत्मंथन करें और विचार करें कि क्या उन्होंने किसी सकारात्मक आदेश को गलत समझने के द्वारा यथास्थिति बनाए रखे जाने को प्रोत्साहित किया है और किसी ऐसे एकाश्मक को बढ़ावा दिया है जो स्वयं को ईमानदारी के नाम में एक उदासीन और कठोर संस्था के रूप में चित्रित करती है, जो न्याय प्रदाय की परवाह नहीं करती बल्कि केवल इस बाबत कार्य करती है कि किसी संभव आलोचना और प्रशासनिक कार्यवाही से स्वयं की रक्षा कैसे की जाए ।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि हमने भूलवश यह दृष्टिकोण बना लिया है कि किसी विशिष्ट रैंक का कोई अधिकारी विधान-मंडल द्वारा प्रदत्त अधिकारिता की परवाह किए बिना किसी विशिष्ट प्रकृति के आदेश पारित करने के लिए सशक्त है । इसका परिणाम यह होगा कि उसको प्रदत्त विवेकाधिकार विधि द्वारा बाधित नहीं है बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण द्वारा बाधित है । यह कृत्रिम रेखा के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ किसी उदण्ड अधिकारी के अहम या घमण्ड को संतुष्ट तो कर सकता है किंतु इससे

कर्तव्य की वह संस्कृति नष्ट और ध्वस्त हो जाती है जिसका भान प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय होना चाहिए । महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस कर्तव्यपालन की विफलता और परिणामस्वरूप वादकारी, जिनमें से अधिसंख्य गरीब हैं, को होने वाली हानि का जिम्मेदार कौन हैं ? कोई गरीब वादकारी उच्चतर न्यायालय की शरण में जाने, जिससे उसके सीमित संसाधनों का पुनः दोहन हो, के लिए मजबूर क्यों हो यदि प्रथम न्यायालय, जिसकी शरण में वह जाता है, उसकी शिकायत का निस्तारण करने के कर्तव्यपालन के लिए बाध्य हैं ?

16. इन्हीं करणोंवश एक अन्य चिंताजनक पहलू उत्पन्न हो गया है जो यह है कि वर्तमान में दांडिक न्यायालय दोषिता के बारे में निष्कर्ष निकालने के अपने प्राथमिक कर्तव्य का पालन करने के बजाय अधिकांशतः जमानतों के मामलों में व्यस्त हैं और उन्होंने स्वयं को एक ऐसे दोषपूर्ण चक्र में उलझा लिया है जहां वे न केवल अपने समय और ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं बल्कि न्याय के गति को भी बाधित कर रहे हैं । दांडिक न्यायालय दोषिता के विनिर्धारण पर लौटने में अनिश्चितकालीन विलंब के कारण जमानत का अंतरिम व्यवस्था पर अधिकांश ध्यान अनावश्यक रूप से केंद्रित कर रहे हैं जिस कारणवश यह सामान्य भ्रांत धारणा बढ़ती जा रही है कि किसी दांडिक मामले का अंत जमानत ही है । इसी कारणवश यह हो रहा है कि जब किसी चर्चित अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक अवसर पर जनता इस बात को बिल्कुल भी न समझते हुए कि दोषिता पर मुख्य निर्णय या अन्यथा, जो अधिक महत्वपूर्ण है पारित होना शेष है, कड़ा विरोध करती है ।

17. सभी न्यायालयों को इस 22 की स्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रथमतः गंभीरतापूर्वक आत्ममंथन करना चाहिए, तत्पश्चात् किसी सुधार की शुरुआत करने के लिए इच्छाशक्ति प्रदर्शित करनी होगी और साथ ही साथ इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा । जब तक वे आत्ममंथन करते हैं, तब तक के लिए यह न्यायालय निर्देशित करता है कि सभी न्यायालय उनके पदानुक्रम में विनिर्धारित रैंक को ध्यान में न रखते हुए कानून, न्यायिक उद्घोषणाओं द्वारा पथ प्रदर्शित जमानत के मामले में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने और इस पर भी मताभिव्यक्ति करते हुए कि इस पर उनके उच्च न्यायालयों द्वारा व्यावहारिकता में किस प्रकार विचार किया जाता है और उनके उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए जाने की पद्धति और परंपराओं का पालन करें, लागू किए जाते हैं ।

18. सभी न्यायालयों से मुकदमेबाजी के बाहुल्य, जिस कारणवश बेचारा वादकारी जो ईमानदार करदाता है, परेशान होता है और उसका मूल्यवान समय खराब होता है, की उपेक्षा करने की अपेक्षा की जाती है । संपूर्ण दांडिक न्याय वितरण प्रणाली का हित ऐसे बिंदु पर एकमत होना चाहिए जहां प्रथम न्यायालय स्वयं ही इस प्रकार से कार्य करे कि प्रत्याशित अनुतोष प्रदान किया जा सके जिससे उच्च न्यायालयों का बोझ घटाया जा सके और सभी न्यायालयों को मामलों का अंतिम रूप से निपटारा करने के उनके कार्य को करने का अवसर प्राप्त हो ।

19. मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न्यायालयों को मात्र इस कारणवश कि किसी सही आदेश की परिभाषा पेचीदी, अस्पष्ट और दुर्ग्राह्य है, अपने विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण प्रयोग करने में परहेज नहीं करना चाहिए । इसी कारणवश उसके (सही आदेश, की परिभाषा को) सामान्यीकरण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए जहां अटकलबाजी और मानव त्रुटि के तत्व के अनभिज्ञ अंतःस्पंदन (घुसपैठ) को समाप्त करना संभव हो । इसी कारणवश न्यायालयों को, उनके उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत की जाने वाली सामान्य प्रक्रियाओं को अंगीकृत करना चाहिए । यदि मैं स्वयं को समान रूप से भ्रमित स्वीकृत करूं तो मैं सभी दांडिक न्यायालयों को समान पद्धतियों, जिनके द्वारा वे दंड के रूप में जमानत प्रदान करने से इनकार नहीं करेंगे और प्रत्येक मामले पर उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे, विकसित करने के लिए निर्देशित करूंगा । मैंने स्वयं अपने द्वारा विचारणार्थ निम्नलिखित कोटि के मामलों को रखा है जो लोक व्यवस्था को जमानत के योग्य नहीं के रूप में प्रभावित करते हैं :–

(i) फिरौती के लिए व्यपहरण : यदि पुलिस के समक्ष एकमात्र सामग्री अभियुक्त/सहअभियुक्त की संस्वीकृति है, तो यह एकमात्र सामग्री है जो उस रीति में उपलब्ध हो सकती है जिसमें अपराध घटित हुआ । न्यायालय जमानत के प्रक्रम पर साक्ष्य का अवलोकन नहीं करता बल्कि मात्र सामग्री का अवलोकन करता है ।

(ii) जाली करेंसी के मामले : यह अत्यधिक संगठित अपराध है जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के प्रयोजनार्थ कारित किया जाता है ।

(iii) किसी साक्षी की हत्या करना या करने का प्रयास करना : यह अपराध न्याय अनुक्रम को बाधित करता है ।

(iv) उद्दापन मांग या भाड़े के सिपाही के कारणोंवश कारित अपराध जो जनसामान्य को भयभीत करने के लिए आतंक का प्रसार करते हैं ।

(v) मानव व्यापार (मानव तस्करी) ।

(vi) आर्थिक अपराध, यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं जो सभ्य समाज के सिद्धांतों को नष्ट करते हैं ।

(vii) मामले जिनमें अधिनियम स्वयमेव कतिपय सावधानियां अधिकथित करता है, जैसे कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम । यह सूची न तो संपूर्ण है और न ही निरापवाद ।

20. जब हम जमानतों के विवाद्यक पर विचार करते हैं, तो मैं एक ऐसे परीक्षण को भी चर्चा करूंगा कि जमानतों पर विधि किस प्रकार कई वर्षों की अवधि के दौरान विकसित हुई है जिससे कि सिद्धांतों को समझा जा सके ।

21. 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता (पुरानी संहिता) के अध्याय 39 में सम्मिलित सुसंगत धाराओं को प्रत्युत्पादित किए बिना ऐसा करने का प्रयास करते हुए मैं यह बताता हूं कि धारा 499, 497 और पुरानी संहिता के प्रपत्र 25, 1974 के अधिनियम (जिसको इसमें इसके पश्चात् "नई संहिता" कहकर निर्दिष्ट किया गया है) की धाराओं 436, 437 और प्रपत्र 45 के लगभग समरूप हैं जिनके सूक्ष्म अंतर पर मैं समुचित प्रक्रम पर चर्चा करूंगा ।

22. वर्तमान मामले के प्रयोजनार्थ, जैसाकि मैं समझता हूं, पुराने अधिनियम के उपबंधों की प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं :–

(i) जमानतीय और गैर जमानतीय अपराधों के मामलों में जमानत प्रदाय के लिए विभिन्न मानदंड थे ;

(ii) कतिपय परिस्थिति के अधीन प्रतिभुओं को छूट प्रदान की जा सकती थी ;

(iii) गैर जमानतीय अपराधों में जमानत प्रदान किए जाने के लिए कारणों को न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया जाता था ;

(iv) बंधपत्र अतिशय नहीं होने होते थे ;

(v) अभियुक्त न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होने की शर्त के अध्यधीन होता था ;

(vi) वह आरोप निर्धारित किए जाने की तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए भी बाध्य था ;

(vii) प्रतिभुओं की पर्याप्तता की संवीक्षा की जानी होती थी ;

(viii) प्रतिभुओं द्वारा अभिकथित तथ्यों के सुबूत में शपथपत्र प्रस्तुत किए जाने होते थे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ;

(ix) न्यायालयों को किसी भी प्रक्रम पर जमानत बंधपत्रों को निरस्त करने जिसके लिए कोई कारण विनिर्दिष्ट करना होता था, की शक्ति प्राप्त थी ;

(x) उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश की शक्तियां, जैसाकि वर्तमान संहिता की धारा 439 में यथावर्णित हैं, परिभाषित नहीं थीं ।

23. अब जमानत पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण पुराने विनिश्चयों का परीक्षण करते हैं ।

24. नीचे उद्धृत विनिश्चय हमारे उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया प्राचीनतम विनिश्चय है जो **कृष्ण चंद्र जगती** बनाम **एम्परर**[1] और जिसमें वे आधारी सिद्धांत अधिकथित हैं जिनका अनुसरण आज तक किया जा रहा है :–

> "वे सिद्धांत जिनके आधार पर न्यायालयों को गैर जमानतीय अपराधों के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना होता है, का उल्लेख नगेन्द्र नाथ चक्रवर्ती **बनाम** एम्परर वाले मामले में किया गया है और इस संबंध में यह कहा गया कि इंग्लिश और भारतीय प्रथाओं के मध्य कोई अंतर नहीं है । जमानत मात्र दंड के रूप में अटकाई नहीं जा सकती और जमानत की अपेक्षाएं विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित किए जाने मात्र के प्रयोजनार्थ होती हैं । मेरे विचार में परीक्षण अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए –
>
> (1) दोषारोपण की प्रकृति ।
>
> (2) दोषारोपण के समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति ।
>
> (3) दंड जिसको दोषारोपण अपरिहार्य करेगा, की घोरता ।

---

[1] ए. आई. आर. 1927 पटना 302.

(4) प्रतिभुओं की प्रकृति अर्थात् क्या वे स्वतंत्र हैं या अभियुक्त द्वारा प्रायोजित ।

(5) अभियुक्त की प्रकृति और व्यवहार । **राबिंसन** वाले मामले में कहा गया है कि अभियुक्त की प्रकृति या व्यवहार सुसंगत नहीं होता; किंतु अन्य प्राधिकारियों का मत इसके विपरीत है और मैं समझता हूं कि भारत में ऐसा कोई आरोप कि अभियुक्त साक्षियों को प्रभावित कर रहा है या प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है और तदनुसार न्याय के अनुक्रम को बाधित कर रहा है, मेरे विचार में जमानत नामंजूर किए जाने के लिए अत्यंत मजबूत आधार होगा ।"

25. **एम्परर** बनाम **एच. एल. हचिन्सन**[1] वाले माले में संप्रकाशित निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधान-मंडल ने उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालयों को धारा 498 (वर्तमान में धारा 439) के अधीन किसी समयसीमा द्वारा स्वच्छंद (बेरोकटोक) विवेकाधिकार प्रदान किया है जो किसी न्यायाधीश में निहित वैवेकिक शक्तियों को नियंत्रित करते हैं सिवाय इसके कि विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायतः किया जाना चाहिए । यह पहला विनिश्चय होना चाहिए था जिसके द्वारा यह अधिकथित किया जाना चाहिए था कि जमानत प्रदान किया जाना एक सामान्य नियम होना चाहिए और उससे इनकार एक अपवाद । इस निर्णय की सुसंगत पंक्तियों को नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है :–

"**न्यायमूर्ति मुखर्जी** – धारा 496 और 497 से निकाले जाने योग्य सिद्धांत यह हैं कि जमानत प्रदाय एक सामान्य नियम है और उससे इनकार एक अपवाद । किसी अभियुक्त को विधि के अधीन एक निरपराध व्यक्ति माना जाता है जब तक कि उसकी दोषिता साबित न हो जाए । वह अवधारणात्मक रूप से एक निरपराध व्यक्ति के रूप में प्रत्येक स्वतंत्रता और उसके मामले की देखभाल के प्रत्येक अवसर का हकदार है । यदि कोई अभियुक्त अभिरक्षा में रहने के बजाय स्वतंत्रता का आनंद लेता है, तो वह अपने मामले की देखभाल करने और उचित प्रकार से अपना बचाव करने के प्रयोजनार्थ अधिक अच्छी स्थिति में होगा ।"

---

[1] ए. आई. आर. 1931 इलाहाबाद 356.

आगे,

"विचारण के दौरान किसी अभियुक्त को निरोध में रखे जाने के उद्देश्य के बाबत यह अभिकथित किया गया है कि इसका उद्देश्य दंडित किया जाना नहीं है, किसी अभियुक्त को इस अवधारणा के आधार पर कि वह दोषी है चाहे बाद में उसको दोषमुक्त कर दिया जाए, दंडित किए जाने के उद्देश्य से गिरफ्तारी के अधीन जाना अनुचित है । यह अत्यधिक सुस्पष्ट है । विचारणाधीन व्यक्ति को निरोध में रखे जाने के द्वारा जो एकमात्र विधिसम्मत उद्देश्य पूर्ण होता है, उस अपराध को दोहराए जाने को रोकना है जिसके द्वारा उसको आरोपित किया गया है और जहां उस अपराध के दोहराए जाने का खतरा विद्यमान है और इस प्रकार उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना है । इन उद्देश्यों में से सर्वप्रथम उद्देश्य निश्चित रूप से कुछ सीमा तक अभियुक्त की दोषिता की अवधारणा पर आधारित होता है किंतु विचारण अभियुक्त की दोषिता की प्रथमदृष्ट्या अवधारणा पर ही आधारित होता है और यह अभिनिर्धारित करना असंभव है कि कुछ परिस्थितियों में यह विचार किए जाने योग्य उचित आधार नहीं है । तथापि, मुख्य उद्देश्य सुस्पष्टतः अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करना है ।"

26. ऐसा प्रतीत होता है कि इन सिद्धांतों का अनुसरण एक समान किया गया चूंकि **अल्लारखियों** बनाम **एम्परर**[1] वाले मामले में संप्रकाशित विनिश्चय उपदर्शित करता है :–

"जमानत प्रदान किए जाने से मात्र इस कारणवश इनकार नहीं किया जाएगा कि दंड और जमानत की अपेक्षाएं मात्र विचारण के अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ हैं । किंतु जमानत प्रदान किए जाने या उससे इनकार किए जाने के मामले में न्यायालय सामान्यतया निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हैं, (1) दोषारोपण की प्रकृति ; (2) दोषारोपण के समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति ; (3) दंड की घोरता जो दोषसिद्धि के लिए आवश्यक होगी ; (4) क्या अभियुक्त, यदि उसको जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है, द्वारा (क) अभियोजन साक्ष्य के साथ फेरफार किए जाने की संभाव्यता है; या (ख) प्रतिरक्षा के समर्थन में असत्य अभिप्राप्त करेगा : आर. वी. बेस (1891) 67 एल. जे. क्यू. बी. 289 ।"

---

[1] ए. आई. आर. 1933 सिंध 367.

27. अब हम नई संहिता, जो तारीख 1 अप्रैल, 1974 को अस्तित्व में आई और जिसमें विधि आयोग की चौदहवीं, पच्चीसवीं, बत्तीसवीं, तैतीसवीं, छत्तीसवीं, सैंतीसवीं और चालीसवीं रिपोर्टों में समाविष्ट विस्तृत सिफारिशों के आधार पर अग्रिम जमानत के उपबंध को सम्मिलित किया गया, के सुसंगत उपबंधों का परीक्षण करते हैं । सरकार द्वारा निम्नलिखित आधारी बातों का सतर्कतापूर्वक परीक्षण किया गया :–

(i) अभियुक्त का निष्पक्ष विचारण नैसर्गिक न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए ;

(ii) अन्वेषण और विचारण में विलंब, जो न केवल अंतर्वलित व्यक्तियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिप्रद है, से बचने का प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए ; और

(iii) प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए और जहां तक संभव हो सके, समुदाय के गरीब वर्गों को निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए ।

28. यह महत्वपूर्ण है कि यह सिफारिशें भारत के स्वतंत्र होने और लोकतांत्रिक व्यवस्था अंगीकृत करने के पश्चात् की गई थीं । संवैधानिक बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए इन सिफारिशों में वंचित लोगों को निष्पक्षता प्रदान किए जाने की आवश्यकता को विशेष महत्व दिया गया । उसके बावजूद दांडिक न्यायालय उनके प्रति नैत्यिक आधार पर असंवेदनशील बने रहे हैं जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सर्वोच्च न्यायालय को जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए **हुसैनआरा खातून** बनाम **गृह सचिव, बिहार राज्य**[1] वाले प्रसिद्ध मामले में बिहार की जेलों में बिना किसी देखभाल के और बिना किसी संज्ञान के बंद कैदियों को निर्मुक्त किए जाने का आदेश पारित करना पड़ा था ।

29. चूंकि स्थिति में कोई सारवान् (ठोस) सुधार नहीं आया, कुछ समय पश्चात् विधि आयोग ने अपनी एक सौ चौवनवीं रिपोर्ट में नई संहिता का पुनर्विलोकन किया और तारीख 22 अगस्त, 1996 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में प्रणाली को कमजोर करने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया और इस बात पर विचार किया गया कि क्या गरीबों के साथ पक्षपात किया जा रहा है, जमानत की क्या

---

[1] ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1360.

औपचारिकताएं हैं, पेशेवर उपनिधाताओं (जमानतदारों) और जमानत सुनिश्चित करने के लिए जाली दस्तावेजों का पेश किए जाने की समस्या में सुधार की क्या गुंजाइश है और धारा 437, जिस पर मैं बाद में विचार करूंगा, को सम्मिलित करते हुए विभिन्न धाराओं में कतिपय परिवर्तनों की सिफारिश की ।

30. चूंकि मेरे अनुसार इससे संहिता में बड़ा परिवर्तन रेखांकित हो गया है, मैं जमानत की संकल्पना, विचार, शर्तों और परिधि में परिवर्तन के मूल्यांकन को सुकर बनाने और इस बात पर विचार करने कि क्या वास्तव में यह लोक हित के विरुद्ध है, संशोधनों पर विचार करने के पूर्व विधि आयोग द्वारा विस्तारपूर्वक किए गए विचार-विमर्श के अध्याय 6 को प्रत्युत्पादित करना चाहूंगा :–

> "2. जमानत की विधि, जो प्रक्रिया विधि की एक महत्वपूर्ण शाखा को गठित करती है, दो परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करती है अर्थात् एक तरफ समाज को उन लोगों के संकट से संरक्षण प्रदान करना जो अपराध कारित करते हैं और दूसरी तरफ दांडिक न्यायशास्त्र के आधारी सिद्धांत अर्थात् अभियुक्त की निर्दोषिता, जब तक कि वह दोषी न पाया जाए की अवधारणा ।
>
> 6. जमानतीय अपराध के अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त होने का अधिकार प्राप्त है यदि उसको बिना वारंट के गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है । किंतु यदि अपराध गैर जमानतीय है, तो न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए जमानत प्रदान कर सकता है । विवेकाधिकार की परिधि अपराध की घोरता के विपरीत अनुपात में परिवर्तित होती रहती है । न्यायालयों ने गैर जमानतीय अपराधों में जमानत प्रदान किए जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत निश्चित किए हैं –
>
> (i) आरोप की घोरता ;
>
> (ii) अभियोग की प्रकृति ;
>
> (iii) दंड की कठोरता जिसके आधार पर दोषसिद्धि होगी ;
>
> (iv) अभियोग के समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति ;
>
> (v) अभियुक्त के फरार होने का खतरा यदि वह जमानत

पर निर्मुक्त कर दिया गया है ;

(vi) साक्षियों के प्रभावित हो जाने का खतरा ;

(vii) विचारण की दीर्घकालिक प्रकृति ;

(viii) अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा की तैयारी का अवसर, उसके काउंसेल तक उसकी पहुंच ;

(ix) अभियुक्त का स्वास्थ्य, आयु और लिंग ;

(x) परिस्थितियां, जिनमें अपराध कारित किया गया, की प्रकृति और गंभीरता ;

(xi) आहत और साक्षियों के संबंध में अभियुक्त की स्थिति और हैसियत ; और

(xii) यदि अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त किया गया तो उसके द्वारा और अधिक अपराध कारित किए जाने की संभाव्यता इत्यादि ।"

31. खंड 6 को स्पष्ट शब्दों में पढ़े जाने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह खंड अनेक वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए विनिश्चयों की गहनतापूर्वक व्यापक और समस्त सामग्री को सम्मिलित करने वाले अध्ययन पर आधारित हैं जिसमें से खंड 6(i)(ii)(iii)(iv)(x) अपराध से संबंधित हैं, खंड 6(v)(vi)(vii) उसके आचरण से संबंधित हैं जबकि शेष मामले के अभियुक्त के संबंध में विशेष परिस्थितियां हैं ।

32. विधि आयोग ने आगे स्पष्ट किया कि :–

"7. ये विचार-विमर्श किसी भी प्रकार से सर्वांगीण नहीं हैं । कारक जैसेकि पूर्ववर्ती दोषसिद्धि, अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि, अभियुक्त द्वारा, यदि उसको जमानत पर मुक्त कर दिया गया, अपराध कारित करने की संभाव्यता, पर भी जमानत के प्रश्न पर विचार करते समय विचार किया जाता है ।"

8.1 क्या जमानत प्रणाली निर्धनों के विरुद्ध पक्षपात करती है ?

8.2 इस प्रश्न पर 1971 में गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त विधिक सहायता समिति ने जमानत की प्रणाली पर टिप्पणी की जो इस प्रकार है –

"जमानत प्रणाली निर्धनों के विरुद्ध पक्षपात करती है चूंकि वे अपनी निर्धनता के कारण जमानत प्रस्तुत करने के समर्थ नहीं होंगे जबकि उसी अपराध के अभियुक्त अमीर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में समर्थ हो जाएंगे क्योंकि वे जमानत प्रस्तुत कर देने की स्थिति में होंगे । यह पक्षपात उत्पन्न हो जाएगा यद्यपि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित जमानत की रकम अधिक नहीं होगी, दांडिक मामलों में अंतर्वलित लोगों में से बड़ी संख्या में लोग अत्यधिक गरीब होते हैं कि वे अल्प राशि की जमानत भी प्रस्तुत कर पाने की स्थिति में नहीं होते ।

जमानत की प्रणाली की बुराई यह है कि या तो निर्धन अभियुक्त जमानत उपलब्ध कराए जाने के प्रयोजनार्थ दलालों और पेशेवर प्रतिभुओं की शरण में जाए या विचारण पूर्व निरोध को बर्दाश्त करे । ये दोनों ही परिणाम निर्धन द्वारा अत्यधिक कठिनाई के साथ बर्दाश्त किए जाते हैं । एक मामले में निर्धन अभियुक्त से दलालों और पेशेवर प्रतिभुओं द्वारा धन ऐंठा जाता है और कभी-कभी तो उसको अपनी निर्मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उनको संदाय करने के प्रयोजनार्थ ऋण भी लेना पड़ जाता है ; दूसरे मामले में उसको उसके स्वातंत्रय से बिना विचारण और दोषसिद्धि के वंचित किया जाता है और इसके गंभीर परिणाम होते हैं, जैसेकि (1) वह निर्दोष होते हुए भी मुक्त जीवन के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक वंचनों को सहन करने के लिए मजबूर होता है ; (2) यदि उसके पास कोई कार्य है तो वह छूट जाता है और वह स्वयं और अपने परिवार के पालनार्थ कोई कार्य करने के अवसर से वंचित हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसके निरोध का भार उसके परिवार के निर्दोष सदस्यों पर मुसीबत बनकर आ जाता है ; (3) वह अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी में योगदान करने से प्रवरित हो जाता है ; और (4) जेल में उसके पालन-पोषण का खर्च लोक राजकोष को वहन करना पड़ता है ।"

8.3 बाद में विधिक सहायता की एक केंद्रीय समिति ने भी इसी दृष्टिकोण के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की –

"…. हम समझते हैं कि (किसी विधिक) उल्लंघन के लिए बिना मौद्रिक प्रतिभुओं या वित्तीय प्रतिभू के सशर्त निर्मुक्ति की

कोई उदार नीति और दंड के साथ किसी के स्वयं के मुचलके पर निर्मुक्ति के परिणामस्वरूप जमानत की प्रणाली में सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा और इससे समाज के कमजोर और गरीब वर्गों की विधि के अंतर्गत समान न्याय प्राप्त करने में सहायता होगी । सशर्त निर्मुक्ति अभियुक्त को उसके नातेदारों की अभिरक्षा में सौंपे जाने या उसको/उनकी निगरानी में निर्मुक्त किए जाने की प्रकृति में हो सकती है । जमानत प्रदान करने वाले न्यायालय या प्राधिकारी को विवेकाधिकार का प्रयोग न्याय सम्मत रीति में करना होगा । यदि अभियुक्त अत्यधिक गरीब है कि वह प्रतिभुओं का प्रबंध नहीं कर सकता तो उसके द्वारा जमानत प्रस्तुत किए जाने पर जोर देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा, चूंकि इसके कारण वह केवल अपनी प्रतिरक्षा कर पाने में पारिणामिक अड़चनों के साथ विवश होगा ।"

(अधोरेखांकित पर बल दिया गया)

8.4 जमानतीय अपराधों के बाबत जमानत प्रदान किए जाने के मामले में निर्धन अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपात समाप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ 1994 के दांडिक प्रक्रिया संशोधन बिल का खंड 40 आज्ञापक उपबंध एक उपबंधित करने के द्वारा संहिता की धारा 436 को संशोधित करने की ईप्सा करता है कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है और प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो न्यायालय बिना प्रतिभूतियों के बंधपत्र निष्पादित किए जाने के द्वारा उसको निर्मुक्त कर देगा । संशोधन निम्नलिखित हैं –

धारा 436 की उपधारा (1) में –

(क) प्रथम परंतुक में, शब्दों "जमानत लेने के बजाए" शब्दों "यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और प्रतिभूति प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ है" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा –

स्पष्टीकरण – जहां कोई व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी की तारीख से एक सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है तो न्यायालय या अधिकारी के लिए यह अवधारणा करने का पर्याप्त

आधार होगा कि वह इस परंतुक के प्रयोजनार्थ निर्धन व्यक्ति है ।

8.5 आयोग ऊपरनिर्दिष्ट संशोधनों की सिफारिश करता है चूंकि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई उद्घोषणाओं और विधिक विचार के साथ संगत हैं कि जमानतीय अपराध कारित करने वाले किसी गरीब अभियुक्त को निर्धनता के आधार पर जमानत प्रदान किए जाने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए ।

विचारण पूर्व निरोध :

9. विचारण पूर्व निरोध का प्रयोजन दंडित किया जाना नहीं होता । निर्णीत मामलों के पर्यवलोकन से यह प्रकट होता है कि विधि जमानत पर अभियुक्त को निर्मुक्त किए जाने के पक्ष में है, जो कि अभियुक्त का अधिकार है और उससे इनकार किया जाना अपवाद ।

9.1 विचाराधीन कैदियों की व्यथा पर हुसैनआरा खातून **बनाम** गृह सचिव (ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1360) वाले मामले में विस्तारपूर्वक विचार किया गया था । इस मामले में दांडिक न्याय प्रशासन के संबंध में बिहार राज्य में निराशाजनक स्थिति का प्रकटीकरण हुआ था । असंख्य विचाराधीन पुरुष और स्त्री बिहार की जेलों में तीन से दस वर्षों की अवधि से बिना विचारण के आरंभ हुए निरुद्ध थे । वे जेलों में इतनी लंबी अवधियों से बंद थे जितनी कि वे विचारण के पश्चात् दोषी पाए जाने और दंडादिष्ट हो जाने के पश्चात् भी बंद न रहते । वे जेल में इसलिए बंद नहीं थे कि उनको दोषी पाया गया था बल्कि इसलिए बंद थे कि वे जमानत का खर्च वहन करने के प्रयोजनार्थ अत्यधिक गरीब थे और विचारण भी आरंभ नहीं हुआ था । इस संदर्भ में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (जो उस समय न्यायाधीश थे) द्वारा व्यक्त किए गए विचार प्रासंगिक हैं –

> 'एक कारण कि हमारी विधिक और न्यायिक प्रणाली गरीबों को विचारण पूर्व निरोध में अनेक वर्षों तक रखे जाने के द्वारा न्याय प्रदान करने से निरंतर रूप से इनकार करती रहती है, हमारी अत्यधिक असंतोषप्रद जमानत प्रणाली है । यह प्रणाली संपत्ति अभिमुख दृष्टिकोण से ग्रसित है, जो इस दोषपूर्ण अवधारणा के आधार पर अग्रसर होती है कि मौद्रिक हानि का जोखिम न्याय से भागने के विरुद्ध एकमात्र निवारक है । दंड प्रक्रिया संहिता ने इसके पुनःअधिनियमित किए जाने के पश्चात्

भी उसी पुरातन दृष्टिकोण को अंगीकृत करना जारी रखा है जैसाकि पिछली शताब्दी के अंत में अधिनियमित पूर्ववर्ती संहिता ने अंगीकृत कर रखा था और जिसके अंतर्गत किसी अभियुक्त को उसके व्यक्तिगत बंधपत्र के आधार पर निर्मुक्त किया जाना होता है, यह इस बात पर जोर देती है कि यदि अभियुक्त विचारण के समय उपस्थित होने में विफल रहता है तो उससे बंधपत्र के अंतर्गत एक निश्चित राशि का संदाय किए जाने की अपेक्षा करते हुए मौद्रिक बाध्यता समाविष्ट होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त चूंकि ये गरीब के प्रयोजनार्थ पर्याप्त निवारक नहीं थे, न्यायालय यंत्र की भांति और अनुक्रम की दृष्टि से इस बात पर जोर देता है कि अभियुक्त प्रतिभू प्रस्तुत करे जो उसके लिए उपनिधाता (जमानतदार) के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे और इन प्रतिभुओं को, यदि अभियुक्त आरोपों का उत्तर देने के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जमानत के रूप में दर्शित रकम के संदाय के समर्थ होने के बाबत उनकी हैसियत को साबित करना होगा । जमानत की प्रणाली गरीब के विरुद्ध अत्यधिक कठोरतापूर्वक क्रियांवित होती है और केवल वे लोग जो गरीब नहीं हैं, जमानत पर स्वयं को निर्मुक्त करा पाने के द्वारा इसका लाभ उठा पाने के समर्थ होते हैं । गरीब को प्रतिभुओं के बिना भी जमानत प्रस्तुत कर पाने में कठिनाई होती है क्योंकि बहुधा न्यायालय द्वारा निर्धारित जमानत की रकम वास्तविकता के परे इतनी अधिक होती है कि बहुसंख्य मामलों में गरीब पुलिस या मजिस्ट्रेट को जमानत की रकम के बाबत उनकी हैसियत के बारे में संतुष्ट कर पाने में असमर्थ रहते हैं और जहां जमानत प्रतिभुओं के हाथ में होती है, जैसाकि अक्सर होता है, गरीब के लिए पर्याप्त हैसियत वाले पाना, जो उसके लिए प्रतिभुओं के रूप में खड़े हो सकें, लगभग असंभव सा कार्य हो जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि या तो पुलिस और राजस्व अधिकारियों द्वारा उनसे उगाही की जाती है या दलालों और पेशेवर प्रतिभुओं द्वारा और कभी-कभी उनको अपनी निर्मुक्ति को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ जब्ती भी लेना पड़ जाता है या निर्मुक्त होने में असफल होने पर वे तब तक जेल में ही पड़े रहते हैं जब तक न्यायालय उनके मामलों में विचारण आरंभ नहीं कर देता जिसके गंभीर परिणाम होते हैं ।

यह उचित समय है कि हमारी संसद् इस बात को महसूस करे कि मौद्रिक हानि का जोखिम न्याय से भागने के विरुद्ध एकमात्र निवारक नहीं है बल्कि ऐसे अन्य कारक भी हैं जो न्याय से भागने के विरुद्ध समान रूप से निवारक की भांति कार्य करते हैं .... संसद् इस पर विचार करेगी ..... क्या ..... विचार जैसेकि पारिवारिक बंधन, समाज में जड़े, कार्य निश्चितता, टिकाऊ संगठनों की सदस्यता इत्यादि, जमानत प्रदाय में निर्धारक तथ्य होने चाहिए और उचित मामले में अभियुक्त को बिना मौद्रिक बाध्यता के उसके व्यक्तिगत बंधपत्र के आधार पर निर्मुक्त किया जाना चाहिए । ऐसे मामले में निश्चित रूप से यह आवश्यक होता है कि दांडिक विधि के संशोधन द्वारा यह उपबंधित किया जाना चाहिए कि यदि अभियुक्त उसके व्यक्तिगत बंधपत्र में समाविष्ट वायदे के अनुपालन में उपस्थित होने में जानबूझकर विफल रहता है, तो वह दांडिक कार्यवाही का दाई होगा । किंतु वर्तमान विधि के अंतर्गत भी न्यायालयों को उस पुरातन संकल्पना को दरकिनार कर देना चाहिए जिसके अंतर्गत विचारण पूर्व निर्मुक्ति का आदेश केवल प्रतिभुओं के साथ जमानत प्रस्तुत किए जाने की शर्त के साथ पारित किया जाता है ।'

"11. धारा 437 के अधीन उपबंध को और अधिक कठोर बनाए जाने और यह सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ कि जमानत पर निर्मुक्त किया गया अभियुक्त साक्षियों के साक्ष्य में न तो मध्यक्षेप करेगा और न ही उनको धमकाएगा, इस धारा को संशोधित किया जाना चाहिए जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) बिल, 1994 के खंड 42 के अधीन उपबंधित किया गया है –

"मुख्य अधिनियम की धारा 437 में,

(i) उपधारा (1) में

(क) खंड (ii) में शब्द 'अजमानतीय और संज्ञेय अपराध' के स्थान पर शब्द 'न्यूनतम तीन वर्षों के लिए कारावास द्वारा दंडनीय संज्ञेय अपराध' प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) तृतीय परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, :

'परंतु यह और भी कि किसी व्यक्ति को, यदि उसके द्वारा कारित किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्षों या उससे अधिक के कारावास द्वारा दंडनीय है, लोक अभियोजक को न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना जमानत पर निर्मुक्त नहीं किया जाएगा ।'

(ii) निम्नलिखित को उपधारा (3) में शब्दों 'न्यायालय अधिरोपित कर सकता है' द्वारा आरंभ होकर और 'न्यायहित' द्वारा समाप्त होकर प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

'न्यायालय शर्तें अधिरोपित करेगा, –

(क) ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा ।

(ख) ऐसा व्यक्ति मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई प्रलोभन, धमकी या वायदा, जिससे कि उसको न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटीकरण करने से या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके, नहीं करेगा और वह न्यायहित में उन शर्तों, जिनको आवश्यक समझता है, को भी अधिरोपित कर सकता है ।'"

33. महत्वपूर्ण रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यद्यपि आयोग ने खंड 7 में जमानत प्रदान किए जाने के समय अभियुक्त के पूर्ववृत्त और समान अपराध के दुबारा कारित किए जाने पर विचार-विमर्श किया था, फिर भी उसने अपनी सिफारिशों को अभियुक्त के न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित होते रहने और उसके द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने से निषिद्ध किए जाने पर ही जोर दिया था । तथापि, विधान-मंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अभियुक्त के भविष्य के क्रियाकलापों को नियंत्रित किए जाने के प्रयोजनार्थ धारा 437(3)(ख) के रूप में एक अन्य खंड जोड़ा ।

34. प्रतिभू :–

19.1 अभियुक्तों द्वारा दांडिक मामलों में नकली पहचान और पते के आधार पर नकली प्रतिभुओं की व्यवस्था किए जाने के पश्चात्

फरार हो जाने के कारण जमानत की प्रक्रिया पाखण्ड बन चुकी है । तद्नुसार, जाली दस्तावेजों के आधार पर निर्मुक्ति सुनिश्चित किए जाने की प्रक्रिया आसान हो गई है ।

19.2 ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली में प्रथा यह है कि जब न्यायालय किसी स्थानीय व्यक्ति के प्रतिभू के रूप में उपस्थित होने की इच्छा व्यक्त किए जाने के पश्चात् अभियुक्त को निर्मुक्त किए जाने की आज्ञा प्रदान करता है, तो प्रत्याभूतिदाता को अपना अधिवास और शोधनक्षमता साबित करने के प्रयोजनार्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं । यह राशन कार्ड या पासपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त, प्रत्याभूतिदाता की शोधन क्षमता को प्रमाणित किए जाने के प्रयोजनार्थ नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा, मोटर यान रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बैंक सावधि जमा रसीद या आयकर विभाग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है ।

19.3 न्यायालय परिसर में दलाल भी क्रियाशील होते हैं जो एक मूल्य सूची के आधार पर उन अभियुक्तों की सहायता करते हैं जो जमानत प्राप्त करने के पश्चात् फरार हो जाने के विचार के अंतर्गत योजना बनाते हैं । ये दलाल नकली पहचान के आधार पर प्रतिभू बन जाते हैं । वे अनेक नकली राशन कार्डों, जो दिल्ली में उनके अधिवास को साबित करते हैं और उनमें से प्रत्येक पर भिन्न नाम और पता अंकित होता है, के साथ क्रियाशील होते हैं । एक पूर्व दिनांकित स्टांप पेपर भी अभिप्राप्त किया जाता है जिस पर प्रत्याभूतिदाता की दिल्ली में स्थित संपत्तियों के मुख्तारनामे के संबंध में विवरण दर्ज होते हैं और जिसको नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया जाता है । उनके पास निजी संगठनों के नकली लेटरहैड, उनके सरकारी सेवकों के रूप में नकली पहचान पत्र और नकली मोटर यान रजिस्ट्रीकरण कागजात भी होते हैं । दलाल को प्रतिभू को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किए जाने के पूर्व प्रतिभू की रकम का 20 से 30 प्रतिशत का संदाय करना होता है ।

19.4 पेशेवर और नकली प्रतिभुओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक का खंड 44 एक नई धारा 441क सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित करता है जो इस प्रकार है –

'किसी अभियुक्त व्यक्ति की जमानत पर निर्मुक्ति के लिए प्रतिभू के रूप में उपस्थित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष इस बाबत घोषणा करेगा कि अभियुक्त को सम्मिलित करते हुए वह कितने व्यक्तियों के लिए प्रतिभू के रूप में उपस्थित हो चुका है और इस संबंध में वह समस्त सुसंगत विवरण प्रस्तुत करेगा ।'

19.5 हमारा विचार है कि जमानत की प्रक्रिया में पेशेवर और नकली प्रतिभुओं की घातक बुराई को समाप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ धारा 441क को संहिता में सम्मिलित किया जाए । यह धारा पेशेवर प्रतिभुओं, दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासकों और अपराधियों के मध्य दुरभिसंधि को समाप्त कर देगी ।

35. अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विधि आयोग ने विभिन्न विनिश्चयों की पृष्ठभूमि में निष्कर्ष निकाला था कि, :–

(i) दंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ जमानत प्रदान किए जाने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए ;

(ii) विधि के स्थापित सिद्धांत जमानत के पक्ष में हैं ;

(iii) निर्धन वंचित वर्ग के .... थे ;

(iv) उपनिधाताओं (जमानतदारों) की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है ;

(v) निष्पक्ष और त्वरित विचारण सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ किसी अभियुक्त के क्रियाकलापों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है ।

36. अब सुसंगत उपबंधों में संशोधनों का परीक्षण करते हैं जिनको नौ वर्षों के पश्चात् वर्ष 2005 में सम्मिलित किए गए थे और जिनको इटेलिक में नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है :–

"**436. किन मामलों में जमानत ली जाएगी** – (1) जब अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है, उस

बीच किसी समय, या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में जमानत देने के लिए तैयार है तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा :

परंतु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से, यदि वह व्यक्ति निर्धन है और प्रतिभू प्रस्तुत कर जाने में असमर्थ है, जमानत लेने के बजाय उसके इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर उसे उन्मोचित कर सकता है :

(परंतु .....)।

स्पष्टीकरण – जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के एक सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, तो अधिकारी या न्यायालय के लिए यह अवधारणा करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परंतुक के प्रयोजनार्थ निर्धन व्यक्ति है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत की शर्तों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है वहां न्यायालय उसे जब वह उसी मामले में किसी पश्चात्वर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है और ऐसी किसी इनकारी का ऐसे जमानतपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 446 के अधीन उसके शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

37. यहां पर यह बताया जाना महत्वपूर्ण है कि संशोधन के पश्चात् पूर्ववर्ती उपबंध की तुलना में संशोधित उपबंध अधिक सरल बन जाता है जब कोई अभियुक्त उन शर्तों का अनुपालन करने में विफल हो जाता है जिनका अनुपालन करने के लिए वह उन मामलों में भी बाध्य है जो जमानतीय प्रकृति के हैं और संशोधन के पश्चात् निर्धन व्यक्तियों के लिए अधिक कल्याणकारी हैं ।

38. अनुकंपा के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ धारा 436(क) को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था कि कोई व्यक्ति अनिश्चितकाल तक अभिरक्षा में विचारणाधीन के रूप में न रहे और इस धारा में जमानतीय अपराध के कुछ श्रेणियों को भी सम्मिलित कर दिया

गया था किंतु स्पष्टीकरण जोड़े जाने के द्वारा इस धारा के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि अनुकंपा बिना शर्त नहीं होगी ।

436क. अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी विचारणाधीन कैदी को निरुद्ध किया जा सकता है – जहां किसी व्यक्ति को किसी विधि के अधीन किसी अपराध (ऐसा कोई अपराध नहीं जिसके लिए मृत्युदंड उस विधि के अधीन अनेक दंडों में से एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) के बाबत इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास, जो विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट है, की अधिकतम अवधि की आधी अवधि के लिए निरुद्ध किया गया है, तो न्यायालय द्वारा उसको प्रतिभुओं सहित या उनके बिना उसके व्यक्तिगत बंधपत्र पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा :

परंतु यह तब जबकि .....

आगे यह तब जबकि .....

स्पष्टीकरण – जमानत प्रदान किए जाने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की संगणना किए जाने में अभियुक्त द्वारा कारित कार्यवाही में विलंब के कारण निरोध की अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

437. अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी – (1) जब कोई व्यक्ति, जिस पर अजामनतीय अपराध का अभियोग है या जिस पर यह संदेह है कि उसने अजमानतीय अपराध किया है, पुलिस अधिकारी के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है, किंतु –

(i) यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा ;

(ii) यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध

किया गया है या वह (तीन वर्ष या उससे अधिक किंतु सात वर्ष से कम अवधि के लिए दंडनीय किसी संज्ञेय अपराध) के लिए दो या अधिक अवसरों पर पहले दोषसिद्ध किया गया है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा :

परंतु न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति सोलह वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री या रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है :

परंतु यह और कि न्यायालय यह भी निदेश दे सकेगा कि खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित और ठीक है :

परंतु यह और भी कि केवल यह बात कि अभियुक्त की आवश्यकता, अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचाने जाने के लिए हो सकती है, जमानत मंजूर करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त हकदार है और वह वचन देता है कि वह ऐसे निदेशों का, जो न्यायालय द्वारा दिए जाएं, अनुपालन करेगा :

परंतु यह और भी कि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा यदि उसके द्वारा अभिकथित रूप से कारित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्षों के कारावास या उसके अधिक द्वारा दंडनीय है, लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना इस उपधारा के अधीन जमानत पर निर्मुक्त नहीं किया जाएगा ।

(2) .....

(3) जब कोई व्यक्ति, जिस पर ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की या उससे अधिक की है, दंडनीय कोई अपराध या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 6, अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन कोई अपराध कारित करने या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है, उपधारा (1) के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है, तो न्यायालय शर्तें अधिरोपित करेगा, –

(क) कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित

बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा,

(ख) कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा,

(ग) कि ऐसा व्यक्ति मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसा कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वायदा नहीं करेगा जिससे कि उसको न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटीकरण करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से प्रवरित किया जा सके और न्याय हित में ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकता है जैसी आवश्यक प्रतीत करे ।

(4) (7).....

39. इस प्रक्रम पर यह न्यायालय धारा 437(3) के संशोधन के खंडों पर टिप्पणों और सुसंगत असंशोधित भाग की ओर उसके अर्थ और धारा 439(क) के साथ उसके संबंध को समझने के प्रयोजनार्थ आकर्षित करना चाहता है ।

2005 का संशोधन अधिनियम

"संहिता की धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन न्यायालय को जमानत प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कतिपय शर्तें अधिरोपित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है । धारा 441(2) के अधीन जहां जमानत पर किसी व्यक्ति की निर्मुक्ति के लिए कोई शर्त अधिरोपित की गई है, बंधपत्र में वह शर्त भी समाविष्ट होगी । उपबंध को कड़ी शर्त बनाने के लिए और इस पर विचार करने के लिए कि जमानत पर निर्मुक्त किया गया व्यक्ति साक्षियों को बाधित नहीं करेगा या नहीं धमकाएगा, उपधारा (3) को कतिपय शर्तें विनिर्दिष्ट किए जाने के प्रयोजनार्थ, जो आज्ञापक है, संशोधित किया जा रहा है ।

(अधोरेखांकित मेरे द्वारा किया गया)

2005 के दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (2005 का 25) द्वारा प्रतिस्थापित, धारा 37(ii), न्यायालय कोई भी शर्त अधिरोपित कर सकता है, जो न्यायालय आवश्यक समझे –

(क) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा व्यक्ति

इस अध्याय के अंतर्गत निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार मौजूद रहेगा, या

(ख) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जिसका वह अभियुक्त है या जो उसके द्वारा किए जाने का संदेह है के समान कोई अन्य अपराध कारित नहीं करेगा, या

(ग) अन्यथा न्याय हित में ।"

439. जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां – (1) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है –

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार का है तो वह ऐसी कोई शर्त जिसे वह उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकता है ;

(ख) .....

परंतु यह तब जबकि .....

(2) .....

40. धारा 437(3) में 2005 के संशोधन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धारा 439(1)(क) में पहले उल्लिखित और सशर्त "प्रयोजन" अब निकाल दिया गया है । इसके बजाय अब 437(3) की आज्ञा है कि अभियुक्त पर कतिपय शर्तें अनिवार्य रूप से थोप दी जाएं ।

41. इन परिस्थितियों में मेरा यह विचार है कि धारा 439(1)(क) के अधोरेखांकित शब्द, जिनको ऊपर प्रत्युत्पादित किया गया है, भी समान रूप से धारा 437(3) के साथ सामंजस्य स्थापित किए जाने के प्रयोजनार्थ संशोधित किए जाने चाहिए । ऐसा न किए जाने के कारण यह प्रभाव सृजित हो गया है कि मजिस्ट्रेटों से शर्तें अधिरोपित किए जाने की अपेक्षा की जाती है । मेरे विचार में, 2005 के संशोधनों के लिए कारणों को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय होगा कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश धारा 459(1)(क) में प्रकट होने वाले शब्द का निर्वचन करेगा शब्द की

भांति करे और अनिवार्य रूप से शर्तें अधिरोपित करें चूंकि सुसंगत अर्थांवयन पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ प्रयोजन को आज्ञा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है ।

42. मैं यह चिंतन भी करता हूं कि न्यायालय शर्तों के अधिरोपण के महत्व का अनदेखा करने के द्वारा न केवल विधि की गति के साथ तालमेल बना पाने में विफल रहे हैं बल्कि उन्होंने अभियुक्त को यह परिकल्पित करते रहने की अनुज्ञा भी प्रदान कर दी है कि यदि उसको एक बार जमानत पर निर्मुक्त कर दिया गया है तो उसका विचारण का उत्तरदायित्व अभित्यजित हो गया है ।

43. मेरे विचार में विधि में यह परिवर्तन अत्यधिक महत्व का भी है क्योंकि किसी न्यायालय को संशोधनों के पूर्व अपराध के गुणागुण के अलावा इस बात पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करना होता था कि अभियुक्त जमानत के पश्चात् विचारण के दौरान उपस्थित होगा या नहीं और/या वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा या नहीं । अतः न्यायालय ने तीव्र गति के साथ निष्पक्ष विचारण का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर ले लिया । संशोधनों का प्रभाव यह हुआ कि अब इन पहलुओं का अटकलें लगाए जाने की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए स्थिर किया जाता है । यह मूलतः किसी न्यायालय और किसी अभियुक्त के भी उत्तरदायित्व को संतुलित कर देता है । वे शर्तें जो अब अभियुक्त पर बाध्यकारी हैं, आज्ञा करती हैं कि वह न्याय के अनुक्रम से भागेगा नहीं, नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और यदि उसको एक बार (जमानत पर) मुक्त किया गया, तो दूसरों के शांतिपूर्वक जीवनयापन के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करेगा । विधान-मंडल ने जमानत के मामलों में न्यायालय के विवेकाधिकार के महत्व को कम किए बिना न्यायालयों के कुछ भार को अभियुक्त, जिसको "विनियमित स्वतंत्रता" के बदले यह वायदा करना होगा कि वह न्यायिक प्रणाली के नियंत्रणाधीन रहेगा, को अंतरित करने का प्रयास किया है । यह शर्त यह सुझाव भी देती है कि हमको स्वयं को केवल मामले के गुणागुण, जो जमानत मंजूर किए जाने या उसको प्रदान करने से इनकार किए जाने का मानदंड नहीं होती, के आधार पर व्यथित होने से रोकने की आवश्यकता है और आवश्यकता इस बात की है कि किसी अभियुक्त को न्यायिक प्रणाली के प्रति और अधिक जवाबदेह कैसे बनाया जाए ।

44. हम इस संदर्भ में बंधपत्रों से संबंधित उपबंधों, जो समान दिशा में

अधिनियमित प्रतीत होते हैं, के विकास का परीक्षण करते हैं :–

> **441. अभियुक्त और प्रतिभुओं के बंधपत्र** – (1) किसी व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने या अपने बंधपत्र पर छोड़े जाने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा और जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभुओं द्वारा इतनी धनराशि के लिए जितनी, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे, इस शर्त का बंधपत्र निष्पादित किया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बंधपत्र में वर्णित समय और स्थान पर हाजिर होगा ।
>
> (2) .....
>
> (3) यदि मामले से ऐसा अपेक्षित है तो बंधपत्र द्वारा, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की उपेक्षा किए जाने पर आरोप का उत्तर देने के लिए उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या अन्य न्यायालय में हाजिर होने के लिए भी आबद्ध किया जाएगा ।
>
> (4) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रतिभू उपयुक्त या पर्याप्त है अथवा नहीं, न्यायालय शपथपत्रों को प्रतिभुओं के पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में उनमें अंतर्विष्ट बातों के सबूत के रूप में स्वीकार कर सकता है अथवा यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो वह ऐसे पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में या तो स्वयं जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से जांच करवा सकता है ।
>
> (अधोरेखांकन मेरे द्वारा किया गया)

45. 2005 में नीचे उद्धृत धारा 441क, जो किसी प्रतिभू की प्रकृति को तात्विक रूप से प्रभावित करती है, को जोड़ा गया :–

> **441क. प्रतिभुओं द्वारा घोषणा** – प्रत्येक व्यक्ति जो जमानत पर किसी अभियुक्त व्यक्ति की निर्मुक्ति के लिए प्रतिभू के रूप में उपस्थित होता है, इस बाबत न्यायालय के समक्ष समस्त सुसंगत विवरण देते हुए घोषणा करेगा कि वह अभियुक्त को सम्मिलित करते हुए कितने व्यक्तियों के लिए प्रतिभू के रूप में उपस्थित हो चुका है ।
>
> धारा 441क अधिनियमित किए जाने के द्वारा अब उपनिधाता (जमानतदार) की गुणवत्ता संवीक्षा और निरस्तीकरण के अध्यधीन हो

गई है ।

यहां पर संहिता के साथ संलग्न प्रपत्र संख्या 45, जिसको नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है, पर भी ध्यान दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

प्ररूप सं. 45

थाने या न्यायालय के भारसाधक अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए बंधपत्र और जमानतपत्र

[धारा 436, 437, 438(3) और 441 देखिए]

मैं (नाम) (स्थान) का निवासी हूं ..... थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट गिरफ्तार या निरुद्ध कर लिए जाने पर (या ..... न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर) अपराध से आरोपित किया गया हूं तथा मुझसे ऐसे अधिकारी का न्यायालय के समक्ष हाजिरी के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है ; मैं अपने को इस बात के लिए आबद्ध करता हूं कि मैं ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, हाजिर होऊंगा, जिसमें ऐसे आरोप की बाबत कोई अन्वेषण या विचारण किया जाए, तथा मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैं चूक करूं तो मेरी .... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(हस्ताक्षर)

ता. .....

मैं इसके द्वारा अपने को (या हम संयुक्ततः और पृथक्तः अपने को और अपने में से प्रत्येक को) उपरोक्त (नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करता हूं (या करते हैं) कि वह .... थाने के भारसाधक अधिकारी या .... न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, जिसको आरोप का अन्वेषण किया जाएगा या ऐसे आरोप का विचारण किया जाएगा, हाजिर होगा, कि वह ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष (यथास्थिति) ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए या उसके विरुद्ध आरोप का उत्तर देने के लिए उपस्थित होगा और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं (या हम अपने को आबद्ध करते हैं) कि इसमें उसके द्वारा चूक

किए जाने की दशा में मेरी/हमारी ..... रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(हस्ताक्षर)

ता. .....

46. धारा 446क सुव्यक्ततः उपस्थिति में चूक के कारणवश जमानत बंधपत्रों को रद्द किए जाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय की शक्ति की कुंजी धारित करती है ।

446क. बंधपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण – धारा 446 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र किसी मामले में हाजिर होने के लिए है और उसकी किसी शर्त के भंग होने के कारण उसका समपहरण हो जाता है, वहां –

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र तथा उस मामले में उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित एक या अधिक बंधपत्र भी, यदि कोई हों, रद्द हो जाएंगे ; और

(ख) .....

परंतु यह तब जबकि .....

47. संक्षिप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ, नई संहिता के अनुसार न्यायालयों को ध्यान में रखना चाहिए कि :–

(i) बंधपत्र की पर्याप्तता एक अनिश्चित कारक होती है (441)।

(ii) उपनिधाता (जमानतदार) और अभियुक्त दोनों अपेक्षित तारीखों पर न्यायालय के समक्ष जमानत पर निर्मुक्त अभियुक्त की हाजिरी/उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होते हैं [437(3)(क) सपठित 441(1) प्रपत्र 45] ।

(iii) आरोप निर्धारित किए जाने की तारीख पर उपस्थिति पूर्व निर्धारित शर्त होती है [437(3)(क) जिसको 441 प्रपत्र 45 के सामंजस्य में पढ़ा जाए] ।

(iv) न्यायालय उपनिधाताओं (जमानतदारों) की पर्याप्तता के सबूत में शपथपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम होती है (441क) ।

48. अंततः, यह न्यायालय पैराग्राफ में उल्लिखित शर्तों को स्पष्ट

करना ईप्सित करती है :–

(i) यह न्यायालय शर्त 'क' के द्वारा किसी अभियुक्त को उसके नातेदार की देखरेख में सौंपे जाते समय उसके परिवार की अधिकाधिक सूचना ईप्सित करती है जिससे कि उसको अपेक्षित समय पर उनमें (उसके नातेदारों) से किसी के द्वारा खोजा जा सके । सूचना सशपथ दी जानी होती है जिससे कि यदि बाद में कोई प्रविष्टि असत्य पाई जाती है, तो यह बंधपत्रों के रद्दकरण का समुचित आधार होगा । साथ ही यह भी कि सामान्यतया, कोई मुकदमेबाज किसी शपथपत्र के साथ कुछ मात्रा में पुनीतता भी संलग्न करता है और शपथ पर असत्य कथन करने से भयभीत रहता है ।

बहुधा यह देखा गया है कि विचारणों में विलंब होता है क्योंकि अभियुक्त अपनी स्थान-स्थित को परिवर्तित करता रहता है । इसलिए यह शर्त उपनिधाता (जमानतदार) से यह अपेक्षा भी करती है कि वह पते में परिवर्तन की कोई भी सूचना न्यायालय को दे ।

(ii) बहुधा यह पाया गया है कि न्यायालय किसी अपराधी को निर्मुक्त किए जाने के समय पूर्व-वृत्त के संबंध में एक अतिरिक्त शपथपत्र प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करती है और इसलिए समुचित मामलों में यह शर्त 'ख' के रूप में प्रमाणीकरण के अध्यधीन होती है, जो धारा 437(1)(ii) के अनुरूप है ।

(iii) शर्त 'ग' अभियुक्त के भविष्य के आचरण के बारे में धारा 437(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार प्रावधान करती है । यह अभियुक्त की जमानत के रद्दकरण के लिए विधिमान्य आधार होती है जिसके लिए कोई अतिरिक्त सूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं होती चूंकि उसने अपने आपको समरूप क्रियाकलापों में सम्मिलित न होने की शर्त के अंतर्गत पहले ही बाध्य कर लिया है । फिर भी, महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय को इस बाबत स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि पश्चात्वर्ती मामले की विवक्षा प्रमाणिक है । यह शर्त अतिरिक्त रूप से प्रभारी अर्थात् उपनिधाता (जमानतदार) पर विचारण के अंत तक के लिए निरंतर रूप से उत्तरदायित्व भी अधिरोपित करती है ।

(iv) शर्त 'घ' विचारण में दो मुख्य विघ्नकारी बिंदुओं अर्थात् पुलिस कागजातों को प्राप्त किए जाने वाले प्रक्रम और आरोप विरचित किए जाने वाले प्रक्रम का समाधान करने के लिए अधिरोपित

की गई है । यह शर्त अबाधित और त्वरित विचारण सुनिश्चित किए जाने के मुख्य उत्तरदायित्व को न्यायालय के कंधों से अभियुक्त के कंधों पर अंतरित किए जाने की ईप्सा भी करती है ।

(v) शर्त 'ङ' को किसी अभियुक्त की बिना स्पष्टीकरण वाली उपस्थिति की संभाव्यता का निराकरण किए जाने के प्रयोजनार्थ उपरोक्त के साथ संक्रमण में अधिरोपित किया गया है । ये दोनों शर्तें धारा 437(3)(क), 446क और प्रपत्र 45 के साथ अनुरूपता में हैं ।

(vi) यह न्यायालय विधि आयोग द्वारा खंड 8.3 में किए गए विचार-विमर्श में उल्लिखित सुझाव को अंगीकृत करती है कि अभियुक्त को किसी जिम्मेदार व्यक्ति की अभिरक्षा और संरक्षण में सौंप दिया जाना चाहिए और समुचित मामलों, जहां न्यायालय महसूस करता है कि अभियुक्त यदाकदा परिवार और समाज के सुरक्षा संजाल से भाग सकता है, शर्त छः अधिरोपित की जानी चाहिए । यह न केवल उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बल्कि नकारात्मक प्रतिक्रिया को अवरोधित करने के लिए भी है जिससे कि उसको जीवन के एक मार्ग का विकल्प मिल जाए और जिसके लिए पहले उसके पास कोई अवसर नहीं था । ऐसा करके यह न्यायालय आशा करता है कि उसकी ऊर्जा और ध्यान आशा और वायदे के संसार की ओर उन्मुख हो जाएगा ।

मैं महसूस करता हूं कि यह आवश्यक है चूंकि मेरा विचार है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध किसी व्यक्ति के जीवन पर वही प्रभाव नहीं रखेंगे जैसाकि अवसर पहले दिया गया था । इसके अलावा एक अच्छे प्रमाणपत्र की प्रस्तुतीकरण पर न्यूनतम दंड के अवसर हो सकते हैं जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम को प्रभावी करेंगे और दांडिक न्याय विवरण प्रणाली में मानवीय स्पर्श भी जोड़ेगें ।

(vii) यह न्यायालय समुचित मामलों में अपराध की प्रकृति और अभियुक्त के क्रियाकलाप को नियंत्रण में रखे जाने की आवश्यकता को देखते हुए शर्त 1 अधिरोपित करता है जिसके द्वारा अभियुक्त को पुलिस प्राधिकारी जो उसके क्रियाकलापों पर नजर बनाए रखने के लिए निदेशित है, के समक्ष उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की जाती है ।

49. पूर्वोक्त सिद्धांतों को मेरे द्वारा विस्तारपूर्वक उल्लिखित और स्पष्ट किया गया है जिससे कि सभी दांडिक न्यायालय ऐसे मामलों पर विचार

करते हुए इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें और अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना यंत्रवत कार्य न करें ।

50. सभी मजिस्ट्रेटों को निदेशित किया जाता है कि वे नैत्यिक रूप से मौद्रिक प्रतिभुओं पर जोर न दें और न ही दुर्भर शर्तें निर्धारित करें । दस्तावेज जैसे कि मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/बी.पी.एल. राशन कार्ड और ऐसे अन्य कागजात अभियुक्त/उपनिधाता (जमानतदार) की विश्वसनीयता के बाबत उनको संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए ।

51. आगे, दांडिक न्यायालयों को सलाह दी जाती है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि कतिपय अपराध जैसेकि 498क पर भिन्न पद्धति में विचार किया जाए । प्रथमतः सभी न्यायालयों की उत्सुकता सुलह की प्रक्रिया आरंभ करने और परिवार के हित को संरक्षित करने की होनी चाहिए जिस कारणवश उनको ऐसे मामलों के अभियुक्तों को नैत्यिक रूप से कारागार में रखे जाने से विरत रहना चाहिए । यदि परिवार का कोई भी सदस्य कारागार भेज दिया जाता है, तो सुलह के अवसर कम हो जाएंगे । अतः 498क के मामलों में, जब तक कि आरोप इतने अधिक गंभीर न हों कि उनमें आत्यंतिक निश्चितता के साथ सुलह का कोई मार्ग शेष न हो, जब कभी भी कोई अभियुक्त अग्रिम जमानत के लिए उपस्थित हो और विवाद के निपटारे के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करे, तो उसको जमानत/ अनंतिम जमानत प्रदान कर दी जानी चाहिए ।

तत्समय संबद्ध पक्ष को नोटिस जारी की जाए और उनके उपस्थित होने के पश्चात् मामले को स्थानीय सुलह केंद्र या किसी जिम्मेदार नागरिक/अधिवक्ता को निर्दिष्ट किया जाए । जमानत पर निर्मुक्त अभियुक्त को इस शर्त के साथ निर्मुक्त किया जाए कि वह सुलह केंद्र/व्यक्ति के समक्ष उपस्थित हो और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसके जमानत बंधपत्र उस शर्त, जिसके साथ उन्होंने स्वयं को बाध्य किया था, के अतिक्रमण के कारण निरस्त कर दिए जाएं । ऐसी कार्यवाहियों के लिए कोई अधिकतम समय-सीमा, जैसे कि चार माह, निर्धारित कर दी जाए । इसके अंत में, यदि रिपोर्ट अनुकूल हो, तो मामले को अंतिम आज्ञाप्ति के लिए लोक अदालत को भेज दिया जाए और यदि रिपोर्ट अनुकूल न हो, तो मामले को त्वरित निस्तारण के लिए अधिमानतः दिन-प्रतिदिन आधार पर, चिह्नांकित किया जाए । साक्षियों की संख्या पर निर्भर रहते हुए पुनः एक अधिकतम समय-सीमा निर्धारित कर दी जाए । इस दौरान प्रथमदृष्ट्या शर्त "ज" अधिरोपित कर दी जाए ।

यहां पर, मैं यह बताना चाहूंगा कि यद्यपि धारा 437(2) मजिस्ट्रेट को कतिपय स्थितियों में अभियुक्त को अनंतिम रूप से निर्मुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है फिर भी यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन संस्थित मामलों को आच्छादित नहीं करती । इसलिए, जब कभी भी कोई मजिस्ट्रेट ऐसी प्रकृति के किसी मामले को निपटारा करने का प्रयास करता है, तो उसको अभियुक्त को एक पक्षपातपूर्ण लाभ प्रदान करते हुए जमानत अनिवार्यतः प्रदान करनी चाहिए । मैं इस अवसर का लाभ विधि आयोग को अनुरोध करने के प्रयोजनार्थ उठाता हूं कि वे इस समस्या पर विचार करें और धारा 437(2) में उचित संशोधन का सुझाव (सरकार को) दें जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों में व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किए जाएं ।

52. अंततः निन्दकों को स्पष्ट करने के लिए यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि यह न्यायालय इस भ्रांत-धारणा के अंतर्गत नहीं है कि पूर्वोक्त शर्तें अधिरोपित किए जाने के द्वारा आदर्श राज्य की स्थिति उत्पन्न होने की संभाव्यता है । इस न्यायालय को यह विश्वास है कि वह ऐसा संहिता और विधि आयोग द्वारा उठाए गए पहलुओं, जिन पर ऊपर चर्चा की गई है, के चिरकालिक महत्व पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ कर रहा है । इस न्यायालय का मात्र यह प्रयास रहा है कि विधान-मंडल की बुद्धिमत्ता को परावर्तित करने वाली बाध्यताओं का निर्वहन किया जाए और दांडिक न्यायशास्त्र के विकास के साथ गति बनाए रखी जाए और इससे अधिक कुछ नहीं ।

53. इस आदेश की एक प्रति बिहार के समस्त जिला और सेशन न्यायाधीशों को शेष न्यायिक अधिकारियों के मध्य आगे परिचालनार्थ भेजी जाए । इस आदेश की एक प्रति भारतीय विधि आयोग, स्थित आई. एल. आई. भवन, (द्वितीय तल), भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली के अध्यक्ष को भी भेजी जाए ।

तद्नुसार आदेश पारित किया गया ।

शु.

फूल चन्द

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 20 जून, 2014

न्यायमूर्ति एस. के. गांगेले और न्यायमूर्ति एस. के. पालो

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 – बलात्संग – अभियुक्त-पिता द्वारा अपनी पुत्री से बलात्संग किया जाना – अभियोक्त्री की माता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – यदि चिकित्सा साक्ष्य से यह दर्शित है कि अभियोक्त्री मैथुन की अभ्यस्त थी और एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियुक्त की पत्नी का चाल-चलन ठीक नहीं था तो उसके कथन का पूर्ण रूप से अवलंब नहीं लिया जा सकता, इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं कि गुड्डी बाई (अभि. सा. 2) अप्राप्तवय अभियोक्त्री, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष है, की माता है और अभियोक्त्री की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई है । तारीख 24 फरवरी, 2001 से पांच दिन पूर्व शिकायतकर्ता गुड्डी बाई अपना चेहरा और हाथों को धोने के लिए गई हुई थी । जब वह वापस आई तब उसने यह देखा कि उसका पति (अभियुक्त) अपनी अप्राप्तवय पुत्री के साथ मैथुन कर रहा है । ऐसा देखकर वह मूर्छित हो गई और जब उसे पुनः होश आया तब उसने अपने पति से यह पूछा कि तुम ऐसा घृणित कार्य क्यों कर रहे हो । अपीलार्थी फूल चन्द ने यह उत्तर दिया कि वह कुछ भी कर सकता है और उसे ऐसा करने के लिए अपनी पुत्री की चाहत थी । अभियुक्त-अपीलार्थी ने घर के अन्दर अभियोक्त्री को बन्द कर रखा था और अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को जबरन अपने (हमला करके) साथ रखा गया था । उसने अपनी रिपोर्ट में यह अभिकथन किया है कि अभियोक्त्री ने उसे यह भी बताया कि इस घटना से पूर्व उसके पिता ने उसके साथ मैथुन किया था । अभियुक्त प्रायः शिकायतकर्ता और अभियोक्त्री को घर के अन्दर रखा करता था और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी । तारीख 24 फरवरी, 2001 को शिकायतकर्ता बड़ी कठिनाई के साथ घर से बाहर निकली और पुलिस थाना राघोगढ़, जिला गूना में रिपोर्ट दर्ज कराई और

उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त उनको परेशान किया करता था और वे असुरक्षित महसूस करते हैं तथा अभियुक्त द्वारा भविष्य में पुनः मैथुन किए जाने की संभावना है । लिखित शिकायत प्राप्त करने के पश्चात् पुलिस थाना राघोगढ़, जिला गूना द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अन्वेषण करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, गूना ने अभियुक्त-अपीलार्थी के समक्ष दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन आरोप पढ़कर सुनाया । अपीलार्थी ने दोषी होने का खंडन किया । अपीलार्थी ने अपनी परीक्षा में कथन किया है कि अभियोक्त्री की आयु लगभग 19 वर्ष है, वह अप्राप्तवय नहीं है । उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री को उसकी माता गुड्डी बाई द्वारा सिखाया-पढ़ाया गया है । गुड्डी बाई पतिव्रत नारी नहीं है । उसके अन्य व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध हैं । वह रात्रि में घर पर नहीं रहती है जिस बात को पति-अभियुक्त द्वारा बर्दाश्त नहीं किया गया और उसने ऐसी हरकतों का विरोध किया । इन बातों से शिकायतकर्ता क्रोधित हो गई । अभियोक्त्री को अपनी माता के अपतिव्रत होने के बारे में पता था । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता को ऐसा जीवन जीने से रोकने के कारण उसने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट दर्ज की है । अपीलार्थी-अभियुक्त ने यह भी कथन किया है कि उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है और शिकायतकर्ता ऐसी कार्रवाई करके अपीलार्थी को कारागार में रखना चाहती है तथा शिकायतकर्ता निर्बाध स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को अवसर देने के पश्चात् तारीख 26 सितंबर, 2002 को आक्षेपित निर्णय पारित किया और अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन दोषी ठहराया तथा उसे आजीवन कारावास का दंडादेश दिया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इसके बावजूद भी अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि उसने अपनी मां के अनुदेश पर पुलिस को रिपोर्ट की थी । यदि उसकी मां रिपोर्ट करने के लिए अनुदेश नहीं देती तब वह रिपोर्ट दर्ज करने के लिए नहीं जा सकती थी । उसने स्वयं रिपोर्ट नहीं की बल्कि उसकी माता ने रिपोर्ट दर्ज की । (पैरा 9)

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बालक के मामले में यह मताभिव्यक्ति की गई है जो इस प्रकार है – हमने (बालक) उसके साक्ष्य

पर सावधानीपूर्वक विचार किया है परन्तु हम यह मत व्यक्त करते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसके पक्ष में अत्यधिक रियायत बरतने की बात सोचते हैं कि वह एक बालक साक्षी है तब हमें उसके परिसाक्ष्य को स्वीकार करने में कठिनाई होती है । (पैरा 11)

बलात्संग के मामले में चिकित्सीय विधिक परीक्षा का बड़ा महत्व है, डा. (श्रीमती) निधि जैन (अभि. सा.6), जिन्होंने उसी दिन अभियोक्त्री की परीक्षा की और रिपोर्ट तैयार की थी तथा चिकित्सीय विधिक रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) भी तैयार की । उन्होंने अभियोक्त्री के शरीर पर कोई क्षति नहीं पाई । उसका योनिच्छद अविद्यमान था, तथा इसका भंग हुआ था । उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि अभियोक्त्री मैथुन की अभ्यस्त थी । महिला डाक्टर जिन्होंने अभियोक्त्री की परीक्षा की, उन्होंने यह बात कहने में असमर्थता प्रकट की कि योनिच्छद का भंग कितना पुराना है । उन्होंने यह भी तर्क किया कि अभियोक्त्री का योनिच्छद बहुत पहले से फटा हुआ है । अतः उन्होंने यह राय व्यक्त की है कि अभियोक्त्री मैथुन की अभ्यस्त थी । इससे अभियोक्त्री के आचरण के बारे में धारणा प्रकट होती है । अपीलार्थी द्वारा तथाकथित मैथुन किए जाने के बारे में उसका कथन सिखाया-पढ़ाया हो सकता है । (पैरा 12)

गुड्डी बाई (अभि. सा. 2) जिसके बारे में यह कहा गया है कि वह इस मामले में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, अपने पति अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है । उसके कथन की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है । गुड्डी बाई (अभि. सा. 2) विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत भी है कि वह पिछले 5-6 वर्षों से पूरन और शिवलाल को जानती है जो ग्राम रामनगर के निवासी हैं । इससे अभियोजन पक्षकथन में संभव और युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है । गुड्डी बाई (अभि. सा. 2) का कथन से विश्वास उत्प्रेरित नहीं होता है खासतौर पर जब अभियोक्त्री ने पूरन और शिवलाल से उसके संबंधों के बारे में कथन किया । (पैरा 15)

इस बारे में अभियोजन के पक्षकथन को चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन नहीं मिलता है और गुड्डी बाई (अभि. सा. 2) का साक्ष्य में विसंगतियां हैं क्योंकि वह अपीलार्थी से बैर-भाव रखती थी, उसके कथन का पूर्ण रूप से अवलंब नहीं लिया जा सकता है । यदि ऐसा है तो अभियोक्त्री के एकमात्र कथन जिसमें सिखाने-पढ़ाने की पूरी संभावना प्रकट होती है, उस पर हमारी यह राय है कि निःसंदेह स्वीकार योग्य नहीं है । (पैरा 19)

ऐसा मत व्यक्त करते हुए हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं और दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से उसे दोषमुक्त करते हैं । परिणामस्वरूप अपील मंजूर की जाती है । (पैरा 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2012] (2012) 7 एस. सी. सी. 171 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2281 : **नरेन्द्र कुमार** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)** ; 13

[2009] (2009) 15 एस. सी. सी. 566 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2519 (सप्ली.) : **तामिजुद्दनी** उर्फ **तम्मू** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)** ; 14

[2007] (2007) 12 एस. सी. सी. 57 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 847 (सप्ली.) : **राधू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 16

[1977] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 135 : **कैटेनो पाईडाडे फर्नांडीस और एक अन्य** बनाम **संघीय राज्य क्षेत्र, गोवा दमन और दीव पणजी गोवा** । 11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2002 की दांडिक अपील सं. 573.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री समीर कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से –

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. के. पालो ने दिया ।

न्या. पालो – अपीलार्थी फूल चन्द का 2001 के सेशन विचारण सं. 153 में दंड संहिता की धारा 376 के अधीन विचारण किया गया और तारीख 26 सितंबर, 2002 को निर्णय पारित करके उसे दोषसिद्ध ठहराया गया,

यह निर्णय विद्वान् प्रथम सेशन न्यायाधीश, गूना द्वारा सुनाया गया और अपीलार्थी को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया और यह अपील दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को आक्षेपित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन फाइल की गई है ।

2. मामले के अविवादित तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोक्त्री अभियुक्त/अपीलार्थी की अप्राप्तवय पुत्री है । डा. ए. एस. ओझा द्वारा चिकित्सा रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें यह बात प्रकट की गई है कि अपीलार्थी को ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे कि वह मैथुन करने में असमर्थ हो सकता और इस बात को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के अधीन अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है ।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं कि गुड्डी बाई (अभि. सा. 2) अप्राप्तवय अभियोक्त्री, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष है, की माता है और अभियोक्त्री की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई है । तारीख 24 फरवरी, 2001 से पांच दिन पूर्व शिकायतकर्ता गुड्डी बाई अपना चेहरा और हाथों को धोने के लिए गई हुई थी । जब वह वापस आई तब उसने यह देखा कि उसका पति (अभियुक्त) अपनी अप्राप्तवय पुत्री के साथ मैथुन कर रहा है । ऐसा देखकर वह मूर्छित हो गई और जब उसे पुनः होश आया तब उसने अपने पति से यह पूछा कि तुम ऐसा घृणित कार्य क्यों कर रहे हो । अपीलार्थी फूल चन्द ने यह उत्तर दिया कि वह कुछ भी कर सकता है और उसे ऐसा करने के लिए अपनी पुत्री की चाहत थी । अभियुक्त-अपीलार्थी ने घर के अन्दर अभियोक्त्री को बन्द कर रखा था और अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को जबरन अपने (हमला करके) साथ रखा गया था । उसने अपनी रिपोर्ट में यह अभिकथन किया है कि अभियोक्त्री ने उसे यह भी बताया कि इस घटना से पूर्व उसके पिता ने उसके साथ मैथुन किया था । अभियुक्त प्रायः शिकायतकर्ता और अभियोक्त्री को घर के अन्दर रखा करता था और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी । तारीख 24 फरवरी, 2001 को शिकायतकर्ता बड़ी कठिनाई के साथ घर से बाहर निकली और पुलिस थाना राघोगढ़, जिला गूना में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त उनको परेशान किया करता था और वे असुरक्षित महसूस करते हैं तथा अभियुक्त द्वारा भविष्य में पुनः मैथुन किए जाने की संभावना है ।

4. लिखित शिकायत प्राप्त करने के पश्चात् पुलिस थाना राघोगढ़,

जिला गूना द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अन्वेषण करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, गूना ने अभियुक्त-अपीलार्थी के समक्ष दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन आरोप पढ़कर सुनाया । अपीलार्थी ने दोषी होने का खंडन किया । अपीलार्थी ने अपनी परीक्षा में कथन किया है कि अभियोक्त्री की आयु लगभग 19 वर्ष है, वह अप्राप्तवय नहीं है । उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री को उसकी माता गुड्डी बाई द्वारा सिखाया-पढ़ाया गया है । गुड्डी बाई पतिव्रत नारी नहीं है । उसके अन्य व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध हैं । वह रात्रि में घर पर नहीं रहती है जिस बात को पति-अभियुक्त द्वारा बर्दाश्त नहीं किया गया और उसने ऐसी हरकतों का विरोध किया । इन बातों से शिकायतकर्ता क्रोधित हो गई । अभियोक्त्री को अपनी माता के अपतिव्रत होने के बारे में पता था । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता को ऐसा जीवन जीने से रोकने के कारण उसने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट दर्ज की है । अपीलार्थी-अभियुक्त ने यह भी कथन किया है कि उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है और शिकायतकर्ता ऐसी कार्रवाई करके अपीलार्थी को कारागार में रखना चाहती है तथा शिकायतकर्ता निर्बाध स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है ।

5. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को अवसर देने के पश्चात् तारीख 26 सितंबर, 2002 को आक्षेपित निर्णय पारित किया और अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन दोषी ठहराया तथा उसे आजीवन कारावास का दंडादेश दिया ।

6. हमने अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी/राज्य के दोनों विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया ।

7. अभिलेख का परिशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोक्त्री की आयु लगभग 15 वर्ष है । अभियोक्त्री की डा. सीताराम सिंह रघुवंशी (अभि. सा. 7) द्वारा विकिरण चिकित्सा परीक्षा की गई थी और उसकी एक्सरे प्लेट (प्रदर्श पी-9) की परीक्षा करने के पश्चात् उसने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श रिपोर्ट 8) में यह राय व्यक्त की है कि अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से ऊपर और 19 वर्ष से नीचे है । इस प्रकार अभियोजन पक्षकथन पर अभियोक्त्री की आयु के बारे में संदेह उत्पन्न होता है ।

8. अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि घटना के समय पर उसकी माता बाहर गई हुई थी और जब वह वापस लौटी तो उसने यह देखा कि उसके पिता उसके साथ मैथुन कर रहे हैं । ऐसा देखकर उसकी माता मूर्छित हो गई और अभियोक्त्री ने यह भी बताया कि उसके पिता (अपीलार्थी) पहले भी उससे मैथुन कर चुके हैं । अभियोक्त्री से उसकी प्रतिपरीक्षा में ऐसी घटना की पूर्व में कितने बार पुनरावृत्ति हुई के बारे में, का प्रश्न पूछा गया था ? यह भी कथन किया कि उसके पिता ने पिछले पांच या छः मास के अन्तराल में उससे दो बार मैथुन किया था । परन्तु उसने इन घटनाओं के बारे में अपनी माता को सूचित नहीं किया । यहां यह भी उल्लेख करना सुसंगत होगा कि अभियोक्त्री प्रतिरक्षा काउंसेल के इस सुझाव से सहमत है कि उसे उसके कथन अभिलिखित करने की तारीख को प्रातः सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय में ले जाया गया था और वह अपनी माता के साथ पुलिस के समक्ष कथन करने के लिए भी गई थी और उसे न्यायालय परिसर में उन कथनों को करने के बारे में अनुदेश दिया गया था । इससे यह अवधारणा प्रकट होती है कि इसमें सिखाने-पढ़ाने का तत्व विद्यमान है । अभियोक्त्री द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 और 9 के कथनों से इस उपधारणा को समर्थन मिलता है । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने सुस्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसकी माता गुड्डी बाई और उसके पिता-अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था और उसके पिता (अपीलार्थी) ने उसकी माता को पूरनलाल और शिवलाल से मिलने से मना किया था । यह घटना दो से तीन साल पूर्व की है । उसने यह भी कथन किया कि उसकी माता रात्रि में इन व्यक्तियों के पास जाया करती थी और लगभग 2 बजे पूर्वाह्न वापस लौटा करती थी जिस बात का उसके पिता ने विरोध किया था ।

9. इसके बावजूद भी अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि उसने अपनी मां के अनुदेश पर पुलिस को रिपोर्ट की थी । यदि उसकी मां रिपोर्ट करने के लिए अनुदेश नहीं देती तब वह रिपोर्ट दर्ज करने के लिए नहीं जा सकती थी । उसने स्वयं रिपोर्ट नहीं की बल्कि उसकी माता ने रिपोर्ट दर्ज की ।

10. इन सभी बातों से यह दर्शित होता है कि अभियोक्त्री अपनी मां के प्रभाव में थी और सिखाने-पढ़ाने से इनकार नहीं किया जा सकता ।

11. **कैटेनो पाईडाडे फर्नांडीस और एक अन्य** बनाम **संघीय राज्य**

क्षेत्र, गोवा दमन और दीव पणजी गोवा[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बालक के मामले में यह मताभिव्यक्ति की गई है जो इस प्रकार है :–

> "हमने (बालक) उसके साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया है परन्तु हम यह मत व्यक्त करते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसके पक्ष में अत्यधिक रियायत बरतने की बात सोचते हैं कि वह एक बालक साक्षी है तब हमें उसके परिसाक्ष्य को स्वीकार करने में कठिनाई होती है ।"

12. बलात्संग के मामले में चिकित्सीय विधिक परीक्षा का बड़ा महत्व है, डा. (श्रीमती) निधि जैन (अभि. सा. 6), जिन्होंने उसी दिन अभियोक्त्री की परीक्षा की और रिपोर्ट तैयार की थी तथा चिकित्सीय विधिक रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) भी तैयार की । उन्होंने अभियोक्त्री के शरीर पर कोई क्षति नहीं पाई । उसका योनिच्छद अविद्यमान था, तथा इसका भंग हुआ था । उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि अभियोक्त्री मैथुन की अभ्यस्त थी । महिला डाक्टर जिन्होंने अभियोक्त्री की परीक्षा की, उन्होंने यह बात कहने में असमर्थता प्रकट की कि योनिच्छद का भंग कितना पुराना है । उन्होंने यह भी तर्क किया कि अभियोक्त्री का योनिच्छद बहुत पहले से फटा हुआ है । अतः उन्होंने यह राय व्यक्त की है कि अभियोक्त्री मैथुन की अभ्यस्त थी । इससे अभियोक्त्री के आचरण के बारे में धारणा प्रकट होती है । अपीलार्थी द्वारा तथाकथित मैथुन किए जाने के बारे में उसका कथन सिखाया-पढ़ाया हो सकता है ।

13. इस संबंध में **नरेन्द्र कुमार** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ला)**[2] वाले मामले का अवलंब लिया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अधिकथित किया गया है जो इस प्रकार है :–

> "अभियोक्त्री के कथन में अप्राप्तवय अपर्याप्त विसंगतियां, विभेद नगण्य हैं – यदि उसका कथन गंभीर कमियों, विसंगतियों से भरा हुआ है और तात्विक प्रश्नों पर जानबूझकर सुधार किए गए हैं जैसा कि वर्तमान मामले में प्रकट है तब उनका कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता इसलिए अपीलार्थी संदेह का लाभ लिए जाने

---

[1] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 135.

[2] (2012) 7 एस. सी. सी. 171 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2281.

का हकदार है और इसलिए दोषमुक्त किया जाता है ।"

14. बलात्संग के मामले में अभियोक्त्री का साक्ष्य को प्रबल रूप से विचार में लिया गया परन्तु अभियोजन का पक्षकथन असंभाव्य और तर्क को झुठलाया हुआ प्रतीत होता है । इस संबंध में **तामिजुद्दनी** उर्फ **तम्मू** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)**[1] वाले मामले में दिए गए उद्धरण से लाभ लेने के लिए अनुसरण किया जाता है :–

> अभियोक्त्री के साक्ष्य पर प्रबलता से विचार किया जाना चाहिए बल्कि यह भी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए । यद्यपि अभियोजन या अभियोक्त्री का पक्षकथन असंभाव्य और तर्क को झुठलाता हो । यदि ऐसा होता है तो उन सिद्धांतों पर हिंसा करना होगा जो किसी दांडिक मामले में साक्ष्य के मूल्यांकन को शासित करते हैं – इन तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन के वृत्तांत में प्रकट भ्रांतियों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन के पक्षकथन के लिए समर्थित साक्ष्य लेना आवश्यक था ।

15. गुड्डी बाई (अभि. सा. 2) जिसके बारे में यह कहा गया है कि वह इस मामले में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, अपने पति अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है । उसके कथन की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है । गुड्डी बाई (अभि. सा. 2) विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत भी है कि वह पिछले 5-6 वर्षों से पूरन और शिवलाल को जानती है जो ग्राम रामनगर के निवासी हैं । इससे अभियोजन पक्षकथन में संभव और युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है । गुड्डी बाई (अभि. सा. 2) का कथन से विश्वास उत्प्रेरित नहीं होता है खासतौर पर जब अभियोक्त्री ने पूरन और शिवलाल से उसके संबंधों के बारे में कथन किया ।

16. **राधू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सावधानी बरतने के लिए कहा गया कि न्यायालयों को हर समय अपने विवेक में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बलात्संग के मिथ्या आरोप असामान्य नहीं हैं । ऐसे विरल दृष्टांत भी दिखाई देते हैं जहां माता-

---

[1] (2009) 15 एस. सी. सी. 566 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2519 (सप्ली.).

[2] (2007) 12 एस. सी. सी. 57 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 847 (सप्ली.).

पिता किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए या पैसे की उगाही करने के लिए बलात्संग के मिथ्या आरोप का कथन करने के लिए अपनी आज्ञाकारी पुत्री को राजी कर लेते हैं ।

17. विद्वान् अभियोजक ने यह दलील दी है कि अभियुक्त-अपीलार्थी अभियोक्त्री का पिता है और उसने अपनी पुत्री पर मैथुन हमला किया है तथा अभियोक्त्री के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह अनावश्यक रूप से अपने पिता को आलिप्त करे । अतः अभियोक्त्री पर बलात्संग का तथ्य युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हुआ है ।

18. हम किसी प्रकार भी तब तक इस दलील को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हैं जब तक कि यह निष्कर्ष निकाले जाने के लिए विश्वसनीय या स्वीकार योग्य साक्ष्य न हो कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने बलात्संग किया था ।

19. इस बारे में अभियोजन के पक्षकथन को चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन नहीं मिलता है और गुड्डी बाई (अभि. सा. 2) का साक्ष्य में विसंगतियां हैं क्योंकि वह अपीलार्थी से बैर-भाव रखती थी, उसके कथन का पूर्ण रूप से अवलंब नहीं लिया जा सकता है । यदि ऐसा है तो अभियोक्त्री के एकमात्र कथन जिसमें सिखाने-पढ़ाने की पूरी संभावना प्रकट होती है, उस पर हमारी यह राय है कि निःसंदेह स्वीकार योग्य नहीं है ।

20. ऐसा मत व्यक्त करते हुए हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं और दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से उसे दोषमुक्त करते हैं । परिणामस्वरूप अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

———————

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

विपिन कुमार

तारीख 8 जनवरी, 2015

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पी. एस. राणा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(1), 452, 511 और 506 [सपठित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(xii)] – बलात्संग – यदि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से यह दर्शित है कि अभियोक्त्री के कमीज, यौनिक स्वाब पर मानव रक्त और वीर्य के धब्बे पाए गए तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – सहमति – जहां मामले में सहमतिजन्य मैथुन किए जाने के बारे में कोई साक्ष्य न हो और अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री या अन्य साक्षी को सहमति से हुए मैथुन के बारे में कोई सुझाव न दिया गया हो वहां पर सहमतिजन्य मैथुन के अभाव में अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 506 – जहां मामले में यह साबित नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री का आपराधिक अभित्रास किया और उसे जान से मारने की धमकी दी वहां अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 506 के अधीन दोषमुक्ति उचित है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथन किया गया है, इस प्रकार है कि तारीख 25 फरवरी, 2009 को लगभग 2.30 बजे अपराह्न ग्राम लोहाखार पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री की बिना सहमति के उसके साथ मैथुन किया था । अभियोजन पक्ष का यह कथन है कि पूर्वोक्त तारीख, समय और स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने के उद्देश्य से उसका सदोष अवरोध किए जाने की तैयारी के पश्चात् उसके मकान में आपराधिक अतिचार किया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि उसी तारीख, समय और स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री की हत्या करने के लिए उसका आपराधिक अभित्रास भी किया था । अभियोजन का यह भी कथन है कि घटना की

तारीख, समय और स्थान पर अभियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था और वह राजपूत जाति का सदस्य था और अभियोक्त्री पर आधिपत्य जमाने की स्थिति में था जो अनुसूचित जाति से थी और उसकी सहमति के बिना उससे मैथुन करके उसका शोषण करना चाहता था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि घटना के समय पर अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष थी और वह वल्लभ सरकारी कालेज, मण्डी में बी.बी.ए. की छात्रा थी तथा अभियोक्त्री अपने मकान में अकेले रहती थी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त अभियोक्त्री के मकान पर आया और जब अभियोक्त्री ने अभियुक्त से उसकी मौजूदगी के बारे में पूछताछ की तब अभियुक्त ने यह कहा कि वह अपने कुत्ते को ढूंढने को पहुंचा है । अभियोजन का यह भी अभिकथन है कि अपराह्न 2.30 बजे जब अभियोक्त्री अपने मकान में अकेली थी और टेलीविजन देख रही थी तब अभियुक्त पुनः वहां पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया और अभियोक्त्री से दरवाजा खोलने के लिए कहा । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि जब अभियोक्त्री ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया उसके पश्चात् अभियुक्त ने 2-3 बार बाहर से दरवाजा पर धक्का मारा और इसके पश्चात् अभियोक्त्री के कमरे में घुस गया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् अभियुक्त ने अभियोक्त्री को चारपाई पर फेंक दिया और अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया तथा उसकी सलवार और जांघिया को हटा दिया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि जब अभियोक्त्री ने चीखने की कोशिश की तो अभियुक्त ने अभियोक्त्री का मुंह बंद कर दिया और अभियोक्त्री को गोशाला पर ले गया जो रहने के कमरे के नजदीक था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि गोशाला में अभियुक्त ने अपनी पैंट और जांघिया उतार दी और अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक मैथुन किया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि बलात्संग करते समय अभियोक्त्री के पैर, पीठ और पैर के दाहिनी ओर तथा उसके गुप्तांग पर भी क्षतियां भी पहुंचीं । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि तत्काल अभियोक्त्री की माता वहां पहुंची और अभियुक्त तुरन्त ही वहां से भाग गया और भागते वक्त गोशाला में अपनी जांघिया (प्रदर्श पी. 7) छोड़ गया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि जब अभियोक्त्री की माता वहां पर पहुंची तब उसने रहने के कमरे में अभियोक्त्री की सलवार (प्रदर्श पी. 5) और जांघिया (प्रदर्श पी. 6) को देखा

और वह काफी परेशान हुई और चिल्लाई । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि उसी बीच में रोशनी देवी (अभि. सा. 2) ने गोशाला से अभियुक्त को भागते हुए देखा और जब उसने अभियुक्त को गालियां दीं तब अभियुक्त ने उससे कहा कि वह किसी भी व्यक्ति से डरता नहीं है । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि उसी बीच में अभियोक्त्री गोशाला से रोते हुए रहने वाले मकान के प्रांगण में अपनी माता के पास पहुंची और सम्पूर्ण घटना के बारे में बताया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् रोशनी देवी ने अपने दामाद राजेश कुमार तथा अपनी पुत्री को हमीरपुर पर दूरभाष से इस बात की सूचना दी तथा महिला मण्डल की सदस्य को भी इस बात की सूचना दी गई और मकान में अन्य ग्रामवासी भी एकत्रित हो गए । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् रोशनी देवी के दामाद राजेश कुमार ने श्री गुलाब सिंह ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक को दूरभाष से सूचना दी और श्री गुलाब सिंह ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाना सुजानपुर की पुलिस को इस बारे में सूचना दी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् उप निरीक्षक अनिल वर्मा, भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना सुजानपुर कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल की ओर अग्रसर हुए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभियोक्त्री का कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क अभिलिखित किया तथा इसके पश्चात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/क रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि गुलाब सिंह ठाकुर (अभि. सा. 16) उप पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर गया और अभियोक्त्री के कमरे से रोमा देवी और कर्मचन्द की मौजूदगी में ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग के माध्यम से उसकी सलवार प्रदर्श पी. 5 और जांघिया प्रदर्श पी. 6 को कब्जे में लिया और उन्हें पार्सल में रखकर मोहर-क से मोहरबंद किया गया तथा मोहर की छाप कपड़े के टुकड़े में रख दी गई । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त की जांघिया प्रदर्श पी. 7, टाट का थैला प्रदर्श पी. 16 को उप निरीक्षक अनिल वर्मा द्वारा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ के माध्यम से गोशाला से कब्जे में लिया गया था । अभियोजन पक्ष ने यह भी अभिकथन किया गया है कि गुलाब सिंह ठाकुर (अभि. सा. 16) ने अभियोक्त्री के कमरे से बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ङ के माध्यम से वी-आकार की चप्पल (प्रदर्श पी. 8) को भी कब्जे में लिया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि उसी बीच में

अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा के लिए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आर. एच. हमीरपुर को आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क पेश किया गया था और अभियोक्त्री की डा. रजनीश (अभि. सा. 4) द्वारा परीक्षा की गई थी जिसकी एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ग बनाई गई थी और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अभियोक्त्री के साथ मैथुन किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि चिकित्सा अधिकारी ने अभियोक्त्री का यौनिक स्वाब एकत्रित किया था और उसे न्यायालियक प्रयोगशाला, जूंगा भेजा गया था और एफ. एस. एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/घ भी तैयार किया गया जिसके अनुसार अभियोक्त्री के यौनिक स्वाब में मानव रक्त और वीर्य पाया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त की डा. राकेश शर्मा (अभि. सा. 5) द्वारा जो सी. एस. सी. सुजानपुर में चिकित्सा अधिकारी थे, ने उसकी चिकित्सीय परीक्षा भी की थी जिन्होंने एम. एल. सी. (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क) जारी किया था और अभियुक्त को मैथुन करने के लिए समर्थ पाया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री के मकान का घटनास्थल नक्शा और गोशाला के फोटोग्राफ भी लिए गए थे जिन्हें अन्वेषक अधिकारी द्वारा भी तैयार किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री का जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था और अभियोक्त्री के जाति प्रमाणपत्र के अनुसार वह अनुसूचित जाति से संबंध रखती थी और अभियुक्त राजपूत जाति से संबंधित था । अभियुक्त को विद्वान् सेशन न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा दंड संहिता की धारा 376(1), 452, 506(2) और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन तारीख 16 मई, 2009 को आरोपित किया गया था । अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया । अभियुक्त व्यक्ति की दोषमुक्ति के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा अपील फाइल की गई । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित किया है कि अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 506(1) के अधीन दंडनीय अपराध किया था और जिस बात को इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारण पर कोई बल होने से अस्वीकार कर दिया गया था । हमने अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

अभियोक्त्री ने अपने परिसाक्ष्य में सकारात्मक रीति में यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसका आपराधिक अधित्रास करने या उसकी हत्या करने की धमकी दी है या उसे चोट पहुंचाने की धमकी दी । इस तथ्य के अभाव में कि अभियुक्त ने किसी भी रीति में अभियोक्त्री को धमकाया नहीं । इस पर हमारी यह राय है कि यह एक न्याय के उद्देश्य के लिए समीचीन नहीं होगा कि दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए । हमारी यह राय है कि विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त को दोषुक्त करके ठीक ही किया है । (पैरा 14)

विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने दूसरी दलील यह दी कि अभियोक्त्री ने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन अपराध को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों के आधार पर स्वीकार किया गया है । अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित हुआ है कि वर्तमान मामले में अभियोक्त्री अनुसूचित जाति से संबंधित है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क के अनुसार अभियोक्त्री लोहार जाति से संबंधित है जो अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अधीन आती है तथा अभियुक्त राजपूत जाति से संबंधित है जो गैर-अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अन्तर्गत आती है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ग अभिलेख पर अखंडनीय है । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियोक्त्री और अभियुक्त का आवासीय मकान एक दूसरे के नजदीक स्थित हैं तथा अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त राजपूत जाति से संबंधित है जो अभियोक्त्री की जाति पर हावी है, अभियोक्त्री अनुसूचित जाति से संबंधित है तथा अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त अभियोक्त्री का मैथुन के रूप में शोषण करने की स्थिति में था जबकि वह इसके लिए सहमत नहीं थी । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियोक्त्री बी.बी.ए. की छात्रा थी और घटना के समय उसकी आयु 20 वर्ष थी तथा घटना के समय अभियुक्त की आयु 29 वर्ष थी और अभियुक्त भी विवाहित व्यक्ति था तो भी अभियुक्त ने अभियोक्त्री या किसी अन्य अभियोजन साक्षी से यह प्रश्न नहीं पूछा कि वर्तमान मामले में अभियोक्त्री की सहमति थी । विधि में यह सुस्थापित है कि न्यायालय अभिलेख पर साबित तथ्यों के अनुसार अपनी राय देने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन है और विधि में

यह भी सुस्थापित किया गया है कि विचारण न्यायालय आपराधिक मामले में उपधारणाओं के आधार पर अपनी राय नहीं दे सकते हैं । (पैरा 15)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् प्रतिरक्षा अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभियोक्त्री के आवासीय मकान में दो दरवाजे थे । एक दरवाजा लोहे के तार का बना हुआ था और दूसरा लकड़ी का बना हुआ था तथा अभियोक्त्री ने स्वेच्छया से लोहे के तार वाला दरवाजा तथा लकड़ी का दरवाजा खोला था इसलिए वर्तमान मामला सहमति का मामला प्रकट होता है और इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई तथा कोई बल न होने की वजह से अस्वीकार की गई । जब अभियोक्त्री साक्षी कठघरे में उपस्थित हुई तो उसे कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया गया कि अभियोक्त्री ने अपने आवासीय मकान में प्रवेश कराने हेतु अभियुक्त को अनुज्ञात करने स्वेच्छिक रूप से बाहरी लोहे का दरवाजा खोला और अन्दर का लकड़ी का दरवाजा खोला था । अभियुक्त का मामला यह नहीं है कि अभियोक्त्री ने स्वेच्छिक रूप से बाहरी लोहे का दरवाजा और अन्दर का लकड़ी का दरवाजा खोला था । हमारी यह राय है कि अभियोक्त्री के कमरे में अभियुक्त का बलपूर्वक घुसना अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य से साबित होता है और अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य कि अभियुक्त उसके आवासीय मकान में बलपूर्वक घुसा, यह विश्वसनीय है और न्यायालय को विश्वास दिलाती है । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । (पैरा 16)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् प्रतिरक्षा अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर रखे गए फोटोग्राफ से स्पष्टतया यह साबित होता है कि अभियोक्त्री की सलवार और जांघिया जमीन पर फेंकी गई थी और उन्हें क्रमबद्ध रखा गया था और अभियुक्त का एक जोड़ा चप्पल भी कमरे के अन्दर क्रमबद्ध रूप से रखा हुआ था जिससे सहमति का मामला साबित होता है और इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई तथा इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित उक्त कारणों पर कोई बल न पाते हुए उसे अस्वीकर कर दिया । हमारी यह राय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 59 के अनुसार दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु को छोड़कर सभी तथ्यों को प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है । वर्तमान मामले में अभियोक्त्री ने अपने परिसाक्ष्य में युक्तियुक्त संदेह के परे इस बात को साबित किया है कि जब अभियुक्त उसके कमरे में घुसा तब अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष थी और उसने 10-15

मिनट अभियुक्त के साथ संघर्ष किया और इसके पश्चात् अभियुक्त ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे चारपाई पर गिरा दिया । युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित किया गया है कि इसके पश्चात् अभियुक्त जो विवाहित व्यक्ति था उसने अभियोक्त्री की सलवार और जांघिया उतार दी जिसकी आयु 20 वर्ष थी और जो घटना के समय पर बी.बी.ए. की छात्रा थी तथा अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के ये तथ्य अभिलेख पर अंखडनीय रहे हैं । अभियुक्त अभियोक्त्री के उपरोक्त साक्ष्य को खंडित करने के लिए साक्षी कठघरे में हाजिर नहीं हुआ । अभियुक्त प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में साक्षी कठघरे में खड़ा नहीं हुआ जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 315 में अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य को खंडित करने के लिए उसका साक्षी कठघरे में खड़ा होना अपेक्षित है । विधि में यह सुस्थापित किया गया है कि तथ्यों को साबित करने के लिए केवल संपुष्ट साक्ष्य के रूप में केवल फोटोग्राफ हैं तथा विधि में यह सुस्थापित है कि प्रत्यक्ष मौखिक प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य सारभूत साक्ष्य है । विधि में यह भी सुस्थापित किया गया है कि जब प्रत्यक्ष सारभूत मौखिक साक्ष्य और संपुष्ट साक्ष्य के बीच में विरोध हो तब प्रत्यक्ष सारभूत मौखिक साक्ष्य अभिभावी होगा । (पैरा 17)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई कि अभियोजन के पक्षकथनानुसार अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच 10-15 मिनट संघर्ष हुआ था और अभियोक्त्री को कोई क्षति कायम नहीं हुई तथा अभियुक्त को भी कोई क्षति नहीं पहुंची और इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई और उसमें कोई बल न होने की वजह से उसे अस्वीकर किया गया । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अभियोक्त्री के कब्जे में कोई पैना आयुध रखा हुआ था । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अभियुक्त ने भी अपने हाथ में कोई पैना आयुध रखा हुआ था । वर्तमान मामले में अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियोक्त्री को मेरूरज्जु से 8 सेमी. अंस फलक से नीचे पीठ के दाहिनी ओर 2.5 सेमी. लंबाई का रेखीय खरोंच हुआ था जो रंग में लाल था । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियोक्त्री के ऊपरी टखने के दाईं जांघ के मध्य भाग पर 2 सेमी. x 1.5 सेमी. आकार का गुमटा हुआ था जो रंग में लालिमा और नीलापन लिए हुए था । अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह भी साबित किया गया है कि अभियोक्त्री के दाहिने पैर की तीसरी अंगुली के मध्य 0.25 सेमी. x 0.25 सेमी. के आकार की खरोंच भी हुई थी जो रंग

में लालिमा लिए हुए थी । घटना के समय पर अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष थी और अभियोक्त्री मण्डी कालेज में बी.बी.ए. की छात्रा थी और घटना के समय पर अभियुक्त की आयु 29 वर्ष थी । हमारी यह राय है कि घटना के समय पर अभियोक्त्री को पहुंची खरोंच और गुमटे से स्पष्टतया यह साबित होता है कि अभियोक्त्री का अभियुक्त के साथ संघर्ष हुआ था जैसा कि अभियोजन द्वारा अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ऐसा किया । (पैरा 18)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् प्रतिरक्षा अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि यदि अभियुक्त का आशय बलात्संग करने का था तो वह कमरे के अन्दर बलात्संग करता और वह अभियोक्त्री को गोशाला पर खींचकर नहीं ले जाता । इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई और उसमें बल न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया । हमारी यह राय है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को गोशाला पर घसीटकर ले गया क्योंकि बलात्संग करने के समय पर गोशाला में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश संभव नहीं था तथा हमारी यह राय है कि प्रश्नगत समय पर अभियोक्त्री के आवासीय मकान में किसी तीसरे व्यक्ति की प्रविष्टि संभव थी । हमारा यह मत है कि अभियुक्त अभियोक्त्री को गोशाला में घसीटकर इसलिए ले गया था जिससे कि बलात्संग करने के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से बच सके । (पैरा 19)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह दलील दी कि अभियोक्त्री के आवासीय मकान से गोशाला के रास्ते पर अभियोक्त्री के स्वेटर के बटन और अभियोक्त्री के कमीज के लेज के टूटने का कोई अवसर नहीं था और इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई और उसमें कोई बल न होने की वजह से उसे अस्वीकार किया गया । अभियोक्त्री ने अपने परिसाक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया है कि जब अभियुक्त आवासीय परिसर से गोशाला बलपूर्वक घसीटकर ले गया जो स्थान एक दूसरे के नजदीक थे तब अभियोक्त्री के बटन और उसके कमीज के लेज टूट चुके थे । स्वेटर के टूटे हुए बटनों का अभिग्रहण का ज्ञापन और कमीज के अभिग्रहण ज्ञापन को कब्जे में लिया गया था और इस तथ्य पर अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य से न्यायालय को विश्वास दिलाते हैं । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री के मौखिक परिसाक्ष्य तथा अन्य बरामदगी साक्षियों के आधार पर उसके स्वेटर के टूटे हुए बटन और

टूटे हुए लेज के तथ्यों को साबित किया है । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि स्वेटर के बटन और कमीज के लेज किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को मिथ्या मामले में फंसाने के लिए षड्यंत्रपूर्वक अधिरोपित किए थे । वर्तमान मामले में घटना के तुरन्त पश्चात् कई गांववासी अभियोक्त्री के आवासीय मकान में एकत्रित हो गए थे और घटना के थोड़े से अन्तराल में उसी दिन घटनास्थल पर पुलिस पदधारी भी पहुंच गए थे । (पैरा 20)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने दूसरी दलील यह दी है कि अभियोक्त्री के आवासीय मकान से 100 मीटर की दूरी पर लगभग बीस मकान हैं और दिन दहाड़े 2.30/3 बजे अपराह्न पर यह संभव नहीं है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री की सलवार और जांघिया उतारे हों और तब उसे नग्न हालात में 10 मीटर की दूरी पर गोशाला पर ले गया होगा, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने से मामले को अस्वीकार किया गया था । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि घटनास्थल पर या घटनास्थल के नजदीक कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध था जब अभियुक्त ने कमरे में अभियोक्त्री का सलवार और जांघिया उतारा था और अभियोक्त्री को नग्न स्थिति में घसीटकर गोशाला ले गया था जो 10 मीटर की दूरी पर स्थित है । हमारी यह राय है कि दांडिक न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में उपधारणा के आधार पर निष्कर्ष नहीं देने चाहिए परन्तु केवल मामले के साबित तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष देने चाहिए । (पैरा 21)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक दूसरी दलील यह दी है कि अभियोक्त्री ने तब कोई शोरगुल नहीं किया जब उसे आवासीय मकान से गोशाला घसीटकर ले जाया जा रहा था । अगर वह शोरगुल करती तो गांववासियों और पड़ौसियों का ध्यान उस ओर जाता । राज्य द्वारा फाइल की गई अपील, इस आधार पर भी खारिज की गई तथा इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने पर मामले को अस्वीकार किया गया था । अभियोक्त्री ने विनिर्दिष्ट रूप से सकारात्मक रीति में यह कथन किया है कि वह चिल्लाई परन्तु अभियुक्त द्वारा उसका मुंह बंद कर दिया गया था । आवासीय कमरे और गोशाला के बीच मात्र 10 मीटर की दूरी है और कोई भी व्यक्ति 3-4 मिनट के अन्दर 10 मीटर की दूरी पर आ सकता है और यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि जब अभियोक्त्री को उसके आवासीय

मकान से गोशाला पर घसीटकर लाया जा रहा था तब उस 3-4 मिनट के अन्तराल में किसी अन्य व्यक्ति को रास्ते में या उसके आवासीय मकान के नजदीक भी मौजूद होना चाहिए था । (पैरा 22)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने दूसरी यह दलील दी है कि अभियोक्त्री के चेहरे पर या स्तन पर कोई काटने के चिह्न नहीं हैं और अभियोक्त्री ने गोशाला में कोई विरोध नहीं किया है तथा उसके चेहरे, वक्ष या शरीर के अन्य भागों पर कोई क्षति नहीं हुई थी और गोशाला में रखे गए टाट के थैले और घास में कोई बिखराव नहीं हुआ था तथा इस आधार पर भी राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई थी और इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से उसे अस्वीकार किया गया । अभियुक्त ने सहमति की कहानी पर अभियोक्त्री की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की और अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षियों से भी कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई कि वर्तमान मामला सहमति का मामला था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने यह कथन नहीं किया है कि वर्तमान मामला सहमति का मामला था । न्यायालय की यह राय है कि दांडिक न्यायालय भूसे से अनाज निकालने की विधि बाध्यता के अधीन है । न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन साक्षियों को कोई सुझाव न देने की कि यह मामला सहमति का मामला है इससे स्वतः यह अभिनिर्धारित करने के लिए न्याय के उद्देश्य के समीचीन नहीं है कि वर्तमान मामला सहमति का मामला था । इसके प्रतिकूल अभियुक्त ने यह सुझाव दिया था कि वर्तमान मामला दुश्मनी के कारण बना हुआ था क्योंकि अभियुक्त का भाई अर्थात् विनय कुमार ने जमना देवी के विरुद्ध आपराधिक मामले में कथन किया था जो अभियोक्त्री की बड़ी बहन है । अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में दुश्मनी का सुझाव दिया है और अभियोक्त्री की प्रतिरक्षा में यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामला सहमति का मामला है । (पैरा 23)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभियुक्त की जांघिया और उसकी चप्पल की बात अभियोक्त्री के विरुद्ध अधिरोपित की गई थी और इस आधार पर कि राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई थी क्योंकि इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से इसे अस्वीकार कर दिया गया । न्यायालय की यह राय है कि अधिरोपण का मात्र सुझाव अभियुक्त के विरुद्ध जांघिया और चप्पल के संबंध में

अधिरोपण पर्याप्त नहीं है । इस बात को सकारात्मक अकाट्य और विश्वसनीय रीति से साबित किया जाना चाहिए । अभिलेख पर कोई सकारात्मक अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त की जांघिया और चप्पलें वर्तमान मामले में अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के लिए अधिरोपित किए गए थे । (पैरा 24)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभियोक्त्री की माता का तोनो देवी से वापस आना और अभियुक्त का गोशाला से तुरन्त भाग जाना तथा इसके पश्चात् अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियोक्त्री का नग्न हालत में प्रांगण में पहुंचना और अपनी माता को घटना का वृत्तांत सुनाना अभियोक्त्री की आयु को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक अनधिसंभाव्य था जिसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से अस्वीकार कर दिया गया । न्यायालय की यह राय है कि अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष थी, वह अभियुक्त के आपराधिक कार्य की वजह से अत्यधिक भयभीत थी जिस पर वह तत्काल अपनी माता के पास पहुंची और उसे घटना का वृत्तांत सुनाया । न्यायालय की यह राय है कि अभियोक्त्री काफी प्रतिष्ठित चरित्र की थी क्योंकि उसका योनिच्छद यथावत् था इसलिए अभियोक्त्री की सत्यनिष्ठा पर न्यायालय द्वारा संदेह नहीं किया जा सकता है । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियोक्त्री अभ्यासगत लड़की नहीं थी किन्तु अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियोक्त्री मामले के साबित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च आदर्श के चरित्र की लड़की थी कि अभियोक्त्री का योनिच्छद यथावत् था और उसकी आयु 20 वर्ष थी । (पैरा 25)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने दूसरी दलील यह दी है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियोक्त्री की माता अभि. सा. 2 रोशनी देवी ने अभियुक्त को गोशाला से भागते हुए देखा था और इसके पश्चात् दोनों के बीच मौखिक वाक्-कलह हुआ था परन्तु अन्वेषक अधिकारी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा जब वह साक्षी कठघरे में हाजिर हुआ था और इस आधार पर भी राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई तथा मामले में कोई बल न होने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया था । न्यायालय की यह राय है कि अन्वेषक अधिकारी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल पर तब पहुंचा जब अभियुक्त द्वारा अपराध कार्य पूरा कर लिया गया था । इसके प्रतिकूल रोशनी देवी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और उसने अभियुक्त को गोशाला

से भागते हुए देखा था । अभि. सा. 2 रोशनी देवी का साक्ष्य विश्वसनीय है और न्यायालय को विश्वास दिलाता है । (पैरा 26)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने दूसरी यह दलील दी है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार जब अभियोक्त्री की माता घर पर पहुंची और कमरे के अन्दर गई तो उसने अभियोक्त्री का जांघिया और सलवार देखी थी और जिस वजह से वह अत्यंत विचलित और परेशान हुई तथा इसके पश्चात् उसने अपनी पुत्री को सहमति का मामला होने को साबित करने के लिए कहा इसलिए इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर मामले में कोई बल न होने पर उसे अस्वीकार कर दिया । अभियोक्त्री की सहमति के सुझाव अभियोक्त्री और किसी अन्य अभियोजन साक्षी को नहीं दिया गया और अभियुक्त द्वारा इस बारे में कोई कारण समनुदेशित नहीं किया गया है कि उसने न्यायालय के समक्ष सहमति के मामले के बारे में अभिवाक् क्यों नहीं किया । इसके प्रतिकूल अभियुक्त ने मामले में मिथ्या फंसाए जाने और दुश्मनी की वजह से फंसाए जाने का अभिवाक् किया । (पैरा 27)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह दलील दी कि लोहे के दरवाजे और लकड़ी के दरवाजे की अवस्थिति से यह दर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री द्वारा स्वेच्छया से कमरा खोला गया था और वर्तमान मामला अभियुक्त की ओर से सहमति का प्रकट होता है और इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई क्योंकि उसमें इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से उसे अस्वीकार कर दिया गया था । अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को सहमतिजन्य मैथुन के बारे में जब वह वर्तमान मामले में साक्षी कठघरे में खड़ी हुई तो उसे कोई सुझाव नहीं दिया गया था । किसी अन्य अभियोजन साक्षी को भी इस बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया कि वर्तमान मामला अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच सहमतिजन्य मैथुन का मामला है । अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा नहीं की है कि वर्तमान मामला सहमतिजन्य मैथुन का था । यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई सकारात्मक अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि वर्तमान मामला अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच सहमतिजन्य मैथुन का मामला है । हमारी यह राय है कि सहमतिजन्य मैथुन के बारे में विचारण न्यायिक निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गए साक्ष्यों के प्रतिकूल हैं और ऐसे निष्कर्ष उपधारणाओं पर आधारित हैं । न्यायालय की यह राय है कि विचारण

न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाले हैं कि वर्तमान मामला अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच सहमतिजन्य मैथुन का है । (पैरा 28)

अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह दलील दी है कि अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों के बीच तात्विक विभेद हैं जो मामले की तह तक जाते हैं और इस आधार पर भी राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई क्योंकि उसमें कोई बल नहीं था । न्यायालय की यह राय है कि आपराधिक मामले में छोटे-मोटे विभेद होते हैं जब साक्षी का परिसाक्ष्य लंबे अंतराल के बाद लेखबद्ध किए जाते हैं । वर्तमान मामले में घटना तारीख 25 फरवरी, 2009 को घटी थी और अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य चार महीने के अंतराल के पश्चात् माह जून, 2009 में लेखबद्ध किए गए थे । स्वेटर और सलवार की साबित की गई बरामदगी तथा अभियोक्त्री की जांघिया के बारे में साबित की गई बरामदगी और अभियुक्त की जांघिया और वी-आकार की चप्पल युक्तियुक्त संदेह के परे है, अभिलेख पर साबित की गई थी कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया था । अभियोक्त्री के स्वेटर के बटनों तथा कमीज के धागे की बरामदगी को युक्तियुक्त संदेह के परे भी साबित किया गया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया । न्यायालयिक प्रयोगशाला, हिमाचल प्रदेश, जूंगा की रिपोर्ट के अनुसार भी अभियोक्त्री के कमीज पर मानव वीर्य के धब्बे पाए गए थे और अभियोक्त्री के योनिक स्वाब मानव रक्त और वीर्य भी पाया गया था तथा अभियोक्त्री के यौनिक स्लाइडों में रक्त भी पाया गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ग के अनुसार भी, जिसे अभिलेख पर रखा गया है उससे टूटे हुए बटन और लेस का अभियोक्त्री के स्वेटर और बटनों से मिलान होता है । अभिलेख पर रखे गए घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/क के अनुसार भी अभियोक्त्री का आवासीय मकान तथा गोशाला और अभियुक्त का मकान एक दूसरे के नजदीक पर स्थित हैं । अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने अगली यह दलील दी है कि अभियोक्त्री और अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्य वर्तमान मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए, इन्हें कोई बल न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है । एक अन्य मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है यदि इससे न्यायालय को विश्वास मिलता है और यदि साक्षी का परिसाक्ष्य विश्वास

योग्य है । अपराध की तैयारी के पश्चात् अपराध किए जाने के प्रति प्रत्यक्ष गतिविधि चलाने का प्रयास किया जाता है । यह साशय तैयारी की कार्रवाई की तैयारी है यदि कोई स्वतंत्र व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपने उद्देश्यों को पाने में असफल हो जाता है जो इसे पूरा करना चाहता है । "बाहरी कार्यों से आन्तरिक रहस्यों का पता चलता है", यह उपधारणा आपराधिक मामलों में लागू होती है । यह तथ्य कि अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष थी, वह घटना की तारीख को कुंवारी थी, यह बात सहमति के संबंध में अधिक प्रबल सबूत है । विचारण न्यायालय का निष्कर्ष कि वर्तमान मामला अभियोक्त्री की ओर से सहमति पर आधारित है जो निर्णय के पैरा 30 में प्रकट है, अवैध है । यह बात साबित तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि अभियुक्त की प्रतिरक्षा सहमति की कहानी पर आधारित नहीं है और अभियुक्त ने अभियोक्त्री और अन्य अभियोजन साक्षियों की वर्तमान मामले में अभियोक्त्री की ओर से सहमति की कहानी पर उनकी प्रतिपरीक्षा नहीं की है । इसके प्रतिकूल अभियुक्त की प्रतिरक्षा यह है कि दुश्मनी की वजह से मिथ्या मामला फाइल किया गया था और यह बात अभिलेख पर साबित नहीं है । (पैरा 29 और 30)

उपरोक्त कथित तथ्यों और ऊपर उद्धृत निर्णयज विधि को ध्यान में रखते हुए अपील भागतः मंजूर की जाती है । हम दंड संहिता की धारा 376 और 506 के अधीन अभियुक्त की दोषमुक्ति की पुष्टि करते हैं और दंड संहिता की धारा 452 तथा अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन अभियुक्त की दोषमुक्ति को अपास्त करते हैं । इसके अतिरिक्त हम दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध से अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हैं और अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 452 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन भी दोषसिद्ध करते हैं । हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को केवल इस सीमा तक उपान्तरित करते हैं । दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 और 452 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में दंडादेश की मात्रा पर सिद्धदोष अभियुक्त को भी सुना । दोषसिद्ध अभियुक्त विपिन कुमार के विरुद्ध जमानती वारंट पचास हजार रुपए की राशि के साथ दो प्रतिभुओं के सहित

जारी किया जाता है और उसे दंड की मात्रा पर सुनने के लिए तारीख 2 मार्च, 2015 को न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा । अपील भागतः मंजूर की गई । (पैरा 31)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 398 : **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **सुरेन्द्र सिंह** ;	35
[2000]	(2000) 1 एस. सी. सी. 247 : **राज्य** बनाम **लेखराज और एक अन्य** ;	12
[2000]	(2000) 5 एस. सी. सी. 30 : **राजस्थान राज्य** बनाम **एन. के. (अभियुक्त)** ;	12
[1996]	(1996) 2 एस. सी. सी. 384 : **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह और अन्य** ;	12
[1992]	(1992) 3 एस. सी. सी. 204: **मदन गोपाल कक्कड़** बनाम **नवल दूबे और एक अन्य** ;	12
[1973]	ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 944 (पूर्ण पीठ) : **जोशे** बनाम **केरल राज्य** ;	30
[1961]	ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1698 : **अभ्यानंद मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य** ;	12
[1955]	ए. आई. आर. 1955 आंध्र प्रदेश 118 : **टी. मुनिराथनम रेड्डी और एक अन्य (अभियुक्त-याची) वाला मामला** ।	12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 493.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अशोक चौधरी, अपर महाधिवक्ता, विक्रम ठाकुर, पुनीत रजत, उप महाधिवक्ता और जे. एस. गुलेरिया, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री भूपेन्द्र गुप्ता, ज्येष्ठ अधिवक्ता
और (सुश्री) चारू गुप्ता अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी. एस. राणा ने दिया ।

न्या. राणा – यह वर्तमान अपील 2009 के सेशन विचारण मामला सं. 12, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम विपिन कुमार वाले मामले में विद्वान् सेशन न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

संक्षेप में पक्षकथन इस प्रकार हैं

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथन किया गया है, इस प्रकार है कि तारीख 25 फरवरी, 2009 को लगभग 2.30 बजे अपराह्न ग्राम लोहाखार पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री की बिना सहमति के उसके साथ मैथुन किया था । अभियोजन पक्ष का यह कथन है कि पूर्वोक्त तारीख, समय और स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने के उद्देश्य से उसका सदोष अवरोध किए जाने की तैयारी के पश्चात् उसके मकान में आपराधिक अतिचार किया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि उसी तारीख, समय और स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री की हत्या करने के लिए उसका आपराधिक अभित्रास भी किया था । अभियोजन का यह भी कथन है कि घटना की तारीख, समय और स्थान पर अभियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था और वह राजपूत जाति का सदस्य था और अभियोक्त्री पर आधिपत्य जमाने की स्थिति में था जो अनुसूचित जाति से थी और उसकी सहमति के बिना उससे मैथुन करके उसका शोषण करना चाहता था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि घटना के समय पर अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष थी और वह वल्लभ सरकारी कालेज, मण्डी में बी.बी.ए. की छात्रा थी तथा अभियोक्त्री अपने मकान में अकेले रहती थी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त अभियोक्त्री के मकान पर आया और जब अभियोक्त्री ने अभियुक्त से उसकी मौजूदगी के बारे में पूछताछ की तब अभियुक्त ने यह कहा कि वह अपने कुत्ते को ढूंढने को पहुंचा है । अभियोजन का यह भी अभिकथन है कि अपराह्न 2.30 बजे जब अभियोक्त्री अपने मकान में अकेली थी और टेलीविजन देख रही थी तब अभियुक्त पुनः वहां पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया और अभियोक्त्री

से दरवाजा खोलने के लिए कहा । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि जब अभियोक्त्री ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया उसके पश्चात् अभियुक्त ने 2-3 बार बाहर से दरवाजा पर धक्का मारा और इसके पश्चात् अभियोक्त्री के कमरे में घुस गया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् अभियुक्त ने अभियोक्त्री को चारपाई पर फेंक दिया और अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया तथा उसकी सलवार और जांघिया को हटा दिया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि जब अभियोक्त्री ने चीखने की कोशिश की तो अभियुक्त ने अभियोक्त्री का मुंह बंद कर दिया और अभियोक्त्री को गोशाला पर ले गया जो रहने के कमरे के नजदीक था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि गोशाला में अभियुक्त ने अपनी पैंट और जांघिया उतार दी और अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक मैथुन किया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि बलात्संग करते समय अभियोक्त्री के पैर, पीठ और पैर के दाहिनी ओर तथा उसके गुप्तांग पर भी क्षतियां भी पहुंचीं । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि तत्काल अभियोक्त्री की माता वहां पहुंची और अभियुक्त तुरन्त ही वहां से भाग गया और भागते वक्त गोशाला में अपनी जांघिया (प्रदर्श पी. 7) छोड़ गया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि जब अभियोक्त्री की माता वहां पर पहुंची तब उसने रहने के कमरे में अभियोक्त्री की सलवार (प्रदर्श पी. 5) और जांघिया (प्रदर्श पी. 6) को देखा और वह काफी परेशान हुई और चिल्लाई । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि उसी बीच में रोशनी देवी (अभि. सा. 2) ने गोशाला से अभियुक्त को भागते हुए देखा और जब उसने अभियुक्त को गालियां दीं तब अभियुक्त ने उससे कहा कि वह किसी भी व्यक्ति से डरता नहीं है । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि उसी बीच में अभियोक्त्री गोशाला से रोते हुए रहने वाले मकान के प्रांगण में अपनी माता के पास पहुंची और सम्पूर्ण घटना के बारे में बताया । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् रोशनी देवी ने अपने दामाद राजेश कुमार तथा अपनी पुत्री को हमीरपुर पर दूरभाष से इस बात की सूचना दी तथा महिला मण्डल की सदस्य को भी इस बात की सूचना दी गई और मकान में अन्य ग्रामवासी भी एकत्रित हो गए । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् रोशनी देवी के दामाद राजेश कुमार ने श्री गुलाब सिंह ठाकुर, उप

पुलिस अधीक्षक को दूरभाष से सूचना दी और श्री गुलाब सिंह ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाना सुजानपुर की पुलिस को इस बारे में सूचना दी । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि इसके पश्चात् उप निरीक्षक अनिल वर्मा, भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना सुजानपुर कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल की ओर अग्रसर हुए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभियोक्त्री का कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क अभिलिखित किया तथा इसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/क रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि गुलाब सिंह ठाकुर (अभि. सा. 16) उप पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर गया और अभियोक्त्री के कमरे से रोमा देवी और कर्मचन्द की मौजूदगी में ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग के माध्यम से उसकी सलवार प्रदर्श पी. 5 और जांघिया प्रदर्श पी. 6 को कब्जे में लिया और उन्हें पार्सल में रखकर मोहर-क से मोहरबंद किया गया तथा मोहर की छाप कपड़े के टुकड़े में रख दी गई । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त की जांघिया प्रदर्श पी. 7, टाट का थैला प्रदर्श पी. 16 को उप निरीक्षक अनिल वर्मा द्वारा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ के माध्यम से गोशाला से कब्जे में लिया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि गुलाब सिंह ठाकुर (अभि. सा. 16) ने अभियोक्त्री के कमरे से बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ङ के माध्यम से वी-आकार की चप्पल (प्रदर्श पी. 8) को भी कब्जे में लिया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि उसी बीच में अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा के लिए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आर. एच. हमीरपुर को आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क पेश किया गया था और अभियोक्त्री की डा. रजनीश (अभि. सा. 4) द्वारा परीक्षा की गई थी जिसकी एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ग बनाई गई थी और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अभियोक्त्री के साथ मैथुन किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि चिकित्सा अधिकारी ने अभियोक्त्री का यौनिक स्वाब एकत्रित किया था और उसे न्यायालियक प्रयोगशाला, जुंगा भेजा गया था और एफ. एस. एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/घ भी तैयार किया गया जिसके अनुसार अभियोक्त्री के यौनिक स्वाब में मानव रक्त और वीर्य पाया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त की डा. राकेश शर्मा (अभि. सा. 5) द्वारा जो सी. एच. सी. सुजानपुर में चिकित्सा अधिकारी थे, ने

उसकी चिकित्सीय परीक्षा भी की थी जिन्होंने एम. एल. सी. (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क) जारी किया था और अभियुक्त को मैथुन करने के लिए समर्थ पाया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री के मकान का घटनास्थल नक्शा और गोशाला के फोटोग्राफ भी लिए गए थे जिन्हें अन्वेषक अधिकारी द्वारा भी तैयार किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री के जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था और अभियोक्त्री के जाति प्रमाणपत्र के अनुसार वह अनुसूचित जाति से संबंध रखती थी और अभियुक्त राजपूत जाति से संबंधित था ।

3. अभियुक्त को विद्वान् सेशन न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा दंड संहिता की धारा 376(1), 452, 506(2) और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन तारीख 16 मई, 2009 को आरोपित किया गया था । अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में निम्नलिखित साक्षियों की परीक्षा की :–

क्रम सं.	साक्षी का नाम
अभि. सा. 1	अभियोक्त्री, आयु 20 वर्ष
अभि. सा. 2	रोशनी देवी
अभि. सा. 3	इसरो देवी
अभि. सा. 4	डा. रजनीश
अभि. सा. 5	राकेश कुमार
अभि. सा. 6	शिवदेव सिंह
अभि. सा. 7	रतनचन्द
अभि. सा. 8	एम.एच.सी. रणजीत सिंह
अभि. सा. 9	कांस्टेबल मलकियत सिंह
अभि. सा. 10	कांस्टेबल सुरेश कुमार
अभि. सा. 11	महिला कांस्टेबल हिमानी

अभि. सा. 12	एम. सी. सुरेश कुमार
अभि. सा. 13	ब्रह्मदास
अभि. सा. 14	मीना कुमारी, पटवारी
अभि. सा. 15	उप निरीक्षक अनिल वर्मा
अभि. सा. 16	भारसाधक अधिकारी, गुलाब सिंह ठाकुर

4.1 अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के निम्नलिखित भाग को भी पेश किया है :–

क्रम सं.	विवरण
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क	अभियोक्त्री का कथन
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख	बरामदगी ज्ञापन
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग	बरामदगी ज्ञापन
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ	बरामदगी ज्ञापन
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ङ	बरामदगी ज्ञापन
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/च	बरामदगी ज्ञापन
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क	वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी को आवेदन
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख	न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ग	एम. एल. सी.
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क	चिकित्सक अधिकारी को आवेदन
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ख	एम. एल. सी.
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क	तहसीलदार को भेजा गया पत्र
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ख और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ग	जाति प्रमाणपत्र

प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/घ और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ङ	पेडीग्री टेबुल की प्रतियां
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क	मालखाना रजिस्टर का सार
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ख	आर. सी. प्रति
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ग	न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ख	डी. डी. आर. एस.
प्रदर्श पी.डब्ल्यू.13/ क	प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रतिलिपि
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/क-1 से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/क-26	फोटोग्राफ/नेगेटिव्स
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/ख	न्यायालयिक प्रयोगशाला को भेजा गया पत्र
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/क	घटनास्थल का नक्शा
प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/ख और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/ग	कपड़ों पर मोहर के छापों के नमूने
प्रदर्श डी. ए.	रोशनी देवी का कथन
प्रदर्श डी. बी.	इसरो देवी का कथन

5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया था । अभियुक्त ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री और साक्षी उससे ईर्ष्या रखते हैं क्योंकि उसका भाई विनय कुमार इस घटना के पूर्व न्यायालय जे. एम. आई. सी. हमीरपुर में लंबित आपराधिक मामले में अभियोक्त्री की बड़ी बहन जमुना देवी के विरुद्ध साक्षी था । उसने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री और उसकी माता ने

शत्रुतावश उसके विरुद्ध कथन किया है । उसने यह भी कथन किया है कि वह निर्दोष है और उसके विरुद्ध मिथ्या मामला बनाया गया है । अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं दिया गया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था ।

6. विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर हिमाचल प्रदेश राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन वर्तमान अपील फाइल की है ।

7. हमने हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से तथा प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता और विद्वान् अधिवक्ता को सुना तथा सावधानीपूर्वक सम्पूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया ।

8. वर्तमान अपील में यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर रखे गए मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है और क्या विद्वान् विचारण न्यायालय ने न्याय को हानि पहुंचाई है जैसाकि अपील के आधारों के ज्ञापन में उल्लेख किया गया है ।

अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया मौखिक साक्ष्य

9.1 अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि उसकी तीन बड़ी बहनें हैं जिनका विवाह हो चुका है । उसने यह कथन किया है कि वह अपने माता-पिता की सबसे छोटी पुत्री है । उसने यह कथन किया है कि उसकी बड़ी बहन ने इलेक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा का कोर्स किया है और दूसरी बड़ी बहन ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स पूरा किया है और उसकी तीसरी बहन ने बी.एससी. का कोर्स किया है । उसने यह कथन किया कि वह घटना के समय पर वल्लभ सरकारी कालेज, मण्डी में बी.बी.ए. का कोर्स कर रही थी । उसने यह कथन किया कि उसके पिता एक श्रमिक हैं और वह लौहार के रूप में ज्ञात अनुसूचित जाति के समुदाय से संबंधित है । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 20 फरवरी, 2009 को वह छुट्टियों पर मण्डी से अपने गांव पहुंची थी तथा घटना के दिन अर्थात् तारीख 25 फरवरी, 2009 को उसके पिता अपने कार्य से गांव से बाहर गए हुए थे और उसकी माता सी. एफ. एल. बल्व को बदलने के लिए तानो देवी गई हुई थी और वह घर में अकेली थी । उसने यह भी कथन किया कि लगभग 2 बजे अपराह्न इसरो देवी नामक महिला उसके घर आई थी । वह उसकी माता को देखने के लिए उसके घर पहुंची थी ।

उसने यह कथन किया है कि उसने इसरो देवी से यह कहा था कि उसकी माता तानो देवी गई हुई है और उसने उससे अपने आवासी मकान में बैठने के लिए कहा । उसने यह कथन किया है कि जब वे दोनों अपने आवासीय मकान में बैठे हुए थे उसी बीच अभियुक्त प्रांगण में मौजूद था जो उसी गांव का निवासी है, वहां पर पहुंचा और श्रीमती इसरो देवी ने अभियुक्त से यहां आने के बारे में पूछा तो अभियुक्त ने यह कहा कि वह अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है और यह भी कथन किया गया कि इसके पश्चात् अभियुक्त वहां से चला गया । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया कि इसके पश्चात् उसकी माता वापस नहीं लौटी और श्रीमती इसरो देवी लगभग 2.15/2.20 बजे अपराह्न उसके आवासीय मकान से चली गई और इसके पश्चात् वह टी. वी. देखने लगी । उसने यह कथन किया कि लगभग 2.30 बजे अपराह्न वर्तमान अभियुक्त वहां पर पहुंचा और बाहर से उसने अभियोक्त्री को पुकारा । उसने यह कथन किया कि उसने अभियुक्त से यह कहा कि वह जब उसकी माता तानो देवी से वापस आ जाएगी तब बाद में वह यहां पर आए । परन्तु अभियुक्त उसके मकान में घुस गया । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया कि इसके पश्चात् अभियुक्त ने बाहर से दरवाजे को धक्का दिया जिसके परिणामस्वरूप दरवाजा खुल गया था । अभियोक्त्री ने यह कथन किया कि उसने दरवाजे से भागने की कोशिश की परन्तु अभियुक्त द्वारा अन्दर की ओर उसे धक्का दे दिया गया । उसने यह कथन किया कि घटना के समय पर उसने सलवार, कमीज और स्वेटर पहनी हुई थी । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया कि इसके पश्चात् अभियुक्त ने उसे पकड़ लिया और उसके स्वेटर की बाईं भुजा अभियुक्त द्वारा फाड़ डाली गई तथा अभियुक्त ने उसे चारपाई पर गिरा दिया और जब उसने चीखने-चिल्लाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर दिया । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् अभियुक्त ने उसकी सलवार और जांघिया उतार दी और अभियुक्त ने तब उसे उसको पीछे की ओर बांहों में जकड़ लिया था और उसे नजदीक पर गोशाला में ले गया । अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने पशुशाला के दरवाजे बंद कर दिए । उसने यह भी कथन किया कि उसकी माता गोशाला में घास को ढकने के लिए टाट के बोरों का प्रयोग किया करती थी । उसने यह भी कथन किया कि उसके पश्चात् अभियुक्त ने गोशाला में टाट के बोरों के ऊपर उसको गिरा दिया और उसके साथ बलपूर्वक मैथुन किया । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा उसे आवासीय कमरे से गोशाला ले जाया गया था जिस कारण उसके पैर,

पीठ और दाहिने पैर पर क्षतियां पहुंची थीं । उसने यह कथन किया कि अभियुक्त ने उसके योनिक भाग पर बलपूर्वक अपने शिश्न को डाला था । उसने यह भी कथन किया है कि बलात्संग करने के पश्चात् अभियुक्त गोशाला में अपनी जांघिया को छोड़कर भाग गया । उसने यह कथन किया कि वह अपने आवासीय मकान पर वापस लौटी । उसने यह भी कथन किया है कि उसके आवासीय मकान में अभियुक्त की वी-आकार के चप्पल वहां पर रह गए थे । उसने यह भी कथन किया है कि उसकी माता उस समय वापस लौटी और अभियोक्त्री गोशाला से प्रांगण पर पहुंची जहां उसकी माता मौजूद थी । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि उसने अपनी माता को रोते हुए घटना का वृत्तांत सुनाया कि अभियुक्त ने बलपूर्वक उसके साथ मैथुन किया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसके पश्चात् उसकी माता ने अपने देवर और अपनी बहन को दूरभाष से इस बात की सूचना दी । उसने यह कथन किया है कि उसके देवर ने दूरभाष से उसे कोई उत्तर नहीं दिया । उसने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् उसने अपनी बहन को बुलाया । उसने यह भी कथन किया है कि महिला मण्डल की सदस्य कमला देवी को टेलीफोन से सूचना दी गई थी और गांववासियों को भी सूचना देने के लिए उसे कहा गया । उसने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् गांव की कुछ महिलाएं उसके मकान पर पहुंचीं । उसने यह भी कथन किया है कि उसने चिल्लाने की कोशिश की परन्तु अभियुक्त ने उसके चीख-पुकार नहीं करने दी और उसके मुंह पर हाथ रख दिया था । उसने यह भी कथन किया है कि इसी बीच घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस 3.30-4.00 बजे उसके मकान पर पहुंची । उसने यह भी कथन किया है कि उसका कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क लेखबद्ध किया था और आगे उसने यह भी कथन किया है कि उसने पुलिस के समक्ष अपनी कमीज, ब्रा, चोली, स्वेटर, जांघिया और सलवार पेश की जिन्हें पुलिस द्वारा घटनास्थल पर मोहरबंद किया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने अभियुक्त की जांघिया और चप्पल भी अपने कब्जे में ली । उसने यह भी कथन किया है कि स्वेटर (प्रदर्श पी. 1) कमीज (प्रदर्श पी. 2) अंडरशर्ट (प्रदर्श पी. 3) और चोली (प्रदर्श पी. 4) पुलिस द्वारा ज्ञापन (पी. डब्ल्यू. 1/ख) के माध्यम से कब्जे में ली गई थी । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि उसने इन कपड़ों को उस समय पहना हुआ था जब अभियुक्त ने उसके साथ बलात्संग किया था । उसने यह कथन किया कि उसकी कमीज और बनियान फाड़ दी गई थी । आगे उसने यह भी कथन किया

कि सलवार (प्रदर्श पी. 5) और जांघिया (प्रदर्श पी. 6) वही हैं जिन्हें अभियोक्त्री द्वारा घटना के समय पहना गया था और जिन्हें अभिग्रहण ज्ञापन के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त की जांघिया वही है जिसे पुलिस द्वारा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा छोड़े गए चप्पलों का जोड़ा (प्रदर्श पी. 8) को अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ङ) के माध्यम से कब्जे में लिया गया । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उसके स्वेटर के बटन और उसके सलवार के दो नाड़े भी कब्जे में लिए थे और यह कहा कि बटन (प्रदर्श पी. 9 और प्रदर्श पी. 10 हैं) तथा नाड़ा (प्रदर्श पी. 11 और प्रदर्श पी. 12) हैं । इसके आगे उसने यह भी कथन किया है कि उन्हें ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/च के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् जनरल अस्पताल, हमीरपुर पर ले जाया गया था और उसकी तारीख 25 फरवरी, 2009 को डाक्टर द्वारा चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी और बच्चे हैं और उसके कुटुम्ब के लोग उसके साथ रहते हैं । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त उसे पहले से जानता था क्योंकि अभियुक्त उसके गांव का निवासी है । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने दुश्मनी की वजह से अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या मामला फाइल किया है । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि उसे इस बारे में ज्ञात नहीं है कि क्या अभियुक्त का भाई विनय कुमार उसकी बहन के विरुद्ध अभियोजन साक्षी के रूप में हाजिर हुआ था । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसके कुटुम्ब के सदस्यों ने विनय कुमार से यह कहा था कि वह साक्षी के रूप में उपस्थित न हो । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि दुश्मनी की वजह से अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या मामला फाइल किया गया है ।

9.2 अभियोक्त्री की माता रोशनी देवी (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि वह अपने कुटुम्ब के साथ ग्राम लोहाखार में रहती है और उसने यह कथन किया कि उसकी चार पुत्रियां हैं । उसने आगे यह भी कथन किया है कि उसकी तीन पुत्रियों का विवाह हो चुका है और अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष है और वह अविवाहित है । उसने यह कथन किया कि अभियोक्त्री मण्डी से बी.बी.ए. कर रही थी और वह छुट्टियों पर तारीख 20 फरवरी, 2009 को गांव आई हुई थी । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 25 फरवरी, 2009 को वह सी. एफ. एल. बल्ब लेने के

लिए तानो देवी गई हुई थी और अभियोक्त्री अपने आवासीय मकान में अकेली थी और उसका पति अपने कार्य से प्रातः बाहर गया हुआ था । उसने यह भी कथन किया कि उसने अपने आवासीय कमरे का दरवाजा खोला और यह देखा कि बाहरी दरवाजे की चिटकनी टूटी हुई थी । उसने यह भी कथन किया कि अन्दर के कमरे की चिटकनी धक्का देने की वजह से हिली-डुली हुई थी तथा यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री का जांघिया और सलवार आवासीय मकान के जमीन पर पड़े हुए थे । उसने यह भी कथन किया कि वह यह देखकर अत्यधिक परेशान हो गई और उसने अभियोक्त्री को चीखकर बुलाया । उसने यह भी कथन किया कि उसके पश्चात् उसने अपने दामाद को दूरभाष से बुलाया था तब उसने अपनी पुत्री सुमन को फोन किया था । उसने यह भी कथन किया कि उसके पश्चात् जब वह अपने आवासीय मकान के प्रांगण में पहुंची तब उसने अभियुक्त को परिसर में मौजूद देखा था और वह उसकी गोशाला से भाग रहा था । जब अभियुक्त ने उसे देखा तो अभियुक्त जोर से यह चिल्लाया (मैं नहीं डरता लौहारया तैरे तै) (मैं लौहारया से भयभीत नहीं होता) उसने यह कथन किया कि अभियुक्त की पत्नी ने अभियुक्त को इस घटना के लगभग 20 दिन पूर्व छोड़ दिया था । उसने यह भी कथन किया कि इसके पश्चात् अभियोक्त्री रोते हुए गोशाला से आई और उसने यह बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्संग किया है । उसने यह भी कथन किया कि बाद में उसने अपने दामाद और अपनी पुत्री तथा महिला मण्डल के सदस्यों को दूरभाष से सूचित किया । उसने यह कथन किया है कि कई गांववासी भी वहां पर पहुंचे और पुलिस पदधारी भी वहां पहुंचे थे । उसने यह भी कथन किया कि पुलिस पदधारियों ने अभियोक्त्री के कपड़े और अभियुक्त का जांघिया पशुशाला से एकत्रित की थी और आवासीय कमरे से चप्पलें भी एकत्रित की थीं । उसने यह भी कथन किया कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है और यह जाति लौहार के रूप से जानी जाती है । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त राजपूत जाति का है । उसने यह भी कथन किया कि उसका पति पुलिस के पहुंचने के पश्चात् पहुंचा था । उसने यह भी कथन किया कि उसका पशुशाला उसके आवासीय मकान से 10-15 मीटर की दूरी पर स्थित है । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह दुश्मनी की वजह से अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रही है ।

9.3 अभि. सा. 3 इसरो देवी ने यह कथन किया है कि जनवरी-फरवरी, 2009 के महीने में वह अभियोक्त्री के मकान पर गई थी तथा

अभियोक्त्री आवासीय मकान में अकेली थी । उसने यह भी कथन किया कि वह लगभग 1 बजे अपराह्न अभियोक्त्री के मकान पर गई थी और उसकी माता के बारे में उससे पूछताछ की क्योंकि वह अपने पशु के लिए उससे घास मांगने के लिए गई थी । उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री ने उससे यह कहा कि उसकी माता तानो देवी गई हुई है तथा उससे यह भी कहा कि वह उसकी माता का इंतजार करे । उसने यह भी कथन किया कि उसने लगभग 10-15 मिनट इंतजार किया और उसी बीच में अभियुक्त अभियोक्त्री के आवासीय मकान के चबूतरे पर आया और उसने यह कहा कि वह अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है । उसने यह भी कथन किया कि इसके पश्चात् वह लगभग 10 मिनट पश्चात् अभियोक्त्री के मकान से चला गया । उसने यह भी कथन किया कि जब वह अभियुक्त के पीछे गई तो उसने यह पाया कि अभियुक्त अपने बरामदे पर खड़ा था । उसने यह भी कथन किया कि कुछ समय पश्चात् उसके पड़ौसी ने उसे यह बताया कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया था । उसने यह भी कथन किया कि इसके पश्चात् वे अभियोक्त्री के वहां पहुंचे और अन्य गांववासी भी वहां पहुंच गए । उसने यह कथन किया कि उसका पुत्र अनिल कुमार बी. डी. सी. सदस्य है । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त का भाई वार्ड पंच है । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त का छोटा भाई अर्थात् विनय कुमार ने ग्राम पंचायत के उप-प्रधान पद का चुनाव भी लड़ा था और उसके पुत्र ने उसके विरुद्ध चुनाव प्रचार किया था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त के भाई ने श्मशान भूमि के बारे में उसके पुत्र के विरुद्ध जांच की थी । उसने यह भी कथन किया कि उसके अभियुक्त के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्त अभियोक्त्री के आवासीय मकान पर नहीं पहुंचा ।

9.4 डा. रजनीश ठाकुर (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया कि वह मार्च, 2007 से क्षेत्रीय अस्पताल, हमीरपुर में तैनात है और पुलिस द्वारा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क आवेदन प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने अभियोक्त्री चिकित्सीय परीक्षा की थी जिसकी आयु 20 वर्ष और मण्डी कालेज में बी.बी.ए. की छात्रा थी तथा वह ग्राम लोहाखार तहसील जिला हमीरपुर की निवासी है और चिकित्सा परीक्षा तारीख 25 फरवरी, 2009 को 11 बजे अपराह्न को की गई थी । उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री ने तारीख 25 फरवरी, 2009 को 2.30 बजे अपराह्न मैथुन

हमले की अभिकथित कहानी को सुनाया और अभियोक्त्री के अनुसार वह घर पर अकेली थी और जब वह घर में अकेली थी तो अभियुक्त ने उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा तथा अभियोक्त्री के मना करने पर अभियुक्त दरवाजा तोड़कर कमरे में बलपूर्वक घुस गया और पीए हुए हालात में अभियोक्त्री पर हमला किया । उन्होंने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री पहले ही कपड़े बदल चुकी थी तथा अभियोक्त्री के अनुसार उसने यह कपड़े घटना के समय पहने हुए थे जिसमें पुलिस पदधारियों द्वारा उसकी जांघिया भी कब्जे में ली गई थी । उन्होंने यह कथन किया कि अभियोक्त्री का सेकेन्डरी सेक्स करेक्टर काफी विकसित था और 13 वर्ष की आयु में माहवारी प्रारंभ हो गई थी । उन्होंने यह कथन किया कि अभियोक्त्री अविवाहित थी और उसका यौवन सामान्य था । उन्होंने यह कथन किया कि अभियोक्त्री औसत कद काठी की स्त्री थी और सुगठित थी और उसके नब्ज प्रति मिनट 68 थी । महत्वपूर्ण अंग स्थिर थे । उन्होंने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई गई थीं । (1) निचले अंसफलक के पीछे दाहिनी ओर तथा मेरूरज्जु से 8 सेमी. ऊपर 2.5 सेमी. लम्बाई की रेखीय खरोंच मौजूद थी रंग उसका लाल था । (2) घुटने से थोड़ा ऊपर दाहिने जांघ के मध्य में 2 सेमी. x 1.5 सेमी. आकार का गुमटा था जो लाल और नीले रंग का था । (3) पैर के दाहिनी ओर तीसरी अंगुली के मध्य में 0.25 सेमी. x 0.25 सेमी. आकार की खरोंच मौजूद थी जिसका रंग लाल था । उन्होंने यह भी कथन किया कि परीक्षा करने के पश्चात् उन्होंने योनिक श्लेषमल से गुजरता हुआ लम्बाई में 0.5 सेमी. की रेखीय सतहीय खरोंच जो योनिक छिद्र के ऊपर 7 बजे के आकार की स्थिति में त्वचा के बाहर की ओर थी । उन्होंने यह कथन किया कि योनिच्छद यथावत् था और कोई क्षति नहीं दिखाई दी तथा अभियोक्त्री की योनिक स्लाइड प्रदर्श 9/बी के अनुसार मानव रक्त और मानव वीर्य दिखाई दिया था । उन्होंने यह कथन किया कि उनकी यह राय है कि अभियोक्त्री मैथुन के अध्यधीन रही थी । उन्होंने एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क जारी किया जिसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर तथा अभियोक्त्री के हस्ताक्षर कराए । उन्होंने यह कथन किया कि इस मामले में कोई पूर्व मैथुन किए जाने की बात प्रकट नहीं होती है और यह भी कथन किया कि क्या लड़की से पूर्व में मैथुन किया जाना प्रकट हुआ था । घटना की वजह से अभियोक्त्री के गुप्तांग भागों पर कोई क्षति नहीं देखी गई । उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियोक्त्री को पहुंची क्षति स्वयं कारित की

गई हो सकती है । उन्होंने यह कथन किया कि योनि में वीर्य की मौजूदगी से पश्च तोरणिका से मैथुन उपदर्शित होता है ।

9.5 अभि. सा. 5 डा. राजेश कुमार ने यह कथन किया कि वह जून, 2007 से सी. एच. सी., सुजानपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर था और आगे यह कथन किया कि पुलिस द्वारा आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया था और उन्होंने एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ख जारी किया । उन्होंने यह भी कथन किया कि चिकित्सा परीक्षा के समय पर अभियुक्त होशोहवास में था और उस समय मौखिक कही गई बातों में उत्तर देने में समर्थ था । उन्होंने यह भी कथन किया कि अभियुक्त के जननांगों का पूरी तरह विकास हुआ था और अभियुक्त की अण्ड ग्रंथी का भी पूरी तरह विकास हुआ था और जगनबालों का पूरी तरह विकास हुआ था । उन्होंने यह कथन किया कि अभियुक्त के शिश्न में कोई वीर्य के धब्बे नहीं पाए गए थे और उसके चेहरे पर कोई खरोंच नहीं देखी गई तथा चेहरे पर कोई विदीर्ण क्षति नहीं देखी गई । उन्होंने यह कथन किया कि चेहरे पर तथा जननांग के अण्डकोष क्षेत्र पर कोई रक्त का धब्बा नहीं देखे गए । उन्होंने यह भी कथन किया कि दाहिने अंगूठे के करतल पर कोई विदीर्ण चिह्न नहीं था जो रंग में भूरा रंग का था । बहत्तर घंटे से अधिक समय में उक्त कार्रवाई का होना प्रकट है । उन्होंने यह कथन किया कि अभियुक्त मैथुन करने में समर्थ था । उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्त द्वारा पहने गए कपड़े रासायनिक परीक्षा के लिए भेजे गए थे । उन्होंने यह कथन किया कि रसायन विश्लेषक रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ग के अनुसार इन रिपोर्टों में किसी तरह का रक्त या वीर्य उपदर्शित नहीं किया गया है । उन्होंने यह कथन किया कि कमीज प्रदर्श पी. 13, पैंट प्रदर्श पी. 14 और बनियान प्रदर्श पी. 15 पुलिस को सौंपी गई थी । उन्होंने यह कथन किया कि अभियुक्त की परीक्षा के समय पर वह एल्कोहल के प्रभाव में नहीं पाया गया था ।

9.6 शिव देव सिंह (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि उसने आवेदन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क) प्राप्त करने के पश्चात् अभियोक्त्री का जाति प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ख) जारी किया था और अभियुक्त का राजस्व अभिलेख पर आधारित जाति प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ग) जारी किया गया था । उसने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री की वंशावली तालिका (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/घ) है और अभियुक्त की वंशावली तालिका (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ङ) है ।

9.7 रतनचन्द्र (अभि. सा. 7) ने यह कथन किया है कि वह मामले के अन्वेषण में सहबद्ध था और वह पंचायत का वार्ड मेम्बर था । उसने यह कथन किया है कि पुलिस द्वारा अभियोक्त्री के मकान और गोशाला के बीच घटनास्थल से दो बटन एकत्रित किए गए थे । उसने यह कथन किया है कि बटन प्रदर्श पी. 9 और प्रदर्श पी. 10 हैं और दो नाड़े भी एकत्रित किए गए थे जिन पर प्रदर्श पी. 11 और प्रदर्श पी. 12 डाला गया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर बिना किसी बरामदगी के अभिग्रहण ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ।

9.8 मोहर्रिर हैड कांस्टेबल रणजीत सिंह (अभि. सा. 8) ने यह कथन किया है कि वह वर्ष 2006 से पुलिस थाना सुजानपुर में मोहर्रिर हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात है और यह कथन किया कि अन्वेषक अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक गुलाब सिंह ठाकुर ने उसके पास तारीख 25 फरवरी, 2009 को मोहर-क से सम्यक् रूप से बन्द किए गए चार पार्सल तथा मोहर की छाप जमा की थी । उसने यह कथन किया कि तारीख 26 फरवरी, 2009 को कांस्टेबल सुरेश कुमार ने मोहर एम. ओ. एक मोहरबंद पार्सल उसके पास जमा किया था और यह भी कथन किया है कि महिला कांस्टेबल हिमानी ने तारीख 25 फरवरी, 2009 को मोहर डी. एच. एच. के साथ सम्यक् रूप से मोहरबंद एक पार्सल उसके पास जमा किया था । उसने यह कथन किया है कि तारीख 27 फरवरी, 2009 को पुलिस उप अधीक्षक गुलाब सिंह ठाकुर ने एक मोहर छाप सहित मोहर एच. से सम्यक् रूप से एक मोहरबंद उसके पास जमा किया था और उसके द्वारा इन सभी पार्सलों को मालखाना रजिस्टर में इन्दराज किया गया था जिसे वह लाया था । उसने यह कथन किया कि प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क में सार दिया गया है और वह मूल आर. सी. (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ख) लाया है । उसने यह कथन किया है कि बाद में रासायनिक रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ग) न्यायालियक प्रयोगशाला, जुंगा से प्राप्त की गई थी । उसने यह कथन किया कि जब तक संपत्ति उसके कब्जे में रही उसमें कोई हेरफेर नहीं की गई थी । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि नमूना पार्सल में पुलिस थाने पर हेरफेर की गई थी ।

9.9 कांस्टेबल मलकियत सिंह (अभि. सा. 9) ने यह कथन किया है कि वह पिछले एक वर्ष से पुलिस थाना, सुजानपुर में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त है और यह भी कथन किया कि मोहर्रिर हैड कांस्टेबल रणजीत सिंह ने तारीख 2 मार्च, 2009 को न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा में

सम्यक् रूप से मोहरबंद किए गए सात पार्सल जमा करने के लिए उसको सुपुर्द किए थे । वह उसी दिन उन्हें आर. सी. सं. 26/2009 के द्वारा न्यायालयिक प्रयोगशाला ले गया था और उन्हें जमा करके आर. सी. पर रसीद प्राप्त की थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसने लौटने पर सम्यक् रूप से प्राप्त की गई आर. सी. मोहर्रिर हैड कांस्टेबल को सौंप दी थी और जब तक उसकी अभिरक्षा में पार्सल रहे थे उनके साथ कोई हेरफेर नहीं की गई थी ।

9.10 कांस्टेबल सुरेश कुमार (अभि. सा. 10) ने यह कथन किया है कि वर्ष 2008 से पुलिस थाना सुजानपुर में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त है और तारीख 25 फरवरी, 2009 को उसे थाना भारसाधक अधिकारी द्वारा अभियुक्त की सी. एच. सी., सुजानपुर पर चिकित्सा परीक्षा कराने के लिए तैनात किया गया था । उसने यह कथन किया है कि वह आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क को अभियुक्त के साथ ले गया था और अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा कराई थी, देखिए एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ख । उसने यह भी कथन किया कि चिकित्सा अधिकारी ने अभियुक्त के कपड़ों से संबंधित एक पार्सल उसे दिया था और उसने मोहर्रिर हैड कांस्टेबल को उसे जमा कर दिया था और अन्वेषण अधिकारी को सौंपने के लिए एम. एल. सी. को सुपुर्द कर दिया । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा कराने के लिए उसे सी. एच. सी. सुजानपुर नहीं ले गया था । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे कुछ भी नहीं सौंपा गया था ।

9.11 महिला कांस्टेबल हिमानी (अभि. सा. 11) ने यह कथन किया है कि वह वर्ष 2006 से पुलिस थाना, सुजानपुर में तैनात है । थाना भारसाधक अधिकारी के निदेश पर वह अभियोक्त्री को उसकी चिकित्सा परीक्षा कराने के लिए ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय अस्पताल, हमीरपुर पर आवेदन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क) के साथ ले गई थी । अभि. सा. 11 ने यह भी कथन किया है कि अभि. सा. 11 ने डाक्टर से एम. एल. सी. (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क) द्वारा अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा कराई थी और एम. एल. सी. प्राप्त की थी । अभि. सा. 11 ने यह भी कथन किया है कि डाक्टर ने लकड़ी का छड़ और कोटन स्वाब रखा हुआ एक पार्सल उसके सुपुर्द किया था और अभि. सा. 11 ने उसे मोहर्रिर हैड कांस्टेबल के पास जमा कर दिया और पुलिस भारसाधक अधिकारी को देने के लिए

एम. एल. सी. को सौंप दिया था । अभि. सा. 11 ने इस सुझाव से इनकार किया है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे कोई नमूना नहीं दिया गया था ।

9.12 सुरेश कुमार (अभि. सा. 12) ने यह कथन किया है कि वह वर्ष 2007 से पुलिस थाना, सुजानपुर पर तैनात है । वह मूल रोजनामचा रजिस्टर लाया है तथा डी. डी. सं. 11-क (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/क) तथा डी. डी. सं. 26-क (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ख) मूल अभिलेख की सही प्रतियां हैं ।

9.13 ब्रहमदास (अभि. सा. 13) ने यह कथन किया है कि वह 2001 से अप्रैल, 2009 तक पुलिस थाना, सुजानपुर में अन्वेषक अधिकारी के पद पर तैनात रहा था और तारीख 25 फरवरी, 2009 को वह थाना भारसाधक अधिकारी के पद में पुलिस थाना, सुजानपुर में कार्य कर रहा था । उसने यह कथन किया कि रुक्का (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क) तारीख 25 फरवरी, 2009 को कांस्टेबल भूपेन्द्र सिंह के माध्यम से प्राप्त किया गया था और उसकी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/क) के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । उसने यह कथन किया कि रुक्का पर पृष्ठांकन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ख) के रूप में किया गया है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

9.14 मीना कुमारी, पटवारी (अभि. सा. 14) ने यह कथन किया है कि वह सितंबर, 2007 से पटवार सर्किल, लोहाखार में पटवारी के पद पर तैनात है और तहसीलदार द्वारा अग्रेषित किए गए आवेदन पर उसने अभियुक्त का जाति प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ग) अभियोक्त्री का साजरा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/घ) और अभियुक्त का साजरा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ङ) भी राजस्व अभिलेख के अनुसार तैयार किया जिन्हें वह न्यायालय में लाई है । उसने यह कथन किया कि प्रमाणपत्रों पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

9.15 उप निरीक्षक अनिल वर्मा, थाना भारसाधक अधिकारी अभि. सा. 15 पुलिस थाना नादौन ने यह कथन किया है कि वर्ष 2009 के दौरान वह पुलिस थाना सुजानपुर में भारसाधक अधिकारी के पद पर तैनात रहा और तारीख 25 फरवरी, 2009 को वह सहायक उप निरीक्षक कर्म सिंह, कांस्टेबल सुरेश कुमार, महिला कांस्टेबल हिमानी के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 22/2009 के मामले में अन्वेषण करने के लिए ऊहाल के

क्षेत्र में गया । उसने यह कथन किया कि लगभग 4.20 बजे अपराह्न उसने लोहाखार पर अपराध किए जाने के बारे में सूचना प्राप्त की और वह अन्य पुलिस पदधारियों के साथ घटनास्थल पर अग्रसर हुआ । उसने यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, अभियोक्त्री ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क) किया था जिसे उसके द्वारा लेखबद्ध किया गया । उसने यह कथन किया है कि उसने उसे पृष्ठांकन के साथ कांस्टेबल भूपेन्द्र सिंह के माध्यम से पुलिस थाना सुजानपुर भेजा था और यह कथन किया कि उसने एस. डी. पी. ओ., बारसार को अन्वेषण के बारे में सूचना दी थी । उसने यह कथन किया कि चूंकि यह मामला अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3 के अधीन तथा दंड संहिता की धारा 452, 376(1) और 506 के अधीन बनाया गया था और उसने फाइल अन्वेषण के लिए एस. डी. पी. ओ. बारसार को सुपुर्द कर दी । उसने यह कथन किया कि बाद में उसने अन्वेषण करने के पश्चात् चालान तैयार किया और उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया । उसने यह भी कथन किया है कि रसायन परीक्षक की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क) और (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख) प्राप्त करने के पश्चात् चालान भी तैयार किया और उसे भी न्यायालय में भेज दिया । उसने यह भी कथन किया कि उसने रासायनिक विश्लेषण के लिए निदेशक, न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा को पत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/ख) भेजने के लिए तैयार किया था और उसने फोटोग्राफ (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/क-1 से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/क-13) भी खींचे और जिनके नेगेटिव (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/क-14 से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/क-26) हैं । उसने यह भी कथन किया कि वह पुलिस थाना, सुजानपुर का पर्यवेक्षक अधिकारी था क्योंकि पुलिस उप अधीक्षक, मुख्यालय जो उन दिनों इटली की यात्रा पर विदेश गया हुआ था इसलिए एस. डी. पी. ओ. के पास थाना का अतिरिक्त प्रभार था । उसने यह भी कथन किया कि वह लगभग 5/5.15 बजे अपराह्न घटनास्थल पर पहुंचा और बाद में उसने पुलिस थाने से अन्य पुलिस पदधारियों अर्थात् सहायक उप निरीक्षक मनजीत, हैड कांस्टेबल शेर सिंह, हैड कांस्टेबल रणजीत सिंह को घटनास्थल पर जाने के लिए समन दिया था और वह घटनास्थल पर मध्यरात्रि तक रुका रहा । उसने यह भी कथन किया कि एस. डी. पी. ओ. गुलाब सिंह ठाकुर 8.15 बजे अपराह्न घटनास्थल पर पहुंचे थे और उसके पश्चात् उसने उन्हें

मामले का अन्वेषण सौंप दिया था । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 26 फरवरी, 2009 को पुनः वह एस. डी. पी. ओ. के साथ घटनास्थल पर गया था और उसने अभियोजन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए थे तथा फोटोग्राफ भी लिए थे । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियोक्त्री का कथन उसके वृत्तांत के अनुसार अभिलिखित नहीं किया गया था ।

9.16 गुलाब सिंह ठाकुर (अभि. सा. 16), एस. डी. पी. ओ. ने यह कथन किया है कि वह वर्ष 2007 के मई माह से एस. डी. पी. ओ. के पद पर भारसाधक तैनात था और फरवरी, 2009 में उसके पास पुलिस उप अधीक्षक, मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार था जो सुजानपुर पुलिस थाना का पर्यवेक्षक था । उसने यह कथन किया है कि उसे दंड संहिता की धारा 376(1), 452 और 506 के साथ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के अधीन मामले के रजिस्ट्रीकरण के बारे में सूचित किया गया था और वह घटनास्थल पर गया जहां पर वह 8.15 बजे अपराह्न पहुंचा था । उसने यह भी कथन किया कि भारसाधक, पुलिस थाना, सुजानपुर अन्य पुलिस पदधारियों के साथ पहले ही घटनास्थल पर मौजूद थे और उसने थाना भारसाधक अधिकारी से मामले के अन्वेषण का जिम्मा लिया । उसने यह कथन किया कि उसने घटनास्थल नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/क) तैयार किया और साक्षियों की मौजूदगी में अभियोक्त्री द्वारा दिए गए स्वेटर प्रदर्श पी. 1, कमीज प्रदर्श पी. 2, जांघिया प्रदर्श पी. 3, ब्रा प्रदर्श पी. 4, ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख) के माध्यम से कब्जे में लिए थे । उसने यह कथन किया कि उसने साक्षियों की मौजूदगी अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग) के माध्यम से सलवार प्रदर्श पी. 5, जांघिया प्रदर्श पी. 7 को भी कब्जे में लिया था और अभिग्रहण ज्ञापन पर अभियोक्त्री के भी हस्ताक्षर कराए थे । उसने यह कथन किया कि जांघिया प्रदर्श पी. 7 और टाट का थैला प्रदर्श पी. 16 साक्षियों की मौजूदगी में ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख) के माध्यम से गोशाला से कब्जे में लिए गए थे जिनकी पहचान अभियोक्त्री द्वारा की गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि साक्षियों की मौजूदगी में (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ङ) के माध्यम से अभियुक्त की वी आकार की चप्पल प्रदर्श 8 को भी कब्जे में लिया गया था । आगे उसने यह कथन किया है कि थाना भारसाधक अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने फोटोग्राफ भी

लिए थे । उसने यह कथन किया है कि साक्षियों की मौजूदगी में ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/च के माध्यम से घटनास्थल से दो बटन प्रदर्श पी. 9 और प्रदर्श पी. 10 तथा नाड़े प्रदर्श पी. 11 और प्रदर्श पी. 12 भी कब्जे में लिए गए जो मकान और गोशाला के बीच में पड़े हुए थे । उसने यह भी कथन किया कि उसने अभियोक्त्री और अभियुक्त के जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए तहसील के समक्ष आवेदन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क) भी पेश किया था । उसने यह भी कथन किया कि अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् फाइल थाना भारसाधक अधिकारी को सौंप दी थी । उसने यह भी कथन किया कि अभियोक्त्री की माता के दामाद ने उन्हें घटना के बारे में दूरभाष से सूचना दी थी । उसने यह भी कथन किया कि अनिल वर्मा ने उसे लगभग 7 बजे अपराह्न घटना के बारे में भी सूचना दी थी । उसने यह कथन किया कि पुलिस अधीक्षक छुट्टी पर थे और वह मुख्यालय में ही मौजूद था । उसने यह भी कथन किया कि उसने इस मामले के अन्वेषण का नियुक्ति पत्र भी प्राप्त किया था । उसने यह भी कथन किया कि उसके द्वारा लगभग 8-8.30 बजे अपराह्न घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया गया था । उसके द्वारा यह भी कथन किया गया कि अभियोक्त्री के पिता का गोशाला उनके आवासीय मकान से 10 मीटर की दूरी पर स्थित था । उसने यह भी कथन किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब वहां पर ग्राम पंचायत के प्रधान भी मौजूद थे तथा 15-20 लोग भी वहां मौजूद थे । उसने यह कथन किया कि अभियुक्त का मकान शिकायतकर्ता के मकान से निचली ओर लगभग 50-60 मीटर दूरी पर था । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि वर्तमान मामला शिकायतकर्ता द्वारा दुश्मनी की वजह से फाइल किया गया था । उसकी माता इसरो देवी अभियुक्त और कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध थे ।

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया था । अभियुक्त ने यह भी कथन किया था कि अभियोक्त्री और साक्षी उससे ईर्ष्या रखते थे क्योंकि उसका भाई विनय कुमार जे. एम. आई. सी., हमीरपुर के न्यायालय में लंबित दांडिक मामले में अभियोक्त्री की बड़ी बहन जमुना देवी के विरुद्ध अभियोजन साक्षी था जो मामला अभिकथित घटना के पूर्व संस्थित किया गया था । उसने यह कथन किया कि उसका भाई तारीख 3 अक्तूबर, 2010 को जमुना देवी के विरुद्ध अभियोजन साक्षी के रूप में हाजिर हुआ था ।

11. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 376(1) के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित किया है । इस दलील में कोई बल न होने के कारण उसे खारिज कर दिया गया । हमने सावधानीपूर्वक अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का भी परिशीलन किया । अभि. सा. 4 चिकित्सा अधिकारी ने विशिष्ट रूप से सकारात्मक ढंग से यह कथन किया है कि अभियोक्त्री का योनिच्छद यथावत् था । हमने अभिलेख पर रखे गए चिकित्सा प्रमाणपत्र का भी परिशीलन किया । अभिलेख पर रखे गए चिकित्सीय प्रमाणपत्र के अनुसार अभियोक्त्री का योनिच्छद यथावत् था । इस तथ्य को ध्यान नें रखते हुए अभियोक्त्री का योनिच्छद यथावत् था उस पर हमारी यह राय है कि वर्तमान मामले में युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध बलात्संग का कोई अपराध साबित नहीं हुआ है । अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की है कि अभियोक्त्री का योनिच्छद यथावत् नहीं था । यह तथ्य कि अभियोक्त्री का योनिच्छद यथावत् रहा हो उस पर हमारी यह राय है कि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हुआ है ।

12. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन अपराध अभिलेख पर साबित हुआ है और इसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर स्वीकार किया जाना चाहिए । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के अनुसार कि अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित हुआ है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को उसके आवासीय कमरे से घसीटा था और उसे गोशाला में ले गया था और इसके पश्चात् गोशाला में अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक बलात्संग करने की कोशिश की । अभि. सा. 4 चिकित्सा अधिकारी के परिसाक्ष्य के अनुसार मेरुरज्जु से अंस फलक से थोड़ा नीचे 8 सेंटीमीटर पर पीठ के दाहिनी ओर 2.5 सेंटीमीटर लम्बाई की एक ही खरोंच थी जिसका रंग लाल था । अभिलेख पर यह साबित हुआ है कि घुटने के थोड़ा ऊपर दाहिनी जांघ के मध्य भाग पर 2 सेंटीमीटर x 1.5 सेंटीमीटर आकार का गुमटा मौजूद था जो रंग में लाल और नीला था । अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह भी साबित हुआ है कि अभियोक्त्री के दाहिने पैर की तीसरे अंगुली के मध्य भाग पर 0.25 सेमी.

x 0.25 सेमी. आकार की खरोंच पहुंची थी जिसका रंग लाल था । अभियोक्त्री ने विनिर्दिष्ट रूप से सकारात्मक ढंग से यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसे पकड़ा था और जिस कारण उसकी स्वेटर फट गई थी । अभियोक्त्री ने विनिर्दिष्ट रूप से सकारात्मक रूप से यह कथन किया है कि इसके पश्चात् अभियुक्त ने अभियोक्त्री को चारपाई पर गिरा दिया और जब उसने चीखपुकार करने की कोशिश की तो अभियुक्त ने अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर दिया और तब उसकी सलवार और जांघिया उतार दी । अभियोक्त्री ने सकारात्मक ढंग से यह भी कथन किया कि उसके पश्चात् अभियुक्त अभियोक्त्री को गोशाला पर ले गया था । अभियोक्त्री ने सकारात्मक रीति में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त ने उसे टाट के थैले पर पटक दिया जो गोशाला में रखे हुए थे और इसके पश्चात् अभियुक्त ने उस पर मैथुन हमला किया था । अभियोक्त्री का उपरोक्त परिसाक्ष्य विश्वसनीय है और न्यायालय को विश्वास दिलाता है । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि घटना के तुरन्त पश्चात् अभियोक्त्री की माता उसके पास पहुंची और उसने अपनी माता को रोते हुए सम्पूर्ण घटना की जानकारी दी थी और इसके पश्चात् मामले की रिपोर्ट पंचायत के सदस्यों को की गई थी । इस पर पंचायत के सदस्य घटनास्थल पर भी पहुंचे थे और इसके बाद मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी गई । यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त का जांघिया और अभियोक्त्री का जांघिया और सलवार अन्वेषण अधिकारी अभिग्रहण ज्ञापनों के माध्यम से कब्जे में लिए गए थे । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियोक्त्री को ऊपर उल्लिखित क्षतियां कारित हुई थीं । अभियोक्त्री बी.बी.ए. की छात्रा थी तथा अभिकथित घटना के समय पर अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष थी । अभियुक्त विवाहित व्यक्ति था और उसके बच्चे भी थे । घटना के समय उसकी आयु 29 वर्ष थी । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त घटना के समय पर राजपूत जाति से संबंधित था और अभियोक्त्री घटना के समय अनुसूचित जाति से संबंधित थी । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियोक्त्री का आवासीय मकान और अभियुक्त का आवासीय मकान नजदीक पर स्थित थे । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त इस बहाने से इसरो देवी (अभि. सा. 3) की मौजूदगी में अभियोक्त्री के आवासीय मकान पर पहुंचा कि वह अपने कुत्ते की तलाश में अभियोक्त्री के आवासीय मकान पर पहुंचा था । विधि में यह सुस्थापित है कि दांडिक

अपराध करने के प्रयास में चार प्रक्रम सम्मिलित हैं (1) अपराध करने का आशय का प्रकट होना, (2) अपराध कारित करने की तैयारी करना, (3) अपराध करने का प्रयास, (4) अपराध वास्तविक रूप से किया जाना । **अभ्यानंद मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य**[1] और **टी. मुनिराथनम रेड्डी और एक अन्य (अभियुक्त-याची)**[2] वाले मामले देखिए । वर्तमान मामले में इसरो देवी (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य के अनुसार अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियुक्त अभियोक्त्री के आवासीय मकान में आपराधिक अपराध करने के लिए अपराधी आशय से पहुंचा था । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त ने अपराध किए जाने के लिए तैयारी भी की थी और अभिलेख पर यह भी साबित हुआ है कि अभियुक्त ने अपराध किए जाने का प्रयास किया था जब अभियुक्त ने अभियोक्त्री को उसके आवासीय कमरे से घसीटकर उसके नजदीक गोशाला पर ले गया था । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त ने वास्तव में अपनी पैंट और जांघिया खोलकर और अभियोक्त्री की जांघिया को खोलकर बलपूर्वक अपराध किए जाने का प्रयास किया था । हमारी यह राय है कि अविवाहित लड़कियों पर मैथुन हमले समाज में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं । विधि में यह भी सुस्थापित है कि बलात्संग के मामलों में अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य सम्पूर्ण मामले की पृष्ठभूमि में उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए । विधि में यह भी सुस्थापित किया गया है कि विचारण न्यायालय को मैथुन के मामले पर विचार करते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह और अन्य**[3], **राजस्थान राज्य** बनाम **एन. के. अभियुक्त**[4], **राज्य** बनाम **लेखराज और एक अन्य**[5] और **मदन गोपाल कक्कड़** बनाम **नवल दूबे और एक अन्य**[6] वाले मामले देखिए । विधि में यह भी सुस्थापित है कि मौखिक साक्षियों के परिसाक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जा सकता है । अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य बलात्संग के अपराध को किए जाने वाले प्रयास पर न्यायालय को विश्वास दिलाता है । बलात्संग किए जाने के प्रयास के बारे में अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर

---

[1] ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1698.
[2] ए. आई. आर. 1955 आंध्र प्रदेश 118.
[3] (1996) 2 एस. सी. सी. 384.
[4] (2000) 5 एस. सी. सी. 30.
[5] (2000) 1 एस. सी. सी. 247.
[6] (1992) 3 एस. सी. सी. 204.

अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का अभिलेख पर रखे गए चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी संपुष्टि हुई है और अभि. सा. 3 इसरो देवी जिन्होंने अभियोक्त्री के आवासीय मकान के प्रांगण में अभियुक्त की मौजूदगी के तथ्य को साबित किया है । उसके परिसाक्ष्य से भी उपरोक्त बातों की संपुष्टि हुई है तथा अभि. सा. 2 रोशनी देवी, जिसने अभियुक्त को गोशाला से भागते हुए देखा, उसके परिसाक्ष्य के अनुसार भी अभियुक्त की मौजूदगी साबित हुई है । अभिलेख पर रखे गए रसायन विश्लेषक की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख) के अनुसार मानव वीर्य अभियोक्त्री के कमीज और जांघिया पर पाया गया था और अभियोक्त्री (जिसकी आयु 20 वर्ष है) के यौनिक स्वाब में मानव रक्त और वीर्य पाया गया था । इसलिए हमारी यह राय है कि दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध अभियुक्त के विरुद्ध संदेह के परे अभिलेख पर साबित हुआ है ।

13. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि दंड संहिता की धारा 452 के अधीन गृह अतिचार का अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हुआ है जिसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर स्वीकार किया जाता है । दंड संहिता की धारा 452 के अधीन अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के या हमले के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार करेगा । वर्तमान मामले में अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के अनुसार अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित किया गया है कि अभियुक्त मैथुन हमले के अपराध को कारित करने के लिए आपराधिक आशय से अभियोक्त्री जिसकी आयु 20 वर्ष है, के आवासीय मकान में घुसा था । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को उसके आवासीय मकान में चोट पहुंचाने का भय भी दिखाया था और इसके पश्चात् अभियुक्त अभियोक्त्री को गोशाला खींचकर ले गया और उसके साथ बलात्संग का प्रयास किया । हमारी यह राय है कि दंड संहिता की धारा 452 के अधीन अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हुआ है ।

14. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने

यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित किया है कि अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 506(1) के अधीन दंडनीय अपराध किया था और जिस बात को इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारण पर कोई बल होने से अस्वीकार कर दिया गया था । हमने अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । अभियोक्त्री ने अपने परिसाक्ष्य में सकारात्मक रीति में यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसका आपराधिक अभित्रास करने या उसकी हत्या करने की धमकी दी है या उसे चोट पहुंचाने की धमकी दी । इस तथ्य के अभाव में कि अभियुक्त ने किसी भी रीति में अभियोक्त्री को धमकाया नहीं । इस पर हमारी यह राय है कि यह एक न्याय के उद्देश्य के लिए समीचीन नहीं होगा कि दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए । हमारी यह राय है कि विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त करके ठीक ही किया है ।

15. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने दूसरी दलील यह दी कि अभियोक्त्री ने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन अपराध को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों के आधार पर स्वीकार किया गया है । अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित हुआ है कि वर्तमान मामले में अभियोक्त्री अनुसूचित जाति से संबंधित है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क के अनुसार अभियोक्त्री लोहार जाति से संबंधित है जो अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अधीन आती है तथा अभियुक्त राजपूत जाति से संबंधित है जो गैर-अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अन्तर्गत आती है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ग अभिलेख पर अखंडनीय है । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियोक्त्री और अभियुक्त का आवासीय मकान एक दूसरे के नजदीक स्थित हैं तथा अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त राजपूत जाति से संबंधित है जो अभियोक्त्री की जाति पर हावी है, अभियोक्त्री अनुसूचित जाति से संबंधित है तथा अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त अभियोक्त्री का मैथुन के रूप में शोषण करने की स्थिति में था जबकि वह इसके लिए सहमत नहीं थी । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियोक्त्री

बी.बी.ए. की छात्रा थी और घटना के समय उसकी आयु 20 वर्ष थी तथा घटना के समय अभियुक्त की आयु 29 वर्ष थी और अभियुक्त भी विवाहित व्यक्ति था तो भी अभियुक्त ने अभियोक्त्री या किसी अन्य अभियोजन साक्षी से यह प्रश्न नहीं पूछा कि वर्तमान मामले में अभियोक्त्री की सहमति थी । विधि में यह सुस्थापित है कि न्यायालय अभिलेख पर साबित तथ्यों के अनुसार अपनी राय देने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन है और विधि में यह भी सुस्थापित किया गया है कि विचारण न्यायालय आपराधिक मामले में उपधारणाओं के आधार पर अपनी राय नहीं दे सकते हैं ।

16. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् प्रतिरक्षा अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभियोक्त्री के आवासीय मकान में दो दरवाजे थे । एक दरवाजा लोहे के तार का बना हुआ था और दूसरा लकड़ी का बना हुआ था तथा अभियोक्त्री ने स्वेच्छया से लोहे के तार वाला दरवाजा तथा लकड़ी का दरवाजा खोला था इसलिए वर्तमान मामला सहमति का मामला प्रकट होता है और इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई तथा कोई बल न होने की वजह से अस्वीकार की गई । जब अभियोक्त्री साक्षी कठघरे में उपस्थित हुई तो उसे कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया गया कि अभियोक्त्री ने अपने आवासीय मकान में प्रवेश कराने हेतु अभियुक्त को अनुज्ञात करने स्वेच्छिक रूप से बाहरी लोहे का दरवाजा खोला और अन्दर का लकड़ी का दरवाजा खोला था । अभियुक्त का मामला यह नहीं है कि अभियोक्त्री ने स्वेच्छिक रूप से बाहरी लोहे का दरवाजा और अन्दर का लकड़ी का दरवाजा खोला था । हमारी यह राय है कि अभियोक्त्री के कमरे में अभियुक्त का बलपूर्वक घुसना अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य से साबित होता है और अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य कि अभियुक्त उसके आवासीय मकान में बलपूर्वक घुसा, यह विश्वसनीय है और न्यायालय को विश्वास दिलाती है । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

17. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् प्रतिरक्षा अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर रखे गए फोटोग्राफ से स्पष्टतया यह साबित होता है कि अभियोक्त्री की सलवार और जांघिया जमीन पर फेंकी गई थी और उन्हें क्रमबद्ध रखा गया था और अभियुक्त का एक जोड़ा चप्पल भी कमरे के अन्दर क्रमबद्ध रूप से रखा हुआ था जिससे सहमति का मामला साबित होता है और इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई

अपील खारिज की गई तथा इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित उक्त कारणों पर कोई बल न पाते हुए उसे अस्वीकर कर दिया । हमारी यह राय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 59 के अनुसार दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु को छोड़कर सभी तथ्यों को प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है । वर्तमान मामले में अभियोक्त्री ने अपने परिसाक्ष्य में युक्तियुक्त संदेह के परे इस बात को साबित किया है कि जब अभियुक्त उसके कमरे में घुसा तब अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष थी और उसने 10-15 मिनट अभियुक्त के साथ संघर्ष किया और इसके पश्चात् अभियुक्त ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे चारपाई पर गिरा दिया । युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित किया गया है कि इसके पश्चात् अभियुक्त जो विवाहित व्यक्ति था उसने अभियोक्त्री की सलवार और जांघिया उतार दी जिसकी आयु 20 वर्ष थी और जो घटना के समय पर बी.बी.ए. की छात्रा थी तथा अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के ये तथ्य अभिलेख पर अंखडनीय रहे हैं । अभियुक्त अभियोक्त्री के उपरोक्त साक्ष्य को खंडित करने के लिए साक्षी कठघरे में हाजिर नहीं हुआ । अभियुक्त प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में साक्षी कठघरे में खड़ा नहीं हुआ जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 315 में अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य को खंडित करने के लिए उसका साक्षी कठघरे में खड़ा होना अपेक्षित है । विधि में यह सुस्थापित किया गया है कि तथ्यों को साबित करने के लिए केवल संपुष्ट साक्ष्य के रूप में केवल फोटोग्राफ हैं तथा विधि में यह सुस्थापित है कि प्रत्यक्ष मौखिक प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य सारभूत साक्ष्य है । विधि में यह भी सुस्थापित किया गया है कि जब प्रत्यक्ष सारभूत मौखिक साक्ष्य और संपुष्ट साक्ष्य के बीच में विरोध हो तब प्रत्यक्ष सारभूत मौखिक साक्ष्य अभिभावी होगा ।

18. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई कि अभियोजन के पक्षकथनानुसार अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच 10-15 मिनट संघर्ष हुआ था और अभियोक्त्री को कोई क्षति कायम नहीं हुई तथा अभियुक्त को भी कोई क्षति नहीं पहुंची और इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई और उसमें कोई बल न होने की वजह से उसे अस्वीकर किया गया । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अभियोक्त्री के कब्जे में कोई पैना आयुध रखा हुआ था । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अभियुक्त ने भी अपने हाथ में कोई पैना आयुध रखा हुआ था । वर्तमान मामले में

अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियोक्त्री को मेरुरज्जु से 8 सेमी. अंस फलक से नीचे पीठ के दाहिनी ओर 2.5 सेमी. लंबाई का रेखीय खरोंच हुआ था जो रंग में लाल था । अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियोक्त्री के ऊपरी टखने के दाईं जांघ के मध्य भाग पर 2 सेमी. x 1.5 सेमी. आकार का गुमटा हुआ था जो रंग में लालिमा और नीलापन लिए हुए था । अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह भी साबित किया गया है कि अभियोक्त्री के दाहिने पैर की तीसरी अंगुली के मध्य 0.25 सेमी. x 0.25 सेमी. के आकार की खंरोंच भी हुई थी जो रंग में लालिमा लिए हुए थी । घटना के समय पर अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष थी और अभियोक्त्री मण्डी कालेज में बी.बी.ए. की छात्रा थी और घटना के समय पर अभियुक्त की आयु 29 वर्ष थी । हमारी यह राय है कि घटना के समय पर अभियोक्त्री को पहुंची खरोंच और गुमटे से स्पष्टतया यह साबित होता है कि अभियोक्त्री का अभियुक्त के साथ संघर्ष हुआ था जैसा कि अभियोजन द्वारा अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ऐसा किया ।

19. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् प्रतिरक्षा अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि यदि अभियुक्त का आशय बलात्संग करने का था तो वह कमरे के अन्दर बलात्संग करता और वह अभियोक्त्री को गोशाला पर खींचकर नहीं ले जाता । इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई और उसमें बल न होने कारण अस्वीकार कर दिया गया । हमारी यह राय है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को गोशाला पर घसीटकर ले गया क्योंकि बलात्संग करने के समय पर गोशाला में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश संभव नहीं था तथा हमारी यह राय है कि प्रश्नगत समय पर अभियोक्त्री के आवासीय मकान में किसी तीसरे व्यक्ति की प्रविष्टि संभव थी । हमारा यह मत है कि अभियुक्त अभियोक्त्री को गोशाला में घसीटकर इसलिए ले गया था जिससे कि बलात्संग करने के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से बच सके ।

20. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह दलील दी कि अभियोक्त्री के आवासीय मकान से गोशाला के रास्ते पर अभियोक्त्री के स्वेटर के बटन और अभियोक्त्री के कमीज के लेज के टूटने का कोई अवसर नहीं था और इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई और उसमें कोई बल न होने की वजह से

उसे अस्वीकार किया गया । अभियोक्त्री ने अपने परिसाक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया है कि जब अभियुक्त आवासीय परिसर से गोशाला बलपूर्वक घसीटकर ले गया जो स्थान एक दूसरे के नजदीक थे तब अभियोक्त्री के बटन और उसके कमीज के लेज टूट चुके थे । स्वेटर के टूटे हुए बटनों का अभिग्रहण का ज्ञापन और कमीज के अभिग्रहण ज्ञापन को कब्जे में लिया गया था और इस तथ्य पर अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य से न्यायालय को विश्वास दिलाते हैं । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री के मौखिक परिसाक्ष्य तथा अन्य बरामदगी साक्षियों के आधार पर उसके स्वेटर के टूटे हुए बटन और टूटे हुए लेज के तथ्यों को साबित किया है । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि स्वेटर के बटन और कमीज के लेज किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को मिथ्या मामले में फंसाने के लिए षड्यंत्रपूर्वक अधिरोपित किए थे । वर्तमान मामले में घटना के तुरन्त पश्चात् कई गांववासी अभियोक्त्री के आवासीय मकान में एकत्रित हो गए थे और घटना के थोड़े से अन्तराल में उसी दिन घटनास्थल पर पुलिस पदधारी भी पहुंच गए थे ।

21. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने दूसरी दलील यह दी है कि अभियोक्त्री के आवासीय मकान से 100 मीटर की दूरी पर लगभग बीस मकान हैं और दिन दहाड़े 2.30/3 बजे अपराह्न पर यह संभव नहीं है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री की सलवार और जांघिया उतारे हों और तब उसे नग्न हालात में 10 मीटर की दूरी पर गोशाला पर ले गया होगा, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने से मामले को अस्वीकार किया गया था । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि घटनास्थल पर या घटनास्थल के नजदीक कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध था जब अभियुक्त ने कमरे में अभियोक्त्री का सलवार और जांघिया उतारा था और अभियोक्त्री को नग्न स्थिति में घसीटकर गोशाला ले गया था जो 10 मीटर की दूरी पर स्थित है । हमारी यह राय है कि दांडिक न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में उपधारणा के आधार पर निष्कर्ष नहीं देने चाहिए परन्तु केवल मामले के साबित तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष देने चाहिए ।

22. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक दूसरी दलील यह दी है कि अभियोक्त्री ने तब कोई शोरगुल नहीं किया

जब उसे आवासीय मकान से गोशाला घसीटकर ले जाया जा रहा था । अगर वह शोरगुल करती तो गांववासियों और पड़ोसियों का ध्यान उस ओर जाता । राज्य द्वारा फाइल की गई अपील, इस आधार पर भी खारिज की गई तथा इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने पर मामले को अस्वीकार किया गया था । अभियोक्त्री ने विनिर्दिष्ट रूप से सकारात्मक रीति में यह कथन किया है कि वह चिल्लाई परन्तु अभियुक्त द्वारा उसका मुंह बंद कर दिया गया था । आवासीय कमरे और गोशाला के बीच मात्र दस मीटर की दूरी है और कोई भी व्यक्ति 3-4 मिनट के अन्दर 10 मीटर की दूरी पर आ सकता है और यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि जब अभियोक्त्री को उसके आवासीय मकान से गोशाला पर घसीटकर लाया जा रहा था तब उस 3-4 मिनट के अन्तराल में किसी अन्य व्यक्ति को रास्ते में या उसके आवासीय मकान के नजदीक भी मौजूद होना चाहिए था ।

23. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने दूसरी यह दलील दी है कि अभियोक्त्री के चेहरे पर या स्तन पर कोई काटने के चिह्न नहीं हैं और अभियोक्त्री ने गोशाला में कोई विरोध नहीं किया है तथा उसके चेहरे, वक्ष या शरीर के अन्य भागों पर कोई क्षति नहीं हुई थी और गोशाला में रखे गए टाट के थैले और घास में कोई बिखराव नहीं हुआ था तथा इस आधार पर भी राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई थी और इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से उसे अस्वीकार किया गया । अभियुक्त ने सहमति की कहानी पर अभियोक्त्री की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की और अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षियों से भी कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई कि वर्तमान मामला सहमति का मामला था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने यह कथन नहीं किया है कि वर्तमान मामला सहमति का मामला था । हमारी यह राय है कि दांडिक न्यायालय भूसे से अनाज निकालने की विधि बाध्यता के अधीन है । हमारी यह राय है कि अभियोजन साक्षियों को कोई सुझाव न देने की कि यह मामला सहमति का मामला है इससे स्वतः यह अभिनिर्धारित करने के लिए न्याय के उद्देश्य के समीचीन नहीं है कि वर्तमान मामला सहमति का मामला था । इसके प्रतिकूल अभियुक्त ने यह सुझाव दिया था कि वर्तमान मामला दुश्मनी के कारण बना हुआ था क्योंकि अभियुक्त का भाई अर्थात् विनय कुमार ने जमना देवी के विरुद्ध आपराधिक मामले में कथन किया था जो अभियोक्त्री की बड़ी बहन

है । अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में दुश्मनी का सुझाव दिया है और अभियोक्त्री की प्रतिरक्षा में यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामला सहमति का मामला है ।

24. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभियुक्त की जांघिया और उसकी चप्पल की बात अभियोक्त्री के विरुद्ध अधिरोपित की गई थी और इस आधार पर कि राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई थी क्योंकि इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से इसे अस्वीकार कर दिया गया । हमारी यह राय है कि अधिरोपण का मात्र सुझाव अभियुक्त के विरुद्ध जांघिया और चप्पल के संबंध में अधिरोपण पर्याप्त नहीं है । इस बात को सकारात्मक अकाट्य और विश्वसनीय रीति से साबित किया जाना चाहिए । अभिलेख पर कोई सकारात्मक अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त की जांघिया और चप्पलें वर्तमान मामले में अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के लिए अधिरोपित किए गए थे ।

25. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभियोक्त्री की माता का तानो देवी से वापस आना और अभियुक्त का गोशाला से तुरन्त भाग जाना तथा इसके पश्चात् अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियोक्त्री का नग्न हालत में प्रांगण में पहुंचना और अपनी माता को घटना का वृत्तांत सुनाना अभियोक्त्री की आयु को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक अनधिसंभाव्य था जिसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से अस्वीकार कर दिया गया । हमारी यह राय है कि अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष थी, वह अभियुक्त के आपराधिक कार्य की वजह से अत्यधिक भयभीत थी जिस पर वह तत्काल अपनी माता के पास पहुंची और उसे घटना का वृत्तांत सुनाया । हमारी यह राय है कि अभियोक्त्री काफी प्रतिष्ठित चरित्र की थी क्योंकि उसका योनिच्छद यथावत् था इसलिए अभियोक्त्री की सत्यनिष्ठा पर न्यायालय द्वारा संदेह नहीं किया जा सकता है । अभिलेख पर यह भी साबित किया गया है कि अभियोक्त्री अभ्यासगत लड़की नहीं थी किन्तु अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि अभियोक्त्री मामले के साबित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च आदर्श के चरित्र की लड़की थी कि अभियोक्त्री का योनिच्छद यथावत् था और उसकी आयु 20 वर्ष थी ।

26. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने दूसरी दलील यह दी है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियोक्त्री की माता अभि. सा. 2 रोशनी देवी ने अभियुक्त को गोशाला से भागते हुए देखा था और इसके पश्चात् दोनों के बीच मौखिक वाक्-कलह हुआ था परन्तु अन्वेषक अधिकारी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा जब वह साक्षी कठघरे में हाजिर हुआ था और इस आधार पर भी राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई तथा मामले में कोई बल न होने के कारण उसको अस्वीकार कर दिया गया था । हमारी यह राय यह है कि अन्वेषक अधिकारी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल पर तब पहुंचा जब अभियुक्त द्वारा अपराध कार्य पूरा कर लिया गया था । इसके प्रतिकूल रोशनी देवी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और उसने अभियुक्त को गोशाला से भागते हुए देखा था । अभि. सा. 2 रोशनी देवी का साक्ष्य विश्वसनीय है और न्यायालय को विश्वास दिलाता है ।

27. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने दूसरी यह दलील दी है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार जब अभियोक्त्री की माता घर पर पहुंची और कमरे के अन्दर गई तो उसने अभियोक्त्री का जांघिया और सलवार देखी थी और जिस वजह से वह अत्यंत विचलित और परेशान हुई तथा इसके पश्चात् उसने अपनी पुत्री को सहमति का मामला होने को साबित करने के लिए कहा इसलिए इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर मामले में कोई बल न होने पर उसे अस्वीकार कर दिया । अभियोक्त्री की सहमति के सुझाव अभियोक्त्री और किसी अन्य अभियोजन साक्षी को नहीं दिया गया और अभियुक्त द्वारा इस बारे में कोई कारण समनुदेशित नहीं किया गया है कि उसने न्यायालय के समक्ष सहमति के मामले के बारे में अभिवाक् क्यों नहीं किया । इसके प्रतिकूल अभियुक्त ने मामले में मिथ्या फंसाए जाने और दुश्मनी की वजह से फंसाए जाने का अभिवाक् किया ।

28. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह दलील दी कि लोहे के दरवाजे और लकड़ी के दरवाजे की अवस्थिति से यह दर्शित हुआ है कि अभियोक्त्री द्वारा स्वेच्छया से कमरा खोला गया था और वर्तमान मामला अभियुक्त की ओर से सहमति का प्रकट होता है और इस आधार पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई क्योंकि इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित कारणों पर कोई बल न होने की वजह से उसे अस्वीकार कर दिया गया था ।

अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को सहमतिजन्य मैथुन के बारे में जब वह वर्तमान मामले में साक्षी कठघरे में खड़ी हुई तो उसे कोई सुझाव नहीं दिया गया था । किसी अन्य अभियोजन साक्षी को भी इस बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया कि वर्तमान मामला अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच सहमतिजन्य मैथुन का मामला है । अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा नहीं की है कि वर्तमान मामला सहमतिजन्य मैथुन का था । यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई सकारात्मक अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि वर्तमान मामला अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच सहमतिजन्य मैथुन का मामला है । हमारी यह राय है कि सहमतिजन्य मैथुन के बारे में विचारण न्यायिक निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गए साक्ष्यों के प्रतिकूल हैं और ऐसे निष्कर्ष उपधारणाओं पर आधारित हैं । हमारी यह राय है कि विचारण न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाले हैं कि वर्तमान मामला अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच सहमतिजन्य मैथुन का है ।

29. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने एक अन्य यह दलील दी है कि अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों के बीच तात्विक विभेद हैं जो मामले की तह तक जाते हैं और इस आधार पर भी राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई क्योंकि उसमें कोई बल नहीं था । हमारी यह राय है कि आपराधिक मामले में छोटे-मोटे विभेद होते हैं जब साक्षी का परिसाक्ष्य लंबे अंतराल के बाद लेखबद्ध किए जाते हैं । वर्तमान मामले में घटना तारीख 25 फरवरी, 2009 को घटी थी और अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य चार महीने के अंतराल के पश्चात् माह जून, 2009 में लेखबद्ध किए गए थे । स्वेटर और सलवार की साबित की गई बरामदगी तथा अभियोक्त्री की जांघिया के बारे में साबित की गई बरामदगी और अभियुक्त की जांघिया और वी-आकार की चप्पल युक्तियुक्त संदेह के परे है, अभिलेख पर साबित की गई थी कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया था । अभियोक्त्री के स्वेटर के बटनों तथा कमीज के धागे की बरामदगी को युक्तियुक्त संदेह के परे भी साबित किया गया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया । न्यायालयिक प्रयोगशाला, हिमाचल प्रदेश, जुंगा की रिपोर्ट के अनुसार भी अभियोक्त्री के कमीज पर मानव वीर्य के धब्बे पाए गए थे और अभियोक्त्री के योनिक स्वाब मानव रक्त और वीर्य भी पाया गया था तथा अभियोक्त्री के यौनिक स्लाइडों में रक्त भी पाया गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ग के अनुसार भी,

जिसे अभिलेख पर रखा गया है उससे टूटे हुए बटन और लेस का अभियोक्त्री के स्वेटर और बटनों से मिलान होता है । अभिलेख पर रखे गए घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/क के अनुसार भी अभियोक्त्री का आवासीय मकान तथा गोशाला और अभियुक्त का मकान एक दूसरे के नजदीक पर स्थित हैं ।

30. अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने अगली यह दलील दी है कि अभियोक्त्री और अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्य वर्तमान मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए, इन्हें कोई बल न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है । **जोशे** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है यदि इससे न्यायालय को विश्वास मिलता है और यदि साक्षी का परिसाक्ष्य विश्वास योग्य है । अपराध की तैयारी के पश्चात् अपराध किए जाने के प्रति प्रत्यक्ष गतिविधि चलाने का प्रयास किया जाता है । यह साशय तैयारी की कार्रवाई की तैयारी है यदि कोई स्वतंत्र व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपने उद्देश्यों को पाने में असफल हो जाता है जो इसे पूरा करना चाहता है । "बाहरी कार्यों से आन्तरिक रहस्यों का पता चलता है", यह उपधारणा आपराधिक मामलों में लागू होती है । यह तथ्य कि अभियोक्त्री की आयु 20 वर्ष थी, वह घटना की तारीख को कुंवारी थी, यह बात सहमति के संबंध में अधिक प्रबल सबूत है । विचारण न्यायालय का निष्कर्ष कि वर्तमान मामला अभियोक्त्री की ओर से सहमति पर आधारित है जो निर्णय के पैरा 30 में प्रकट है, अवैध है । यह बात साबित तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि अभियुक्त की प्रतिरक्षा सहमति की कहानी पर आधारित नहीं है और अभियुक्त ने अभियोक्त्री और अन्य अभियोजन साक्षियों की वर्तमान मामले में अभियोक्त्री की ओर से सहमति की कहानी पर उनकी प्रतिपरीक्षा नहीं की है । इसके प्रतिकूल अभियुक्त की प्रतिरक्षा यह है कि दुश्मनी की वजह से मिथ्या मामला फाइल किया गया था, और यह बात अभिलेख पर साबित नहीं है ।

31. उपरोक्त कथित तथ्यों और ऊपर उद्धृत निर्णयज विधि को ध्यान में रखते हुए अपील भागतः मंजूर की जाती है । हम दंड संहिता की धारा 376 और 506 के अधीन अभियुक्त की दोषमुक्ति की पुष्टि करते हैं और

---

[1] ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 944 (पूर्ण पीठ).

दंड संहिता की धारा 452 तथा अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन अभियुक्त की दोषमुक्ति को अपास्त करते हैं । इसके अतिरिक्त हम दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध से अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हैं और अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 452 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन भी दोषसिद्ध करते हैं । हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को केवल इस सीमा तक उपान्तरित करते हैं । दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 और 452 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में दंडादेश की मात्रा पर सिद्धदोष अभियुक्त को भी सुना । दोषसिद्ध अभियुक्त विपिन कुमार के विरुद्ध जमानती वारंट पचास हजार रुपए की राशि के साथ दो प्रतिभुओं के सहित जारी किया जाता है और उसे दंड की मात्रा पर सुनने के लिए तारीख 2 मार्च, 2015 को हमारे समक्ष पेश होना होगा ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

दंड की मात्रा

32. हमने राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता तथा दोषसिद्ध व्यक्ति की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल को दंड की मात्रा के संबंध में सुना ।

33. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने हमारे समक्ष यह दलील दी है कि दोषसिद्ध व्यक्ति ने दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376, 452 और अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन घृणित अपराध किया है और समाज में विधि की प्रभुता को बनाए रखने के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के लिए निवारक दंड अधिनिर्णीत किया गया । इसके प्रतिकूल दोषसिद्ध व्यक्ति की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने हमारे समक्ष यह दलील दी है कि दोषसिद्ध व्यक्ति प्रथम अपराधी है और इसके अतिरिक्त यह निवेदन किया कि उसके दो अप्राप्तवय बच्चे हैं जिनको उसने सहारा देना है तथा वर्तमान मामले में

उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए ।

34. हमने राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर अधिवक्ता तथा दोषसिद्ध व्यक्ति की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल की दलीलों पर विचार किया तथा दंड की मात्रा पर सावधानीपूर्वक विचार किया ।

35. हमारी यह राय है कि मैथुन अपराध समाज में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं । विधि में यह सुस्थापित किया गया है कि हत्या करके पीड़िता के शरीर को नष्ट किया जाता है परन्तु बलात्कारी किसी भी स्त्री की आत्मा को तिरस्कृत कर देता है । **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **सुरेन्द्र सिंह**[1] वाले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दंड आनुपातिक होना चाहिए । इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि अभियुक्त व्यक्ति का प्रथम अपराध है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोषसिद्ध व्यक्ति के दो अप्राप्तवय बच्चे हैं जिनकी उसने परवरिश करनी है और दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को ध्यान में रखते हुए और समाज में विधि की प्रवृत्ता को कायम रखने के लिए हम दोषसिद्ध व्यक्ति को निम्नानुसार दंडादिष्ट करते हैं :–

क्रम सं.	अपराध की प्रकृति	अधिरोपित दंड
1.	दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन अपराध	दोषसिद्ध व्यक्ति को 7 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 25,000/- (केवल पच्चीस हजार रुपए) की राशि के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर दोषसिद्ध व्यक्ति एक वर्ष का कठोर कारावास का दंड भोगेगा ।
2.	दंड संहिता की धारा 452 के अधीन अपराध	दोषसिद्ध व्यक्ति को तीन वर्ष का साधारण कारावास भोगने और 10,000/- (केवल दस हजार रुपए) की राशि के जुर्माने का संदाय करने

[1] ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 398.

		का दंडादेश दिया गया । जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर दोषसिद्ध व्यक्ति छह मास का साधारण कारावास भी भोगेगा ।
3.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन अपराध	दोषसिद्ध व्यक्ति को छह मास का साधारण कारावास भोगने तथा 10,000/- (केवल दस हजार रुपए) की राशि के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर दोषसिद्ध व्यक्ति एक मास का साधारण कारावास भी भोगेगा ।

36. सभी दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान अभिरक्षा की अवधि से मुजरा किया जाएगा । इस निर्णय और दंडादेश की अभिप्रमाणित प्रति को विद्वान् रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा निःशुल्क अभियुक्त व्यक्ति को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी । दोषसिद्ध व्यक्ति आज से एक मास के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करेगा । विधि के सक्षम न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाहियों को फाइल करने की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वाद संपत्ति हिमाचल प्रदेश राज्य के पक्ष में जब्त की जाएगी ।

अपील का निपटारा किया गया । सभी लंबित प्रकीर्ण आवेदन यदि कोई है, तो उनका भी निपटारा किया जाएगा ।

तद्नुसार दंड की मात्रा का निपटारा किया गया ।

आर्य

गतांक से आगे.....

अध्याय 4
राज्य सूचना आयोग

15. राज्य सूचना आयोग का गठन – (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं ।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी, –

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता ; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा ।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है या की जा सकती हैं ।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

16. पदाविध और सेवा की शर्तें – (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु यह और कि जहां राज्य़ सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त

अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें –

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं ;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं :

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़ कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

17. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना – (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे

किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

18. सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य – (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे –

(क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है ;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है ;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है ;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है ;

(ङ) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है ; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में ।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा ।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी बात का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :–

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा ।

19. अपील – (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी :

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर

अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(4) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इनकार किया था, होगा ।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा ।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा ।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है –

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं –

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है ;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना ;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना ;

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना ;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के

संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना ;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना ;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना ;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना ।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा ।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए ।

20. शास्ति – (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा ।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह यथास्थिति, ऐसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा ।

अध्याय 6
प्रकीर्ण

21. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना – इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

23. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन – कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

24. अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना – (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी :

परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया, समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य

विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।

25. मानीटर करना और रिपोर्ट करना – (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा ।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा ।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा,–

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या ;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था ;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष ;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम ;

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं ;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं ।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति, इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा ।

26. समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना – (1) समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक –

(क) जनता की, विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिए, कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी ;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी ;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी ;

(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए

सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी ।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है ।

(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रोनिक डाक पता ;

(ग) वह रीति और प्ररूप जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य ;

(ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है ;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए प्रावधान करने वाले उपबंध ;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं ; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र ।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए ।

27. **नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति** – (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस ;

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

28. नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति – (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस ; और

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

29. नियमों का रखा जाना – (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

31. **निरसन** – सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 (2003 का 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

पहली अनुसूची

[धारा 13(3) और धारा 16(3) देखिए]

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं, जो ----------

मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा ।"।

दूसरी अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो ।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड ।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय ।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ।
5. प्रवर्तन निदेशालय ।
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र ।
8. विशेष सीमान्त बल ।
9. सीमा सुरक्षा बल ।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल ।
11. भारत-तिब्बत सीमा बल ।
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ।
14. असम राइफल्स ।
[1][15. सशस्त्र सीमा बल ।]
16. आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण) ।
17. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ।
18. वित्तीय आसूचना यूनिट, भारत ।
[2][19. विशेष संरक्षा ग्रुप ।]
20. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ।
21. सीमा सड़क विकास बोर्ड ।
22. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय ।

---

[1] सा. का. नि. 347, तारीख 28.9.2005 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] सा. का. नि. 347, तारीख 28.9.2005 द्वारा (28.9.2005 से) अंतःस्थापित ।